लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(भाग I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद विवाद
(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 5 मई, 1997/15 वैशाख, 1919 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	3	1918 (शक)	1919 (शक)
विषय सूची (ii) 341 343	20 8 1	श्रीमती हेडविग मिचले-रीगो	श्रीमती हेडविग माइकेल रीगो
61	नीचे से 9	(ख) और (घ)	(ख) से (घ)
79	5	श्री नीतिश कुमार	श्री नीतीश कुमार
89	5	श्री दादा बाबूराव-परांजे	श्री दादा बाबूराव परांजपे
130	10	श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन	श्री टिंडिवनम जी. वेंकटरामन
262	15	प्रो. पी. जी. कुरियन	प्रो. पी. जे. कुरियन
289	21	जी. पी. उपेन्द्र	श्री पी. उपेन्द्र
365	नीचे से 2	श्री पी. सी. कुरियन	प्रो. पी. जे. कुरियन

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 14, चौथा सत्र (भाग-चार), 1997/1919 (शक)]

अंक 3, सोमवार, 5 मई, 1997/15 वैशाख, 1918 (शक)

विषय		कालम
मंत्री का परिचय		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	401 से 404	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	405 से 420	24-58
अतारांकित प्रश्न संख्या	4468 से 4697	58-236
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को बंद किए जाने के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3548 के उत्तर (हिन्दी संस्करण) में शुद्धि करने वाला विवरण		237
सभा पटल पर रखे गए पत्र		237-246
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति		
अड़तालीसवां, उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन – *सभा पटल पर रखा गया*		246
कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		246
बिहार राज्य के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता के लिए किए गए अनुरोध के बारे में		247-267
नियम 377 के अधीन मामले		268
(एक)	अजमेर, राजस्थान में हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो० रासा सिंह रावत	268
(दो)	पूर्वी दिल्ली में विश्वविद्यालय खोले जाने संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	268-269
(तीन)	हावड़ा, पश्चिम बंगाल में पेयजल की भारी कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यता	
	श्री पी०आर० दासमुंशी	269
(चार)	गन्ने और चीनी की कीमत के बीच वास्तविक अनुपात निर्धारित करने और इस संबंध में सिफारिश करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिवंश सहाय	269-270
(पांच)	जहानाबाद, बिहार में टेलीफोन प्रयोक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	270

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(छः) शाहाबाद, उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण विकास के लिए विशेष अनुदान जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आज़मी 271

(सात) बरेली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत एक काउंटर मैगनेट सिटी के रूप में सम्पूर्ण विकास करने के लिए और अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यता

श्री संतोष कुमार गंगवार. 271

सामान्य बजट – 1997-98 – अनुदानों की मांगे – स्वीकृत

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

श्रीमती सुमित्रा महाजन. 272-280

कटौती प्रस्ताव – अस्वीकृत

श्री पी० उपेन्द्र 282-291

श्री सुकदेव पासवान 292-297

श्री समीक लहिरी 297-302

श्री सुरेश प्रभु 302-311

श्री अजय चक्रवर्ती 311-316

प्रो० रासा सिंह रावत 316-323

प्रो० पी०जे० कुरियन 323-333

श्री एस०के० कारवींघन. 333-337

श्री इलियास आज़मी 337-339

श्री रनेन बर्मन 340-341

श्रीमती हेडविग मिचले रीगो. 341-343

श्री पुन्नु लाल मोहले 343-344

श्री अनादि चरण साहू 344-346

श्री भगवान शंकर रावत 346-348

श्री के०पी० सिंह देव 348-352

श्री एस०आर० वोम्मई 352-365

लोक सभा

सोमवार, 5 मई, 1997/15 वैशाख, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

मंत्री का परिचय

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, आप की अनुमति से मैं इस सभा से भलीभांति परिचित श्री एस० आर० बोम्मई, मानव संसाधन विकास मंत्री से आपका परिचय कराना चाहता हूं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

हेपेटाइटिस-बी

+

*401. **डॉ० अरूण कुमार शर्मा :**
श्री के०एस० रायुडू :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौधोगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में हेपेटाइटिस्-बी से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बीमारियों के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) इन बीमारियों पर नियंत्रण के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) इन बीमारियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार भारत विश्व के देशों में हेपेटाइटिस-बी के लिए मध्यम क्षेत्र में आता है। देशों को तीन तरह के व्याप्तता दरों में बांटा गया है अर्थात उच्च, मध्यम और निम्न। भारत में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 3-5 प्रतिशत जनता हेपेटाइटिस-बी के संक्रमण से पीड़ित है। केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरों द्वारा संकलित किए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में विषाणुज हेपेटाइटिस (सभी प्रकार के) के कारण संक्रमित व्यक्तियों और इससे हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	संक्रमित व्यक्तियों की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या
1994	98880	1183
1995	94780	701
1996	93258	550

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने हेपेटाइटिस-बी के नियंत्रण के लिए अलग से कोई निधि का आबंटन नहीं किया है। तथापि, हेपेटाइटिस-बी के लिए रक्त की जांच करने, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और अस्पताली कर्मचारियों को टीका लगाने जैसे निवारक उपायों पर धन खर्च किया जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद जिसके सदस्य सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं, की 9-11 जनवरी, 1997 को हुई पिछली बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह पारित किया गया कि संक्रमण नियंत्रण और कूड़े कचरे के निपटान के लिए अस्पताली कर्मचारियों को खासकर हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाया जाए। प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ शिशुओं को टीका लगाने का खर्च 500 करोड़ रुपए से अधिक होगा और इसलिए हेपेटाइटिस-बी के टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर पाना संभव नहीं हो पाया है। तथापि, सरकार लागत में कमी आने के लिए लागत सार्थक खर्च पर हेपेटाइटिस-बी का देश में ही निर्माण करने को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. रक्ताधान से पूर्व सभी रक्तदानों में हेपेटाइटिस-बी विषाणु की जांच करना अनिवार्य है।
2. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निवारक उपाय करने और अस्पताली कर्मचारियों को टीका लगवाने की सलाह दी गई है।
3. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित यौन व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। दोनों रोगों के संचरण के स्रोत एक ही हैं।
4. व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बार टीकाकरण हेतु पृथक सिरिंज और पृथक सूई का प्रावधान करना।
5. केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के सरकारी कर्मचारियों को हेपेटाइटिस-बी के लिए रोग-प्रतिरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।
6. प्रत्येक इंजेक्शन और आपूर्तिक शल्यक्रिया उपचार के लिए पृथक निर्जीवाणुकृत सिरिंज और सुई का इस्तेमाल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
7. स्वास्थ्य शिक्षा।

[अनुवाद]

डॉ० अरूण कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विश्व में फैले हेपेटाइटिस-बी जीवाणु जो कि पीलिया और जिगर का केंसर फैलाते हैं, एड्स से भी अधिक खतरनाक हैं। यह रोग एड्स की भांति केवल असुरक्षित यौन संबंधों और रक्ताधान से ही संचरित नहीं होता बल्कि यह संकुचित मच्छरों और दाड़ी बनाने के दौरान उपयोग किए गए संकुचित रेज़र के प्रयोग से भी फैलता है। शिशुओं के इस संक्रमण को ग्रहण करने की अधिक संभावना रहती है क्योंकि वे इसे मां से ग्रहण कर सकते हैं।

इस प्रकार के संक्रमण और इससे हुई मौतों की संख्या माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इनकी संख्या 2434 रही। देश में सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में उचित निदान संबंधी प्रक्रिया न अपनाए जाने के कारण यह गलत भी हो सकती है। मैं विशेष रूप से इस रोग के लिए माननीय मंत्री महोदय जी से संक्षेप में जानना चाहता हूँ कि देश के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में इसके निदान के लिए क्या निदान संबंधी प्रणाली अपनाई गई है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अस्पतालों में, खास तौर से केन्द्र सरकार के अस्पतालों में हेपेटाइटिस-बी के डायग्नोसेस के लिए अलग-अलग सेल बनाए गए हैं। माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि जिगर का यह रोग भी मच्छरों से पैदा होता है, इसकी अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।

[अनुवाद]

डा० अरूण कुमार शर्मा : मच्छरों से इस रोग के संक्रमण की बात एक किताब से उद्धरत की गई है; यहां किसी प्रकार की जानकारी दिए जाने का प्रश्न नहीं है।

एक अन्य बात, माननीय मंत्री महोदय ने बताई है कि देश की लगभग 3.5 प्रतिशत जनता में हेपेटाइटिस-बी के रोग के कीटाणु होने की आशंका है। हम जानते है कि सम्पूर्ण विश्व में ऐसे 200 मिलियन लोग है जिनमें से 20 प्रतिशत लोग दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के है। इन दक्षिण-पूर्व देशों में से अधिकांश जैसे थाइलैंड, जापान और चीन उपचारात्मक कदम ले रहे हैं और इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम चलाए गए हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में शिशुओं में यह संक्रामक रोग से अधिक होने की संभावना है।

माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि 2.5 करोड़ शिशुओं के टीकाकरण के लिए 500 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी और इसी कारण वे कोई टीकाकरण कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकें। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इन दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी सहायक एजेंसियों और विश्व के अन्य संगठनों जो कि स्वास्थ्यवर्द्धक कार्यक्रमों से जुड़े हैं, के सहयोग से कुछ विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमारे पड़ोस के कई देश हेपेटाइटिस की श्रेणी में आते हैं और उनमें भारत भी है। पीड़ितों के इलाज के लिए और खासतौर से बच्चों के इलाज के लिए दो करोड़ पचास लाख के करीब पैसा खर्च होता है। जो दवाएं कन्सेशनल रेट पर बाहर से मंगानी पड़ती हैं वह पांच सौ करोड़ रुपये की होती हैं, अगर कन्सेशन न हो तो उनकी कीमत दो हजार करोड़ रुपए है। इनके निर्माण भारत में करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये सस्ते रेट पर हमें उपलब्ध हो सकें। बहुत सी बीमारियों के लिए विश्व-बैंक या दूसरे लोग मदद देते हैं जिनपर केन्द्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर खर्चा करती है। अभी इसके लिए कहीं से सहायता नहीं ली जा रही है।

प्रो० रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी, हेपेटाइटिस-बी की रोकथाम में कितने गंभीर हैं यह तो उनका जवाब पढ़ने से ही पता लग जाता है। उन्होंने खुद ही कहा है कि केन्द्र सरकार ने हेपेटाइटिस-बी के नियंत्रण के लिए किसी निधि का आवंटन नहीं किया है, जबकि एड्स के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। एड्स से दो-सौ गुना ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस-बी का वायरस है। यदि एड्स के 14 मिलियन वाहक विश्व में हैं तो हेपेटाइटिस-बी के दो हजार मिलियन वाहक विश्व में हैं। एड्स के लिए 0.1 मिलिलीटर रक्त का दूषित होना पर्याप्त है जबकि हेपेटाइटिस-बी के लिए .0004 मिलिलीटर रक्त का दूषित होना ही पर्याप्त है। हमने अखबारों में पढ़ा कि उड़ीसा के गांव के गांव इससे पीड़ित हैं और हेपेटाइटिस-बी के संक्रमण से लोग मारे जा रहे हैं। मंत्री जी जब यह कहते हैं कि इसके नियंत्रण के लिए किसी निधि का आवंटन नहीं किया गया है और दोनों के लिए साथ ही साथ उपाय किये जा रहे हैं और मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि इसके एक टीके का दो हजार रुपये दाम पड़ता है और बहुतायत में खरीदने पर भी पूरे देश के लिए करीब पांच सौ करोड़ रुपये के टीके लेने पड़ेंगे। मैं कहना चाहूंगी कि मंत्री जी को गलत जानकारी मिली है।

मुझे यह पता है कि एक हेपेहाइटिस-बी का इंजेक्शन 1400 रुपये में उपलब्ध है। बल्क में खरीदा जाए तो 25 रुपये प्रति इंजेक्शन पड़ेगा। जब यह 25 रुपये में मिल सकता है तो क्यों नहीं बल्क में दवा खरीदकर शिशुओं को इसका टीका लगाया जाता है। केन्द्र सरकार का रवैया बड़ा ही लापरवाही का है। यह तो सीधे कहते हैं कि हमने किसी निधि का आवंटन नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : लगता है पूरा जवाब आपके पास ही है।

प्रो० रीता वर्मा : मैं कहना चाहती हूं कि मंत्री जी इसके लिए निधि का आवंटन करें, जिससे लोगों को टीका लगाने का उपाय हो सके।

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्या ने जिस दवा के बारे में चर्चा की है कि वह कम रुपयों में मिल सकती है वह हेपेटाइटिस की "ए" श्रेणी की बीमारी के लिए है। लेकिन हेपेटाइटिस-बी के लिए नहीं है। मैं दो हजार रुपये की बात कह रहा हूं लेकिन अगर उसके ऊपर उपकर वगैरह जोड़ा जाए तो उसका दाम और ज्यादा होगा। इसलिए यह मुश्किल हो रही है। इसको मैंने ईमानदारी से कबूल किया है। मैंने मंत्रालय के लोगों को भी कह दिया था कि चूंकि मुझे जवाब देना है इसलिए साफ-साफ कह दो कि इसको प्राथमिकता नहीं दी है ताकि सदन भी जान जाए और देश भी जान जाए। मैं जानता हूं कि छिपाने से काम नहीं चलता है। प्रश्न इस गंभीर बीमारी का है,

प्रश्न आठ महीने या दस महीने की सरकार का नहीं है। बहुत गम्भीरता का रूख अख्तियार नहीं किया गया। माननीय सदस्या से मैं सहमत हूं कि बच्चों ... *(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : आपका जवाब गलत है। इस बीमारी को गम्भीरता से नहीं लिया गया।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं यही कह रहा हूं। माननीय सदस्या की चिंता उचित है कि देश में बच्चों के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च नहीं किया जाता। हम इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि देश में दवा का इंतजाम हो जाए। बुलन्दशहर और हैदराबाद में प्राइवेट और सरकारी कम्पनी है। बुलन्दशहर वाली कम्पनी यह प्रयास कर रही है कि जल्दी दवाइयां ईजात हों इससे दवाइयां सस्ते रेट पर मिलने लगेंगीं। इससे इलाज करने में दिक्कत नहीं होगी।

[अनुवाद]

डा० राम चन्द्र डोम : मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार पता चलता है कि यह रोग अन्य जान लेवा रोगों की तरह ही खतरनाक रोग है। यह एड्स से कम खतरनाक नहीं है। यह मुख्यतः रक्त से होने वाली बीमारी है और विशेषतः रक्ताधान के दौरान और दूषित इंजेक्शन के प्रयोग से दूषित खून के जरिए होती है। यद्यपि यह आम आदमी की समस्या है लेकिन डाक्टर भी दूषित इंजेक्शनों के प्रयोग करने के कारण इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह सब बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया पूछिए।

डा० राम चन्द्र डोम : यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने व्यवसायिक जीवन के हमारे कुछ दुखद अनुभव है। यही कारण है कि मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। इसलिए इस बीमारी को रोकने के लिए पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित रूप से जिला उप-मंडलीय रक्त दान जैसे निचले स्तर पर रक्त के बारे में सुरक्षा उपाय किए जाएं। . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक पार्टी के केवल एक मैम्बर को चांस मिल सकता है, किसी दूसरे को नहीं।

[अनुवाद]

क्या ऐसा नहीं है ?

डा० राम चन्द्र डोम : लेकिन आज, हेपेटाइटिस-बी अथवा ए जैसी रक्त से होने वाली बीमारियों को रोकने के संबंध में रक्त सुरक्षा उपाय बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। देश में हज़ारों-लाखों गैर-सरकारी रक्त बैंक तेजी से बढ़ रहे हैं और उनके सुरक्षा उपायों के निरीक्षण के लिए वहां कोई नहीं है। इसलिए रोग से बचाव के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में जिला उप-मंडलीय रक्त दान केन्द्र से निचले स्तर पर रक्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं ? यह मेरे प्रश्न का एक भाग है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग टीकाकरण के संबंध में है। हेपेटाइटिस-बी के सस्ते टीके का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। मेरा प्रश्न है कि टीके के उत्पादन विशेषता देश में किफायती उत्पादन के लिए जबकि हमारा अग्रमी अनुसंधान संस्थान, आई०सी०एम०आर० है, सरकार ने क्या कदम उठाए है ? इस संबंध में वे क्या कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के सिरसा, गुजरात के मेहसाणा और राजस्थान के श्रीगंगानगर में हेपेटाइटिस-बी की कुछ शिकायतें आई हैं। केन्द्रीय सरकार ने वहां अपनी एक टीम भेजी। उस टीम की रिपोर्ट आ गई कि किसी अनरजिस्टर्ड डाक्टर की एक सुई से ये घटनाएं हुई हैं। बहुत सी खबरें आई कि वहां ऐसी मौतें हुई। माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि बहुत से डाक्टर जो नाजायज ढ़ंग से धंधा करते हैं, वे महज ऐसी सुई का इस्तेमाल करते हैं जिससे यह बीमारी फैलती है। दूसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार ने अस्पतालों को यह निर्देश दिया है कि अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी जिस की मार्फत यह बीमारी फैल सकती है, पहले उसकी बीमारी को इम्मयूनाइज करने के लिए उसको टीका लगाया जाए। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों की मीटिंग में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे निर्देश दिए। केन्द्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार अपने अस्पतालों में भी इस तरह की व्यवस्था करे।

डा० अरविन्द शर्मा : अध्यक्ष जी, यह बहुत इम्पाटट प्रश्न है। इस पर हाफ-एन-ऑवर के लिये समय दीजिये। ऐसे काम नहीं चलेगाा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगें।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, न जवाब हुआ और न समाधान हुआ।

[अनुवाद]

डॉ० अरविन्द शर्मा : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस विषय पर आधे-घंटे की चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री दत्ता मेघे : महोदय, कृपया आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिये।

डा० राम चन्द्र डोम : महोदय, यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। कृपया आधे-घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिये। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ कि यह महत्वपूर्ण है। वास्तव में कार्य मंत्रणा समिति में मैने प्रस्ताव रखा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को चर्चा के लिए लिया जाए। हम ऐसा नहीं कर सकें क्योंकि सम्बद्ध मंत्री महोदय जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के किसी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई। हम कोई रास्ता ढूंढ निकालने का प्रयत्न करेंगें क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है – यह ही नहीं सम्पूर्ण स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण है। मैं भी यह जानता हूँ।

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अकारण गोलाबारी

+

*403. **श्री सनत कुमार मंडल :**
डॉ टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा जम्मू-कश्मीर के कारगिल जिले में हाल ही में अकारण गोलाबारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा इस गोलाबारी के परिणामस्वरूप जान और माल का कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस मामले को भारत-पाकिस्तान वार्ता के दौरान विशेषरूप से पाक सरकार के साथ उठाया गया था; यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया थी; और

(घ) इस प्रकार की अकारण गोलाबारी को रोकने और विस्थापित नागरिकों को पुनर्वासित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

यद्यपि जम्मू तथा कश्मीर में नियंत्रण रेखा के इस पार पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अकारण छोटे हथियारों से गोली-बारी प्रायः ही की जाती रहती है, लेकिन 09 अप्रैल से 13 अप्रैल, 97 के दौरान कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेनाओं ने अगली पंक्ति के सुरक्षित स्थानों पर ही नहीं बल्कि सिविल आबादी वाले भागों सहित इस सेक्टर के काफी अन्दर के भागों पर भी छोटे हथियारों तथा अपने तोपखाने से भारी मात्रा में गोलीबारी की, जिसमें दो नागरिक मारे गए। इस गोलीबारी से कुछ इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई। भारतीय सेनाओं ने भी इस गोलीबारी का समुचित एवं संतुलित जवाब दिया। 13 अप्रैल, 97 से पाकिस्तानी सेनाओं के तोप खाने से गोलीबारी रूक गई है।

मौजूदा स्थापित व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिए इन मामलों पर दोनों देशों के मिलिटरी आपरेशन महानिदेशकों द्वारा टेलीफोन पर चर्चा की जाती है और जब भी जरूरी होता है इस मामले को कूटनीतिक माध्यमों से भी उठाया जाता है। तदनुसार इस मामले को भी हमारे मिलिटरी आप्रेशन्स के महानिदेशक ने पाकिस्तान के मिलिटरी आप्रेशन्स महानिदेशक के साथ 15 अप्रैल, 97 को निश्चित टेलीफोन वार्ता में उठाया। फलस्वरूप कारगिल सेक्टर में उसके पश्चात् असामारिक ठिकानों पर पाकिस्तान ने पुनः गोलीबारी नहीं की है।

इन गोलीबारियों के कारण अधिकतर नागरिक सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। सामान्य जनता में विश्वास पैदा करने के लिए समुचित कदम उठाये गए हैं और लगभग सभी लोग अपने गांवों में लौट आए हैं।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैंने विवरण को ध्यान से पढ़ा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान सेना ने ऐसे समय में कारगिल के शांति प्रिय जनता को अपनी बंदूकों का निशाना बनाने के लिए चुना जब दोनों देशों द्वारा शांति, सुख-चैन और उप महाद्वीप में पूर्व संगति लाने के लिए आपसी संबंधी को सुधारने की पहल की जा रही थी।

मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान सेना को गोलाबारी करने के लिए किसने मजबूर किया जिससे न केवल जम्मू और कश्मीर जैसे ऊँचे इलाके में पड़ रही अत्यधिक सर्दी से मासूम लोगों की दुर्दशा हुई है बल्कि यह घटना ऐसे समय में हुई जब कारगिल के स्थानीय लोग 'ईद' की तैयारी कर रहे थे। यह मेरा पहला प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधारने का सवाल है, भारत की तरफ से पूरी कोशिश है कि हमारे प्रत्येक पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाये जाएं। इसके लिए भारत की तरफ से प्रयास हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि जो वार्ता चल रही थी, वह विपरीत परिस्थितियों में पूरी नहीं हो सकी है। लेकिन अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने फोन पर बात की है, यह अखबारों में भी आया है और इन संबंधों को उसके आगे भी बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे।

दूसरा यहां तक पाकिस्तान की गोलीबारी का सवाल है, यह सही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अभी तक तीन लड़ाइयां हो चुकी हैं। और उन तीनों लड़ाइयों में पाकिस्तान पराजित हुआ है। कश्मीर में हाल में जो चुनाव हुए हैं, उससे पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। हमारे प्रयासों के चलते कश्मीर में स्थिरता आई है, सामान्य स्थिति बनी है, लोकतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई है लेकिन पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रही है कि कश्मीर में कोई न कोई उथल-पुथल होती रहे ताकि विश्व के सामने वह अपना पक्ष रख सके और इसीलिए उसकी तरफ से कोशिश हमेशा यही रहती है कि वहां गोलीबारी चलती रहे। अध्यक्ष जी, आपको मालूम ही है कि हमारी बहादुर सेना ने उसका पर्याप्त और उचित जवाब भी दिया है। ··· *(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : पाकिस्तान से हमारी दो ही लड़ाइयां हुई हैं, तीन कहां हुई हैं ··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी बारी नहीं है, इनकी बारी है। उन्हें अभी अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

श्री सनत कुमार मंडल : मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह मामला पाकिस्तानी प्रतिनिधि के ध्यान में लाया गया है जो कि भारत-पाक बातचीत में भाग लेने के लिए राजधानी में आया हुआ था। यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बातचीत का सवाल है, हमारी सकारात्मक बातचीत हुई थी, लेकिन, हमारी दोबारा उनसे जब बातचीत शुरू होगी। अंतिम बात पर फैसला होगा, तभी उसकी प्रतिक्रिया बनाई जा सकती है।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से अकारण गोलाबारी चल रही है। संभवतः 8,657 घटनाएं हुई है जिनमें हमारी सेनाओं और नागरिकों को बहुत ही कठिनाई और मुसीबत उठानी पड़ी।

दूसरे, मुझे आश्चर्य है कि जब 9 अप्रैल को हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई तो पाकिस्तानी सेनाओं ने जानबूझकर ऐसी सनसनी और तनाव की स्थिति इस भावना से पैदा की जैसे कि यह बातचीत के इच्छुक नहीं।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि ओ०एल०डी० श्री सेन गुप्ता ने आज के 'इंडियन एक्सप्रेस' में एक साक्षात्कार देते हुए कहा है कि मई के मध्य में 'सार्क' सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच बातचीत होने जा रही हैं। मैं न केवल रक्षा मंत्री से बल्कि प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या वे जम्मू और कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए न केवल कोई स्थायी समाधान ढुंढने के लिए बल्कि उनके द्वारा बार-बार तेज किए जाने को उनके ध्यान में लाने के लिए कोई कारगर कदम उठाने जा रहे हैं। वे इस प्रकार तनाव का वातावरण हमेशा क्यों बनाए रखते हैं और वे जानबूझकर ऐसा क्यों करते हैं ? जब हम उनसे शांति के लिए चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, वे तनाव पैदा कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इस बारे में जानते हैं अथवा नही। मैं माननीय प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री से जानना चाहूँगा कि यह धारणा क्यों दी जा रही है कि पाकिस्तानी सेनाएं इन शांति चर्चाओं की इच्छुक नहीं हैं, इसलिए वे उकसा रही है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक लगातार गोलीबारी का सवाल है, वह पिछले तीन वर्षों से नहीं, उससे भी पहले से लगातार चल रही है। गोलीबारी के पीछे पाकिस्तान का लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि ऐसा करके भारत का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके और गोलीबारी की आड़ में कुछ घुसपैठिए, कुछ उग्रवादी भारत में भेजे जा सकें। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, हमारी फौजें इस मामले में पूरी तरह सावधान है और उन्होंने उचित तथा पर्याप्त जबाव भी दिया है।

जहां तक सार्क सम्मेलन का सवाल है, माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठें हैं, जब वे सार्क सम्मेलन में जाएं तो उनको सुझाव दे सकते हैं। अब सार्क सम्मेलन में क्या बातचीत होगी उसके बारे में प्रधान मंत्री जी ही बता सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ, अब बस काफी है।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : मैं और प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैं केवल चाहूँगा कि माननीय प्रधान मंत्री सम्पूर्ण राष्ट्र और सभा को आश्वासन दें कि वे मामला पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ उठाएगें और देखेगें कि इस प्रकार की गोलाबारी बंद कर दी जाएं।

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : मेरे माननीय मित्र को इस बारे में बहुत अधिक उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। सच यह है कि हम प्रयास कर रहे है कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो। स्वाभाविक रूप से, यह एक प्रक्रिया होगी, घटना नहीं।

श्री जसवंत सिंह : मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो मेरे मित्र को अपनी निराधार सलाह में कहा है कि उन्हें इस बारे में उत्तेजित नहीं होना चाहिए के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है कि प्रधान मंत्री जी का उत्तर मुझे स्वीकार्य नहीं है।

[हिन्दी]

यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो रक्षा मंत्रालय की मांगों पर यहां बहस नहीं होती। दूसरे हम भारत-पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं कि आप एक्साइट मत होइए। ···*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : वे पूछ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। ···*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : हम एक्साइट क्यों न हों, तो और क्या करें? आप गोलीबारी की बात नहीं कर रहे हैं, ···*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे ख्याल में, ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : प्रधान मंत्री बाधा डाल रहे है। मैं उन्हें बीच में बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यह प्रधान मंत्री और मेरे बीच वार्त्तालाप नहीं है। यह एक वार्त्तालाप नहीं हे। मैंने अभी तक प्रश्न पूछा भी नहीं है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं आपको जवाब दे रहा हूँ।

श्री जसवंत सिंह : मैंने अभी तक तो प्रश्न पूछा भी नहीं है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। वे मेरे द्वारा उनको जवाब देने के ढंग पर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं उनको जवाब दूँगा।

श्री जसवंत सिंह : मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री गैर-जिम्मेदाराना ढंग से कह रहे हैं कि एक माननीय सदस्य ···*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, माननीय सदस्य को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं हे।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : आप बात बता रहे हैं। मैं बताता हूँ। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। प्रधान मंत्री उत्तर देंगे।

···*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या माननीय सदस्य पूरी तरह गैर-जिम्मेदार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : प्रधान मंत्री जी ने इंट्रप्ट किया है। मैंने थोड़े ही इंट्रप्ट किया है। ···*(व्यवधान)* मेरी ख्वाहिश के बावजूद इंट्रप्ट किया है।

अध्यक्ष जी, इसके कुछ चिन्ताजनक पहलू हैं, यह पहली बार चार-पांच दिन तक लगातार गोलीबारी हुई है। माननीय रक्षा मंत्री जी जानते हैं कि यह गोलीबारी नियंत्रण रेखा पर नहीं हुई है। नियंत्रण रेखा से 30 किलोमीटर भीतर हुई है। ···*(व्यवधान)* आप कह रहे हैं कि इस पर चिन्ता मत दिखाइए।

दूसरी चिन्ता की बात यह है कि यह नियंत्रण रेखा पर नहीं हुई है बल्कि यह गोलीबारी जानबूझकर सिविल आबादी पर हुई है।

तीसरी बात अध्यक्ष जी, मैं बहुत गंभीरता से आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि यह गोलीबारी कारगिल शहर और कारगिल शहर के 30 किलोमीटर भीतर हुई है, जो 1971-72 के बाद पहली बार हुई है। यह घटना 25-26 साल के बाद पहली बार हुई है। इसलिए इस घटना को नियंत्रण रेखा की घटना कहना, मेरी अपनी मान्यता है कि इसका सरलीकरण करना होगा। इसलिए मैं रक्षा मंत्री से आदर सहित पूछना चाहूंगा कि इस पहलू को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे, जैसा उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि जब आश्यकता होती है, तब हम इसे कूटनीतिक क्षेत्रों में उठाते हैं, तो क्या इन अनहोने पहलुओं को देखते हुए, इस सरकार को यह आवश्यकता महसूस हुई कि इस मामले को कूटनीतिक स्तर पर उठाया जाए और मात्र मिलिट्री आपरेशंस, डायरेक्टोरेट के जो रूटीन काल होते हैं वहीं मानकर संतुष्ट न रहा जाए। चौथी बात यह है कि पाक मिलिट्री आपरेशंस से आपकी जो बातचीत हुई है, तो उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया है और क्या आप उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं और यदि संतुष्ट हैं तो गोलीबारी के बारे में जो उन्होंने जवाब दिया है, केवल यह कह देना कि चार दिन के बाद गोलीबारी बंद हो गई है और 13 तारीख के बाद गोलीबारी नहीं हुई है, क्या सरकार इतने मात्र से संतुष्ट है ?

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, जसवंत सिंह जी ने प्रधान मंत्री महोदय को इरेंस्पोंसीबल कहा है। मेरा निवेदन है कि यह रिकार्ड से निकाला जाए। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में नहीं बोल सकते है। यह प्रश्न काल है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, जसवंत सिंह जी ने प्रधान मंत्री महोदय को इरेंस्पोंसीबल कहा है। मेरा निवेदन है कि यह रिकार्ड से निकाला जाए। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दत्ता मेघे : यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, यह बात सच है कि 1971 के बाद सिविलियन पर पहली बार कारगिल में आक्रमण हुआ है और नियंत्रण रेखा के इधर भी हुआ है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जसवंत सिंह जी, सेना में रह चुके हैं, वे जानते हैं कि हमारी फौज ने हमेशा मानवता का ध्यान रखा हे और मानवता के पहलू को कभी नहीं छोड़ा। . . .*(व्यवधान)*

आप सुन तो लीजिए। उसके बाद आप कहिये। इसलिए उन्होंने हमारे सिविलियन पर अटैक किया। हमने आपको कहा था कि हमने उचित और पर्याप्त जवाब दिया है। हमारी सेना और हमारी भारत की नीति अभी तक वही है। जब तक वह हमें ज्यादा मजबूर नहीं करते तब तक हम नागरिकों पर हमला नहीं करते। लेकिन जो असली ठिकाने हैं जहां से यह आक्रमण हो रहा है तो इस सदन में सारी बातें स्पष्ट करना उपयुक्त नहीं होतां उन ठिकानों पर हमने दो टूक बवाब दिया है।

आपने दूसरा सवाल पूछा कि जानकारी क्यों नहीं हो पायी ? आप तो सेना में रह चुके हैं। जब एक नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ फौजें खड़ी हैं और वहीं पर उनका तोपखाना लगा हुआ है तो आप पांच मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं। हमारे जासूस या हमारी इंटैलीजैंस किसी भी तरह का पता नहीं लगा सकती। वह तो अचानक हमला कर दिया और आप तो जानते हैं कि उन ठिकानों पर भी हम लोगों ने पर्याप्त जवाब दिया है। जहां तक 13 तारीख की बात है, यह जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम जरूर करेंगें वह हमला करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। हमारी जो मानवता है, उसके हिसाब से हमने नागरिकों पर अटैक नहीं किया। हम चाहते तो कर सकते थे लेकिन हमारी फौजें विश्व में विख्यात है। हमारी फौजों की अपनी शान है, सम्मान है। दुनिया में बराबर युद्ध हुए हैं लेकिन हमारी सेना ने मानवाधिकार को नहीं छोड़ा है। आप जानते हैं कि बंगलादेश की लड़ाई में 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, सरंडर किया गया परन्तु उन पर कोई जुल्म नहीं किया गया। आप जानते हैं कि दूसरे देशों ने क्या-क्या किया ? जर्मनी ने क्या किया ? वहां पर एक गैस

चैम्बर में भी सेना का क्या हुआ ? आप सेना में रहते हुए जानते हैं कि हमारी सेना पर विश्व में बड़ा सम्मान है। वह मानव पर कभी अत्याचार करने के लिए तैयार नहीं है। ···*(व्यवधान)*

श्री पी० नामग्याल : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक जरूरी जानकारी चाहिए। ···*(व्यवधान)*

شری پی - نامگیال [illegible]: ادھیکش مہودے مجھے ایک ضروری جانکاری چاہئے - ... (مداخلت)

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी से संबंधित प्रश्न है। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप संसद के एक स्थानीय सदस्य हैं। श्री संतोष मोहन देव, एक मिनट इंतजार कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संसद के स्थानीय सदस्य को अवसर दिया जाना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि 9 तारीख को जब दिल्ली में फॉरन मिनिस्टर्स लैवल की कांफ्रेस शुरू होने जा रही थी तो उसी दिन पाकिस्तान ने कारगिल पर फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। दूसरा पहलू यह है कि हमारी फोर्सिस ने 11 तारीख तक उस फायरिंग और बमबारी का कोई जवाब नहीं दिया। तब तक कारगिल टाउन की तबाही हो चुकी थी। आम लोगों का वहां पर यह इम्प्रेशन है कि हमारी फोर्सिस को कोई भी फायर करने के लिए दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है। हमें ऐसा लगता है कि यह सच है। अभी माननीय रक्षा मंत्री जी बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मानव के नाम पर उनको कहें कि आ बैल मुझे मार तो हमें यह बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हम आपसे यह जानकारी चाहते हैं कि जब पाकिस्तान ने 9 तारीख को फायरिंग और बमबारी शुरू की तो आपने उसी दिन उसका जवाब क्यों नहीं दिया और यह हकीकत है कि हमारी फोर्सिस को दिल्ली से प्रमोशन लेना पड़ता है? यह भी कहा जा रहा है क्योंकि कश्मीर वेली में हमेशा इनफिल्ट्रेशन होता रहा है। पाकिस्तान ने कारगिल सैक्टर में बहुत दफा इनफिलट्रेशन की कोशिश की क्योंकि वहां की पापुलेशन हंड्रेड परसेंट मुस्लिम है। वहां की पापुलेशन ने जो इनफिल्ट्रेटर्स आए, उनके साथ कोपरेट नहीं किया। इसलिए पाकिस्तान ने वहां की पापुलेशन पर बमबारी की। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह हकीकत है? आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिए। ···*(व्यवधान)*

شری پی - نامگیال (لداخ): ادھیکش مہودے میرے پرشن کے دو پہلو ہیں - پہلا پہلو یہ ہے کہ ۹ تاریخ کو جب دہلی میں فارن منسٹرس لیول کی کانفرنس شروع ہونے جا رہی تھی تو اسی دن پاکستان نے کارگل پر فائرنگ شروع کر دی - دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری فورسیز نے ۱۱ تاریخ تک اس فائرنگ کا کوئی جواب نہیں دیا - تب تک کارگل ٹاؤن کی تباہی ہو چکی تھی - عام لوگوں کا وہاں پر یہ امپریشن ہے کہ ہماری فورسیز کو کوئی بھی فائر کرنے کے لئے دہلی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے - ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سچ ہے - ابھی مانئے رکشا منتری جی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مانو کے نام پر ان کو کہیں کہ "آ بیل مجھے مار" تو ہمیں یہ برداشت نہیں ہونا چاہئے - ہم آپ سے یہ جانکاری چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے ۹ تاریخ کو فائرنگ شروع کی تو آپ نے اسی دن اس کا جواب کیوں نہیں دیا اور کیا یہ حقیقت ہے کہ ہماری فورسیز کو دہلی سے پرمیشن لینا پڑتا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ کشمیر ویلی میں ہمیشہ انفلٹریشن ہوتا رہا ہے - پاکستان نے کارگل سیکٹر میں بہت دفعہ کوشش کی کیونکہ وہاں کی پاپولیشن سو فیصد مسلم ہے - وہاں کی پاپولیشن نے جو انفلٹریشن ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا - اس لئے انہوں نے وہاں کی پاپولیشن پر بمباری کی - میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ آپ میرے دونوں پرشنوں کا جواب دیجئے - ... (مداخلت)

श्री मुलायम सिंह यादव : हां, मानवता है। जर्मनी जैसी नहीं है। यह तो फासिस्टों का जवाब होता है लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो सक्षम अधिकारी सीमा पर हैं, उन्हें मुकाबला करने के लिए दिल्ली से मान्यता या आदेश लेने की कोई जरूरत नहीं है। सक्षम अधिकारी वहां रहते हैं और नियंत्रण रेखा के आस-पास आदेश लेने की कोई जरूरत नहीं हैं। लेकिन यह कहना कि मानवता के नाम पर हम हिन्दुस्तान की जनता पर किसी तरह से जुर्म होने देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए हम स्पष्ट नहीं करना चाहते, वह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन ठिकानों पर हमें मुकाबला करना था, हमला करना था या उसको दबाना था, वह हमने दबा दिया है और उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। ···*(व्यवधान)* यह सही है कि कारगिल में सेना को दोनों तरफ से काम करना पड़ा — अपने नागरिकों की सुरक्षा करना और दुश्मन से मुकाबला करना। ये दोनों काम किए हैं। ···*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त : 25,000 लोग डिसप्लेस्ड हुए हैं। इनको वहां की स्थिति का कुछ पता ही नहीं है। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा ही जारी नहीं रख सकते है। यह वाद-विवाद नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : वहां पर आठ महीने रास्ता टोटली बंद रहता है, कारगिल में आप पहुंच नहीं सकते। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको उनको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल श्री पी० नामग्याल के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री चमन लाल गुप्त : 1971 के वार के बाद हमने छंब का इलाका दिया है, उसके बाद हमारी वहां पर यह हालत हो रही है। ···*(व्यवधान)* 25,000 लोग डिस्लोकेट हुए हैं। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस वाद-विवाद में बदल नहीं सकता हूँ।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : ये जिस तरह से लाइटली लेकर जवाब दे रहे हैं, कुछ समझ में नही आ रहा है। ···*(व्यवधान)* ऐक्चुअली स्थिति यह है कि हमने कारगिल की चोटियां ली थी। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चमन लाल गुप्ता जो भी कहेंगे उसका कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल में इस पर परिचर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 9 तारीख तक हमारी सेना चुप नहीं बैठी रही। हमारी सेना को जो करना था, वह उसने किया है। इसलिए फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। ···*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : क्या किया ?

श्री मुलायम सिंह यादव : यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या किया।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश जल समझौता

+

*404. **श्री संतोष मोहन देव :**
श्री पी०आर० दासमुंशी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांगलादेश के अधिकारियों द्वारा फरक्का पर गंगा नदी में पानी के कम बहाव के प्रति चिन्ता व्यक्त की गई है;

(ख) क्या भारतीय अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 1997 के अंतिम सप्ताह की अवधि के दौरान फरक्का में पानी का बहाव काफी कम था;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत और बांगलादेश के अधिकारियों ने इस स्थिति और इस समझौते को अमल में लाने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस वार्ता का क्या परिणाम निकला और इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां।

(घ) 22 मार्च, 1997 को फरक्का पर 50,000 क्यूसेक्स से कम प्रवाह आता देखकर, भारत सरकार ने फरक्का पर गंगा जल के बंटवारे संबंधी भारत और बांग्लादेश द्वारा 12.12.1996 को हस्ताक्षरित संधि के अनुच्छेद-II (iii) के अनुसरण में बंटवारे की व्यवस्था में समायोजन करने के लिए बांग्लादेश के साथ विचार-विमर्श करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ दिल्ली में 26 और 27 मार्च, 97 को और ढाका में 6 और 7 अप्रैल, 97 को विचार-विमर्श किए गए परंतु कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। ऐसी स्थितियों के समाधान के लिए कार्यप्रणाली स्थापित करने के लिए अब कार्रवाई की जा रही है। इस बीच, 5 अप्रैल, 1997 से फरक्का पर प्रवाह 50,000 क्यूसेक्स, से अधिक हो गया है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, देवेगौड़ा सरकार और तत्कालीन विदेश मंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बंगला देश के साथ किया गया गंगा-जल समझौता है। हम इसका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करते हैं। परन्तु हम सभा में एक समय इसकी आलोचना भी कर चुके हैं। हमें आशंका थी कि जल संबंधी जो समझौता किया जा रहा है और जिसके बारे में आश्वस्त किया गया है, पूर्णतः त्रुटिरहित समझौता नहीं है। हमें इस सभा में तत्कालीन विदेश मंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया था कि सब बातों का ध्यान रखा गया है।

अब 22 मार्च, 1997 के एक विशेष दिन जल स्तर 50,000 क्यूसेक्स तक नीचे आ गया। यह बात ठीक रही कि बाद में इसमें सुधार हुआ। यह भी एक शुभ संकेत है। परन्तु लिखित उत्तर परेशान करने वाला है। इसमें कहा गया है, "ऐसी स्थितियों के समाधान के लिए कार्य प्रणाली स्थापित करने के लिए अब कार्रवाई की जा रही है।" जब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तब श्री दासमुंशी, कुमारी

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ममता बनर्जी और अन्य सदस्यों द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी कि क्या सभी सम्भव सावधानियाँ बरती गई हैं। अब आज उत्तर में हम देखते हैं कि "अब कार्रवाई की जा रही है।" इसका अर्थ है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया था और समझौते के हस्ताक्षरकर्त्ता बहुत ज्यादा आश्वस्त थे कि कभी भी यह 50,000 क्यूसेक्स तक या और नीचे जलस्तर नहीं जाएगा।

फिर भी मैं उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 50,000 क्यूसेक्स जल की आपूर्ति करने की वचनबद्धता को पूरा किया जाएगा, क्या कदम उठाने वाली है, यदि किसी समय आपूर्ति नहीं कर सकें तो यह सुनिश्चित करने कि हमें वचनबद्ध जलस्तर से वंचित न रहना पड़े इसके लिए आप किस प्रक्रिया को अपनाए जाने पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, बंगलादेश के साथ गंगा नदी के पानी के बंटवारे के सवाल पर जो सन्धि हुई थी, उसको मैं राष्ट्र के लिए गौरव की सन्धि मानता हूं।

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मार्च के अन्तिम 10 दिनों में और अप्रैल के पहले चार दिनों में पानी 50,000 क्यूसेक्स से कम हो गया और एक संकट की स्थिति पैदा हो गई। यह पहली बार नहीं हुआ है, जब फरक्का बैराज नहीं बना था, 1953 में भी 50,000 क्यूसेक्स से कम पानी हुआ था। यह हाइड्रोलोजिकल फिनोमिना है। 1993 में 50,000 क्यूसैक्स से बहुत कम पानी हुआ था। कई बार पानी कम हो जाता है। यह कुदरत का खेल है। इसे सरकार कण्ट्रोल नहीं कर सकती और व्यक्ति कण्ट्रोल नहीं कर सकता।

सन्धि पड़ोस के एक देश से दोस्ताना रिश्ते बनाने और अमन-चैन कायम करने के मकसद से और सरहद पर तनाव न रहे, इस मकसद से की गई है। उसमें कभी-कभी दिक्कतें भी आती हैं। यह भी हम महसूस करते हैं कि अभी आर्थिक दिक्कत आ जाती है तो परिवार के लोग चिल्लपों करने लगते हैं। 10-15 दिनों के लिए यह दिक्कत आई थी, लेकिन इसी बीच नेपाल की तराई में पर्याप्त पानी बरस गया और इस समय 62-63 हजार क्यूसेक्स पानी फरक्का पर एवेलेबल है और यह संकट टल गया है। कभी-कभी बड़ा काम करने में थोड़े दिनों के लिए तकलीफ हुआ करती है, उसपर बहुत चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने उठाई कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कार्रवाई कर रही है। उस ट्रीटी में ही लिखा हुआ है। उसके उपबन्ध दो की धारा तीन में लिखा हुआ है कि जब कभी पानी फरक्का पर 50 हजार क्यूसेक्स से कम होने लगेगा तो उसको आपात-स्थिति मानकर दोनों देश बैठकर रजामन्दी से बात करेंगे ताकि किसी को नुकसान न हो और ट्रीटी को भी नुकसान न हो पाये।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : यदि मैं प्रश्न पूछूँगा तो यह बुरी बात होगी; यदि मैं प्रश्न नहीं पूछता हूं तो यह उससे भी ज्यादा बुरी बात होगी। यह मंत्री की ओर से खतरनाक उत्तर है। वह स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि जब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तब इसे स्वीकारा गया और यह सम्भावना व्यक्त की गई थी कि कभी-कभार जल स्तर 50,000 क्यूसेक्स से भी नीचे आ जाएगा। आज अपने उत्तर में उन्होंने कहा वह इस स्थिति से निपटने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य बंगलादेश के राजदूतावास को भी गया है और वे भारत सरकार का दृष्टिकोण जानते हैं। यह प्रमुख समस्या है जिसका हम बंगाल से सटे असम वासी सामना कर रहे हैं। देश के अन्य भागों की तुलना में दिल्ली में ज्यादा विशेषज्ञ है और वे हमारे हितों को ऐसे बेच रहे हैं। यह 50,000 क्यूसेक्स या ऐसी ही किसी बात का प्रश्न नहीं है। मेरी बात अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के सम्बन्ध में है। छोटे भाई या बड़े भाई का दृष्टिकोण अपनी जगह है। परन्तु ऐसा कुछ भी कभी न करें जिससे देश के हित को नुकसान पहुँचे। देश का हित सर्वोपरि है और फिर आपका छोटे भाई या बड़े भाई सम्बन्धी दृष्टिकोण आता है। ऐसे दृष्टिकोण को बदला जाना चाहिएं अन्यथा हम दिन-प्रति-दिन हानि उठाने वाले बन जाएँगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब आप बातचीत करें तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। या 45,000 क्यूसेक्स पर आ जाएँ। यह ज्यादा बेहतर है। ऐसा कुछ भी मत कहिए जिसे हम पूरा न करवा सकें, क्योंकि ऐसा करके हम उन्हें प्रेरित करेंगे जो हमारे विरुद्ध है। मैं आपके विरोध में नहीं हूं। मैं उन तत्वों के बारे कह रहा हूं जो इसके साथ सड़कों पर आ रहे हैं। वे इसे करने के लिए प्रेरित होंगे और जैसा कि आपने अभी सुना ऐसे ही आपको इस सभा में और प्रश्न सुनने पड़ेगें। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, ट्रीटी में खुद ही लिखा हुआ है, जिस उपबन्ध की तरफ मैंने पहले चर्चा की, उपबन्ध दो की उप-धारा तीन में, कि जब कभी पानी 50,000 क्यूसेक्स से कम होगा, तो उसके बंटवारे के बारे में इमर्जेंसी डिक्लेयर करके दोनों देशों की सरकारें आपस में बातचीत करेंगी। उसके लिए दोनों की तरफ से एक संयुक्त समिति मार्च के आखिरी हफ्ते में और अप्रैल के पहले हफ्ते में एक दिन के लिए ढाका में और एक दिन के लिए दिल्ली में बैठेगी। हम समझते हैं कि यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इससे कोई गलत संदेश नहीं जाएगा। हम अपने नुकसान के बल पर अपने पड़ौसी को फायदा पहुंचाने की बात नहीं करते, बल्कि जब संकट आता है तो आपस में बातचीत करके उसका हल निकाला जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, समझौते पर हस्ताक्षर के समय ही मैंने अपनी आशंकाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया था क्योंकि मैं व्यवस्थाओं को बाहरी और भीतरी दोनों तरह से जानने में गम्भीर रूप से संलग्न था कि यह कैसे कार्य कर पाएगी और यह कैसे कार्य नहीं कर पाएगी। ऐसी बात नहीं है कि बंगलादेश के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने में हमारी कम रूचि है। वो हम ही हैं जिन्होंने उनके स्वतंत्रता आन्दोलन में कन्धे से कन्धा मिलाकर उनका साथ दिया।

हमनें उनके साथ हुए समझौते में एक भूमिका भी निभाई थी *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहे हैं ? आपको अध्यक्ष की दृष्टि को आकर्षित करना है कानों को नहीं।

(व्यवधान)

श्री पी०आर० दासमुंशी : हम देखना चाहेंगे कि बंगलादेश के लोग इस समझौते से कुछ गलत अर्थ न लगाए। हमारे इस समय कोई गलत उद्देश्य नहीं हैं और उस समय भी हमारे कोई गलत उद्देश्य नहीं थे।

इस पूरे जल प्रवाह का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अल्पवृष्टि के दिनों में उन्हें सिंचाई के लिए प्रमुख तालाबों में जलग्रहण से जल की आवश्यकता होती है। वे बिहार और उत्तर प्रदेश को शामिल किए बिना बंगलादेश के पैकेज में अपनी पूर्ण वचनबद्धता को सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं। मैं आज यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं।

उन्होंने कलकत्ता पत्तन प्राधिकरण को विश्वास में नहीं लिया था; उन्होंने बिहार को विश्वास में नहीं लिया था; और उन्होंने उत्तर प्रदेश को विश्वास में नहीं लिया था। यह केवल श्रीमती शेख हसीना के राष्ट्रीय समारोह दिवस कार्यक्रम को संतुष्ट करने के लिए था। क्योंकि उन्हें समझौते पर हस्ताक्षर करने में कठिनाई हो रही थी इसलिए उन्होंने अन्य किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना जल्दबाज़ी की थी।

उन्होंने अब अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसी स्थितियों का समाधान करने के लिए कार्यप्रणाली बनाई जा रही है जब वो यह कहते है, 'बनाई जा रही है' तो इसका क्या अर्थ है ? उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता है। यदि सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो हमें इससे बंधकर रहना चाहिए। मैं जानता हूँ, इसी कारणवश श्री निर्मल कान्ति चटर्जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य शहोद होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, जिन्होंने इतनी सहायता की, के पास अपने राज्य के लोगों को उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं है।

मैं संकीर्णता का राग नहीं अलाप रहा हूँ। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि भारत-बंगला देश मैत्री को क्षति पहुँचती है तो सारा भार बंगाल पर पड़ेगा ना कि शेष भारत पर! इसी कारण समझौते पर हस्ताक्षर करते समय उन्हें पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए थी। कृपया अब ऐसा कीजिए – यदि समझौते की समीक्षा करने का निर्णय और संशोधित प्रारूप को बनाने की बात है तो अभी भी समय है। परन्तु ऐसी परिस्थिति निर्मित मत कीजिए जहाँ बंगलादेश भारत को और पश्चिम बंगाल के लोगों को गलत समझे।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मिसअंडरस्टेंडिंग का सवाल ही नहीं है। ट्रीटी में लिखा है कि जब कभी पानी कम हो जाएगा तो दोनों बैठकर बातचीत करेंगे। ऑफिशयल स्तर पर बातचीत हुई, फार्मूला सुझाया गया तो दोनों तरफ के अधिकारियों ने कहा, खासतौर से बंगला देश के, कि हम लोगों के स्तर पर यह बात नहीं हो सकती, यह राजनीतिक स्तर पर होगी। जब कभी इस तरह की बात आएगी या चलेगी, ट्रीटी में खुद लिखा है कि ट्रीटी होने के दो साल बाद अगर एक पार्टी चाहेगी तो रिव्यू किया जा सकता है। इसलिए ट्रीटी के मुताबिक यह रिव्यू हो सकता है।

श्री नीतीश कुमार : आपको मालूम है देश के अंदर कितना विरोध है ? बिहार की क्या दुर्दशा हो रही है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य ने बिहार, बंगला देश और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा। ···*(व्यवधान)* इनका एक पोर्शन रह गया। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगला देश और कलकत्ता पोर्ट आथारिटी को विश्वास में नहीं लिया। जब कभी विदेशी संधि होती है तो सभी सूबों से बात नहीं करते। माननीय सदस्य बहुत पुराने हैं और जानकार हैं, उन्हें इसकी जानकारी होगी। ···*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : यह क्या जवाब हो रहा है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इतना पर्याप्त है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे लिए केवल एक मिनट बचा है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : उनका कहना है कि बिहार के लोग भी विद्रोह करेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था।

श्री नीतीश कुमार : नेशनल इंटरेस्ट को क्या छोड़ देंगे ?

मध्याह्न 12.00 बजे

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समय की गति को रोक नहीं सकता। समय हो चुका है। प्रश्न काल समाप्त हुआ है। जब सभा पटल पर पत्र रखें जाएंगें।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत राज्यों को सहायता

*405. **श्री एन०जे० राठवा :***
श्री बी०एल० शंकर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में, विशेषकर, गुजरात के जनजातीय, पिछड़े ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कितने पुरूष और महिलाओं को साक्षर बनाया गया और इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस परियोजना की पुनरीक्षा की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) संपूर्ण साक्षरता अभियानों के प्रारंभ से देश में साक्षर बनाए गए पुरूषों/महिलाओं की संख्या 603.39 है। इनमें से 22 प्रतिशत शिक्षार्थी अनुसूचित जाति के तथा 12 प्रतिशत शिक्षार्थी अनुसूचित जनजाति के हैं। गुजरात राज्य में 58.45 लाख शिक्षार्थी साक्षर हुए हैं। इनमें 5.74 लााख शिक्षार्थी अनुसूचित जाति के तथा 16.44 लाख शिक्षार्थी अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ग) और (ङ) संपूर्ण साक्षरता अभियानों की स्थिति तथा प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रो० अरूण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है। इस दल की रिपोर्ट के मुख्य अंश विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रदान की गई राशि

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97	सकल जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1370.68	884.21	1081.06	
2.	अरुणाचल प्रदेश	71.56	25.63	20.72	
3.	असम	1159.04	361.09	194.29	
4.	बिहार	1628.87	1977.84	1062.52	
5.	गोवा	11.59	5.95	3.32	
6.	गुजरात	884.50	262.98	458.78	
7.	हरियाणा	243.01	175.31	57.12	
8.	हिमाचल प्रदेश	109.15	26.43	49.18	
9.	जम्मू और कश्मीर	190.40	132.70	50.47	
10.	कर्नाटक	1,041.84	319.58	350.16	
11.	केरल	57.32	7.00	537.97	
12.	मध्य प्रदेश	2,821.52	977.67	548.58	
13.	महाराष्ट्र	1,024.55	1,153.63	432.83	
14.	मणिपुर	72.67	17.62	20.63	
15.	मेघालय	29.08	127.74	112.45	
16.	मिजोरम	16.42	2.29	0.57	
17.	नागालैंड	39.73	47.81	56.90	
18.	उड़ीसा	606.36	801.36	310.13	
19.	पंजाब	277.61	370.34	135.00	
20.	राजस्थान	1,745.00	1,681.76	1,304.62	
21.	सिक्किम	11.22	—	11.22	
22.	तमिलनाडु	1,594.58	1,212.48	261.21	
23.	त्रिपुरा	6.77	0.10	4.73	
24.	उत्तर प्रदेश	2,505.58	889.01	943.27	
25.	पश्चिम बंगाल	1583.69	308.40	728.11	
26.	चण्डीगढ़	25.62	20.12	41.37	
27.	दिल्ली	120.77	322.58	158.57	
28.	पांडिचेरी	—	—	—	
29.	दमन और दीव	0.56	0.56	—	
30.	अंडमान और निकोबार	12.15	8.12	12.56	
31.	दादरा और नागर हवेली	0.83	—	—	
32.	लक्षद्वीप	7.41	1.62	4.32	
33.	अखिल भारतीय स्तर के संगठन	537.77	—	—	
34.	केन्द्रीय सरकार स्तरीय	843.41	—	—	
	कुल	20,951.26	12,121.93	8,952.66	42,025.85

विवरण-II

विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के मुख्य अंश

सफलताएं

- कार्यक्रम की अपेक्षा आन्दोलन पर अधिकाधिक बल
- महिलाओं पर अत्यधिक असर
- जाति तथा सांप्रदायिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव
- प्राथमिक शिक्षा के लिए मांग उत्पन्न हुई।
- न्यायोचित तथा मानवोचित समाज के विकास के प्रति सक्रियता से विचार करना।
- अधिकारी तंत्र को संप्रेरित किया जाना।
- राष्ट्रीय कार्य सूची में साक्षरता को शामिल किया गया।

कमजोरियां

- *कुछ स्थानों में बिना पूर्व तैयारी के संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए गए जिससे इसके स्तर में गिरावट आयी।*
- नौकर शाही – कुछ मामलों में।
- सतही साक्षरता निरक्षरता में परिवर्तित हो सकती है।
- कुछ अभियान बिना पर्याप्त तैयारी के शुरू किए गए।
- कुछ राज्यों में प्रगति निराशाजनक तथा संदिग्ध है।
- शहरी क्षेत्रों में कम प्रगति।

[अनुवाद]

परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना

***406. श्री माधव राव सिंधिया :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 1997 के दैनिक "पायनीयर" में "सी०बी०एस०ई०एग्जाम हू इज टू ब्लेम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाई गई परीक्षा प्रणाली में त्रुटियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए गत वर्ष समितियां गठित की थी;

(घ) यदि हां, तो ये समितियां किस तारीख को गठित की गई थीं और इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर अब तक कौन-कौन से सुधार किये गये हैं; और

(ङ) परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने अथवा इसके स्थान पर अंशाकन की विषयपरक (आबजैक्टिव) प्रणाली शुरू करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (ङ) 5 अप्रैल, 1997 के "पायनियर" में छपे समाचार की सरकार को जानकारी है। हालांकि प्रणाली में कोई खामी नहीं है तथापि गत कुछ वर्षों के दौरान प्रश्न पत्रों की विषयवस्तु तथा कठिनता स्तर, प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए अपेक्षित समय और अन्य संबद्ध मुद्दों समेत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) की परीक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न क्षेत्रों में विचार व्यक्त किए गए हैं। परीक्षा परिणामों की घोषणा के ठीक बाद परीक्षाओं की अच्छाइयों-खामियों का जायजा लेने के लिए सी०बी०एस०ई० में एक तंत्र है तथा तदनुसार अगले वर्ष की कार्य योजना बनाई जाती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परीक्षा के काम से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समय-समय पर सेमिनार/कार्यशालाए-यथा प्रबोधन कार्यक्रम, प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता में सुधार तथा अंकन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का विकास आयोजित करते रहे हैं।

[हिन्दी]

मकानों का निर्माण

***407. श्री इलियास आजमी :**
श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ते और टिकाऊ मकान बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितने मकानों का निर्माण किए जाने की सम्भावना है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और उक्त योजना कब तक कार्यान्वित/पूरी की जाएगी; और

(घ) इन मकानों को किस मानदंड के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारापु येरननायडू) : (क) से (घ) सरकार 1985 से इन्दिरा आवास योजना नामक एक ग्रामीण आवास योजना कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य/ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों को मुफ्त आवास उपलब्ध/कराना है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे 80:20 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के बीच लागत में भागीदारी के आधार पर वित्त-पोषित किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में इस योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण संसाधन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर

कर रहे ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। मार्गदर्शी-सिद्धातों में यह भी व्यवस्था है कि कम से कम 60% लाभार्थी अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के होने चाहिए।

मुक्त बंधुआ मजदूरों, अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों, खानाबदोशों, अर्द्ध खानाबदोशों और आधिसूचित आदिवासियों, अपंग सदस्यों वाले परिवारों तथा आंतरिक शरणार्थियों, युद्ध में मारे गए रक्षा सेवाओं/अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के परिवारों/विधवाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

इन्दिरा आवास योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 30 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया गया है। चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत बजट में 1153 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विदेशी सहायता

*408. **श्री काशीराम राणा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए विदेशी वित्तीय संस्थानों से सहायता की माँग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन वित्तीय संस्थानों के नाम क्या हैं तथा किन राजमार्गों पर उक्त सहायता राशि का उपयोग किया जाएगा;

(ग) कितनी सहायता राशि प्रदान की गई तथा किन तिथियों को उक्त सहायता राशि प्राप्त हुई थी;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग वार अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ङ) क्या कुछ राजमार्गों पर उक्त कार्य निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों में सुधार करने/उन्हें चौड़ा बनाने के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और ओवरसीज आर्थिक सहयोग निधि, जापान तथा जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ऐजंसी, जापान सरकार से ऋण सहायता/अनुदान सहायता प्राप्त की गई है। ऋण सहायता/अनुदान सहायता राजमार्ग के इसी प्रकार के कार्यों एवं वास्तविक प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) कुछ कार्यों में निम्न कारणों से विलम्ब हो रहा है:–

(i) भूमि अधिग्रहण, वृक्षों को हटाना, सुविधाओं का स्थानांतरण, विस्तृत परियोजना तैयार करना इत्यादि जैसे निर्माण-पूर्व कार्य-कलापों के पूरे होने में विलम्ब।

(ii) न्यायालय में मुकदमेबाजी।

(iii) ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्यान्वयन।

निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं :–

(i) निर्माण-पूर्व कार्य-कलापों को तेजी से पूरा करना।

(ii) न्यायालयाधीन मामलों पर उनके शीघ्र निपटान के लिए उचित ध्यान देना।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त करके कड़ाई से पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना और कड़ी निगरानी रखना।

विवरण

1. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का नाम : विश्व बैंक
   ऋण सं० 3470 – आई एन/सी आर-2365-आई एन
   ऋण की कुल राशि – 306 मिलियन अमरीकी डॉलर
   राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ऋण की राशि – 294 मिलियन अमरीकी डॉलर
   ऋण करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख – 18 जून, 1992

क्रम सं०	राज्य	रा०रा०सं०	परियोजना का नाम	3/97 की स्थिति के अनुसार वर्तमान प्रगति
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	1	करनाल और अम्बाला के बीच 4-लेन बनाना (132.88 कि०मी० से 212.16 कि०मी०)	37 प्रतिशत
2.	पंजाब	1	सरहिन्द और पंजाब/हरियाणा सीमा के बीच 4-लेन बनाना (212.16 कि०मी० से 252.25 कि०मी०)	39 प्रतिशत

1	2	3	4	5
3.	उड़ीसा	5	भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर खंड को 4 लेन का बनाना (0.0 कि०मी० से 27.8 कि०मी०)	28 प्रतिशत
4.	मध्य प्रदेश	3	इन्दौर बाइपास का निर्माण और इंदौर-देवास खंड को चार लेन का बनाना (574.4 कि०मी० से 591.6 कि०मी०)	निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।
5.	महाराष्ट्र	8	बेसिन क्रीक और मेनर के बीच चार लेन बनाना (439 कि०मी० से 497 कि०मी०)	निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।
6.	पश्चिम बंगाल	2	रानीगंज और पश्चिम बंगाल/बिहार सीमा के बीच 4-लेन बनाना (438.6 कि०मी० से 474.0 कि०मी०)	निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का नाम : एशियाई विकास बैंक
पहली सड़क सुधार परियोजना (ऋण सं० 918-इण्ड)
ऋण की कुल राशि – 188.00 मिलियन अमरीकी डॉलर
राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ऋण की राशि – 64.67 अमरीकी डॉलर
ऋण करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख – दिसम्बर, 1988

क्रम सं०	राज्य	रा०रा०सं०	परियोजना का नाम	3/97 की स्थिति के अनुसार वर्तमान प्रगति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5	विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम खंड (358.0 कि०मी० से 395.875 कि०मी० तक) और विशाखापत्तनम से भुवनेश्वर खंड (0.0 कि०मी० से 2.837 कि०मी० तक) को चार लेन का बनाना	95.92 प्रतिशत
2.	हरियाणा	2	बल्लभगढ़ से हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा खंड (37.30 कि०मी० से 93.83 कि०मी०) को चार लेन का बनाना	79.66 प्रतिशत
3.	उत्तर प्रदेश	2	हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा से मथुरा खंड (93.83 कि०मी० से 148.33 कि०मी०) को चार लेन का बनाना।	79.70 प्रतिशत

(ख) दूसरी सड़क परियोजना (ऋण सं० 1041-एण्ड)
ऋण की कुल राशि – 250.00 मिलियन अमरीकी डॉलर
राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ऋण की राशि – 61.339 मिलियन अमरीकी डॉलर
ऋण करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख – मई, 1991

क्रम सं०	राज्य	रा०रा०सं०	परियोजना का नाम	3/97 की स्थिति के अनुसार वर्तमान प्रगति
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक	7	बंगलौर से कर्नाटक/तमिलनाडु सीमा खंड (8.0 कि०मी० से 33.0 कि०मी०) को चार लेन का बनाना	89.40 प्रतिशत
2.	केरल	47	अलवै से वाइटिला खंड और अरूर से शेरतलाई खंड को चार लेन का बनाना	54.32 प्रतिशत
3.	राजस्थान	8	अघरोल से कोटपुतली खंड (162.50 कि०मी० से 231.00 कि०मी०) को चार लेन का बनाना	85.20 प्रतिशत

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (ऋण सं० 1274-इण्ड)
ऋण की कुल राशि – 245.00 मिलियन अमरीकी डॉलर
ऋण करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख – मार्च, 1995

क्रम सं०	राज्य	रा०रा०सं०	परियोजना का नाम	3/97 की स्थिति के अनुसार वर्तमान प्रगति
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	8	गुड़गांव से हरियाणा/राजस्थान सीमा (36.33 कि०मी०) से (107.18 कि०मी०) को चार लेन का बनाना	0.50 प्रतिशत
2.	राजस्थान	8	हरियाणा/राजस्थान सीमा से कोटपुतली खंड (107.18 कि०मी० से 162.50 कि०मी०) को 4-लेन का बनाना	0.50 प्रतिशत
3.	पश्चिम बंगाल	2	रानीगंज से पानागढ़ खंड (474.0 कि०मी० से 516.0 कि०मी० तक) को 4-लेन का बनाना	उच्चतम न्यायालय का निर्णय हाल ही में प्राप्त हुआ है। स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका हे।
4.	बिहार	2	बरवा अड्डा से बराकर खंड (398.75 कि०मी० से 441.44 कि०मी०) को चार लेन का बनाना	ठेकेदार का संग्रहण पूरा हो चुका है।
5.	आंध्र प्रदेश	9	नन्दीगाम से विजयवाड़ा खंड (217.0 कि०मी० से 265.0 कि०मी० तक) पर मौजूदा दो-लेन कैरिजवे को सुदृढ़ करना जिसमें 252.0 कि०मी० से 265.0 कि०मी० तक चार लेन बनाना भी शामिल है।	ठेकेदार से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
6.	आंध्र प्रदेश	5	विजयवाड़ा से एलूरू (3.4 कि०मी० से 53.8 कि०मी० और 69.2 कि०मी० से 75.0 कि०मी० तक) के मौजूदा दो-लेन कैरिजवे का सुदृढ़ीकरण जिसमें 3.4 कि०मी० से 13 कि०मी० तक चार लेन बनाना और एलूरू कस्बे के लिए (53.80 कि०मी० से 69.20 कि०मी०) 17.88 कि०मी० लम्बा बाईपास भी शामिल है।	कार्य सौंपने पर अभी मुकदमा चल रहा है।

3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का नाम : ओवरसीज आर्थिक सहयोग निधि, जापान

क्रम सं०	राज्य	रा०रा०सं०	परियोजना का नाम	3/97 की स्थिति के अनुसार वर्तमान प्रगति
1	2	3	4	5
			ऋण करार : आई डी पी० 81 ऋण राशि : 4855 मिलियन जापानी येन ऋण करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख : जनवरी, 1992	
1.	उत्तर प्रदेश	2	मथुरा से आगरा खंड के बीच 4-लेन बनाना ऋण करार : आई डी पी० 91 ऋण राशि : 10037 मिलियन जापानी येन ऋण करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख : जनवरी, 1994	10 प्रतिशत
2.	उत्तर प्रदेश	27	इलाहाबाद-नैनी में यमुना नदी पर संपर्क सड़कों सहित पुल का निर्माण	अनुपूरक साध्यता अध्ययन पूरा हो चुका है। विस्तृत इंजीनियरी प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
			ऋण करार : आई डी पी० 92 ऋण राशि : 11360 मिलियन जापानी येन ऋण करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख : जनवरी, 94	
3.	आंध्र प्रदेश	5	चिलाकलूरीपेट से विजयवाड़ा खंड को चार लेन का बनाना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। निविदा आमंत्रित की जानी हैं।
			ऋण करार : आई डी पी 100 ऋण राशि : 5836 मिलियन जापानी येन ऋण करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख : फरवरी, 95	
4.	उड़ीसा	5	जगतपुर-चण्डीखोल खंड को चार लेन का बनाना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चुकी है।
			ऋण करार : आई डी पी 101 ऋण राशि : 4827 मिलियन जापानी येन ऋण करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख : फरवरी, 95	
5.	उत्तर प्रदेश	24	गाजियाबाद-हापुड़ खंड को चार लेन का बनाना जिसमें हापुड बाईपास का निर्माण भी शामिल है।	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

4. जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से अनुदान सहायता
अनुदान की राशि : 2830 मिलियन जापानी येन
ऋण करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख : सितम्बर, 1995

क्रम सं०	राज्य	रा०रा०सं०	परियोजना का नाम	3/97 की स्थिति के अनुसार वर्तमान प्रगति
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	24	दूसरा निजामुद्दीन पुल	50 प्रतिशत (लगभग)

शिशु सदन (क्रेच) कार्यक्रम

*409. **श्री चिन्तामन वानगा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सामाजिक सलाहकार बोर्ड के माध्यम से शिशु सदन कार्यक्रम कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(ग) क्या सरकार ने कुछ गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि आवंटित करना बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, हाँ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा राज्यों को आवंटित राशि का विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार आवंटित राशि

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	184.25	177.78	177.78

1	2	3	4	5
2.	असम	14.60	14.60	14.60
3.	बिहार	9.24	9.24	8.32
4.	गुजरात	135.08	135.46	134.90
5.	हरियाणा	25.32	23.95	19.22
6.	हिमाचल प्रदेश	68.56	68.56	67.64
7.	जम्मू और कश्मीर	9.44	8.50	9.79
8.	कर्नाटक	74.65	72.81	69.86
9.	केरल	100.59	100.90	98.50
10.	मध्य प्रदेश	184.10	179.36	159.11
11.	महाराष्ट्र	189.44	184.62	177.22
12.	मणिपुर	41.42	40.10	40.10
13.	मेघालय	32.71	31.05	30.68
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	63.57	62.83	55.81
16.	पंजाब	31.14	30.86	22.18
17.	राजस्थान	68.56	70.04	64.68
18.	सिक्किम	21.25	21.25	21.25
19.	तमिलनाडु	154.12	152.67	152.09
20.	त्रिपुरा	26.02	25.31	25.12
21.	उत्तर प्रदेश	129.55	133.24	130.10
22.	पश्चिम बंगाल	92.02	90.74	90.74
23.	अरूणाचल प्रदेश	5.18	5.54	5.54
24.	दिल्ली	23.47	22.73	22.73
25.	गोवा	6.18	6.28	6.28
26.	मिजोरम	25.50	25.50	25.50
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.04	14.05	14.04
28.	चण्डीगढ़	4.80	4.80	4.07
32.	लक्षद्वीप	0.55	0.55	—
30.	पॉडेचरी	16.08	16.08	15.89

खेल कूद को बढ़ावा

*410. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेल को बढ़ावा देने हेतु किये गये नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(ग) धनराशि के आबंटन हेतु अपनाए गए मानदण्ड क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) राष्ट्रीय खेल नीति जो कि संसद के दोनों सदनों में 21 अगस्त, 1984 को रखी गई थी, उसमें निम्नलिखित उपायों पर जोर दिया गया है ताकि देश में खेलों का संवर्धन किया जा सके।

(1) गांवों तथा शहरों में अवस्थापना चरणबद्ध रूप से प्रदान की जानी चाहिए ताकि खेलों तथा शारीरिक शिक्षा संबंधी गतिविधियों में सामूहिक भागीदारी के बुनियादी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समूचे देश को समय पर कवर किया जा सके।

(2) यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त विधान द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यमान खेल मैदानों तथा स्टेडियमों को खेलकूद के प्रयोजनों के लिए संरक्षित रखा जाए।

(3) खिलाड़ियों के पोषण के स्तर में सुधार लाना।

(4) खेल प्रतिभा का पता लगाना।

(5) शैक्षिक संस्थाओं में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में आरंभ करना।

(6) खेलकूद संस्थाओं की स्थापना।

(7) खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाने वाले खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने का प्रावधान।

(8) रोजगार पर विशेष रूप से ध्यान देना।

(9) खेलों के संवर्धन में स्वैच्छिक संस्थाओं की अंतर्ग्रस्तता।

(10) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का नियमित रूप से आयोजन।

(11) प्रतिस्पर्धात्मक खेलों को प्रोत्साहित करते समय निम्नलिखित को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए :—

(1) ओलंपिक्स, एशियाई खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मान्यता प्राप्त खेल विधाएं; तथा

(2) अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त वे खेल जिनके लिए विश्व परिसंघ विद्यमान हैं तथा जो शतरंज की तरह भारत में व्यापक रूप से खेले जाते हैं।

(12) इस नीति में आगे यह परिकल्पना की गयी है कि देश में खेल कूद का सामान बनाने वाले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि यह खेलों में प्रयोग हेतु उचित कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से सम्मत मानकों के अनुरूप उपस्कर तैयार और उपलब्ध करा सकें।

(13) देश में खेलों के प्रति चेतना का प्रसार करने तथा उसे कायम रखने के लिए जनसंचार माध्यमों को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए।

(ख) और (ग) सरकार केवल "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान" की योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सीधे ही अनुदान प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय खेलों के लिए 8 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी। आबंटन में जो मानदण्ड अपनाए जाते हैं वे 50:50 (यदि परियोजना मैदानी क्षेत्र में स्थित है) तथा 75:25 (यदि परियोजना पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्र में स्थित है) की दर के हिसाब से समतुल्य अनुदान होता है। खेल अवस्थापनाओं जैसे खेल के मैदान, इंडोर/आउटडोर स्टेडियमों, तरणताल, शूटिंग रेंज, साइकिल वैलोड्रोम तथा खेल परिसरों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों/पंजीकृत स्वैच्छिक निकायों को अनुदान दिया जाता है।

(घ) सीमित धनराशि होने के कारण, सभी नीतिगत उपायों का संतोषजनक रूप से कार्यान्वयन संभव नहीं हो सका है। तथापि, "खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु अनुदान" योजना के अंतर्गत, वर्ष 1992 से 1996 के दौरान 667 परियोजनाओं/स्कूलों को सहायता दी गई थी तथा मार्च, 1996 तक 34.40 करोड़ रुपये की धनराशि राज्यों को जारी की गई थी। 1996-97 के दौरान 6.84 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी तथा 78 परियोजनाओं/स्कूलों को सहायता प्रदान की गई थी।

विवरण

खेल अवस्थावनाओं के सृजन हेतु तथा ग्रामीण स्कूलों को स्वीकृत सहायता

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996-97
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	25,31,173
2.	अरुणाचल प्रदेश	-शून्य-
3.	असम	8,00,000
4.	बिहार	-शून्य-
5.	गोवा	-शून्य-
6.	गुजरात	3,15,959
7.	हरियाणा	98,33,400
8.	हिमाचल प्रदेश	90,10,400
9.	जम्मू व कश्मीर	1,53,455
10.	कर्नाटक	38,94,558
11.	केरल	31,26,132
12.	मध्य प्रदेश	-शून्य-
13.	महाराष्ट्र	18,00,000
14.	मणिपुर	43,84,949
15.	मेघालय	-शून्य-
16.	मिजोरम	86,19,600
17.	नागालैण्ड	-शून्य-
18.	उड़ीसा	97,57,409
19.	पंजाब	3,50,000
20.	राजस्थान	13,30,000
21.	सिक्किम	9,68,454
22.	तमिलनाडु	35,15,575
23.	त्रिपुरा	15,23,175
24.	उत्तर प्रदेश	10,93,709
25.	पश्चिम बंगाल	35,00,000
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अंडमान व निकोबार दीप समूह	2,54,498
2.	चंडीगढ़	1,75,500
3.	दादरा व नगर हवेली	-शून्य-
4.	दमन व दीव	-शून्य-
5.	दिल्ली	12,50,000
6.	पांडिचेरी	96,086
7.	लक्षद्वीप	-शून्य-
	जोड़	6,83,88,032

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण

*411 प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1997 के "द आब्जर्वर" में "इडिया फ्लाऊडर्स ऑन पोपुलेशन कंट्रोल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक और विशेषज्ञों ने हाल ही में यह मत व्यक्त किया है कि भविष्य में भारत विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा,

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने देश में जनसंख्या वृद्धि दर का आकलन कराया है;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह आकलन किस तारीख को कराया गया है; और

(च) यह आकलन किस वर्ष कराया गया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक द्वारा 1994-95 में लगाए जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत 2050 ई० तक 162.3 करोड़ की जनसंख्या के साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा।

(ग) सरकार जनसंख्या कार्यक्रम को बहुत अधिक प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जन्म दर 1951-61 में 41.7 से कम होकर 1995 में 28.3 तक लाने में मदद मिली है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 1951 से 1996 तक अनुमानित करीब 20 करोड़ पैदाइशों को रोका जा सका है।

(घ) से (च) नमूना पंजीयन के अनुसार देश में जनसंख्या की प्राकृतिक बढ़ोत्तरी वर्ष 1995 के लिए 1.93 प्रतिशत होने का अनुमान है। योजना आयोग ने जनसंख्या का अनुमान लगाया है।

[अनुवाद]

बाल मृत्यु दर

*412. **श्री विजय हाण्डिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि, यद्यपि भारत में बाल मृत्यु दर में गिरावट जारी है लेकिन बालिका मृत्यु दर उसी उम्र के बालकों की मृत्यु दर की तुलना में बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं। भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार 1990-94 की अवधि में बालिका-शिशुओं (0-4 वर्ष) की मृत्यु दर में 13.03 प्रतिशत की तथा इसी अवधि में बाल-शिशुओं (0-4 वर्ष) की मृत्यु दर में 4.8 प्रतिशत की समग्र रूप से कमी हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

जनजातीय भाषा संस्थान

*413. **श्री विजय कुमार खण्डेलवाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई० आई०एल०) की तर्ज पर जनजातीय भाषाओं के लिए किसी संस्थान की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असैनिक और सैन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में विसंगतियां

*414. **श्री मंगत राम शर्मा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा क्षेत्रों में तैनात समान कार्य कर रहे असैनिक और सैन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में विसंगतियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायत सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम

*415. **डा० राम विलास वेदान्ती** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण स्तर पर शुरू किये गये परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्याा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या कुछ संगठन देश में चलाये जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) शिशु-टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या का प्रावधान, प्रसवोत्तर सेवाएं, अर्धचिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण, परिवार

नियोजन की विधियों संबंधी सेवाएं और सूचना, शिक्षा तथा संचार परिवार कल्याण विभाग की मुख्य योजनाएं हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए किए गए कुल आवंटन इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

1994-95	—	1550.03
1995-96	—	1525.31
1996-97	—	1562.00

इसके भीतर राज्य/संघ क्षेत्रवार व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, औषधियों, उपकरणों के प्रावधान, प्रशिक्षण, अवसंरचना का सुधार, सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, और गांव के लोगों को परिवार कल्याण सेवाओं की प्रदाय में गुणवत्ता में सुधार आदि जैसे उपचार प्रदान करने हेतु उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) सरकार को इस बात का पता नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1994-95 से 1996-97 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विमुक्त सहायता अनुदान

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97	94-95 से 96-97 का योग
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	11062.37	13118.67	17179.66	41360.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	178.93	250.54	180.68	610.13
3.	असम	3488.38	3711.88	3057.75	10258.01
4.	बिहार	10949.98	11900.20	8358.55	31208.73
5.	गोवा	166.67	169.22	195.05	530.94
6.	गुजरात	7525.79	5536.01	5365.16	18426.96
7.	हरियाणा	2541.11	3085.18	2299.14	7925.35
8.	हिमाचल प्रदेश	2174.74	1963.77	1908.80	6047.31
9.	जम्मू व कश्मीर	3027.19	1499.42	1131.49	5658.10
10.	कर्नाटक	9307.19	7557.81	9384.68	26250.29
11.	केरल	6517.04	3465.82	3192.32	13175.18
12.	महाराष्ट्र	9994.27	12717.93	11734.71	34446.91
13.	मणिपुर	557.96	754.01	475.33	1787.3
14.	मेघालय	343.77	355.56	387.47	1086.80
15.	मिजोरम	194.08	241.89	243.42	679.39
16.	मध्य प्रदेश	10385.16	10126.12	9755.89	30267.17
17.	नागालैण्ड	400.67	336.87	259.25	996.80
18.	उड़ीसा	6312.40	5365.77	4109.53	15787.70
19.	पंजाब	3760.93	2989.72	2734.32	9484.97

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	10991.90	9413.13	10179.17	30584.20
21.	सिक्किम	222.05	451.95	259.96	933.96
22.	तमिलनाडु	9728.14	11534.63	8714.41	29977.38
23.	त्रिपुरा	772.36	721.26	1099.46	2593.08
24.	उत्तर प्रदेश	23783.52	21119.46	19158.64	64061.62
25.	पश्चिम बंगाल	6447.51	8189.78	8955.90	23693.19
	योग :				
1.	पांडिचेरी	92.88	139.32	127.27	359.47
2.	दिल्ली	1592.11	1972.55	1863.39	5428.05
3.	अण्डमान व निकोबार	83.88	100.12	106.32	290.32
4.	दादरा व नगर हवेली	38.72	32.80	35.49	107.01
5.	चण्डीगढ़	162.86	150.56	119.62	433.04
6.	लक्षद्वीप	14.28	17.68	14.52	46.48
7.	दमण व दीव	25.23	34.36	38.80	98.80
	योग :				

नदियों में पानी की उपलब्धता

*416. **श्री सुरेन्द्र यादव :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की नदियों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। यदि हां, तो तत्संबंधी उनका नदी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश की नदियों में पानी की वार्षिक औसत उपलब्धता का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो नदियों में पानी की उपलब्धता कितनी है और देश में नदियों में प्रवाहित होने वाले पानी की वार्षिक औसत मात्रा कितनी है; और

(घ) इन नदियों के पानी के बुद्धिमतापूर्ण तथा अनुकूलतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) भारत के नदी बेसिनों में जल की औसत वार्षिक उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी०सी०एम०) आंकी गई है। देश की जनसंख्या (1991 की जनगणना के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए प्रति व्यक्ति अनुमानित औसत जल उपलब्धता 2200 क्यूबिक मीटर है। प्रति व्यक्ति 1000 क्यूबिक मीटर से कम जल उपलब्धता की स्थिति को कमी वाली स्थिति माना जाता है। इन मानक को आधार मानते हुए, 6 नदी बेसिनों अर्थात् (1) कावेरी (2) पेन्नार (3) साबरमती (4) महानदी और गोदावरी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां (5) पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच की ओर बहने वाली नदियां तथा (6) लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां जलाभाव वाली श्रेणी में आती हैं। जल संसाधन उपलब्धता का बेसिन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जल की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इनमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) को अपनाना, अधिशेष बेसिनों से जलाभाव वाले बेसिनों को जल अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के कुशल व मितव्ययी उपयोग को बढ़ाना और संरक्षण तथा चालू वृहद व मध्यम सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम लागू करना शामिल है।

विवरण

देश में जल संसाधन क्षमता की नदी बेसिनवार औसत वार्षिक उपलब्धता

क्रम सं०	नदी बेसिन	औसत वार्षिक जल संसाधन उपलब्धता (बिलियन क्यूबिक मीटर)	प्रति व्यक्ति जल संसाधन उपलब्धता (क्यूबिक मीटर)
1	2	3	4
1.	सिंधु	73.31	1749
2.	गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना		
	(क) गंगा	525.02	1471
	(ख) ब्रह्मपुत्र और बराक	585.60	16589
3.	गोदावरी	110.54	2048
4.	कृष्णा	78.12	1285
5.	कावेरी	21.36	728
6.	सुवर्णरेखा	12.37	1307
7.	ब्राह्मणी-बैतरणी	28.48	2915
8.	महानदी	66.88	2513
9.	पेन्नार	6.32	651
10.	माही	11.02	1052
11.	साबरमती	3.81	360
12.	नर्मदा	45.64	3109
13.	तापी	14.88	1007
14.	तापी से ताप्ती तक पश्चिमी प्रवाही नदियां	87.41	3383
15.	ताप्ती से कन्याकुमारी तक पश्चिमी प्रवाही नदियां	113.53	3480
16.	महानदी और गोदावरी के बीच पूर्व प्रवाही नदियां	22.52	953
17.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व प्रवाही नदियां	16.46	366
18.	लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम प्रवाही नदियां	15.10	683
19.	राजस्थान में आन्तरिक जल निकास का क्षेत्र	नगण्य	–
20.	म्यामार और बंगलादेश की ओर बहने वाली छोटी नदियां	31.00	14623
		1869.37 (अर्थात् 1869)	

[अनुवाद]

नौवहन नीति में आमूल-चूल परिवर्तन

*417. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन नीति में आमूल-चूल परिवर्तन हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो नौवहन नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(ग) समिति/पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे देश में नौवहन उद्योग को किस हद तक सुचारू बनाया जा सकेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (घ) जी हां। नौवहन उद्योग द्वारा समय-समय पर उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए और एक राष्ट्रीय नौवहन नीति तैयार करने के लिए नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो जून, 1997 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को स्वीकृति

***418. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पत्तन क्षेत्र की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ख) पत्तन सुविधाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की एक सूची विवरण-I में दी गई है। इसकी शर्तें निविदा दस्तावेज में निर्धारित की गई हैं। आबद्ध सुविधाओं के मामले में आबंटन, विषय संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ग) ऐसी पत्तन परियोजनाओं जिन्हें अगले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए दिए जाने की योजना है, की एक सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

पत्तनों की विद्यमान बर्थों/परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देना।

1. बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो हैंडल करने के लिए मैसर्स जी पी कार्पोरेशन लि०, बैंकाक को कांडला पत्तन में बर्थ सं० 6 को पट्टे पर देना।

2. मद्रास पत्तन न्यास ने मैसर्स बंगाल टाइगर लाइन्स के साथ एक दीर्घकालीन बर्थ आरक्षण करार किया है।

3. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० और टिस्को को हल्दिया गोदी परिसर में बर्थें पट्टे पर देना।

4. बम्बई पत्तन न्यास ने इंदिरा गोदी परिसर में बर्थ सं० 1 के प्रयोग के लिए मैसर्स अमेरिकन प्रेसीडेन्ट लाइन्स के साथ एक करार किया है।

5. कलकत्ता पत्तन में जहाज मरम्मत सुविधाओं के लिए मैसर्स चौखानी शिपयार्ड (बंगाल) लिमिटेड को एन एस शुष्क गोदी 1 और 2 को संलग्न भूमि सहित तथा वेट बर्थ आदि को पट्टे पर देना।

6. मद्रास पत्तन पर जे डी-12 बर्थ को पट्टे पर देना।

7. मद्रास पत्तन पर जे डी-5 बर्थ को पट्टे पर देना।

भंडारण सुविधाओं/गोदामों का सृजन

8. तूतीकोरिन पत्तर में तरल पैट्रोलियम गैस के भंडारण और प्रेषण के लिए मैसर्स स्पिक (एस०पी०आई०सी०) को भूमि पट्टे पर देना।

9. गैर-खतरनाक तरल बल्क दामों के लिए भंडारण सुविधाओं के सृजन हेतु मद्रास पत्तन में मैसर्स सूरज एग्रो प्राइवेट लि० को भूमि पट्टे पर देना।

10. जवाहर लाल नेहरू पत्तन में श्रेणी "ख" तथा "ग" के तरल रसायनों की भंडारण सुविधाओं के सृजन के लिए मैसर्स गणेश बेंजो प्लास्ट लि० को भूमि पट्टे पर देना।

11. जवाहर लाल नेहरू पत्तन में श्रेणी "ख" और "ग" के तरल रसायनों की भंडारण सुविधाओं के सृजन के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमीकल्स को भूमि पट्टे पर देना।

12. नई भंडारण सुविधाओं/गोदामों के निर्माण के लिए विभिन्न महापत्तनों में विभिन्न पक्षों को भूमि पट्टे पर दी गई है।

13. यांत्रिक कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं आदि स्थापित करने के लिए मैसर्स लीना आयल्स एंड कैमीकल्स लि० मुम्बई को विशाखापत्तनम पत्तन में पारगमन शैड को पट्टे पर देना।

शुष्क गोदियों, जहाज मरम्मत सुविधाओं और पोत विखंडन सुविधाओं का सृजन

14. मैसर्स बैस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लि० द्वारा मुरगांव पत्तन में तिरती (फ्लोटिंग) शुष्क गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना।

15. मैसर्स चौखानी इंटरनेशनल लि० द्वारा मद्रास पत्तन में जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना।

16. मुरगांव पत्तन में पोत विखंडन यार्ड की स्थापना के लिए मैसर्स वैस्टर्न इंडिया मैरीटाइम डिवीजन को आबंटित भूमि।

पत्तनों द्वारा निजी क्षेत्र से पट्टे पर उपकरण देना।

17. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा पट्टे पर लिए गए कंटेनर हैंडलिंग उपकरण।

18. मुम्बई पत्तन में कंटेनर हैंडलिंग उपकरण।

19. विशाखापत्तनम पत्तन में टगों को भाढ़े पर लेना।

तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से कैपिटल निकर्षण

20. मैसर्स एम०आर०पी०एल द्वारा वित्त पोषित नव मंगलूर पत्तन में कैपिटल निकर्षण।

नई बर्थों का निर्माण

21. नव मंगलूर पत्तन में मैसर्स एम०आर०पी०एल० के तेल शोधक कारखाने के लिए क्रूड हैंडलिंग और पी०ओ०एल० उत्पाद सुविधाओं का सृजन। परियोजना के वित्त पोषण की व्यवस्था एस०सी०आई०सी०आई० के माध्यम से मैसर्स एम०आर०पी०एल० द्वारा की गई।

22. कांडला में भारतीय तेल निगम द्वारा प्रतीयमान जेट्टी।

23. कांडला में एच०पी०सी०एल० द्वारा प्रतीयमान जेट्टी।

24. गोवा तट से दूर एशिया बल्क टर्मिनल के निर्माण के लिए मैसर्स रिलायन्स को अनुमोदन।

25. इफ्को के माध्यम से कांडला में तरल जेट्टी।

26. एच०पी०सी०एल० के माध्यम से नव मंगलूर पत्तन में तरल पेट्रोलियम गैस सुविधा का सृजन।

27. मुरगांव तट से दूर अपतटीय स्टेकयार्ड और बर्थ (ओ०एस० बी०) का सृजन।

28. तूतीकोरिन में मैसर्स एस०पी०आई०सी० इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन के लिए आबद्ध जेट्टी।

29. नव मंगलूर में नागार्जुन फर्टीलाइजर्स एंड कैमीकल्स के लिए आबद्ध जेट्टी।

30. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में कंटनेर टर्मिनल।

विवरण-II

क्रम सं० परियोजना का नाम

जवाहर लाल नेहरू पत्तन

1. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में मैरीन रसायन टर्मिनल

2. न्हावा क्रीक, ज०ला०ने०प० न्यास में 6 बर्थ टर्मिनल

कांडला पत्तन न्यास

3. कांडला पत्तन में कन्टेनर फ्रेट केन्द्र

नव मंगलूर पत्तन न्यास

4. नव मंगलूर पत्तन में रिफाइनरी के विस्तार के लिए पत्तन सुविधाएं।

तूतीकोरिन पत्तन न्यास

5. तूतीकोरिन पत्तन में (आधुनिक कन्टेनर टर्मिनल सहित) नए बाहरी बन्दरगाह का निर्माण

मद्रास पत्तन न्यास

6. मद्रास पत्तन में नए बाहरी बन्दरगाह का निर्माण।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

7. विशाखापत्तनम पत्तन बाहरी से बाहरी बन्दरगाह का निर्माण (निजी क्षेत्र के माध्यम से पत्तन)।

8. विशाखापत्तनम पत्तन में बहु उद्देशीय/सामान्य कार्गो बर्थ का निर्माण।

कोचीन पत्तन न्यास

9. कोचीन पत्तन में आधुनिक कन्टेनर टर्मिनल का निर्माण

10. पुतूपाइपीन कोचीन पत्तन में एल०पी०जी० और एल०एन०जी० टर्मिनल का निर्माण।

कलकत्ता पत्तन न्यास

11. बज बज, कलकत्ता गोदी प्रणाली के कन्टेनर टर्मिनल में कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं।

12. हल्दिया में दूसरी गोदी आर्म

मुरगांव पत्तन न्यास

13. मुरगांव में बाहरी बंदरगाह का निर्माण

14. मुरगांव में एफ०आर०एच० मास्टर प्लान बर्थों का निर्माण।

15. मुरगांव में पृष्ठजल के पश्चिम में बर्थों का निर्माण।

पारादीप पत्तन न्यास

16. पारादीप में शुष्क गोदी जहाज मरम्मत सुविधाएं

17. पारादीप में कन्टेनर बर्थ के लिए सुविधाओं को उन्नत बनाना।

18. पारादीप में उर्वरक आबद्ध हैंडलिंग प्रणाली।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार/विकास

*419. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी तथ्यात्मक स्थिति का है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान देश में सड़क यातायात के संबंध में भी आकलन किया था और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यातायात अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी नहीं। आठवीं योजना में निधियों का आबंटन चालू कार्यों के लिए मुश्किल से पूरा होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार हेतु कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया था। तथापि, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से लगातार मांग के कारण नेटवर्क में 609 कि०मी० लम्बाई जोड़ी गई थी।

(ग) और (घ) वर्ष में दो बार नियमित आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की गणना की जाती है। तथापि, निधियों की समग्र उपलब्धता मौजूदा नेटवर्क की कमियों को दुरस्त करने के लिए एकदम अपर्याप्त है, इसलिए प्रस्ताव, जिसमें नेटवर्क के विस्तार के लिए निधियों की आवश्यकता शामिल है, नहीं रखा गया है।

बाढ़ नियंत्रण योजना

*420. **श्री भक्त चरण दास**
श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानतः कितना क्षेत्र बाढ़ प्रवण है;

(ख) क्या बाढ़ के पानी का सिंचाई हेतु उपयोग करने के संबंध में कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक उत्तर प्रदेश सहित राज्यों को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) अब तक प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) ने यह अनुमान लगाया था कि देश में 40 मिलियन डेक्टेयर बाढ़ संभावित क्षेत्र होगा जिसमें उस समय (1978 तक) बाढ़ से संरक्षित 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जल आयोग ने भारत को नदी प्रणाली में 1869 क्यूबिक कि०मी० औसत वार्षिक प्रवाह होने का अनुमान लगाया है जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक प्रवाह मानसून अवधि के दौरान होता है और जिसके कारण बाढ़ें आती हैं। बांध जैसी संरचनाओं के माध्यम से उपयोगी सतही प्रवाह 690 क्यूबिक कि०मी० निर्धारित किया गया है जिसमें मानसून अवधि के बाढ़ प्रवाह शामिल हैं। निर्माणाधीन 77 घन कि०मी० सक्रिय भंडारण और विचाराधीन 130 घन कि०मी० सक्रिय भंडारण के अलावा लगभग 193.2 घन कि०मी० कुल सक्रिय भंडारण क्षमता के संचय हेतु बांधों का निर्माण किया गया है। मार्च, 1995 के अंत तक लगभग 44.20 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता (वृहत, मध्यत एवं लघु सतही सिंचाई योजनाओं के माध्यम से) सृजित की गई है। सन् 2025 तक 73.5 मिलियन हेक्टेयर को चरम सतही जल सिंचाई क्षमता प्राप्त किए जाने की आशा है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन०डब्ल्यू०डी०ए०) भी जलाशयों का निर्माण करके और नदियों को आपस में जोड़कर बाढ़ के जल सहित अधिक जल वाले क्षेत्रों से जलाभाव वाले बेसिन को जल अंतरित करने के लिए अध्ययन कर रहा है। यह अनुमान है कि अंतः बेसिन अंतरण के द्वारा 220 क्यूबिक कि०मी० और जल उपलब्ध हो जाएगा।

(घ) बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को आयोजना एवं उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं नियत की गई प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका मुख्य रूप से सलाहकार की होती है और केन्द्र राज्यों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें तकनीकी सलाह देता है। 3.5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली योजनाओं (गंगा बेसिन के मामले में 1 करोड़ रुपये) की जांच तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के लिए जल संसाधन मंत्रालय में की जाती हैं। इन योजनाओं का वित्त पोषण राज्यों को योजना निधियों से किया जाता है जो कि केन्द्र द्वारा ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में प्रदान किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रूफिंग कार्यक्रम जैसे केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आरंभ किए गए अभिज्ञात कार्यक्रमों के लिए वित्त प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल के अंत तक राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र० सं०	राज्य	राशि (करोड़ रुपये में) 1994-95	95-96	96-97	अप्रैल, 97
1.	बिहार	—	11.00	2.36	—
2.	असम	25.0	25.60	10.09	—
3.	पंजाब	1.5	1.9	*20.00	—
4.	पश्चिम बंगाल	—	0.50	—	—

*टिप्पण : इसमें रावी और सतलुज नदियों पर बाढ़ नियंत्रण कार्यों के निर्माण के लिए 96-97 के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब सरकार को जारी की गई 18 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

(ङ) तटबंध, जल निकास चैनल, शहर संरक्षण कार्य, गांवों को ऊपर उठाने एवं तटकटाव रोधी योजनाओं जैसे विभिन्न बाढ़ प्रबंध उपाय राज्य सरकारों द्वारा क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में बनाए गए हैं और उनका कार्यान्वयन किया गया हैं उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार 16199 कि०मी० तटबंध 32003 कि०मी० जल निकास चैनल, 906 शहर संरक्षण कार्य और 4721 गांव ऊपर उठाने का कार्य कार्यान्वित किया गया जिससे 40.00 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ संभावित क्षेत्र में से 14,374 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को यथोचित संरक्षण प्रदान किया गया। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत 1993 तक पूर्ण किए गए वास्तविक कार्यों की प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटबंध की लम्बाई	जल निकास चैनलों की लम्बाई	शहर/गांव संरक्षण कार्य (संख्या)	उठाए गए/संरक्षित किए गए गांव (संख्या)	मिलियन हेक्टे में लाभान्वित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	572	13569	52	21	1.0123
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	—	—	—	—
3.	असम	4566	957	89	16	1.7269
4.	बिहार	2788	365	47	—	1.8890
5.	गोआ	10	12	4	6	0.0001
6.	गुजरात	952	271	229	30	0.0001
7.	हरियाणा	662	3922	180	90	1.7300
8.	हिमाचल प्रदेश	58	11	—	—	0.0120
9.	जम्मू कश्मीर	80	14	12	5	0.1834
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—
11.	केरल	113	28	4	6	0.0518
12.	मध्य प्रदेश	21	—	37	—	0.0040
13.	महाराष्ट्र	26	—	26	—	0.0010
14.	मणिपुर	300	76	1	1	0.0900
15.	मेघालय	112	—	8	2	0.0896
16.	मिजोरम	1	1	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	1068	131	14	29	0.4800
19.	पंजाब	1370	6622	3	—	2.6750
20.	राजस्थान	145	197	25	—	0.0816
21.	सिक्किम	—	—	6	—	0.0002
22.	तमिलनाडु	87	19	46	4	0.1220
23.	त्रिपुरा	128	94	11	—	0.0308
24.	उत्तर प्रदेश	1811	3593	64	4511	1.5320
25.	पश्चिम बंगाल	1184	1648	48	—	2.0770
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
28.	दादर नगर हेवली	–	–	–	–	–
29.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	83	453	–	–	0.0780
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	61	21	–	–	0.0093
	भारत के लिए योग	16199	32003	906	4721	14.3740

[अनुवाद]

स्मारकों का दुरूपयोग

4468. श्री विजय गोयल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें यह बताया गया है कि देश में ऐतिहासिक स्मारकों का उग्रवादियों और गैर-कानूनी कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा दुरूपयोग किए जाने तथा आत्महत्या किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्मारकों के सुरक्षोपाय, संरक्षण और रखरखाव के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कुतुबमीनार, दिल्ली से कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या की;

(घ) क्या कड़ी सुरक्षा प्रबंधों और प्रतिबंधों के बावजूद कुतुब मीनार से आत्महत्या की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच करायी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान सुरक्षा प्रणाली में स्वामियों को रोकने हेतु क्या उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी घटनाओं की जानकारी है जब केन्द्रीय संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों में लोग आत्महत्या करते हैं। ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिए दिल्ली में कुतुब मीनार और हैदराबाद में चारमीनार के टॉवरों में प्रवेश को जनता के लिए बन्द कर दिया गया है।

(ग) पिछले पाँच वर्षों में किसी भी व्यक्ति ने कुतुब मीनार से आत्महत्या नहीं की है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में पुल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग

4469. श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :
श्री काशी राम राणा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पांच वर्षीय योजना के दौरान गुजरात में कितने पुलों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या इन पुलों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इनकी निर्धारित समय सीमा क्या थी तथा इनके निर्माण में कितना विलंब हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने विलंब के कारणों का पता लगाया है; तथा उनकी जांच की है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं तथा क्या दंडात्मक कार्यवाही की गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ङ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में 111.41 करोड़ रु० की लागत के 9 पुल निर्माण कार्यों और लगभग 962 कि०मी० लम्बाई के 86 सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। तथापि कुछ निर्माण कार्य (I) निधियों के अभाव (II) संविदात्मक समस्याओं और कानूनी विवादों आदि के कारण धीमी गति से चल रहे हैं किए गए सुधारात्मक उपायों में न्यायालयों में मामले का बचाव जहां ठेकेदार असफल हुए हैं वहां निविदाएं पुनः आमंत्रित करना, आवधिक समीक्षा और संभव सीमा तक निधियां उपलब्ध कराना शामिल है।

छावनी बोर्ड में विधायकों का नामानिर्देशन

4470. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने जन समस्याओं/शिकायतों को दूर करने के लिए सिकंदराबाद के छावनी बोर्ड में स्थानीय विधायकों के नामनिर्देशन पर विचार करने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से विधान सभा के स्थानीय सदस्यों को छावनी बोर्ड में नामित किए जाने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ख) जी, हां, परंतु इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है क्योंकि छावनी अधिनियम, 1924 के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत छावनी बोर्डों में विधान सभा सदस्यों को नामित किए जाने संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) इस निर्णय से आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को अवगत करा दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

4471. श्री एल० रमना : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) आंध्र प्रदेश में जल क्षेत्र में विदेशी सहायता से निम्नलिखित तीन परियोजनाएं चल रही हैं :–

(I) आंध्र प्रदेश नलकूप परियोजना;

(II) जल विज्ञान परियोजना;

(III) कुरनूल, कुडप्पा नहर आधुनिकीकरण परियोजना इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश III परियोजना पर विश्व बैंक से वार्ता की गई है।

(ख) और (ग) चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न रूप से है :–

क्र० सं०	परियोजना का नाम	सहायता देने वाला अभिकरण	समझौते की तिथि	वितरण के समाप्ति की तिथि	ऋण/अनुदान की राशि	31.3.97 तक संवितरण का उपयोग
1.	आंध्र प्रदेश ट्यूबवैल परियोजना	नीदरलैंड	14.11.94	14.11.2000	39.008 डीएफआई	2.180 डीएफआई*
2.	हाइड्रोलाजी परियोजना	विश्व बैंक	22.9.95	31.3.2002	142.00 यूएसएस	5.612 यूएसएस
3.	कुरनूल कुडप्पा नहर आधुनिकीकरण परियोजना	ओईएफ जापान	25.1.96	26.3.2003	160.49 येन	0000 येन

*आंध्र प्रदेश सहित समग्र रूप में बहुराज्यीय परियोजना के लिए आकड़े हैं।

सैनिक विद्यालयों का प्रबंधन

4472. श्री ए० सम्पथ : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक विद्यालयों के प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है;

(ख) क्या सरकार ने ओ८टी०ए०/आई०एम०ए० में प्रवेश हेतु एन०सी०सी० कैडेटों को कतिपय विशेषाधिकार/प्राथमिकता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो एन०डी०ए० में एन०सी०सी० कैडेटों को प्रवेश दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन०सोमू) : (क) सैनिक स्कूलों की प्रबंध-व्यवस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा की जाती है। इस सोसायटी का संपूर्ण प्रशासन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री हैं।

(ख) भारतीय शैन्य अकादमी में सीधी भर्ती पाठ्यक्रम में एन०सी०सी० के उन "सी" प्रमाण-पत्र धारियों के लिए 32 स्थान आरक्षित हैं जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा और सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो गए हों।

सेना विंग के एन०सी०सी० "सी" प्रमाणपत्र धारक जिन्होंने "बी" कोटि प्राप्त की हो और जो स्नातकोत्तर परीक्षा में 50% अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हों तथा 19-25 वर्ष के आयु वर्ग में हों उन्हें अफसर प्रशिक्षण अकादमी में अल्पकालीन सेवा पाठ्यक्रम के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा में बैठने से छूट है। उम्मीदवारों की सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में सफल होना होता है। 50 रिक्तियों मानदंड पूरा करने वाले एन सी सी कैडेटों के लिए आरक्षित रखी जाती है।

(ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश 10+2 स्तर पर दिया जाता है। स्कूल स्तर पर दिया जाने वाला एन०सी०सी० प्रशिक्षण बहुत ही आधारभूत स्वरूप का प्रशिक्षण होता है तथा उसे सीटों के आरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने वाले प्रवेशकों को कभी कमी नहीं रही है। अतः वर्तमान चयन प्रक्रिया में परिवर्तन करने या एन०सी०सी० कैडेटों के लिए सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

[हिन्दी]

रोजगार गारंटी योजना

4473. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन जिलों में रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान कितने जिलों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा; और

(ग) 1996-97 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ख) रोजगार गारंटी योजना नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है। तथापि राजस्थान के सभी 31 जिलों में सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) 1996-97 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश के रूप में राजस्थान को 103.90 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

[अनुवाद]

छावनी क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण

4474. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **रक्षा मंत्री** 10 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2357 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिविल जज कोर्ट द्वारा यथास्थिति बहाल रखने के आदेश के बावजूद भी अभिप्रेत पट्टेदारों ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए हैं;

(ख) क्या वहां छावनी कार्यकारी अधिकारी या कोई अन्य संबंधित प्राधिकारी ऐसे अवैध निर्माणों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है;

(ग) क्या सरकार न्यायालय के आदेशों को मानने और छावनी कार्यपालक अधिकारी को अवैध निर्माणों को रोकने के लिए निर्देश देने की इच्छुक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, नहीं। छावनी बोर्ड, कानपुर द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार और न्यायालय द्वारा दिए यथास्थित के आदेश की समाकित के बाद केवल चारदीवारी का निर्माण किया गया है।

(ख) और (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सी०जी०एच०एस० सुविधा

4475. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय बहुत दूर स्थित है जिससे इस स्थान पर और उसके आसपास रहने वाले सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को सी०जी०एच०एस० सुविधा प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) संसद विहार तथा आसपास के अन्य क्षेत्र केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, शकूरबस्ती के अंतर्गत आते हैं जो काफी हद तक केन्द्र में स्थित है। यह संभव है कि औषधालय के अन्तर्गत निर्धारित क्षेत्र की बाह्य सीमा में रहने वाले लाभार्थियों को औषधालय में पहुंचने के लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ती हो चूंकि उक्त औषधालय के अंतर्गत बसी हुई ये दूर-दूर की कालोनियां हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्त और सेवारत) तथा दूसरे क्षेत्र के मिले-जुले लोग रहते हैं।

व्यवहार्यता, आवश्यकताओं, संसाधनों की उपलब्धता आदि तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मानदंडों को पूरा करते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नटवर्क में धीरे-धीरे विस्तार किया जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को प्रत्येक बस्ती के लिए एक औषधालय खोलना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तारीकरण

4476. श्री राम टहल चौधरी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार से होकर निकलने वाले उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिन पर फरवरी, 1997 से मरम्मत तथा विस्तारीकरण का कार्य आरंभ किया गया है; तथा बिहार से होकर गुजरने वाले बाकी राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ख) इस कार्य पर होने वाले अनुमानित व्यय तथा किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी वेंकटरामन) : (क) और (ख) बिहार राज्य से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग नामतः 2,6,19,23,28, 28क, 30,31,32,33 और 57 (नव घोषित रा०रा०) गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है। क्षतियां होती हैं तो मरम्मत की जाती है और विकास कार्य, योजनागत प्रावधानों के अनुसार चरणबद्ध ढंग से किए जाते हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान बिहार में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और मरम्मत कार्यों के लिए क्रमशः 15.83 करोड़ रु० (ए०वि०बैं० III के अधीन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है) और 21.94 करोड़ रु० आबंटित किए गए थे।

[अनुवाद]

विभिन्न रक्षा संस्थाओं में एप्रैन्टिसशिप

4477. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ट्रेडों के नाम क्या हैं जिनमें देश के विभिन्न रक्षा संस्थाओं में एप्रैन्टिसशिप सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) इन पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ग) प्रति वर्ष ऐसी संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है;

(घ) ऐसी रक्षा संस्थाओं से प्रशिक्षित कितने एप्रैन्टिसों को प्रति वर्ष रक्षा संस्थाओं में रोजगार दिया गया; और

(ङ) सभी प्रशिक्षुओं, जिन्होंने ट्रेड एप्रैन्टिसशिप उत्तीर्ण की है, उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ङ) सेना और नौसेना के विभिन्न संस्थाओं में जिन ट्रेडों में एप्रैन्टिसशिप सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है। वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थानों में किसी भी ट्रेड में एप्रैन्टिसशिप सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

सेना

व्हीकल मैकेनिक (ए०एफ०वी०), व्हीकल मैकेनिक (एमवी), इंजीनियरी उपस्कर मैकेनिक, टेलिकॉम मैकेनिक, इन्स्ट्रुमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन (ए० एफ०वी०), इलेक्ट्रिशियन (एम०वी०), फिटर, आर्मरर, मशीनिस्ट, मिलराइट, ग्राइंडर प्रिसिजन, टर्नर, टूल मेकर, टिन एंड कॉपर स्मिथ एंड वेल्डर।

नौसेना

क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन्स्ट्रुमेंट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मिलराइट मैकेनिक, मशीनिस्ट, पाइप फिटर, पेंटर, रिगर रेफ्रिजरेटर एयरकंडीशन मैकेनिक, शिपराइट स्टील, शिपराइट वुंड, टर्नर, वेल्डर, मिलराइट, मोल्डर, पलम्बर।

विगत चार वर्षों के सेना के नियंत्रणाधीन संस्थानों से उर्त्तीण प्रशिक्षार्थियों पर हुए व्यय और उनकी संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	वर्ष	धनराशि (रुपयों में)	प्रशिक्षार्थियों की सं०
1.	1992-93	2431635	344
2.	1993-94	3116202	374
3.	1994-95	2595672	296
4.	1995-96	2717042	372

नौसेना के नियंत्रणाधीन संस्थानों से प्रतिवर्ष लगभग 375 प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं।

प्राप्त सूचनानुसार भर्ती पर रोक के कारण सेना में समूह "ग" व "घ" में भर्ती नहीं की गई। नौसेना में गैर पदनामित ट्रेडों में सेवा की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर उतने ही एप्रैन्टिसर्शी को भर्ती किया जाता है जितने खपाए जा सकते हैं। पदनामित ट्रेडों में खपाए गए/प्रशिक्षुओं की संख्या रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है।

सैनिक प्रशिक्षण संस्थान

4478.श्री आर०बी० राई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा अन्य अनुषंगी सैनिक प्रशिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सभी संस्थानों में कितनी सीट हैं; और

(ग) इन संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) नौसेना अकादमी तथा अन्य कमीशन पूर्व अफसर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति और उनमें अनुमानित कार्मिक संख्या का विवरण इस प्रकार है:–

	संस्थान	अनुमानित कार्मिक सं०
1.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे	1800
2.	भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून	1655
3.	अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई	500
4.	नौसेना अकादमी, गोवा	900
		प्रतिवर्ष
5.	वायुसेना अकादमी, हैदराबाद	प्रत्येक शाखा की वास्तविक कमी तथा भावी आवश्यकताओं पर निर्भर है तथा प्रतिवर्ष इनमें अंतर होता है।
6.	वायुसेना तकनीकी कालेज, बेंगलूर	
7.	वायुसेना प्रशासनिक कालेज, कोयम्बटूर	

(ग) नौसेना रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी तथा अफसर प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए चयन अखिल भारतीय परीक्षा, जिसका संचालन संघ लोक सेवा आयोग करता है; के आधार पर किया जाता है। तत्पश्चात् सेना चयन बोर्ड चुनिंदा उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करता है तथा उनका स्वास्थ्य परीक्षण करता है। तकनीकी स्नातकों को लिखित परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है तथा उनका चयन सेना चयन बोर्ड व सेना के भर्ती निदेशालय द्वारा तैयार की गई चुनिंदा उम्मीदवारों की सूची के अनुसार करता है। सेना कैडेट कालेज में प्रवेश हेतु सेवारत सैनिक, जो प्रवेश के निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं, की सेना कमांड चैनल जांच पड़ताल कर एक संक्षिप्त सूची तैयार करता है तथा उन्हें सेना चयन बोर्ड को साक्षात्कार के लिए भेज देता है।

नौसेना अकादमी : स्थाई तथा अल्प सेवा कमीशन अफसर की सीधी भर्ती के वास्ते प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक तथा क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। उम्मीदवारों की उनके शैक्षणित कार्य-निष्पादन के आधार पर संक्षिप्त सूची बनाई जाती है, तत्पश्चात् उसे सेना चयन बोर्ड को साक्षात्कार एवं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है।

10+2 (विज्ञान) की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार नौसेना अकादमी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें एक लिखित परीक्षा जिसका संचालन संघ लोक सेवा आयोग करता है में उत्तीर्ण होना पड़ता है। तत्पश्चात् सेना चयन बोर्ड उनका साक्षात्कार आयोजित करता हैं व स्वास्थ्य परीक्षण करता है।

वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान : अफसरों की भारतीय वायुसेना में भर्ती के वास्ते देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा सेना चयन बोर्ड में साक्षात्कार एवं स्वास्थ्य परीक्षण शामिल होता है। उम्मीदवारों की योग्यता क्रम सूची लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाती है।

तेलुगु-गंगा सिंचाई परियोजना

4479. श्री शिवानन्द एच० कौजलगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तेलुगु-गंगा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कितनी धनराशि निवेश की गयी तथा केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी सहायता दी जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बम विस्फोटों के बारे में सैनिकों को प्रशिक्षण

4480. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बम विस्फोटों के संबंध में सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्र कहां-कहां स्थित है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन केन्द्रों में बम के खोलों की चोरी होती है;

(ग) क्या सरकार को इन केन्द्रों में होने वाली चोरी की घटनाओं के कारण करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है और इन घटनाओं में कितने लोगों की जाने गई हैं; और

(घ) चोरी की इन घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) यह माना जाता है कि यह प्रश्न फील्ड कर्मचारी चांदमारी परिसरों में आर्टिलरी तोपों और टैंकों के गोले दागने से संबंधित है। भारत के विभिन्न भागों में लगभग 92 फील्ड चांदमारी परिसर हैं। तथापि, सेना आयुध कोर के अफसरों, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और अन्य रैंकों को सामग्री प्रबंधन महाविद्यालय, जबलपुर में काम चलाऊ विस्फोटक यंत्रों एवं गोलाबारूद प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) नहीं, कोई चोरियाँ नहीं होती है।

(ग) कोई हानि नहीं हुई है।

(घ) मौजूदा सुरक्षा प्रणाली सुसंगठित है, अतः चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किसी प्रकार के अतिरिक्त नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

सी०आर०एफ० के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को आबंटित धन

4481. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश की केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 202.86 करोड़ रु० आबंटित किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार को इतनी ही धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान क्या कार्य शुरू किए गए हैं;

(घ) राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है तथा कितनी धनराशि उपयुक्त है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में सड़कों के विकास हेतु शेष सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार के सभी शेष प्रस्तावों को वर्ष 1997-98 के दौरान स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं। 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को 177 लाख रु० की राशि आबंटित की गई थी।

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए आबंटन बता पाना अभी संभव नहीं है।

(ग) और (घ) शुरू की गई स्कीमें वे थीं जिन्हें केन्द्र सरकार ने अनुमोदित कर दिया था और अनुमोदित स्कीमों पर उपयोग में लाने के लिए राज्य को संभावित जमा राशियों के आधार पर निधियां आबंटित की गई थी।

(ङ) और (च) आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि के तहत भावी जमा राशि के आधार पर पहले ही काफी स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं। अतः फिलहाल अगली स्कीमों को स्वीकृत करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में परिवार नियोजन

4482. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जम्मू-कश्मीर में महिलाओं द्वारा परिवार नियोजन कराने को तैयार होने के बावजूद भी आतंकवादियों के भय के कारण राज्य में चिकित्सक उक्त आपरेशन करने से बचते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय में कोई उपाय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार के अनुसार कतिपय भूमिगत संगठनों ने घाटी में जनसंख्या नियंत्रण के स्थाई तरीकों का विरोध किया है। तथापि इससे आम जनता पर इन तरीकों को अपनाने में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है और एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने घाटी में और इसके बाहर बंध्यीकरण कराएं हैं।

विशेष प्रकार के टीले की खोज

4483. चौधरी रामचन्द्र बैंदा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हरियाणा के मेवाड़ क्षेत्र में आयी अपूर्व बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर हुए भू-क्षरण से फीरोजपुर झिरखा उपखंड के मोहम्मद नगर नामक स्थान पर एक विशेष प्रकार के टीले की खोज हुई है जिससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि इसके नीचे प्रागैतिहासिक का गांव दफन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस टीले का सही ढंग से पुरातत्वीय उत्खनन करा कर इस रहस्य से पर्दा हटाने तथा यहां की प्राचीन संस्कृति पर रोशनी डालने की दिशा में कोई योजना बना रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित किए गए अन्वेषण में स्थल पर कृषाण कालीन पुरातत्वीय साक्ष्यांकन का पता लगा है। फिर भी, अन्वेषण में प्रागैतिहासिक अवशेषों का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, हां। आरम्भिक उत्खनन के परिणामों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

नौलखा बाँध

4484. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार में गिरिडोह जिले में राजधनबाद के नवाडीह पंचायत क्षेत्र में "नौलखा बांध" पर निर्माण कार्य फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बिहार में ऐसी कोई वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षा अधिकारी

4485. श्री राधा मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 17 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3363 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाहर शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए निर्धारित कुल अंकों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन सूची में वरीयता निर्धारित करते समय अभ्यार्थियों द्वारा अर्जित कुल अंकों को जोड़ा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सीधी भर्ती के आधार पर शिक्षा अधिकारियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में बराबर-बराबर बल दिया जाता है। अभ्यर्थियों की छटनी लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती है और अन्तिम सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की संयुक्त योग्यता के आधार पर तैयार की जाती है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा के लिए राजस्थान की धनराशि

4486. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम्प्यूटर, टेलीविजन और टू इन वन, पर्यावरण और विज्ञान शिक्षा के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इसमें से उद्देश्य-वार धनराशि खर्च कर दी गई है;

(ग) क्या आवंटित संपूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका है; और

(घ) यदि हां, तो किस तरीके से और कब तक इन निधियों का उपयोग किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) "स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास), शैक्षिक प्रौद्योगिकी (ई०टी०), "पर्यावरण प्रबोधन और विज्ञान शिक्षा" की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आठवीं योजना के दौरान राजस्थान राज्य सरकार को प्रदान की गई राशि और वर्ष 1996-97 के दौरान आवंटित राशि निम्नलिखित है :–

(लाख रु० में)

	VIII वीं योजना के दौरान प्रदान की गई राशि	वर्ष 1996-97 के दौरान आवंटित राशि
क्लास	445.67	59.37
ई०टी०	457.00	–
ई०एन०वी०	37.56	–
विज्ञान	412.17	–

(ख) राज्य सरकार द्वारा योजनावार खर्च की गई राशि नीचे दर्शाई गई है :

(I) कम्प्यूटर – शून्य

(II) टेलीविजन और टू-इन-वन – 2 लाख

(III) पर्यावरण – 10.00 लाख

(IV) विज्ञान शिक्षा – शून्य

(ग) अधिकतर योजनाओं में आवंटित संपूर्ण राशि का राज्य सरकार द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका।

(घ) राजस्थान राज्य सरकार के अनुसार खर्च नहीं की गई राशि का शीघ्रता से उपयोग किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में नदियों की सिंचाई क्षमता

4487.डा० सत्य नारायण जटिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1997 तक मध्य प्रदेश में नदी-वार सिंचाई क्षमता कितनी थी तथा इसका किस सीमा तक सदुपयोग किया गया है; और

(ख) नदी जल के अधिकतम उपयोग के लिए तथा देश की नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है तथा इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के नदीवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वृहद और मध्यम नदी घाटी परियोजनाओं के जरिए 6.0 मिलियन हेक्टे० को चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अंत तक ऐसी परियोजनाओं के जरिए मध्य प्रदेश में सृजित सिंचाई क्षमता और इसका उपयोग क्रमशः 2.3 मिलियन हेक्टेयर और 1.6 मिलियन हेक्टेयर आंका गया है।

(ख) देश में जल संसाधनों के अष्टतम उपयोग के लिए वैज्ञानिक विकास को बढावा देने के लिए और जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के योजना प्रस्तावों में की गई परिकल्पना के अनुसार अधिशेष से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के अंतरबेसिन अंतरण के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण दो घटकों पर अध्ययन कर रहा है। अर्थात् प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और हिमालयी नदी विकास घटक प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में ये शामिल हैं :–

(I) महानदी गोदावरी-कृष्णा कावेरी को आपस में जोड़ना तथा इन बेसिनों में संभावित स्थलों पर भंडारण बनाना।

(II) बंबई के उत्तर और तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को आपास में जोड़ना।

(III) केन को चंबल के साथ जोड़ना और

(IV) केरल और कर्नाटक को पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर जोड़ना।

हिमालयी नदी विकास घटक में मुख्य गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा भारत और नेपाल में उनकी प्रमुख सहायक नदियों पर भंडारण जलाशयों का निर्माण और गंगा और महानदी के साथ मुख्य ब्रह्मपुत्र को जोड़ने के अलावा गंगा की पूर्वी सहायक नदियों के अधिशेष प्रवाह को पश्चिम में अंतरित करने के लिए नहर प्रणालियों को आपास में जोड़ना भी शामिल है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा लगाए गए हिसाब के अनुसार विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की अनुमानित लागत विद्युत घटक सहित लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

जीने के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार

4488.डा० अरविन्द शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1997 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "राइट टू लाईफ इनक्लूड्स राईट टू हैल्थ" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचारों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में कोणार्क मंदिर

4489.श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विश्व विख्यात कोर्णाक मंदिर के आस-पास के इलाकों के निषिद्ध और नियामक क्षेत्र के भीतर कुछ अवैध तथा अन्य तरह के निर्माण कार्य हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ढ़ांचों के स्वरूप का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/व्यक्तियों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है; और

(ङ) ऐसे ढ़ांचों के कब तक हटा दिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) अधिसूचित क्षेत्र परिषद, कोणार्क ने एक विपणन परिसर, शोचालय ब्लू और पर्यटन विभाग, उड़ीसा सरकार ने कोणार्क मन्दिर के प्रतिबन्धित और नियमित क्षेत्र में खुले प्रांगण में प्रेक्षागृह का निर्माण किया है।

(ग) निर्माण कार्य पर्यटन विभाग, उड़ीसा सरकार और अधिसूचित क्षेत्र परिषद, कोणार्क द्वारा शुरू किया गया।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अप्राधिकृत निर्माण कार्यों को हटाये जाने के लिए उड़ीसा सरकार से कहा है और यह मामला अब राज्य सरकार के पास है।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्रों में सड़कों के उपयोग पर प्रतिबंध

4490. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी बोर्डो/क्षेत्रों में सामान्य यातायात के लिए विभिन्न सड़कों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या नीति तैयार की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बरेली छावनी बोर्ड के अंतर्गत सड़कों पर यातायात के लिए प्रतिबंध लगाया गया और उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) छावनी क्षेत्र की सड़कों पर सार्वजनिक वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई नीति नहीं है। छावनी क्षेत्र में गालियां/सड़कें बंद करने/खोलने का काम छावनी अधिनियम 1924 की धारा 192 के तहत किया जाता है। छावनी अधिनियम के संगत उद्धरण विवरण में संलग्न हैं।

(ख) छावनी बोर्ड ने बरेली छावनी की किसी भी सड़क पर सार्वजनिक वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा रखा है। तथापि, बरेली छावनी क्षेत्र में दो सड़कें ऐसी हैं जिन पर सुरक्षा कारणों से वाहनों के आने-जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं क्योंकि ये सड़कें सैन्य क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। इनमें से एक सड़क जाट रेजिमेंटल सेंटर से होकर गुजरती है। यह ए-I भूमि पर बनी एक आंतरिक सड़क है जिसका इस्तेमाल मुख्यतः जाट रेजिमेंटल सेंटर के वाहन और कार्मिक करते हैं। इस संबंध में लोगों ने सिविल मुकदमा दायर किया हुआ है। मामला न्यायाधीन है।

दूसरी सड़क सेना सेवा कोर और पशु परिवहन बटालियन क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस सड़क पर भारी वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि इस सड़क पर प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए पशु बार-बार आते-जाते रहते हैं।

इन दोनों सड़कों पर पैदल चलने वाले व्यक्तियों और साइकिल सवारों को आने-जाने दिया जाता है परन्तु भारी वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं है।

विवरण

192. पथ का बंद किया जाना और खोलना :–

(1) (बोर्ड) (कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी की या निदेशक की) पूर्व मंजूरी के बिना न तो कोई पथ स्थाई रूप से बंद करेगा और न ही कोई नया पथ खोलेगा।

(2) (कार्यपालक अधिकारी) मरम्मत के लिए अथवा जल निकासी, जल प्रदाय या रोशनी से संबंधित कोई काम या कोई नया काम, जिसे करने के लिए व इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात हो, करने के लिए किसी पथ या पथ के किसी भाग को लोक सूचना द्वारा अस्थाई रूप से बंद कर सकेगा :

परन्तु जहां कि कोई काम करने या मरम्मत करने या किसी नए हेतुक से किसी पथ की अथवा किसी जल संकर्म, नाली, पुलिया या परिसर की, जो बांड में निहित है दशा ऐसी है कि उससे लोक साधारण को खतरा होना संभाव्य है, वहां, (बोर्ड) :–

(क) पारस्वस्थ इमारतों और भूमि की संरक्षा के लिए सब युक्तियुक्त तरीके अपनाएगा तथा उसमें जाने या उससे आने के युक्तियुक्त रास्ते के लिए भी उपलब्ध करेगा।

(ख) जीवन और संपदा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रोध या बाड़ लगवाएगा तथा ऐसे रोध या बाड़ों को पर्याप्त रूप से सूर्यास्त से सूर्योदय तक प्रकाशयुक्त रखेगा।

टिप्पणियाँ

(1) सड़क – सड़क के किसी हिस्से पर भारी वाहनों के आने-जाने पर रोक लगाने वाला आदेश लगाने से पूर्व – आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई – शांति और धारित संपत्ति बनाए रखने के लिए लोगों को सुरक्षा के वास्ते आदेश जारी किए गए – आदेश जारी करने और उसे कार्यान्वित करने के अधिकारी नगरपालिका के पास थे।

(2) सार्वजनिक सड़क – इसमें सड़क के दोनों ओर की भूमि शामिल है।

[अनुवाद]

बंजर भूमि विकास

4491. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री 19 मार्च, 1997 के तारांकित प्रश्न सं० 341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंजर भूमि विकास विभाग बंजर भूमि विकास परियोजनाएं तैयार करने हेतु अपने ही स्रोतों से जानकारी एकत्र करता है अथवा यह विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है;

(ख) क्या गुजरात के जामनगर, महसाना, राजकोट और गांधीनगर की तुलना में कच्छ जिले में बंजर भूमि अधिक है;

(ग) यदि हां, तो 1994-95 से 1998-99 के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास योजना के अंतर्गत कच्छ जिले में प्रस्तावित परियोजनाओं को मंजूर न करने और आरम्भ नहीं करने के कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार समेकित बंजर भूमि विकास योजना के अंतर्गत कच्छ जिले की बंजरभूमि का विकास करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में विकसित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) बंजरभूमि विकास विभाग वाटरशेड आधार पर बंजरभूमि

के विकास हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा तैयार की गई और प्रस्तुत की गई परियोजनाओं को मंजूर करता है।

(ख) राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद द्वारा इस विभाग को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अब तक, कच्छ जिले का नक्शा अभी नहीं बनाया गया है। तथापि, जामनगर, मेहसाणा, राजकोट तथा गांधीनगर जिलों में बंजरभूमि क्षेत्रफल क्रमशः 2,88,358 हैक्टेयर, 61,887 हैक्टेयर, 1,99,646 हैक्टेयर और 2,689 हैक्टेयर है।

(ग) से (च) बंजरभूमि विकास विभाग ने समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत कच्छ जिले के लिए पहले ही दो परियोजनायें मंजूर कर दी हैं। ब्यौरा निम्नानुसार हैं :–

1. कच्छ जिले में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम (परियोजना-1) : 996.55 लाख रुपये की कुल लागत में 5220 हैक्टेयर बंजरभूमि विकसित करने के लिए ग्रह परियोजना 1992-93 से 1995-96 तक की चार वर्षों की अवधि के लिए मंजूर की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बंजरभूमि विकास विभाग द्वारा कच्छ जिले की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को अब तक 338.30 लाख रुपये रिलीज किये गये हैं।

2. कच्छ जिले में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (परियोजना-2) : 289.66 लाख रुपये की कुल लागत में 5500 हैक्टेयर बंजरभूमि विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना 1993-94 के दौरान 1993-94 से 1997-98 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए मंजूर की गई थी। बंजरभूमि विकास विभाग द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कच्छ जिले की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को अब तक 162.00 लाख रुपये रिलीज किये गये हैं।

ये दोनों परियोजनायें अभी चल रही हैं। जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया हैं, विभाग वाटरशेड विकास हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों के मानदंडों के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने के उपरांत ही इन एजेंसियों को परियोजनायें स्वीकृत करता है। फिलहाल विभाग में कच्छ जिले का कोई नया परियोजना प्रस्ताव विचारार्थ लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

सेवा प्रभार लगाना

4492. कुंवर सर्वराज सिंह :
श्री बृज भूषण तिवारी :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अप्रैल, 1997 को "दैनिक जागरण" में ए०आई०आई०एम०एस० के डाक्टर रोगियों के जरिए आय बढ़ाने की तैयारी में" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शासी निकाय द्वारा संस्थान के संकाय सदस्यों के संस्थान से चले जाने संबंधी पहलू का अध्ययन करने के लिए गठित उप समिति ने विभिन्न सिफारिशों के साथ-साथ डाक्टरों तथा दूसरे परा-चिकित्सा कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव किया है। तथापि, संस्थान द्वारा इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

उपस्करों का कार्य न करना

4493. श्री आई०डी० स्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों में अस्पतालवार उपलब्ध उपस्करों जैसे सी०टी० स्कैन, अल्ट्रा साउंड, एक्स-रे मशीनों, पैथालोजिकल उपस्करों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने उपस्कर कार्य नहीं कर रहे हैं तथा उन्हें ठीक करने/बदलने की आवश्यकता है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान खराब पड़े उपस्करों को ठीक करने हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गई है तथा वर्ष 1996-97 के दौरान कुल कितने उपस्कर अभी भी खराब पड़े हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आंगनवाडी श्रमिकों को मानदेय

4494. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :
श्री मोहन रावले :
श्री दत्ता मेघे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंगनवाडी श्रमिकों को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंधी में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०बार० बोम्मई) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग ने मानदेय में वृद्धि की सिफारिश की है और यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। इस मामले में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

[अनुवाद]

बाढ़ से तबाही और जल प्लावन

4495. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्रों, 24 परगना उत्तरी और दक्षिण क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों के किनारों पर तटबंध न होने के कारण बार-बार बाढ़ की तबाही मची हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस इलाके में स्थित गांवों के दूरदराज के क्षेत्रों में बाढ़ की तबाही और जल प्लावन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। इन क्षेत्रों में बाढ़ आने के मुख्य कारण हैं कि वर्तमान तटबंधों में बार-बार दरारें आती हैं, ये तटबंध बहुत पुराने हैं और सुदृढ़ इंजीनियरी मार्ग-दर्शनों/अभ्यासों के अनुसार इनका डिजाइन नहीं बनाया गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार बाढ़ प्रबंध योजनाओं का निष्पादन योजना आयोग द्वारा उन्हें आवंटित किए गए योजना कोषों से करती है। आजकल राज्य सरकार योजना आयोग द्वारा अनुमोदित 1796 लाख रुपए की लागत की "सुदंरवन में तुरंत विकास कार्य" शीर्षक की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना में बाढ़ से वर्तमान बाढ़ संरक्षण कार्यों में आने वाले ह्रास को रोकने की परिकल्पना है।

मध्य प्रदेश में स्मारक

4496. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश में देखभाल किये जा रहे ऐतिहासिक स्मारकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान इन ऐतिहासिक स्थानों के विकास तथा देखरेख पर कितना खर्च हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में मन्दिर, किले, मूर्तियां, टीले (टेकरी), महल, द्वार (तोरण), चित्रों सहित गुफाएं, मस्जिद, मकबरे, सराय, दरगाह, छतरियां, विजय स्तंभ, बावलियां, बौद्ध स्तूप, मठ, प्राचीन स्थल, गुहा आश्रम, स्तंभ, पत्थरों पर अभिलेख, तालाब और मण्डप निहित हैं।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों पर इस प्रकार से व्यय हुआ :–

वर्ष	व्यय रुपयों में
1994-95	82,59,157/-
1995-96	87,43,932/-
1996-97	1,31,91,750/-

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

4497. श्री श्याम लाल बंशीवाल :
श्री छतर सिंह दरबार :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा अलग-अलग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई और कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण/विकास विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ इस प्रयोजन के लिए निधियों की उपलब्धता के मद्दे नजर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर संस्वीकृत सड़क/पुल कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या		अनुमानित लागत (लाख रु०)	
	राजस्थान	मध्य प्रदेश	राजस्थान	मध्य प्रदेश
1994-95	28	99	2418.57	4117.44
1995-96	26	22	1589.92	1681.84
1996-97	09	29	1087.58	1669.37

अगले प्रस्तावों पर निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

सेना में भर्ती नीति

4498. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में स्वतंत्रता के समय भर्ती संबंधी नीति की तुलना में इस संबंध में वर्तमान नीति क्या है;

(ख) गत कुछ वर्षों के दौरान इसमें क्या-क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(ग) इस समय सेना में प्रत्येक राज्य से कितने-कितने प्रतिशत लोगों की भर्ती की जाती है; और

(घ) ऐसे परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (घ) **स्वतंत्रता के समय भर्ती नीति :**

(I) *लड़ाकू जातियाँ* – केवल राजपूत, जाट, सिख आदि जैसी लड़ाकू जातियाँ सेना में भर्ती की जाती थीं।

(2) *शैक्षिणिक योग्यता* – किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं थी।

(3) *शारीरिक मानदंड* – जाति-वार निर्धारित किया गया था।

वर्तमान भर्ती नीति

(1) *भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या* – सभी जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, वह भी संबंधित राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में, लड़ाकू जातियों की संकल्पना समाप्त कर दी गई थी और भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या की प्रणाली शुरू की गई थी जोकि संबंधित राज्यों की कुल पुरूष जनसंख्या का 10% है।

(2) *शैक्षिक योग्यता* – सेना ने भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सिपाही (जी०डी०) के लिए मैट्रिक और ट्रेडमैन की भर्ती के लिए नॉन-मैट्रिक है। साथ ही पिछड़े जनजातीय क्षेत्र के अभ्यार्थियों के लिए छूट निर्धारित की गई है।

(3) *शारीरिक मानदंड* – जातीय आधार के बजाए ये मानदंड क्षेत्रवार निर्धारित किए गए है। पूरे देश को "छह" क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

2. इस प्रणाली को अधिक पारदर्शी और अभ्यर्थी के अनुकूल वनाने के लिए भर्ती नीति में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :–

(1) 1988 से आवेदन पत्र प्रणाली शुरू कर दी गई है।

(2) भारतीय सेना के लिए उत्तम सैनिक लेने के वास्ते 1989 से सामूहिक प्रवेश परीक्षा शुरू कर दी गई है।

(3) भ्रष्टाचार की कोई संभावना न रहे इसके लिए भर्ती के समय निष्पक्ष सदस्य शामिल किए जा रहे हैं।

3. चूंकि सेना में कार्मिकों का राज्यवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है इसलिए सेना में प्रत्येक राज्य से भर्ती कार्मिकों का प्रतिशत उपलब्ध नहीं है।

4. निम्नलिखित कारणों की वजह से परिवर्तन किए गए हैं :–

(1) सेना में सभी राज्यों से प्रतिनिधत्व देने के लिए राष्ट्रीय अखण्डता का लक्ष्य प्राप्त करना।

(2) आधुनिक सेना, जिसे कि अत्याधुनिक शस्त्रों की सार-संभाल करनी होती है, की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

(3) प्रणाली को पारदर्शी और सभी लोगों के अनुकूल बनाना।

उत्तर प्रदेश में अस्पतालों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार

4499. श्रीमती केतकी देवी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने अस्पतालों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया गया;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य में विश्व बैंक की सहायता से किसी अस्पताल/औषधालय की स्थापना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) संविधान के अंतर्गत 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के कारण राज्यों में अस्पतालों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की है। अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे का उन्नयन करने के लिए वाह्य सहायता का लाभ उठाने के लिए अनेक राज्य सरकारों से समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना के एक भाग के रूप में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तथा पंजाब राज्यों में जिला स्वास्थ्य अस्पतालों सहित स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से सहायता ली हैं परियोजना में मौजूदा अस्पतालों तथा स्वास्थ्य संबंधी दूसरे आधारभूत ढांचे के नवीकरण तथा विस्तार की ही बात कही गई है न कि नए अस्पताल और औषधालय खोलने की।

तट रक्षकों की संख्या

4500. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के वाइस एडमिरल ने सरकार को तट रक्षकों की संख्या के संबंध में विस्तृत ब्यौरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो वाइस एडमिरल द्वारा दिए गए प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन पर क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) जी, नहीं। नौसेना के वाइस एडमिरल ने तटरक्षक बल की नफरी के संबंध में कोई विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि तटरक्षक मुख्यालय ने एक पंचवर्षीय तटरक्षक विकास योजना (1997-2002) तैयार की है; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बलस्तर को सुदृढ़ करने और उसके अनुरूप कार्मिकों की संख्या में वृद्धि किया जाना शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार इस प्रस्ताव की जांच कर रही है।

जल संसाधन प्रबंधन संबंधी नीति

4501. श्री एन० डेनिस :
श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री नीतिश कुमार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जल संसाधन के प्रबंधन हेतु दीर्घकालीन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने सितम्बर, 1996 में एकीकृत जल संसाधन विकास योजना के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में दीर्घकालिक नीति संबंधी उपायों को तैयार करने सहित देश में जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करेगा।

कंक्रीट सड़क

4502. डा० एम० जगन्नाथ :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हाल ही में पलवल में किए गए प्रयोग से यह पता चला है कि कंक्रीट सड़क 20% ईंधन की बचत कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ईंधन बचाने के लिए इन्हें कंक्रीट का बनाने के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) तेल की बचत के बारे में सीमित अनुभवों के आधार पर सामान्य विवरण नहीं दिया जा सकता। सरकार ने इस बारे में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं करवाया है।

(ख) चूंकि, डामर युक्त सड़कों की तुलना में कंकरीट सड़कों पर प्रारंभिक लागत काफी अधिक आती है, अतः केवल चुनिंदा आधार पर कंकरीट पेवमेंट बनाए गए हैं।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा

4503. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने, नवोदय विद्यालय की स्थापना करने, साक्षरता मिशन और निरक्षरता उन्मूलन को प्रोत्साहन देने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस संबंध में प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध सफलता का प्रतिशत क्या है; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता का क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग) **व्यावसायिक शिक्षा** : 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से 1995 तक 10% और सन् 2000 तक 25% छात्रों को +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक + 2 स्तर पर लगभग 9 लाख छात्रों, जो कि इस स्तर पर कुल नामांकन का 11% है, को इस ओर मोड़ने की क्षमता सृजित की गई है।

नवोदय विद्यालय

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 150 नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 108 नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य का 72% प्राप्त हुआ है। नवोदय विद्यालय खोलने का लक्ष्य मुख्यतः समिति के मानदंड के अनुरूप राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

साक्षरता मिशन को बढ़ावा देना

साक्षरता मिशन को बढ़ावा देने तथा निरक्षरता दूर करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 345 जिलों को शामिल करके 9-35 आयु वर्ग के 100 मिलियन व्यक्तियों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। 100 मिलियन व्यक्तियों को कार्य-साधक साक्षरता प्रदान करने के इस लक्ष्य को वर्ष 1998-99 के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत संशोधित किया गया।

उत्तर प्रदेश में सशस्त्र सेनाओं के लिए भर्ती

4504. डॉ० बलिराम :
श्री सोहन वीर :
श्री अशोक प्रधान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से सशस्त्र सेना के तीनों अंगों के लिए की गई भर्ती का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश से भर्ती किए गए कुल व्यक्तियों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश में इस समय कहा-कहां कितने भर्ती केन्द्र स्थित हैं;

(ङ) इन केन्द्रों में सैनिकों की भर्ती हेतु क्या प्रक्रिया है;

(च) क्या इन भर्ती केन्द्रों द्वारा कोई अनियमितताएं की जा रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (छ) **भारतीय सेना** : भर्ती निदेशालय सेना के लिए भर्ती करता है। उत्तर प्रदेश में नौ शाखा भर्ती कार्यालय हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर हैं :–

(क) आगरा

(ख) अल्मोड़ा

(ग) बरेली

(घ) अमेठी

(ङ) लैंसडौन

(च) लखनऊ

(छ) मेरठ

(ज) पिथौरागढ़

(झ) वाराणसी

सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाला अभ्यर्थी निकटतम शाखा भर्ती कार्यालय में आवेदन कर सकता है। सभी मुख्यालय भर्ती जोन/शाखा भर्ती कार्यालयों, जिलाधिकारी कार्यालय, रोजगार कार्यालय और जिला सैनिक बोर्डों में आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। चुने गए अभ्यर्थियों के लिए दी गई तारीख तथा स्थान पर स्क्रीनिंग, चिकित्सा तथा शारीरिक आरोग्यता परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा अंतिम चयन किए जाने के लिए बुलावा पत्र भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश से भर्ती किए व्यक्तियों की कुल संख्या अन्य राज्यों से भर्ती किए गए व्यक्तियों से कम नहीं है।

अनियमित भर्ती की जाँच करने के वास्ते विस्तृत स्थायी प्रभावी प्रक्रिया है। सभी भर्ती संगठनों/भर्ती केन्द्रों को समय-समय पर अनुदेश भी जारी किए जाते हैं कि वे भर्ती में अनियमितता से बचने के लिए और अधिक सतर्क रहें।

भारतीय वायुसेना

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य से भारतीय वायुसेना में वायु सैनिकों की भर्ती इस प्रकार है :–

1993-94	1994-95	1995-96
1121	1043	1185

वायुसैनिकों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। उत्तर प्रदेश से भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या अन्य राज्यों से कम नहीं है।

वायुसैनिकों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीकृत व्यवस्था है जिसमें केन्द्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड संपूर्ण देश में फैले 13 वायुसैनिक चयन केन्द्रों की सहायता से केन्द्रीय रूप से भर्ती करता है। इन 13 वायुसैनिक चयन केन्द्रों में से एक केन्द्र उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र राष्ट्रीय समाचार पत्रों, एम्प्लायमेंट न्यूज और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद पात्र अभ्यर्थियों का उनकी पसंद के वायुसैनिक चयन केन्द्र में परीक्षण किया जाता है।

वायुसेना प्राधिकारियों द्वारा चयन प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयन केन्द्र द्वारा कोई अनियमितताएं तो नहीं बरती जाती हैं।

भारतीय नौसेना

विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश से नौसेना में भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है :–

1994	–	502
1995	–	503
1996	–	401

उत्तर प्रदेश से भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या अन्य राज्यों से भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या से कम नहीं है।

उत्तर प्रदेश मे नौसेना के लिए केवल एक भर्ती केन्द्र है जो कानपुर में है।

नौसेना में वर्ष में दो बार भर्ती की जाती है। इसके लिए रोजगार समाचार प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है। पात्र उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, स्वास्थ्य एवं डाक्टरी जाँच के लिए बुलाया जाता है। रिक्तियों के आधार पर अखिल भारतीय योग्यताक्रम सूची तैयार की जाती है और अखिल भारतीय योग्यताक्रम सूची में उम्मीदवारों की स्थिति के अनुसार ही उन्हें भर्ती किया जाता है।

नौसेना प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी नजर रखी जाती है कि भर्ती केन्द्र द्वारा कोई अनियमितताएं तो नहीं बरती जाती है।

डाक्टरों का पलायन

4505. कुमारी उमा भारती :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष देश में कितने डाक्टर प्रशिक्षित किए जाते हैं;

(ख) एक डाक्टर को प्रशिक्षित करने में सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बड़े पैमाने पर डाक्टरों का पलायन हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप उन पर किया गया खर्च व्यर्थ जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रवृति को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) देश में कार्य कर रहे 163 मेडिकल कालेजों में किए गए कुल दाखिलें लगभग 17,000 हैं।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार सरकारी मेडिकल कालेजों में प्रति छात्र आयुर्विज्ञान शिक्षा का खर्च स्नातक पूर्व स्तर पर प्रतिवर्ष 74,000/- रुपये से 1.78 लाख रुपये और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष 71,000/- रुपये से 1.46 लाख रुपये भिन्न-भिन्न है। छात्रों से ली जा रही फीस नाममात्र की है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो प्रकाशन 1994 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार विदेश में प्रशिक्षित और पंजीकृत कुल 5989 डाक्टरों में से 2863 डाक्टर भारत वापिस लौटे। संयुक्त राज्य अमरीका जाने के लिए आवेदकों को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है जो उन्हें केवल बहुत कम ऐसी विशिष्टताओं में अध्ययन करने हेतु किया जाता है जिनके लिए देश में सुविधाएं नही हैं अथवा उनकी कमी है।

मियाद समाप्त हो जाने वाली दवाइयों की आपूर्ति

4506. श्री पवन दीवान :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों में मियाद समाप्त हो जाने वाली दवाइयों को रोगियों को उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं तथा कितने मामलों मे सजा दी गयी है;

(ग) क्या कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इन लोगों को सजा नहीं दी जा सकी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों/औषधालयों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों द्वारा रोगियों को मियाद खत्म हुई औषधें जारी की जाती हैं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

मान्तलाई में हवाई पट्टी का निर्माण

4507. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू के मान्तलाई में एक आश्रम के लिए निजी हवाई पट्टी का निर्माण उनके मंत्रालय द्वारा आपत्तियों के बावजूद भी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हवाई पट्टी अभी भी चालू है; और

(ग) हवाई पट्टी जो कि सामरिक क्षेत्र में है पर नियंत्रण के संबंध में मौजूदा स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ग) मान्तलाई में अपर्णा आश्रम द्वारा 1977 में एक निजी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया है कि उक्त हवाई क्षेत्र के लिए लाइसेंस लेने के वास्ते कोई अनुरोध नहीं किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय को इसके नियंत्रण और कार्य प्रणाली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, चूंकि यह हवाई पट्टी जम्मू और उधमपुर हवाई क्षेत्रों के अत्यधिक निकट है इसलिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सूचित किया है कि समुचित उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते वहां पर स्थानीय समन्वयन आवश्यक होना चाहिए। इस प्रकार के प्रचालन के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा भी कतिपय पूर्व शर्तें सुझाई गई हैं।

"एड्स"

4508. डा० असीम बाला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियां एच०आई०वी० के परीक्षण के लिए भारत में आ रही हैं क्योंकि यह रोग महामारी का रूप धारण करता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : भारत में एच०आई०वी० परीक्षण किटों का मौजूदा स्वदेशी उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारतीय बाजार में उपलब्ध अधिकांश एच०आई०वी० किटें आयातित हैं। ये किटें भारत के औषध महानियंत्रक से लाइसेंस लेने के बाद आयात की जाती हैं।

राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण

4509. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पुलों और सड़कों के निर्माण हेतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सड़कों/पुलों की लम्बाई और नाम क्या-क्या हैं;

(ग) वित्तीय संस्थानों के नाम एवं उनके द्वारा प्रदान की जा रही सहायता की राशि कितनी है; और

(घ) इन सड़कों एवं पुलों के निर्माण संबंधी समय-सूची क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) (क) जी हां।

(ख) से (घ) अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण सहायता से राजस्थान राज्य में निर्माणधीन सड़क और पुल कार्यो के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

क्रम सं०	सड़क/पुल का नाम और लम्बाई	अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्था	सहायता राशि	पूरा करने का लक्ष्य
1.	रा०रा०-8 के कोटपुतली-अकरोल खंड (162.5 से 231.0 कि०मी०) को 4 लेन का बनाना (68.50 कि०मी०)	एशियन विकास बैंक	लगभग 25 मिलियन अमेरिकी डालर	जून, 1997
2.	रा०रा०–8 के हरियाणा/राजस्थान सीमा से कोटपुतली खंड के बीच (107.18 से 162.50 कि०मी०) चौड़ा करके 4 लेन बनाना। (55.32 कि०मी०)	एशियन विकास बैंक	लगभग 37 मिलियन अमेरिकी डालर	मार्च, 2000

प्राथमिक शिक्षा का स्तर

4510. डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतिश कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में गत कुछ वर्षों के दौरान निजी विद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा स्तर में कोई अंतर है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने "सब के लिए शिक्षा" योजना के अन्तर्गत देश में अच्छी शिक्षा प्रणाली को शामिल करने का निर्णय किया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सुधार लाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा इस तरह का कोई मूल्यांकन नही कराया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1996 में यह व्यवस्था की गई है कि हमारा यह प्रयास होगा कि इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने से पूर्व 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक स्तर की शिक्षा प्रदान करा दी जाए।

(छ) इस मंत्रालय द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(I) आपरेशन ब्लैक बोर्ड की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन शिक्षक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (जिसे सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है) का सुदृढ़ीकरण।

(II) प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षण क्षमताओं में सुधार करने के लिए अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को लागू करना।

(III) प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना।

आशा है कि इन उपायों से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार होगा।

पक्की सड़क

4511. श्री बीर सिंह महतो : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने गांव निकटस्थ पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन गांवों को निकटस्थ पक्की सड़क से जोड़ने के संबंध में कोई समयबद्ध योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) 1000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले पक्की सड़कों से न जोड़े गए गांवों की अनुमानित संख्या 31.3.1996 तक 18532 थी।

(ख) और (ग) अभी तक कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

[हिन्दी]

दानापुर छावनी परिषद् द्वारा असैनिकों के विरुद्ध मामले

4512. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानापुर छावनी परिषद् द्वारा असैनिकों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये गये;

(ख) कितने मामले छावनी परिषद् के पक्ष में नहीं थे; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन०सोम्) : (क) छावनी बोर्ड ने विभिन्न न्यायालायों में 95 मामले दायर किए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान छावनी किसी भी मामले में छावनी बोर्ड के विरुद्ध निर्णय नहीं हुआ है।

(ग) बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायिक मामलों पर निम्नलिखित राशि खर्च की है :–

1994-95	38,072/-रु०
1995-96	42,457/-रु०
1996-97	42,083/-रु०

महाराष्ट्र में परिवार कल्याण योजनाएं

4513. श्री कचरू भाऊ रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय लागू की जा रही परिवार कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं– ग्रामीण तथा शहरी परिवार कल्याण संबंधी आधारभूत ढांचे पर रख-रखाव; शिशु जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व; प्रशिक्षण संस्थाओं का रख-रखाव; नसबन्दी तथा गर्भ निरोधन के अन्य तरीके जिसमें गर्भ निरोधकों की सप्लाई भी शामिल है; सूचना, शिक्षा और संचार, तथा गैर सरकारी संगठनों को सहायता।

जर्मन सहायता से महाराष्ट्र के चार जिलों अर्थात् (I) रायगढ़, (ii) रत्नागिरी, (iii) सिन्धूदुर्ग तथा (iv) पुणे में 22 मई, 1996 से पांच वर्षों की अवधि के लिए एक परिवार स्वास्थ्य सहायता परियोजना और कार्यान्वित की जा रही है जिसका कुल परिव्यय 47.40 करोड़ रुपये है।

(ग) कार्यक्रम की उपलब्धियां अशोधित जन्म दर तथा शिशु मृत्यु दर में हुई निम्नलिखित कमी के आधार पर देखी जा सकती हैं:–

महाराष्ट्र

	1991	1992	1995
अशोधित जन्म दर	26.2	25.3	24.5
शिशु मृत्यु दर	60	59	55

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शिकायत प्रकोष्ठ

4514. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रकोष्ठ कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) चिकित्सा उपचार से संबन्धित शिकायतों का निपटान करने हेतु 25 मार्च, 1997 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक शिकायत निपटान सैल (स्वास्थ्य क्षेत्र) स्थापित किया गया है।

सैल द्वारा प्राप्त शिकायतें जांच पड़ताल और उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबन्धित प्राधिकारियों के समक्ष रखी जाती है।

आयुर्वेद और होम्योपैथी औषधालय

4515. श्री वी० प्रदीप देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिये सेवारत दिल्ली/नई दिल्ली स्थित आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी के के०स०स्वा०यो० औषधालयों के संबंध में क्षेत्र संबंधी पाबंदी हटाने हेतु संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ताकि इन चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाया जा सके और इन कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके क्योंकि ये बहुत कम हैं और दूर स्थानों पर हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है; और

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में के०स०स्वा०यो० के तहत ऐसे आयुर्वेद, होम्योपैथी की औषधालयों की संख्या कितनी है जिनमें केवल पुरूष या महिला चिकित्सक कार्यरत हैं जिसके फलस्वरूप स्त्री, पुरूष दोनों प्रकार के रोगी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं जो इन औषधालयों से उपचार नहीं करा सकते और क्षेत्र संबंधी पाबंदी इत्यादि के कारण अन्य औषधालयों में नहीं जा सकते ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत अधिक से अधिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुर्वेदिक/होम्यापैथिक और यूनानी औषधालयों/यूनिटों का क्षेत्र निर्धारण किया गया है।

(ग) आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक पद्धतियों के चिकित्सक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए हुए होते हैं जिसमें पुरूष/महिला अभ्यर्थी के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण कोटा नहीं होता तथा केन्द्रीय सरकार

स्वास्थ्य योजना में इन चिकित्सकों की तैनाती प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप की जाती है।

[हिन्दी]

मातृत्व लाभ योजना

4516. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना के लाभ अपेक्षित लाभार्थियों को पहुंचाने में कठिनाई आ रही है और खाता आदाता बैंक देने पर लाभार्थी को बैंक में खाता खोलना पड़ता है जिसके लिये 500 रुपये की राशि व्यय करनी पड़ती है और एक सामान्य अशिक्षित लाभार्थी इस प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को सरल बनाना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ भुगतान सामान्यतया वाणिज्यिक बैंक/डाकघर बचत बैंक खातों अथवा पोस्टल मनीआर्डर के माध्यम से किया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि लाभ भुगतान केवल पोस्टल मनीआर्डरों के जरिये ही किया जाए। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिन गर्भवती महिलाओं के लिए यह योजना है उन्हें अकारण कोई परेशानी न हो।

[अनुवाद]

सबों के लिये स्वास्थ्य

4517. श्री हरिन पाठक :
कुमारी ममता बनर्जी :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 2000 ई. तक सबों के लिये स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक नई स्वास्थ्य नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त लक्ष्य को पूर्णरूपेण प्राप्त करने की दृष्टि से इस नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) आन्तरिक स्रोतों से कितनी धनराशि जुटाई/आवंटित की जाएगी;

(ङ) क्या इस उद्देश्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी कोई सहायता मांगी जाएगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) 2000 ई० तक सबों के लिये स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश में अनुमानतः कितने उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (छ) वर्तमान नीति 1983 में अपनाई गई थी। पिछली उपलब्धियों की समीक्षा करने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की मौजूदा प्राथमिकताओं पर ध्यान देने का कार्य शुरू किया गया है।

रोगों की स्थानिकता, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा सामान्यतया सामाजिक-आर्थिक सूचकों पर निर्भर रहते हुए भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के स्तर में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता है। इसलिए गहन प्राथमिकताओं तथा धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्रत्येक राज्य धन संबंधी अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र को 920.20 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जिसमें से 400 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता प्राप्त होने की आशा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 में ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे के बारे में कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं सुझाए गये हैं। तथापि, 1991 की जनसंख्या के अनुसार उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक केन्द्रों की आवश्यकता इस प्रकार है :–

उप केन्द्र	1,34,108
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	22,349
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	5,587

नौवीं योजना के ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे संबंधी लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

क्षय रोग

4518. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य तथा केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन बिहार शरीफ जिला अस्पताल का क्षय रोग विभाग गत दो वर्षों से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) बिहारशरीफ जिला अस्पताल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय युवा नीति

4519. श्री दिनशा पटेल :
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कोई राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर०) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय युवा नीति की संरचना करने की पहल अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष अर्थात् 1985 में आरंभ की गई थी। सभी संबंधितों के साथ विस्तृत रूप से परामर्श करने के बाद, एक व्यापक राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की गई और उसे 1988 में संसद के समक्ष रखा गया था। युवा नीति में युवाओं को अधिकाधिक शिक्षित करने की व्यवस्था की गयी है जो उनके चहुँमुखी व्यक्तित्व के विकास के साथ-साथ उन्हें उपयुक्त व्यावसायिक तथा रोजगार संबंधी प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर सके ताकि वे रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। इस नीति में, युवाओं में आत्मनिर्भरता, सही ढंग से कार्य करने तथा अनुशासन के गुणों का विकास करने तथा हमारे संविधान और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता का संवर्धन करने का भरसक प्रयास किया गया है।

(ग) विभिन्न युवा कल्याण योजनाओं के लिए आबंटित कुल धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1995-96	6095.00 लाख रुपये (वास्तविक व्यय)
1996-97	6080.00 लाख रुपये (संशोधित अनुमान)
1997-98	7054.00 लाख रुपये (बजट अनुमान)

(घ) राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका में वृद्धि करने तथा उनकी प्रचुर ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में सरणिकृत करने के लिए, यह विभाग युवाओं के स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करने के अलावा, सामाजिक-आर्थिक विकासपरक प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करते हुए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, उनमें धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों की भावना जागृत की जाती है तथा उन्हें आर्थिक अवसरों तक पहुंच के योग्य बनाने एवं उनमें नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए उनको प्रशिक्षण देने और उनकी दक्षता का दर्जा बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

4520. श्री हंसराज अहीर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सड़कों और राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किये जाने हेतु कोई नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) क्या सरकार ने सन् 2001 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के विरुद्ध कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए नियत मानदंड इस प्रकार हैं :–

(I) ऐसी सड़कें जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है।

(II) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(III) राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली सड़कं।

(Iv) महापत्तनों, महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।

(v) अति महत्वपूर्ण सामरिक जरूरतों को पूरा करने वाली सड़कें।

(vi) ऐसी सड़कें जिनपर पर्याप्त दूरी तक यातायात की अधिक सघनता रहती हो, और

(vii) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा की दूरी काफी कम हो जाती हो जिसके फलस्वरूप पर्याप्त आर्थिक बचत होती हो।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय

4521. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कार्यालय कब तक खोल दिये जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंदौर देवास बाईपास

4522. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदौर-देवास बाई पास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इसके निर्माण में विलम्ब के कारणों के संबंध में जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (घ) इंदौर-देवास बाईपास सड़क के लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं तथा कार्य सौंपने के लिए कार्रवाई की जा रही है। विलम्ब के मुख्य कारण हैं—निर्माण पूर्व कार्य-कलापों जैसे परियोजना की तैयारी, डिजाइन की समीक्षा, भूमि अधिग्रहण और सेवाओं की शिफ्टिंग इत्यादि जैसे कार्य पूरे करने में विलम्ब।

[अनुवाद]

स्मारकों का जीर्णोद्धार

4523. श्री के०पी० सिंह देव :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, पाण्डव किला आदि के रखरखाव तथा उनके जीर्णोद्धार पर गत तीन वर्षों में कोई धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार तथा स्मारक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में स्थित उक्त ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और पाण्डव किले के अनुरक्षण तथा परिरक्षण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि के ब्यौरे निम्न रूप से दिए जाते हैं :—

(लाख रुपयों में)

	94-95	95-96	96-97
लालकिला	29.17	34.37	38.18
जामा मस्जिद	20.88	18.32	शून्य
कुतुब मीनार	10.29	15.22	12.50
पाण्डव किला	10.27	7.00	6.00

(ग) से (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली में स्थित विशेष कर लाल किला, जमा मस्जिद, कुतुब मीनार, पांडव किला सहित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार पुरातत्वीय मानदण्डों के आधार पर संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक परिरक्षण और पर्यावर्णीय विकास किया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

4524. श्री दत्ता मेघे : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार की मदद से चलने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता राशि प्रदान की गयी है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की गयी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) 30.9.1996 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय सहायता से 1695 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) चालू वर्ष के लिए महाराष्ट्र राज्य को 8325 करोड़ रुपये का प्लान परिव्यय स्वीकृत किया गया है। तथापि, प्राथमिक स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता को अभी अंतिम रूप नही दिया गया है।

(ग) और (घ) बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को 1996-97 में 9678 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई है जिसमें से 842 लाख रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में चार लेनों वाला एक्सप्रेस राजमार्ग

4525. श्री पी० कोंदडरमैय्या : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) चार लेनों वाले एक्सप्रेस राजमार्गों की राज्यवार लम्बाई कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 13 जो बंगलौर से चित्रदुर्ग तक जाते हैं को एक्सप्रेस मार्ग में बदलने का प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी इनकी क्या स्थिति है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लम्बाई

क्रम सं०	राज्य का नाम	कुल लम्बाई (कि०मी०)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2,888
2.	अरुणाचल प्रदेश	330
3.	असम	2,296
4.	बिहार	2,547
5.	चंडीगढ़	24
6.	दिल्ली	72
7.	गोवा	229
8.	गुजरात	1631
9.	हरियाणा	698
10.	हिमाचल प्रदेश	854
11.	जम्मू एवं कश्मीर	648
12.	कर्नाटक	1,996
13.	केरल	940
14.	मध्य प्रदेश	2,946
15.	महाराष्ट्र	2,918
16.	मणिपुर	431
17.	मेघालय	472
18.	मिजोरम	551
19.	नागालैंड	115
20.	उड़ीसा	1,649
21.	पांडिचेरी	23
22.	पंजाब	892
23.	राजस्थान	2,931
24.	सिक्किम	62
25.	तमिलनाडु	1,896
26.	त्रिपुरा	200
27.	उत्तर प्रदेश	2,733
28.	पश्चिम बंगाल	1,638
	जोड़ :	34,608

ऐतिहासिक गुफाओं के विडियो टेप

4526. श्री छीतूभाई गामीत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने हाल ही में भारत यात्रा पर आये जापानी दल को बौद्ध धर्म के विभिन्न केन्द्रों, बौद्ध गुफाओं, स्तम्भों तथा मठों के विडियों टेप दिखाए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (ग) जापान की एक टीम ने अभी हाल ही में गुजरात का दौरा किया। गुजरात सरकार ने गुजरात में बौद्ध स्थलों पर तैयार की गई विवरणिकाओं को जापान की टीम में बांटा जिन्होंने इस विषय में अत्यधिक रूचि दिखाई।

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला

4527. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक केन्द्रीय विद्यालयों में अपने आश्रितों को दाखिला दिलाने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को दाखिला दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार यदि रिक्त स्थान उपलब्ध हों, तो पूर्व सैनिकों के बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

4528. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-96 के दौरान उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और मरम्मत कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पर परियोजनावार कितना-कितना व्यय किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) वर्ष 1994-96 के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू किए गए सड़क और पुल निर्माण कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	कार्यों की संख्या	राशि (लाख रु०)
1994-95	31	14227.08
1995-96	24	11154.08

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों का रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है।

बाढ़ से हुई क्षति के लिए मरम्मत/विशेष मरम्मत के अनुमोदित प्राक्कलन इस प्रकार हैं :–

वर्ष	कार्यों की संख्या	राशि (लाख रु०)
1994-95	29	182.08
1995-96	28	288.16

(ख) राज्य के लिए निधियां समग्र रूप में जारी की जाती हैं न कि परियोजना वार। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख-रखाव और मरम्मत के लिए निम्नलिखित निधियां आबंटित की गई :

वर्ष	विकास कार्य	रख-रखाव एवं मरम्मत
	लाख रु०	
1994-95	6264.00	2065.00
1995-96	7670.00	2529.94

[अनुवाद]

खेल संस्थान

4529. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार स्थापित खेल संस्थानों की संख्या कितनी है।

(ख) क्या सरकार कें अनियमितताओं, प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव और निधियों की कमी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार खेल संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने हेतु देश में खेल संस्थानों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन) : (क) भारत सरकार ने पंजाब में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान नामक केवल एक खेल संस्था की स्थापना की है जो पटियाला में स्थित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सैनिक विद्यालय

4530. श्री सोहनवीर सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम क्या है जहां के सर्वाधिक लोग भारतीय सेना में सेवारत हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इस जिले के बच्चों को सुविधा प्रदान करने हेतु जिले में सैनिक विद्यालय स्थापित करने की कोई विशेष योजना है; और

(ग) यदि हां, तो वहां कब तक सैनिक विद्यालय खोले जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) उत्तर प्रदेश में, जहां तक भारतीय वायुसेना का संबंध है, अधिकतम वायुसैनिक कानपुर जिले से हैं। भारतीय सेना जिलावार रिकार्ड नही रख रही है। नौसेना के संबंध में, अधिकतम नाविक गाजीपुर जिले से हैं।

(ख) सैनिक स्कूल योजना के तहत कोई नया सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाता है जिसमें राज्य सरकार को यह वचनबद्धता देनी होती है कि वह इस योजना के तहत निर्धारित सभी आधारभूत सुविधाएं तथा भूमि उपलब्ध कराएगी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैनिक स्कूल सोसाइटी को इस राज्य में नया सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा सुविधा

4531. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार के अन्तर्गत कार्य कर रहे मुख्य अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले रोगियों में से अनेक रोगियों को बाल्व बदलने, अल्ट्रासाऊंड टैरट, सी०टी० स्कैनिंग इत्यादि के लिए बार-बार बुलाया जाता है तथा उन्हें आगे की तिथि पुनः आने के लिए दे दी जाती है, जिसके कारण रोगी की स्थिति बदतर होती जाती है और कई बार रोगी की मृत्यु भी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या ऐसे रोगियों में अधिकतम संख्या बिहार से आने वाले रोगियों की होती है क्योंकि वहां पर हृदय रोगों के उपचार के लिए कोई अच्छा अस्पताल नहीं है तथा उन में से अधिकतर गरीब वर्ग के हैं जो कि बार-बार उपचार के लिए दिल्ली नहीं आ सकते है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि केवल अल्ट्रा साउंड, सी०टी० स्कैन आदि जैसी कुछ विशिष्ट जांचों के लिए बहिरंग रोगी विभाग के रोगियों को तारीखें दी जाती हैं और उन तारीखों को जांचें की जाती हैं और दोबारा तारीखें कभी-कभार दी जाती हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्व आधारभूत सुविधा मंच सम्मेलन

4532. श्री मोहन रावले : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अक्तूबर, 1996 में विश्व आधारभूत सुविधा मंच सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सम्मेलन में कौन-कौन सी सिफारिशें/टिपणियां की गई;

(घ) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस सम्मेलन पर कितना खर्च हुआ; और

(च) आधारभूत सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में देश को इस सम्मेलन से क्या लाभ हुआ है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फोरम – एशिया 1996 मैसर्स डेवलपमेंट फोरम एडमिनिस्ट्रेटर प्रा० लि० सिंगापुर द्वारा आयोजित किया गया था। भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने इस आयोजन की मेजबानी की थी।

(ख) यू०एन०-एस्केप मंत्रालीय सम्मेलन के साथ-साथ वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फोरम एशिया 1996 का विचार यू०एन०-एस्केप द्वारा अप्रैल, 1995 में बैंकाक में आयोजित इसके 51 वें वार्षिक सत्र में शामिल किया गया था। उक्त सत्र में इन दोनों सम्मेलनों की नई दिल्ली में मेजबानी करने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई पेशकश को आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इन दोनों बैठकों को एक साथ आयोजित करने का एक मुख्य लाभ यह था कि मंत्री ऐसे प्रश्न का उत्तर दे सकते थे जो निजी क्षेत्र की नीति से संबंधित था जिसके द्वारा अवसंरचनात्मक विकास में सक्रिय सहभागिता के लिए निजी क्षेत्र के लिए अधिक मैत्रीपूर्ण वातावरण उत्पन्न हुआ। 51 वें सत्र में भाग लेने के पश्चात् वाणिज्य मंत्रालय ने इस मंत्रालय को यह दोनों आयोजन नई दिल्ली में करने का प्रस्ताव किया। डब्ल्यू आई एफ भाग का आयोजन 30-31 अक्तूबर, 1996 को किया गया था। डब्ल्यू आई एफ-एशिया का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना था जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को इकट्ठा किया जा सके और ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके जिनसे एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में अवसंरचना विकास में निजी निवेश की गति प्रभावित होती है। इसमें विभिन्न सरकारों, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों, बहुपक्षीय एजेंसियों (यू०एन० एस्केप सहित) और अवसंरचना क्षेत्र के परामर्शदाताओं ने भाग लिया। डब्ल्यू आई एफ खंड में भाग लेने के लिए समस्त विश्व के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों को यू०एन०–एस्केप और भारत सरकार ने आमंत्रित किया था।

(ग) डब्ल्यू आई एफ एशिया, 1996 से संबंधित रिपोर्ट यू०एन० एस्केप के माध्यम से विकास मंच प्रशासक, सिंगापुर से अभी प्राप्त होनी है।

(घ) भारत सरकार उक्त रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात् ही इसपर कोई प्रतिक्रिया कर सकेगी।

(ङ) डब्ल्यू आई एफ-एशिया, 1996 के लिए कोई अलग निधियां निर्धारित नहीं की गई थी। इस आयोजन से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और अवसंरचना क्षेत्र के लिए उत्तरदायी एस्केप सदस्य देशों के मंत्रियों की बैठक भी 23-29 अक्तूबर, 1996 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इन तीनों आयोजनों के लिए यू०एन०-एस्केप और ई ओ आई बैंकाक, के परामर्श से गत वित्त वर्ष के कुल 3.00 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया था।

(च) देश के विकास के लिए अवसंरचना मूल आवश्यकता है। डब्ल्यू आई एफ-एशिया, 1996 ने ऐसे व्यावहारिक संसाधनों का पता लगाने का प्रयास किया जिनसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच अंतरों को कम किया जा सकता है ताकि मूल अवसंरचना में निजी निवेश की गति वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। इस बैठक में विभिन्न अवसंरचना मंत्रालयों में अपनी निजीकरण नीति, देश में सामान्य उदारीकृत परिदृश्य और विदेशी निवेश के लिए उपलब्ध विशिष्ट क्षेत्रों/परियोजनाओं को प्रस्तुत किया। भारतीय कम्पनी क्षेत्र तकनीकी ज्ञान, सहयोग, संयुक्त उद्यम आदि के लिए इन विदेशी कम्पनियों के साथ गठ-बंधन कर सकता है।

भारतीय वायुसेना के विमान को आपात स्थिति में उतारना

4533. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 3 अप्रैल, 1997 को जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री को ले जा रहे भारतीय वायुसेना के विमान को पंजाब के लुधियाना में आपात स्थिति में उतारना पड़ा था;

(ख) क्या आपात स्थिति में विमान को उतारने के कारणों के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तकनीकी जांचों से पता चला है कि दो फायर डिटेक्शन एलिमेंटों के कनेक्टरों में नमी आ जाने के कारण उड़ाने के दौरान अप्रकृत फायर वार्निंग लाइट देखी गई थी।

"कपार्ट"

4534. श्री पी०वी० राजेश्वर राव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कापार्ट" द्वारा आन्ध्र प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो संगठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "कापार्ट" को आन्ध्र प्रदेश के अन्य स्वयंसेवी संगठनों के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) कपार्ट ने शुरू से लेकर 31.3.97 तक आंध्र प्रदेश के लगभग 700 स्वैच्छिक संगठनों की 1800 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं के लिए कपार्ट द्वारा स्वीकृत राशि लगभग 49 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, हां।

(घ) पहले ही मंजूर की जा चुकी परियोजनाओं के अतिरिक्त, कपार्ट को वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए आंध्र प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों से लगभग 1400 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये परियोजना प्रस्ताव कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं।

पेय जल की कमी

4535. श्री अय्यन्ना पटरूघु : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के निजामाबाद तथा विशाखापत्तनम जिलों की जनजातीय बस्तियों में पेय जल की अत्यधिक कमी है, और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में विशेषकर इस क्षेत्र के जनजातीय लोगों को तथा देश के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति करने हेतु बंद पड़े नलकूपो तथा जल के अन्य स्रोतों की मरम्मत किए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार से इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा के मंडई में रहस्यमय विमान

4536. श्री सुधीर गिरि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अप्रैल, 1997 की रात्रि में त्रिपुरा के मंडई में एक रहस्यमय विमान देखा गया था;

(ख) यदि हां, तो यह विमान कहां से उड़ान भरकर आया था; और

(ग) उक्त विमान को नहीं रोक पाने के क्या कारण थे ?

रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ग) मण्डई स्थित सेना यूनिट ने 19 अप्रैल की रात्रि में और पुनः 20 अप्रैल, 1997 की सुबह त्रिपुरा में मण्डई के ऊपर एक वायुयान देखा जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी। यद्यपि वह वायुयान किस देश का था इसकी पहचान करना संभव नहीं हो पाया है तथापि बाद की जाँचों से पता चला है कि संभवतः वह वायुयान मध्यम आकार और धूसर रंग का था और उस पर कोई निशान नहीं थे। यद्यपि इस प्रकार की घटनाओं का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए सीमा क्षेत्रों में उपयुक्त सतर्कता बरती जाती है तथापि पहाड़ी क्षेत्र और घने पेड़-पौधे होने के कारण इस क्षेत्र में नीची उड़ान भरने वाले वायुयानों का पता लगाने में कुछ अंतर्निहित सीमाएं है।

जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

4537. श्री शिवाजी विठ्ठल राव काम्बले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को कैंसर की रोकथाम तथा इसके समय पर पता लगाने के लिए "जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम" परियोजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा किन-किन कैंसर संस्थानों/अस्पतालों को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सहायता प्रदान की गई; और

(ग) देश के विभिन्न कैंसर संस्थानों को सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) जी, हां। यह कार्यक्रम जिला तथा उप-जिला स्तर के अस्पतालों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

मौजूदा योजना के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें जिलों की पहचान करती हैं तथा भारत सरकार को इनके बारे में विशिष्ट सिफारिशों सहित सूचना भेजती हैं। सिफारिश की गई जिला परियोजनाओं को ऐसे क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों/सरकारी मेडिकल कालेजों के साथ जोड़ा जाना होता है जिनके पास कैंसर के उपचार के लिए अच्छा आधारभूत ढांचा हो।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने जिन जिलों को सहायता उपलब्ध की है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान

वर्ष 1994-95

1. वैस्ट त्रिपुरा और नार्थ जिला, त्रिपुरा
2. इटावा और आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश
3. कोट्टायम और पदनयथिट्टा जिला केरल
4. कटक जिला, उड़ीसा

वर्ष 1995-96

1. त्रिवैल्लुवेली जिला, तमिलनाडु
2. राजयगढ़ जिला, महाराष्ट्र
3. महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश
4. पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
5. मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश
6. वाराणसी जिला, उत्तर प्रदेश

वर्ष 1996-97

1. जिला परियोजना इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
2. भड़ौच, खेड़ा, पंचमहल और बनासकांठा जिला, गुजरात
3. जगतसिंह पुर और खुर्दा जिला, उड़ीसा

ठेका दिया जाना

4538. श्री जय प्रकाश (हरदोई) :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री श्रमिकों को रोजगार के बारे में 26 फरवरी, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 838 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के ध्यान में इस प्रकार के कितने मामले आए हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा जवाहर रोजगार योजना तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ठेके दिए गए थे;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार रोजगार के मामले में जवाहर रोजगार योजना तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) ऐसा कोई भी मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है; जिसमें विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों एवं संघराज्य क्षेत्रों द्वारा जवाहर रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य ठेके पर दे दिए गए थे।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी रोजगार एवं स्वरोजगार से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के वर्षवार, राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित रोजगार

(लाख श्रमदिन)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित श्रमदिन		सृजित किए जाने वाले श्रमदिन (लक्ष्य)	
		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	812.25	701.57	186.85	417.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.58	8.24	1.76	4.94
3.	असम	263.29	179.08	67.58	110.36
4.	बिहार	986.88	1197.03	354.71	546.64

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	6.45	8.38	4.95	3.32
6.	गुजरात	258.48	209.42	87.68	121.95
7.	हरियाणा	33.96	33.50	10.58	17.57
8.	हिमाचल प्रदेश	28.87	21.45	8.38	8.52
9.	जम्मू व कश्मीर	88.04	48.23	23.20	52.81
10.	कर्नाटक	499.67	524.89	178.74	285.74
11.	केरल	101.01	127.75	37.92	66.74
12.	मध्य प्रदेश	1075.25	759.46	217.21	497.18
13.	महाराष्ट्र	1100.73	1014.47	300.39	524.38
14.	मणीपुर	7.16	9.34	3.01	3.15
15.	मेघालय	8.50	4.86	5.06	4.87
16.	मिजोरम	5.72	5.20	1.89	2.56
17.	नागालैंड	8.47	5.76	4.18	7.30
18.	उड़ीसा	604.51	678.31	258.84	359.02
19.	पंजाब	24.36	6.44	1.89	17.45
20.	राजस्थान	545.58	361.72	125.66	182.03
21.	सिक्किम	7.03	9.27	2.57	1.66
22.	तमिलनाडु	1027.66	1069.75	352.64	454.64
23.	त्रिपुरा	29.02	18.43	14.85	7.09
24.	उत्तर प्रदेश	1395.94	1532.46	550.82	561.71
25.	पश्चिम बंगाल	580.82	414.75	144.29	247.89
26.	अ०नि०द्वीप समूह	2.59	2.59	0.50	1.40
27.	दादर व नगर हवेली	2.07	0.64	0.67	0.73
28.	दमन व द्वीव	0.55	1.11	0.44	0.96
29.	लक्षद्वीप	1.91	1.05	0.57	0.90
30.	पांडिचेरी	4.72	3.10	2.20	1.95
	योग :	9517.07	8958.25	2948.03	4512.97

x — गहन जवाहर रोजगार योजना भी शामिल है।

xx — फरवरी, 1997 तक।

@ — अनंतिम।

विवरण-II

1994-95 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95 उपलब्धि	1995-96 उपलब्धि	1996-97x उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	159908	122863	107539
2.	अरुणाचल प्रदेश	18764	14381	5776
3.	असम	62584	59030	18312
4.	बिहार	224736	265525	101016
5.	गोवा	2192	1486	902
6.	गुजरात	72418	55686	38121
7.	हरियाणा	28285	29771	13566
8.	हिमाचल प्रदेश	7355	6606	5938
9.	जम्मू व कश्मीर	13545	13189	7020
10.	कर्नाटक	125810	119685	70188
11.	केरल	46294	43357	35498
12.	मध्य प्रदेश	210629	210692	86444
13.	महाराष्ट्र	196677	181597	103414
14.	मणीपुर	7658	6077	3684
15.	मेघालय	6020	1534	3844
16.	मिजोरम	3345	5085	1360
17.	नागालैंड	2251	2531	2915
18.	उड़ीसा	139837	120669	51655
19.	पंजाब	22701	11786	5005
20.	राजस्थान	107799	92818	41231
21.	सिक्किम	1281	2843	1106
22.	तमिलनाडु	201221	183895	74597
23.	त्रिपुरा	21818	14657	2953
24.	उत्तर प्रदेश	309725	355916	281950
25.	पश्चिम बंगाल	159722	161724	76291
26.	अ०नि०द्वीप समूह	1126	832	189
27.	दादर व नगर हवेली	302	274	28
28.	दमन व द्वीव	97	310	178
29.	लक्षद्वीप	100	18	27
30.	पांडिचेरी	1221	1563	866
	अखिल भारत :	2215421	2089400	1199613

x जनवरी, 1997 तक।

विश्वविद्यालयों के कोचिंग क्लास

4539. कुमारी ममता बनर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने योग्य बनाने के लिए समन्वय और कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने हेतु कुछ विश्वविद्यालयों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं; और

(ग) विश्वविद्यालयवार कितने छात्रों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हां। अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग कक्षायों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना को कार्यान्वित करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों की सूची।

1. डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा-282004 (उ०प्र०)
2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202001 (उ०प्र०)
3. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211001 (उ०प्र०)
4. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर-560056 (कर्नाटक)
5. बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म०प्र०)

6. कालीकट विश्वविद्यालय,
कालीकट-673635 (केरल)

7. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इंदौर-452001 (म०प्र०)

8. गोवाहटी विश्वविद्यालय,
गोवाहटी-781614 (असम)

9. गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर (उ०प्र०)

10. जामिया मिलिया इस्लामिया,
नई दिल्ली-110025

11. जम्मू विश्वविद्यालय,
जम्मू (जम्मू व कश्मीर)

12. काकात्यि विश्वविद्यालय,
वारांगल-560009 (आंध्र प्रदेश)

13. कश्मीर विश्वविद्यालय,
श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर) 190006

14. एल०एन० मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा (बिहार)

15. लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ-226007 (उ०प्र०)

16. नागपुर विश्वविद्यालय,
नागपुर (महाराष्ट्र)

17. उस्मानिया विश्वविद्यालय,
हैदराबाद-570007 (आ०प्र०)

18. पटना विश्वविद्यालय,
पटना-800003 (बिहार)

19. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय,
सूरत-395007 (गुजरात)

20. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा) 124001

21. बम्बई विश्वविद्यालय,
मुम्बई-400032

22. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ (उ०प्र०)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

4540. श्री सुरेश प्रभु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो आशय तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों के संबंध में राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 1997-98 के दौरान दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र तथा विषय में विस्तार हेतु कोई नयी पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (च) दूरस्थ शिक्षा का कोई कार्यक्रम नहीं है। "दूरस्थ शिक्षा" का तात्पर्य विशेषकर उच्च शिक्षा प्रदान करने की ऐसी विधि तथा प्रणाली से है जिसमें नियमित कक्षाओं में शिक्षण नहीं होता है। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया है, जबकि सात, राज्यों ने अपने मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किये हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को देश में तृतीय स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति की प्रौन्नति करने तथा पद्धति में स्तरों का निर्धारण तथा समन्वय करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। यह अविदेश दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डी ई सी) के माध्यम से जारी किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में स्थित एक मुक्त विश्वविद्यालय सहित निम्नलिखित राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई है :

(i)	यशवंत राव च्वहाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक, महाराष्ट्र	120.45 लाख रुपये
(ii)	कोटा मुक्त विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान	138.38 लाख रुपये
(iii)	डा० बी०आर० अम्बेदकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	: 123.00 लाख रुपये

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय गुणात्मक शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार करके तथा इन्हें विकसित करके तथा देश में सभी मुक्त विश्वविद्यालयों के नेटवर्क द्वारा अपने क्रियाकलापों को निरंतर बढ़ा रहा है। चूंकि तृतीय स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा का विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है, इसलिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव का आलोचनात्मक पुनरीक्षण करना अभी बहुत जल्दी होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

4541. श्री अशोक प्रधान : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उत्तर प्रदेश को विशेषकर उसके गाजियाबाद तथा बुलन्दशहर जिलों के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या उक्त जिलों के अधिकारियों ने धनराशि प्राप्त की है;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान फर्जी नामों से धनराशि निकाले जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है अथवा करवाने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को मिलाकर बनाया गया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 अगस्त, 1995 से चलाया गया।

(ख) राज्य और गाजियाबाद और बुलन्दशहर जिलों को रिलीज की गई निधियाँ इस प्रकार हैं :–

(रु० लाख में)

योजना का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान रिलीज निधियां		
	1995-96	1996-97	कुल
1	2	3	4
राज्य : उत्तर प्रदेश			
1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	5727.83	9019.54	1474.37
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	3147.28	2221.30	5368.58
3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	1777.92	2416.16	4194.08
	10653.03	13657.00	24310.03
जिला : गाजियाबाद			
1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	111.37	187.54	298.91
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	56.33	37.18	93.51
3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	34.85	56.16	91.01
	202.55	280.88	483.43
जिला : बुलन्दशहर			
1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	117.36	198.12	315.48
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	56.33	74.27	130.60
3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	36.36	29.53	65.89
	210.05	301.92	511.97

(ग) अब तक रिलीज की गई निधियों में से दो जिलो द्वारा सूचित खर्च नीचे दर्शाया गया हैं :–

(रु० लाख में)

क्र० सं०	जिले का नाम	1995-96 रिलीज	के दौरान सूचित खर्च	1996-97 रिलीज	के दौरान सूचित खर्च
1.	गाजियाबाद	202.55	124.39	280.88	142.83
2.	बुलन्दशहर	210.05	124.53	301.92	188.81

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) चूँकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की निधियों को अन्य कार्यक्रमों में लगाने का कोई मामला विभाग की नजर में नहीं आया है इसलिए इस संबंध में कोई जांच करना आवश्यक नही समझा गया है।

[अनुवाद]

योजनाओं का पुस्तिका रूप में संकलन

4542. श्री ई० अहमद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं को पुस्तकाकार में संकलित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के लाभ के लिये शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं को पुस्तिका रूप में संकलित करने पर विचार करेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के चार संघटक विभागों में से, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग और महिला तथा बाल विकास विभाग ने अपनी-अपनी उन मुख्य योजनाओं को पुस्तक के रूप में संकलित किया है जो गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग अपनी योजनाओं में से कुछ की समीक्षा कर रहा है। इस समीक्षा के पूरा होने पर किसी संकलन के प्रकाशन पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

रक्षा भूमि को पट्टे पर देना

4543. श्री के०डी० सुल्तानपुरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी रक्षा भूमि पट्टे पर दी गई है और कितने लोगों को यह भूमि दी गई है;

(ख) पट्टे देने के क्या मापदण्ड है तथा मंत्रालय को इससे कितना लाभ हो रहा है; और

(ग) कितने लोगों द्वारा पट्टे-नियमों का उल्लंघन किया गया है तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भूमि उपलब्ध होने पर छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कृषि, भवन निर्माण और शैक्षणिक उद्देश्य इत्यादि के लिए पट्टे मंजूर किए जाते हैं। पट्टों पर यथानिर्धारित किराया और प्रोमियम लिया जाता है। अर्जित राजस्व का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है तथा इन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला कोष

4544. श्री सनत मेहता : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने महिला संगठनों को राष्ट्रीय महिला कोष से सहायाता दी गई;

(ख) इन संगठनों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संगठनवार कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ग) प्रतिवर्ष कितने लोग लाभान्वित हुए ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि

4545. श्री टी० गोपाल कृष्ण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार के पास खर्च न की गई धनराशि उपलब्ध है; और

(ग) सरकार, कल्याण कार्यक्रमों की किस प्रकार निगरानी कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) और (ख) महिलाओं और बच्चों के विकास के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न स्कीमों हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को गत दो वर्षों के दौरान आवंटित राशि से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रबोधन वैयक्तिक दौरो, आवधिक रिर्पोटों के प्रबोधन और विश्लेषण, राज्यों में प्रबन्ध सूचना तंत्र समन्वय कक्षों, व्यय विवरणों तथा समीक्षा बैठको/मिशनों के जरिये किया जाता है।

विवरण

स्कीम का नाम	वर्ष	आवंटित राशि	बची हुई राशि	टिप्पणी (रु० लाखों में)
1	2	3	4	5
इन्दिरा महिला योजना	1995-96	85.40	कुछ नहीं	
	1996-97	—	—	

1	2	3	4	5
समेकित बाल विकास सेवा	1995-96	2858.76	कूछ नहीं	
	1996-97	2950.58	432.11	
आंगनवाडी प्रशिक्षण कार्यक्रम	1995-96	40.00	—	बची हुई राशि की सूचना राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गयी
	1996-97	116.86	कुछ नहीं	यथोपरि
विश्व बैंक सहायता प्राप्त	1995-96	2300.00	—	
आई०सी०डी०एस०	1996-97	3107.00	621.00	(31.3.97 की स्थिति के अनुसार)

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को चौड़ा करना

4546. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 जो बेगूसराय जिला मुख्यालय से गुजरती है को चौड़ा करने का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है जब कि इस उद्देश्य के लिए अनुमानित धनराशि स्वीकृत कर दी गई है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की बलिया-साहिबपुर कमाल के बीच जहां सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है वहां की कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) बेगूसराय जिला मुख्यालय से गुजरने वाले रा०रा० 31 को चौड़ा करने का कार्य निविदा स्तर पर हैं बिहार में रा०रा० 31 के बलिया साहिबपुर कमाल खंड में मरम्मत कार्य में डामर की अनुपलब्धता के कारण विलम्ब हुआ किन्तु अब यह कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

गैर-रक्षा उद्देश्यों के लिये रक्षा भूमि

4547. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में सेना की इकाइयों द्वारा रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली भूमि का अनाधिकृत रूप से गैर रक्षा उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा भूमि के ऐसे दुरुपयोग को रोकने और ऐसी समस्त भूमि को खाली करवाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार देश में रक्षा भूमि के गैर कानूनी कब्जे से भी अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो कितने मामले सामने आये हैं और अनाधिकृत कब्जे की भूमि को खाली करवाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) जी, हां। सेना द्वारा रक्षा भूमि का अनधिकृत रूप से इस्तेमाल किए जाने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं। सेना मुख्यालय को उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ 21.52 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से 6,903 एकड़ पर अतिक्रमण किया हुआ है। सारी रक्षा भूमि को छावनी भूमि प्रशासन नियमावली, 1937 तथा भारत में सैन्य भूमि का अर्जन, अभिरक्षा और त्याग संबंधी नियमावली, 1944 में निर्धारित किए गए अनुसार विशिष्ट प्राधिकारियों के प्रबंधन और अभिरक्षी दायित्व और संरक्षण में रखा जाता है। सभी प्राधिकारियों को विस्तृत अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए अतिक्रमणों पर नजर रखकर उनका पता लगाया जाए और उन्हें रोका जाए तथा छावनी अधिनियम, 1924 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अधीन मौजूदा अतिक्रमणों को हटाया जाए।

[हिन्दी]

अस्पताल तथा औषधालय

4548. श्री पंकज चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने अस्पताल तथा औषधालय खोले गए;

(ख) इन अस्पतालों तथा औषधालयों को खोलने पर कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या राज्य में विश्व बैंक की सहायता से भी अस्पताल तथा औषधालय खोले गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता से उत्तर प्रदेश में कोई अस्पताल या औषधालय स्थापित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सशस्त्र बल न्यायालय तथा मार्शल न्यायाधिकरण की स्थापना

4549. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सशस्त्र बल न्यायालय/मार्शल न्यायाधिकरण और प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त न्यायाधिकरण कब से कार्य करना शुरू कर देंगे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ग) सरकार ने सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए प्रशासनिक और कोर्ट मार्शल अधिकरण स्थापित किए जाने के वास्ते सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी दे दी है। प्रशासनिक और कोर्ट मार्शल अधिकरण उसे कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग करेगा। तथापि, यह उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक और कानूनी अधिकार क्षेत्र में होगा। इस अधिकरण की स्थापना के लिए सरकार ने समय सीमा निश्चित नहीं की है।

[हिन्दी]

बरेली से जबलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा बनाना

4550. श्री शिवराज सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का अब्दुल्लागंज से जबलपुर खंड (मध्य प्रदेश) अत्यंत टूटी-फूटी हालत में है;

(ख) क्या बरेली से जबलपुर के बीच एकल सड़क होने के कारण बारिश के दौरान गाड़िया फंस जाती है;

(ग) सरकार ने इस राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए कुल कितना धन आबंटित किया है;

(घ) यह काम कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों को, जिसमें रा०रा०-12 भी शामिल है, उपलब्ध संसाधनों के तहत आवधिक रख-रखाव के जरिए यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) से (ङ) आठवीं योजना में रा०रा०-12 को चौड़ा किए जाने से संबंधित चार कार्यों के लिए 6.69 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गई थी। इन चार कार्यों में से दो कार्य 3/98 तक पूरे किए जाने हैं और शेष 3/99 तक, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

बांधों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

4551. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान बांध निर्माण के विषय में सरकार द्वारा की गई नीति संबंधी नई पहल/विचाराधीन पहल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक के ऑपरेशन इवैल्यूशन डिपार्टमेंट ने 50 बड़े बांधों के कार्यकरण की समीक्षा की है और सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) महाराष्ट्र से प्राप्त विचाराधीन प्रमुख प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1996-97 के दौरान बांधों के निर्माण के बारे में कोई नीति संबंधी पहल नहीं की गई है या विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) विश्व बैंक के प्रचालन मूल्यांकन विभाग (ओ०ई०डी०) ने 50 वृहत् बांधों के कार्यनिष्पादन को समीक्षा करके सितम्बर, 1996 में रिपोर्ट तैयार की। यह सम्पूर्ण रूप में वृहत् बांधों की सहायता करने में बैंक की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए एक इक्स समीक्षा थी जो भारत सहित विभिन्न देशों में आरंभ की गई है। चूँकि यह विश्व बैंक की आंतरिक खपत के लिए थी, अतः इसकी प्रतियां सरकार को नहीं दी गई। तथापि यह समीक्षा दर्शाती है कि सामान्यत बाढ़ों को नियंत्रित करने, शहरी जनता को जल देने और औद्योगिक विकास के लिए और फसल पद्धति सघनता एवं मुख्य खाद्य फसलों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में वृहत् बांधों ने योगदान दिया है। अधिकतर मामलों में लाभ पर्याप्त पुनर्वास कार्यक्रमों, पर्यावरणीय सुरक्षापायों और अन्य निम्नीकरण उपायों सहित लागतों से अधिक है।

(घ) जहां तक महाराष्ट्र से प्रस्तावों का संबंध है 12 सिंचाई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी जांच केन्द्रीय जल आयोग ने तकनीकी स्वीकृति के लिए पहले ही कर ली है और राज्य सरकार को टिप्पणियों सहित सूचित कर दिया गया है।

सरदार सरोवर परियोजना

4552. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में व्यापक स्तर पर सर्वदलीय प्रदर्शन तथा आन्दोलन की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वस्तुतः उनकी मांग क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्र को सरदार सरोवर परियोजना पर 5,000 करोड़ रुपए के निवेश पर ब्याज के रूप में 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन की हानि हो रही है जबकि इस पर कार्य रूका हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के निवेश पर ब्याज के रूप में संचित हानि क्या है तथा जल तथा विद्युत आपूर्ति के रूप में अन्य हानि क्या हुई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार सरोवर बांध के स्पिलवे भाग की मौजूदा 81.5 मीटर की प्रभावी ऊँचाई के ऊपर और निर्माण को शीघ्र पुनः आरंभ कराने की मांग की गई है। तथापि, यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) इस प्रकार का मूल्याकंन नहीं किया गया है।

कर्नाटक में विश्व बैंक परियोजना

4553. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में सड़कों के विकास और उनमें सुधार करने के लिये 900 करोड़ रु० की विश्व बैंक परियोजना का प्रस्ताव भेजा है और इसके लिये विश्व बैंक की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना को सहायतार्थ विश्व बैंक के समक्ष रखा गया था;

(ग) इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत लिये जाने वाले जिलों के नाम क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा अवस्थिति विकल्प अध्ययन किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में पत्तनों पर पत्तन सुविधाएं

4554. श्री संदीपान थोरात : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में पत्तनों पर सूचना सुविधाओं के विकास उन्हें सशक्त बनाने और उन्नत करने के लिए योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा दीजिये;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पत्तनों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उन्नत और सशक्त बनाने पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 31 मार्च 1997 तक क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के लिए विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र में परियोजनाओं के लिये प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। महाराष्ट्र में मुम्बई और जवाहर लाल नेहरू महापत्तनों में निम्नलिखित पत्तन सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है :–

मुम्बई पत्तन

(I) सबमरीन पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन और जवाहर द्वीप मुम्बई में जेट्टी सं० 1, 2 और 3 का आधुनिकीकरण।

(II) नए पीर पाऊ पीयर से दूर द्वितीय तरल रसायन/विशेष ग्रेड पी०ओ०एल० बर्थ का निर्माण।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन :

(I) दो बर्थ वाले एक नए कन्टेनर टर्मिनल का निर्माण।

(II) तरल कार्गो बर्थ।

(III) मरीन केमीकल टर्मिनल।

(ग) महाराष्ट्र में महापत्तनों द्वारा किए गए खर्च के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

पत्तन का नाम	किया गया खर्च (करोड़ रु०)		
	1994-95	1995-96	1996-97
(I) मुम्बई	46.57	42.53	89.95
(II) जवाहर लाल नेहरू	25.12	40.19	49.88

आठवीं योजना में दो बड़ी परियोजनाएं अर्थात् मुम्बई पत्तन में पीरपाऊ तेल पीयर का प्रतिस्थापन और जवाहर लाल नेहरू पत्तन में सर्विस बर्थ तक पहुंच पुल को चालू कर दिया गया है।

(घ) जवाहर द्वीप मुम्बई में जेट्टी सं० 1, 2 और 3 के आधुनिकीकरण की मुख्य परियोजना के लिए सरकार के अनुमोदन की

प्रतीक्षा है। इस परियोजना को सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ङ) मुम्बई और जवाहर लाल नेहरू के लिए वार्षिक योजना 1997-98 में क्रमशः 156.24 करोड़ रु० और 94.86 करोड़ रु० का परिव्यय प्रदान किया गया है।

गोवा में पुल

4555. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में शिरोडा और मांडवी पुल कब निर्मित किए गए;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन पुलों के निर्माण के लिए पृथक-पृथक कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ग) राज्य सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक पुल हेतु आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि वापस लौटायी गई;

(घ) इन पुलों पर चुंगी की वसूली कब से बंद कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकार से बकाया राशि की वसूली किस तरह से किये जाने का है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) सिरीदाओ पुल जून, 1989 में यातायात के लिए खोला गया था। मांडवी नदी पर दो पुल हैं, अर्थात् नया मांडवी और पुराना मांडवी पुल, जो क्रमशः जुलाई, 1992 और अप्रैल, 1993 में यातायात के लिए खोले गए थे।

(ख) सिरीदाओ पुल को पूरा करने पर 66.63 लाख रु०, नए मांडवी पुल को पूरा करने पर 18.18 करोड़ रु० और पुराने मांडवी पुल को पूरा करने पर 11.75 करोड़ रु० लागत आई।

(ग) सिरीदाओ पुल पर पथकर वसूली नहीं की गई। 3/95 से 12/95 के दौरान दोनों मांडवी पुलों पर कुल 78,15,500 रु० वसूल हुए। शेष राशि अभी वसूल करनी है।

(घ) और (ङ) गोवा राज्य सरकार की हिदायतों के अनुसार जनवरी, 1996 से नए और पुराने मांडवी पुलों पर पथकर वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी गई थी। लेकिन, अब राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार को पुनः पथकर वसूलने की सलाह दी गई है।

लद्दाख के स्काउटों का उन्नयन

4556. श्री पी० नामग्याल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के स्काउटों को रेजीमेंट का पूर्ण दर्जा प्रदान किए जाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एकक के उन्नयन की लद्दाख की जनता की मांगों पर इस एकक द्वारा 1947-48, 1962, 1965 और 1971-72 के दौरान देश की सीमा की रक्षा में की गई सेवाओं के संदर्भ में विचार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक हो जाएगा और नहीं तो इसके कारण क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ग) स्वतंत्रता प्राप्ति से ही सरकार की यह नीति रही है कि किसी एक विशेष श्रेणी, वर्ग, सम्प्रदाय, धर्म, क्षेत्र अथवा राज्य के आधार पर कोई नई रेजीमेंट खड़ी नहीं की जाती है। सरकार की इस नीति को ध्यान में रखते हुए, एक पूर्ण रेजीमंट के रूप में लद्दाख स्काउट्स का उन्नयन करना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

नवयुग विद्यालयों में छात्रों का शोषण

4557. श्री दिलीप संघानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष को दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के नवयुग विद्यालयों में उप प्रधानाचार्यों द्वारा छात्रों का शोषण किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर परिषद ने सूचित किया है कि लक्ष्मीबाई नगर के नवयुग विद्यालय की मुख्य अध्यापिका द्वारा नौवीं कक्षा में कुछ छात्रों को रोकने सम्बन्धी एक शिकायत उन्हें प्राप्त हुई थी। जाँच के बाद पता चला कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कोई सार नहीं है।

नौसेना पब्लिक स्कूल की फीस में वृद्धि

4558. श्री आर० देवदास : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पब्लिक स्कूलों विशेषतः नौसेना पब्लिक स्कूल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित फीस में अत्यधिक वृद्धि की जानकारी है;

(ख) क्या इस स्कूल को अपनी फीस में मनमाने ढंग से संशोधन/वृद्धि करने की अनुमति दे दी गई है; यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नौसेना द्वारा चलाए जा रहे उक्त स्कूल को सरकार/नौसेना/नौसेना स्टाफ से कोई सहायता मिलती है;

(घ) यदि हां, तो कितनी और क्या सहायता प्राप्त ऐसे स्कूलों को भी गैर-सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों के समान अनुपात में मनमाने ढंग से अपनी फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं;

(च) क्या सरकार पब्लिक स्कूलों विशेषतः नौसेना पब्लिक स्कूल, चाणक्यपुरी पर नियंत्रण रखने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ताकि ये स्कूल अपने मनमाने ढंग से फीस न बढ़ा सकें;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ज) नौसेना पब्लिक स्कूल ने कर्मचारियों को देय बढ़ते हुए वेतन एवं भत्तों तथा स्कूल की व्यवस्था बनाए रखने संबंधी अन्य खर्च की पूर्ति के लिए फीस बढ़ाई है।

नई दिल्ली स्थित नौसेना पब्लिक स्कूल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत नौसेना शिक्षा सोसाइटी के तत्वावधान में कार्य करता है। स्कूल का प्रशासन एक प्रबंधक समिति के हाथ में होता है। जिसमें वरिष्ठ नौसेना अफसर, स्टाफ के सदस्य और अभिभावक–अध्यापक संघ के प्रतिनिधि होते हैं। सरकार स्कूल को कोई अनुदान-राशि नहीं देती है इसलिए वह उसकी प्रबंध-व्यवस्था पर कोई प्रशासनिक अथवा वित्तीय नियंत्रण नहीं रखती है। तथापि नौसेना इस स्कूल की मूलभूत आवश्यकताओं और नई सुविधाओं का खर्च पूरा करने के लिए अपनी गैर-सरकारी निधि से कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1996 के दौरान नौसेना ने अपनी गैर-सरकारी निधि से 7 लाख रुपए दिए थे।

उड़ीसा में मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं

4559. श्री अंचल दास : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार इन्हें स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा के लिए जिलेवार ऐसी कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और निकट भविष्य में कितनी योजनाएं स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) जाजपुर जिले में ऐसी परियोजनाओं के लिए प्राप्त प्रस्तावों/मांग का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने पिछले दो वर्षों में दो नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् फुलवानी और बाघताल जिले को लाभान्वित करने वाली बाघ बराज और गंजम जिले को लाभान्वित करने वाली वाघालत को निवेश स्वीकृति दी है। चार नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अर्थात् मंजौर, तेलेन्गीर, रूकुरा और धाउरगोठ मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ग) जाजपुर जिले को लाभान्वित करने वाली कोई भी मध्यम सिंचाई परियोजना मूल्याकंन के लिए राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जाजपुर जिले को लाभान्वित करने वाली एक वृहद परियोजना अर्थात् जोकादिया सिंचाई परियोजना 8/89 में प्राप्त हुई और 12/89 में राज्य सरकार को वापस भेज दी गई चूंकि इस परियोजना का कमान रेंगाली सिंचाई परियोजना का ही कमान था।

केरल में कम्प्यूटर शिक्षा

4560. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार से विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारंभ करने के लिए केरल सरकार के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि अब तक स्वीकृत की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) जी, हाँ। 1995-96 के दौरान राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजना "स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन" (क्लास) के अंतर्गत स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए निधियां जारी करने की मांग की गई थी। 62 स्कूलों को शामिल करने के लिए 49.60 लाख रु० की राशि जारी कर दी गई थी। उक्त योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राशियां राज्य सरकार को स्वतः ही जारी कर दी गई हैं।

1.	पूर्व-संशोधित	स्कूलों की संख्या	राशि
		95	304.00 लाख रु०
2.	संशोधित	20	61.15 लाख रु०

राष्ट्रीय कैडेट कोर की संख्या में वृद्धि

4561. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर राज्य का निर्माण करने में राष्ट्रीय कैडेट कोर का उपयोग करने के लिये कैडेट संख्या को 30,000 तक बढ़ाने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में अनेक विकासीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की सेवायें जन्मभूमि और श्रमदान कार्यक्रमों में उपयोग की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने उपरोक्त कार्यक्रमों को काफी अधिक सफल बनाने में प्रमुख भूमिका अदा की है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर की संख्या बढ़ाने के लिये राज्य सरकार के अनुरोध को मान लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (च) रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने "जन्मभूमि" और "श्रमदानमू" कार्यक्रमों में राष्ट्रीय कैडेट कोर की भूमिका का उल्लेख किया है और "कैडेट शक्ति को बढ़ाने का विचार रखा गया है। तथापि, राज्य सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ व्यय संबंधी अपने अंशदान को पूरा करने की सहमति के बारे में सूचित करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है।

परियारम चिकित्सा महाविद्यालय

4562. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में परियारम चिकित्सा महाविद्यालय को केरल सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वहां अनिवासी भारतीय के कोटे के अन्तर्गत छात्रों से कैपिटेशन शुल्क के रूप में भारी राशि वसूल की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस अवैध परम्परा को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सैनिक विद्यालय

4563. श्री ए० सम्पथ : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे सैनिक विद्यालयों की संख्या कितनी है और इन विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक कैडेट से प्रतिवर्ष लिए जाने वाले शुल्क का ब्यौरा क्या है तथा क्या शुल्क में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो सैनिक विद्यालयों के प्रबंधन में मंत्रालय की वित्तीय प्रतिबद्धता क्या है; और

(घ) सैनिक विद्यालयों को चलाने में राज्य सरकारों का क्या उत्तरदायित्व है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल योजना के तहत देश में 18 सैनिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में छात्रों और अध्यापकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1992-93 के शैक्षणिक-सत्र से प्रत्येक कैडेट से प्रति वर्ष 11,000/-रुपये शिक्षण-शुल्क लिया जा रहा था। इसे 1997-98 के शैक्षणिक-सत्र से बढ़ाकर 14,000/- रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है।

(ग) सैनिक स्कूलों की प्रबंध व्यवस्था और प्रशासन के लिए रक्षा मंत्रालय सेना कार्मिक उपलब्ध कराता है, सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देता है और साथ ही राज्य सरकारों द्वारा उस राज्य के मूल निवासी छात्रों, जोकि अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का एक भाग वहन करता है।

(घ) राज्य सरकार को भूमि उपलब्ध करानी होती है और एक रिहायशी स्कूल के लिए सभी सुविधाओं सहित भवन, परिवहन व उपस्कर उपलब्ध कराने होते हैं व उनका रख-रखाव करना होता है। वह कमजोर वर्गों से आए कैडेटों को छात्रवृत्ति भी देती है और विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सहायता अनुदान भी देती है।

विवरण

सैनिक स्कूलों में छात्रों और अध्यापकों की संख्या

क्र० सं०	सैनिक स्कूल का नाम	छात्रों की संख्या	अध्यापकों की संख्या
1	2	3	4
1.	अमरावती नगर	624	35
2.	बालचडी	608	30
3.	भुवनेश्वर	648	33
4.	बीजापुर	632	32
5.	चित्तौड़गढ़	531	28
6.	घोड़ाखाल	488	30
7.	खालपाड़ा	711	36
8.	इम्फाल	504	28
9.	कपूरथला	644	36
10.	कझाकूटम	620	37
11.	कोरुकोंडा	570	36
12.	कुंजपुरा	596	35
13.	नगरोटा	474	25

1	2	3	4
14.	पुरुलिया	544	26
15.	रीवा	493	30
16.	सतारा	622	38
17.	सुजानपुर टीरा	481	23
18.	तिलैया	907	47
	कुल	10697	585

उड़ीसा में थल सेना वायु सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र

4564. श्री भक्त चरण दास : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में थल सेना वायु सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षण केन्द्र को भलीभांति चलाने के लिए राज्य में सैनिक अस्पताल स्थापित करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) : जी, नहीं। उड़ीसा के गोपालपुर में वायु रक्षा निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विद्यालय और वायु रक्षा निर्देशित प्रक्षेपास्त्र केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) गोपालपुर में 75 बिस्तर वाले सैन्य अस्पताल की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है और इस प्रयोजन के लिए भवन का निर्माण कर लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर पुलों का निर्माण

4565. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और मैसर्स पी० वी० राज इण्डस्ट्रीज, हैदराबाद के बीच बी०ओ०टी० आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर 5 प्रमुख पुलों के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पुलों की लागत कितनी है;

(ग) क्या मन्नेरू, पालेरू, मूसी, मुडीगोंडा और गुंडलाकम्मा नदियों पर पुलों का निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग के मद्रास–विजयवाडा सैक्शन में लघु पुल का निर्माण किया जाना है; और

(घ) इन पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-5 पर बी०ओ०टी० आधार पर 6 पुलों के निर्माण के लिए भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, मैसर्स पी०वी० राज एवं कंपनी और पी०वी०आर० इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) इन पुलों की लागत लगभग 50 करोड़ रु० होने की संभावना है।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 2002 तक इनके पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

4566. श्री राम टहल चौधरी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण सफाई कार्यक्रम हेतु सौंपे गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान इन प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है; और

(ग) ग्रामीण सफाई के संबंध में कार्यान्वित किए जा रहे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों को पेंशन निधि

4567. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार से बन्दरगाह कर्मचारियों के लिए एक पेंशन निधि बनाने का अनुरोध किया है ताकि प्रमुख पोर्ट ट्रस्टों को पेंशन भुगतान के भारी बोझ से राहत मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

म्यांमार द्वारा समझौता ज्ञापन

4568. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और म्यांमार के बीच व्यापार और सहयोग के विकास हेतु दोनों के भू भागों को जोड़नेवाली आर्थिक सड़क के निर्माण हेतु दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सड़क की कुल लम्बाई कितनी है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) यह दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने में कहां तक सहायक होगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (घ) जी हां। भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच 19.3.97 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अंतर्गत तामू-कलिमयो-कलेवा सड़क की कुल 160.525 कि०मी० लम्बाई का निर्माण किया जाना है। इस कार्य को, प्रारंभ किए जाने की तारीख से 3½ वर्ष में पूरा किया जाना है। म्यांमार-भारत सीमा के साथ-साथ म्यांमार में सड़कों के विकास से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहायोग को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल

4569. श्री आर०बी० राई : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की सीधी वित्तीय सहायता से अस्पताल स्थापित किए जाने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) ग्रामीण क्षेत्र संबंधी विशेष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल/औषालय स्थापित करने के लिए प्राइवेट स्वैच्छिक संगठन 12 लाख रुपये (8.00 लाख रुपये निर्माण के लिए तथा 4.00 लाख रुपये उपकरणों की खरीद के लिए) की वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं।

(ख) इस योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधी मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :–

(I) स्वैच्छिक संगठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा किसी अन्य विधान के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।

(II) संगठन लाभ निरपेक्ष निकाय होना चाहिए।

(III) जिस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, उसे पूरा करने के लिए संगठन के पास कार्मिक, संसाधन, अनुभव तथा प्रबंधकीय योग्यता होनी चाहिए।

(IV) राज्य सरकार द्वारा आवेदन को अग्रेषित करते समय इसकी वित्तीय स्थिति तथा कार्य के बारे में संतोषजनक स्थिति सूचित करनी चाहिए।

(V) संगठन एक तिहाई बैड निःशुल्क बैड के रूप में आरक्षित रखने के लिए राजी हों।

विजय दिवस मनाया जाना

4570. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 दिसंबर, 1996 को "विजय दिवस" मनाया गया था;

(ख) उक्त दिवस को पूर्व में नहीं मनाये जाने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अब से प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को "विजय दिवस" मनाने का है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (घ) सेना की कुछ विरचनाएं बंगलादेश संक्रियाओं में अपनी युनिटों की उपलब्धियों के उत्सव स्थानीय स्तर पर विभिन्न नामों से मनाती रहीं। सशस्त्र सेनाओं द्वारा विजय दिवस पहली बार 1995 में दिल्ली में बहुत ही साधारण रूप में मनाया गया था। तथापि, "वर्ष 1996" बंगलादेश संक्रिया का 25वीं वर्ष होने के कारण "16 दिसंबर" राष्ट्रीय स्तर पर तीनों सेनाओं के विजय दिवस के रूप में मनाया गया था।

प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को "विजय दिवस" तीनों सेनाओं के समारोह के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव है।

वछावत एवार्ड

4571. श्री शिवानंद एच० कौजलगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वछावत एवार्ड के प्रावधानों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

लम्बित पड़ी परियोजनाएं

4572. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कुछ ग्रामीण विकास परियोजनाएं आज तक सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब से सरकार के पास लम्बित/उनके विचाराधीन पड़ी हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) ये परियोजनाएं कब तक मंजूर होंगी; और

(ङ) इन परियोजनाओं की मंजूरी में होने वाले विलम्ब के कारण क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल नीति

4573. श्री बी०एल० शंकर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **राष्ट्रीय जल नीति** बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) भारत सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति को सितम्बर, 1987 में पहले से ही अपनाया जा चुका है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बारीडीह में आयुध कारखाना

4574. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार के कोडरमा जिले के मरकच्चों प्रखण्ड के बारीडीह मोड़ में आयुध कारखाना स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण किया गया था और इस स्थान को इस प्रायोजन के लिए उपयुक्त पाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस वर्ष वहां आयुध कारखाना स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ग) कुछ वर्ष पहले प्रणोदकों का निर्माण करने के लिए नई आयुध निर्माणी स्थापित करने का एक प्रस्ताव था जिसके लिए बिहार में हजारीबाग जिले का मरकच्चों, प्रस्तावित वैकल्पिक स्थानों में से एक स्थान था। इस संबंध में विस्तार पूर्वक जांच करने पर यह निष्कर्ष निकला था कि प्रणोदकों का निर्माण करने के लिए कोई नई निर्माणी स्थापित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आवश्यकता मौजूदा आयुध निर्माणियों और सिविल क्षेत्र से पूरी की जा सकती है। तदनुसार नई निर्माणी लगाने का प्रस्ताव पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया था।

गुजरात में साक्षरता मिशन परियोजनाएं

4575. श्री एन०जे० राठवा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी संगठप के लिये गुजरात में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा कुल कितनी साक्षरता मिशन परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं;

(ख) क्या इन संगठनों के कार्य की समीक्षा की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जिन गैर सरकारी संगठनों का कार्य संतोष जनक नहीं पाया गया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, संपूर्ण साक्षरता मिशन के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिन गैर सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, उनका विवरण नीचे दिया गया है :–

जिला	वर्ष		
	1994-95	1995-96	1996-97
अहमदाबाद	1	2	2
मेहसाना	1	1	1
राजकोट	–	1	–
सूरत	1	–	–
	3	4	3

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नर्मदा जल का बंटवारा

4576. डा० सत्यनारायण जटिया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से होकर बहने वाली ऐसी कौन-कौन सी नदियां हैं जिन पर 10 करोड़ रुपए से भी अधिक को धनराशि खर्च कर सिंचाई की व्यवस्था की गयी है तथा इन नदियों से उपलब्ध सिंचाई क्षमता कितनी है; और

(ख) ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र है जिन्हें नर्मदा जल के बंटवारे से प्राप्त जल से सिंचित किया जा रहा है तथा इस जल का कब तक पूरी तरह उपयोग किया जाने लगेगा तथा कितना क्षेत्र सिंचित हो सकेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत

4577. श्री अरूण कुमार शर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक "शास्त्रीय" घोषित किए गए नृत्य तथा संगीत विद्यालयों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा असम के नृत्य तथा संगीत की शास्त्रीय पद्धति को शास्त्रीय नृत्य तथा संगीत घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक घोषणा की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (ग) भारत में शास्त्रीय रूप से सुप्रसिद्ध नृत्य रूपों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, और ओडिसी नाम हैं। कुछ समय से मोहिनीअट्टम भी लोकप्रिय हो रहा है और उसका उल्लेख शास्त्रीय रूप में भी किया जाने लगा है। जहां तक संगीत का संबंध है, मौटे तौर पर शास्त्रीय रूप में प्रसिद्ध संगीत रूपों की दो शैलियाँ हैं—हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसका अभिप्राय उत्तर भारत के कतिपय महत्वपूर्ण संगीत रूपों से है तथा कर्नाटक संगीत, जिसका अभिप्राय दक्षिण भारत के प्रमुख संगीत रूपों से हैं ।

संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रपति अकादेमी-संगीत नाटक अकादेमी जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा इन कला रूपों को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी, ने किसी भी कला को औपचारिक रूप से शास्त्रीय और अन्यथा घोषित करने की नीति का अनुसरण करना बन्द कर दिया है। संगीत और नृत्य के कुछ रूपों के लिए "शास्त्रीय" विशेषण के प्रयोग करने पर कुछ विद्वानों द्वारा उत्तरोत्तर प्रश्न उठाए जा रहे हैं । नृत्य ओर संगीत के कुछ प्रमुख रूपों का उल्लेख शास्त्रीय रूप में करना कदाचित भ्रमित करने वाला है। वस्तुतः तथाकथित "लोक", "पारम्परिक" और "शास्त्रीय" रूप तो वास्तव में कलात्मक अभिव्यक्ति के कतिपय सांत्यतक के अंश मात्र हैं, पारस्परिक रूप से कोई विशिष्ट श्रेणियाँ नहीं हैं। मोटे तौर पर ये सभी "पारम्परिक" नाम से जानने चाहिए।

असम के सत्रों से सम्बद्ध सत्रीय नृत्य और संगीत भारत की प्रदर्शनकारी कला विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग है। अकादेमी ने उनके महत्व की ओर उचित ध्यान दिया है और अनुदानों, गहन प्रलेखन, अकादेमी पुरस्कारों, आदि के माध्यम से प्रोत्साहन स्वरूप अनेक कदम उठाए हैं।

शास्त्रीय रूप में किसी कला रूप को मान्यता प्रदान करना सृजनात्मक और विद्वांत समुदाय का मामला है तथा इस मामले में सरकारी की न तो कोई परंपरा रही है और न ही इसे कोई कला संम्बंधी ऐसा अधिकार प्राप्त है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

4578. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया गया है;

(ख) क्या सागर विश्वविद्यालय (डा० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय) को केन्द्रीय विशविद्यालय का दर्जा दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) इस समय देश में 14 केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जिनके नाम नीचे दिये गए हैं :—

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
3. दिल्ली विश्वविद्यालय
4. हैदराबाद विश्वविद्यालय
5. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
6. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय
7. पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय
8. विश्व भारती
9. जामिया मिलिया इस्लामिया
10. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
11. असम विश्वविद्यालय
12. तेजपुर विश्वविद्यालय

13. *नागालैण्ड विश्वविद्यालय*

14. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(ख) से (घ) सागर विश्वविद्यालय (डा० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय) को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने को केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही केन्द्रीय सरकार का किसी विश्वविद्यालय, मुक्त अथवा अन्य विश्वविद्यालय को राज्य में लेने का प्रस्ताव है। संसाधनों की कमी तथा विद्यमान संस्थानों के समेकन की आवश्यकता को देखते हुए, सरकार सामान्यतः नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं है।

[अनुवाद]

स्कूलों के पाठ्यक्रम

4579. श्री माधवराव सिंधिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूली बच्चों के भारी बस्तों के बोझ को कम करने की आवश्यकता के बारे में सार्वजनिक मंचों पर से जोर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान इस संबंध में क्या प्रयास किए गए और इनके क्या परिणाम रहे; और

(ग) उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस दिशा में आगे क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) प्रो० यशपाल की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने स्कूल के बच्चों पर शिक्षा के बोझ को कम करने के संबंध में बहुत सी सिफारिशें की। दिनांक 2.3.94 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 50वीं बैठक में, राज्य सरकारों ने यशपाल समिति की सिफारिशों पर अपनी व्यापक सहमति व्यक्त की। चूंकि केन्द्रीय सरकार की भूमिका स्वाभाविक रूप से सिफारिश करने की है, राज्य सरकारों को समिति की सिफारिशों को अपने अनुकूल बनाना और अपनाना होता है ।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य केन्द्र

4580. श्री इलियास आजमी :
श्री पवन दीवान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गांवों में और अधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गांवों में सनुचित स्वास्थ्य सुविधाएं एवं दवाईयां उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : *(क) से (ग) सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे के जनसंख्या* मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है।

(घ) राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र राज्यों को सलाह देता रहा है कि वे यह देखें कि औषधीं और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के रखरखाव के लिए पर्याप्त धन आबंटन किया गया है। 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार 132730 उपकेन्द्र, 21854 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2424 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देश में पहले से ही स्थापित हैं।

खाद्यान्नों का निर्यात

4581. श्री काशी राम राणा :
श्री रामकृपाल यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पत्तनों से वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या खाद्यान्नों के निर्यात में पत्तन अधिकारियों की तरफ से कोई विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इन पत्तनों से खाद्यान्नों को समय पर निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय पत्तनों से लगभग 3 मिलियन टन खाद्यान्नों का निर्यात किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय के कब्जे में पड़ी भूमि

4582. श्री चिन्तामन वानगा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के जिला नासिक में तहसील इगतपुर में सेना शिविर के लिए रक्षा मंत्रालय के कब्जे में कुल कितनी भूमि है;

(ख) क्या अतिरिक्त भूमि को आदिवासी ग्रामीणों को वितरित किए जाने के संबंध में कोई मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) महाराष्ट्र के नासिक जिले की इगतपुरी तहसील में रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में 17.725 एकड़ भूमि है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा ली जा रही फीस में असमानता

4583. श्री कुंवर सर्वराज सिंह :
श्री बृज भूषण तिवारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा एक से कक्षा पांच तक और कक्षा छः से बारहवीं कक्षा तक के लिए ली जा रही मासिक फीस में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक एक ही कक्षा के लिए फीस की राशि भिन्न-भिन्न है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस में इस असमानता को समाप्त करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के किसी छात्र अथवा उच्चतर कक्षाओं की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/छात्राओं से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क में उन छात्रों के माता-पिता की आय और अध्ययन हेतु चुने गए विषय के आधार पर अन्तर है। शुल्क से प्राप्त आय विद्यालयों के आन्तरिक संसाधन जुटाने सम्बन्धी खाते में जाती है।

(ङ) से (छ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष को, सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर, शुल्क संशोधन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया है।

[अनुवाद]

यू०जी०सी० द्वारा अनुसंधान कार्य

4584. श्री महेश कुमार एम० कनोडिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गुजरात राज्य के कुल कितने शोध छात्रों को उनके शोध कार्यों के लिए छात्रवृत्ति दी गई;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के लिए छात्रवृत्ति हेतु कितने शोध छात्रों के नामों की सिफारिश की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार की जलाशय परियोजना

4585. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बाराछत्ती डिवीजन की प्रस्तावित जलाशय परियोजना को मंजूरी दे दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और अब तक इस पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के बाद इससे कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी; और

(ङ) अब तक इस परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) मोहने जलाशय परियोजना के दो बांधों में से एक बांध को बिहार में भलुवाचट्टी के पास बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1982 में परियोजना की लागत 127 करोड़ रुपए आंकी गई थी जिससे फालगू नदी पर उदरस्थान वेयन के मौजूदा कमान के 32703 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थाई सिंचाई के अतिरिक्त 76249 हैक्टेयर की भूमि में सिंचाई मुहैय्या कराने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा मंजूरी के लिए परियोजना की संशोधित रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

वर्षा-जल का उपयोग

4586. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्षा से प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वर्षा जल की औसत वार्षिक मात्रा कितनी रही;

(ग) क्या देश में ऐसे वर्षा जल के उपयोग के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1996 तक तत्संबंधी मात्रा क्या है; और

(ङ) भविष्य में इस क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। केंद्रीय जल आयोग 1993 द्वारा किए गए अद्यतन आकलन के अनुसार, देश में हिमपात सहित वार्षिक वर्षा 4000 बिलियन घन मीटर होती है। इसमें से वर्षा का हिस्सा 3000 बिलियन घन मीटर है। नदियों में उपलब्ध औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन घन मीटर है। सतही और भूजल दोनों संसाधनों के उपयोज्य जल का अनुमान वैकल्पिक और निष्क्रिय (वाष्पोत्सर्जन) नुकसान के कारण और नदी प्रणाली को बनाए रखने के लिए नदी में जल की कुछ मात्रा के प्रवाहित करने के कारण 114.2 बिलियन घन मीटर लगाया गया है।

(ग) से (ङ) इस समय देश की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता लगभग 193.2 बिलियन घन मीटर है। 77 बिलियन घन मीटर की अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए बांधों का निर्माण कई चरणों पर है। इसके अतिरिक्त विचाराधीन वृहद और मध्यम स्कीमों के द्वारा लगभग 130 बिलियन घन मीटर भंडारण की वृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन विकास की परिप्रेक्ष्य योजना पर अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को आपस में जोड़कर अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी और क्षमता वाले क्षेत्रों में जलाशयों का निर्माण करने वाले बेसिनों को जल के अंतरण की परिकल्पना की गई है। अनुमान लगाया गया है कि अंतःबेसिन अंतरणों द्वारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत 220 बिलियन घन मीटर अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा।

[अनुवाद]

विकास की आधारभूत सुविधा के रूप में शिक्षा

4587. श्री विजय हाण्डिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा को विकास की आधारभूत सुविधा मानती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मेधावी छात्रों की बड़ी संख्या को व्यावसायिक शिक्षा की ओर उन्मुख करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि शिक्षा को उद्योग के लिए एक आधारभूत सुविधा बनाया जा सके;

(ग) क्या इस संख्या को संगठित करने के लिए उद्योगों के समक्ष कोई प्रस्ताव पेश किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पर आधारित कार्य योजना 1992 में व्यावसायिक शिक्षा को मानव संसाधन विकास के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक माना गया है जिनमें उत्पादों और सेवाओं को मूल्यवान बनाने की काफी क्षमता है और यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकती है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के गुणात्मक और मात्रात्मक विकास तथा संबंधित एजेंसियों के बीच सहलग्नता स्थापित करने के लिए नीति में विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। नीति के अनुसरण में किए गए प्रयासों के कारण आज देश में उद्योग की आवश्यकताओं को उपयुक्त ढंग से पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 1.15 लाख इंजिनियरों तथा 1.80 लाख तकनीकीविदों को तैयार करने की क्षमता है। उद्योग संस्थान अंर्त-संबंध कार्यक्रम आरंभ करने के लिए तथा पाठ्यचर्या विकास, उद्योग में प्रशिक्षण, परामर्शी एवं अनुसंधान परियोजना आदि सहित तकनीकी शिक्षा के विकास के सभी पहलुओं में औद्योगिक संगठनों के भागीदारी के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

जीवन रक्षक औषधियों की आपूर्ति

4588. श्री मंगत राम शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में जीवनरक्षा औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन के जरिए औषधी, दवाओं आदि की खरीद करने की क्रियाविधि की जांच करने और क्रियाविधि को कारगर बनाने हेतुः उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति पहले ही गठित कर दी गई है। जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों द्वारा सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

फ्लोराइड संकट

4589. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अत्याधिक फ्लोराइड से प्रभावित मंडला जिले से सम्बन्धित कोई योजना अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कितने गांवों से संबंधित है और इसकी लागत कितनी है तथा इस संबंध में कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ धनराशि अभी प्रदान की जानी है;

(घ) यदि हां, तो यह राशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत, प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है,

(च) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी;

(छ) क्या विभिन्न राज्य सरकार ने छह जिलों अर्थात् धार, शाहजहांपुर, मुरैना (कारहल), रजनन्दगांव, राजगढ़ और मंडला, से संबंधित भू-जल संरक्षण योजनाएं स्वीकृति के लिए भेजी है; और

(ज) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार से मांडला जिले के फ्लूराइड से प्रभावित 186 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 868.45 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत वाले परियोजना प्रस्ताव को इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसमें से भारत सरकार का अंश 651.33 लाख रुपए (अर्थात परियोजना लागत का 75%) है और बकाया 217.12 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 325.67 लाख रुपए अर्थात भारत सरकार के अंशदान का 50% की पहली किस्त जारी की है। भारत सरकार के अंशदान का बकाया 50% अर्थात 325.67 लाख रुपए (दूसरी किस्त) राज्य सरकार से इस मंत्रालय को केन्द्र और राज्य अंश की पहली किस्त के उपयोग का प्रमाण-पत्र मिलने के बाद जारी किए जाएंगे।

(ङ) और (च) विगत दशक के दौरान इस मंत्रालय ने 25 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 293 योजनाओं को स्वीकृति दी है जिनमें से मध्य प्रदेश में 48 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्वीकृत की गई थी। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में अब तक केवल 26 प्रयोगशालाएं (48 स्वीकृत प्रयोगशालाओं में से) स्थापित की गई हैं।

(छ) और (ज) मध्य प्रदेश राज्य से 2604.06 लाख रुपए की लागत वाली 6 जल रिचार्जिंग/संरक्षण परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। परियोजना प्रस्तावों की जांच की गई थी। राज्य सरकार को सिंचाई, मृदा संरक्षण, वन, राज्य भू-जल विभाग आदि जैसे क्षेत्रों को एकीकृत करने के उद्देश्य से प्रायोगिक परियोजना तैयार करने की सलाह दी गई थी। यह प्रायोगिक परियोजना यदि सफल होती है तो इसे अन्य क्षेत्रों में चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार को राजगढ़ जिले में ऐसी प्रायोगिक परियोजना तैयार करने के लिए 25 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को भी परीक्षण और टिप्पणियों हेतु परियोजना प्रस्तावों की प्रतिलिपि भेजी गई थीं। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने परियोजना प्रस्तावों की जांच कर ली थी और परियोजना प्रस्तावों में कुछ निश्चित संशोधन करने का सुझाव दिया था। राज्य सरकार से आशोधित/संशोधित परियोजनाएं अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

नौंवी योजना हेतु धनराशि

4590. श्री सुरेन्द्र यादव :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1997 के दैनिक "पायोनियर" में "नाइन्थ प्लान हाईवे नीड्स पुट रुपीज 22,150 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवहन विकास के लिए 22,150 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है, और

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए धनराशि खर्च की जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर परियोजना के ब्यौरों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उसे यथा समय स्वीकृत कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

स्मारकों का संरक्षण

4591. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण के अधिकारियों ने देश में स्मारकों के घटिया संरक्षण के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो स्मारकों का संरक्षण करने में अधिकारियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्मारकों को सुरक्षा देने हेतु किसी नई योजना को तैयार करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (घ) भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण पर 3574 से भी अधिक केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण और संरक्षण का उत्तरदायित्व है। उपलब्ध निधि के संसाधनों और स्टॉफ के अंदर ही विश्वस्त पुरात्तवीय नियमों के आधार पर स्मारकों के रखरखाव और परिरक्षण को सुनिश्चित किया गया है।

त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

4592. श्री एन० डेनिस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को समान अवधि के स्नातक पाठ्यक्रमों के अनुरूप मान्यता प्रदान करने और डिप्लोमा-धारकों को स्नातकोत्तर डिग्री जैसे उच्च पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान करने संबंध कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या त्रिवर्षीय डिप्लोमा धारकों को सिविल सेवा की परीक्षाओं

में और अन्य केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने के लिये अनुमति देने के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। कालेजों में और मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, तो ऐसी किसी मांग का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों का विकास

4593. डा० बलिराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों के विकास के लिए सहायता/अनुदानों के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेस मेकर बैंक

4594. श्री पवन दीवान :
श्री एल० रमना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेस मेकर बैंक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) पेस मेकर बैंक स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेस मेकर आसानी से उपलब्ध है तथा देश में भी इनका निर्माण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

स्तन कैंसर

4595. डा० असीम बाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्तन कैंसर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) स्तन कैंसर के राष्ट्रव्यापी विश्वसनीय आंकड़ें उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुम्बई, बंगलौर तथा मद्रास स्थित जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों में आंकड़ों के समयबद्ध विश्लेषण से स्तन कैंसर की घटना दर में थोड़ी सी वृद्धि होने का पता चलता है। इस वृद्धि के कारणों का पता नहीं है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, जो स्तन कैंसर सहित सभी प्रकार के कैंसरों का पता लगाने, उपचार उपलब्ध करने तथा उसकी रोकथाम के लिए है, के अन्तर्गत 12 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित किए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोग का आरम्भावस्था में पता लगाने तथा उसकी स्क्रीनिंग के लिए कोबाल्ट थिरेपी यूनिट खरीदने, मेडिकल कालेजों के आनकोलॉजी विंगों का विकास करने तथा जिला आधारित परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध की जाती है। लोगों में रोग के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा कैंसर का आरम्भावस्था में पता लगाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी सहायता उपलब्ध की जाती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य गाइड

4596. श्री बीर सिंह महतो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक स्वास्थ्य गाइडों को क्या जिम्मेवारी सौंपी गई है तथा उनसे लोगों को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सामुदायिक स्वास्थ्य गाइडों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्हें कोई चिकित्सा किट देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य गाइडों की मुख्य जिम्मेदारियों में स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरणिक स्वच्छता तथा ग्रामवासियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रसव-पूर्व परिचर्या के लिए गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, शिशु तथा बाल परिचर्या के बारे में माताओं को परामर्श देना, रोग प्रतिरक्षण, दम्पत्तियों को छोटे परिवार के मानदण्डों आदि के बारे में शिक्षा देना शामिल है।

अधिकांश राज्यों का मत है कि सामुदायिक स्वास्थ्य गाइड योजना स्वास्थ्य अथवा परिवार कल्याण के प्रयोजन के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही है।

(ख) से (ङ) योजना की इस समय समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

दानापुर छावनी में गृहस्वामियों पर बकाया राशि

4597. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानापुर छावनी में गृहस्वामियों और ठेकेदारों पर कितना धन बकाया है;

(ख) इस धन को उगाहने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या अभी तक छावनी के प्राधिकारियों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई करने को प्रस्ताव है

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) दानापुर छावनी में गृह स्वामियों और संविदाकर्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि क्रमशः 7,52,579/- रुपए और 5,78,469/-रुपए है।

(ख) छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के तहत गृहस्वामियों से देय राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किए थे। बोर्ड ने कुछ मामलों में जलापूर्ति की भी काट दी थी। जहां तक संविदाकर्ताओं से देय राशि का प्रश्न है, छावनी बोर्ड ने वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में मामले दायर कर रखे हैं।

(ग) छावनी बोर्ड ने देय राशियों की वसूली के लिए छावनी अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत समुचित कार्रवाई की है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डेंगू ज्वर

4598. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संबद्ध अस्पतालों/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को डेंगू के विरूद्ध सुरक्षात्मक कदम उठाने हेतु निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली के किसी भाग से या अन्य पड़ोसी राज्यों से डेंगू के मामले प्रकाश में आयें हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां। डेंगू की रोकथाम संबंधी उपायों तथा सभी रोगियों का उपयुक्त उपचार करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 1997 के दौरान दिल्ली अथवा पड़ोसी राज्यों से डेंगू से पीड़ित किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

शिल्प कृतियों की प्राप्ति

4599. श्री वी० प्रदीप देव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के सिरी फोर्ट काम्पलैक्स के नजदीक स्थल पर हाल में खुदाई के दौरान कई शिल्पकृतियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्राप्तियों का ब्यौरा क्या है तथा ये किस अवधि की हैं;

(ग) क्या 1996-97 के दौरान देश के अन्य भागों में शिल्पकृतियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) और (ख) जी, हां। इस स्थल से सल्तनत तथा मुगल काल की शिल्पकृतियां प्राप्त हुई हैं। इनमें टेराकोटा की बनी जानवरों की लघु मूर्तियों के मृतिका शिल्प एवं भाग शामिल हैं। गुप्त काल के कुछ दृष्टव्य भी पाए गए थे।

(ग) और (घ) 1996-97 के दौरान भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण द्वारा देश के विभिन्न स्थलों एवं भागों से प्राप्त किए गए मृत्तिका-शिल्पों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	जिला	स्थल का नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	कच्छ	धोलावीरा	इस स्थल की खुदाई से विभिन्न स्थानों, जहां पत्थर की ईंटों की बनी लाइनें है, में किले के अन्दर एक दीवाल एवं एक पानी का हौज तथा शैल-कृत हौज का पता चला है; इसके अलावा विविध शिल्प-कृतियां प्राप्त हुई हैं जिनमें हड़प्पा काल की चित्रलिपि युक्त एवं चित्रलिपि रहित दोनों प्रकार को सादा एवं चित्रित मृतिका -शिल्प, सीलें एवं

1	2	3	4	5
				मुहरें, तांबा की वस्तुएं, एक प्रस्तर प्रतिमा, जानवरों की लघुमूर्तियों के नमूने, बहुमूल्य पत्थर के बने मनके और ईसापूर्व तीसरी शताब्दी से ईसापूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य तक की अन्य वस्तुएं शामिल हैं।
2.	उड़ीसा	(i) कटक	वाराबटी किला	स्थल को खुदाई से वृहद आधार वाले स्तम्भों पर बने 16वीं शताब्दी के एक किलाबंद महल के अवशेषों का पता चला है। खुदाई से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेषों में मूर्तियां, वास्तुशिल्प खंड, तांबे के सिक्के, चीनी मिट्टी के बरतन, टेराकोटा की बनी वस्तुएं आदि थीं।
		(ii) पुरी	खलकातापतना	इस स्थल से प्राप्त की गई महत्वपूर्ण वस्तुओं में चीनी सिक्के तथा मध्यकाल के चीनी मिट्टी के बरतन थे।
3.	मध्य प्रदेश	(i) पश्चिम निमार	नवालाखेरी	स्थल के उत्खनन कार्य से ताम्रपाषण काल के भवन साध्यों एवं पुरावशेषों का पता चला है जिनमें मुख्य रूप से तांबे की वस्तुएं तथा विविध मनके शामिल हैं।
		(ii) पूर्व निमार	मान्धाता	स्थल के उत्खनन से वास्तुशिल्प-खंड़ो, पटियों, हिन्दू देवताओं की मूर्तियों, नाचती हुई अप्सरा तथा मध्यकाल को अन्य वस्तुओं का पता चला है।
		(iii) मुरैना	कोटवाल (कोटवार)	उत्खनन से प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल तक की अवधि को पत्थर को चिपें, हड्डियों के बने लटकन, टेराकोटा की लघुमूर्तियां, चूड़िया तथा मनके एवं भाण्ड प्रकाश में आए हैं।
		(iv) रायसेन	साँची	उत्खनन से हथौड़ा द्वारा तरासे गए पत्थरों वाले स्तूप परिसर, आरंभिक मुगलों के तांबे के सिक्के, सादा एवं चित्रित लाल मृद्भाण्डों का पता चला है।
		(v) सायसेन	सतधारा	उत्खनन कार्य से हार्निका (स्तूप के शिखर पर रेलिंग) से संबंधित स्तूप के साथ-साथ एक उत्कीर्ण सब्बल की विस्तृत जानकारी मिली। एपसाइडल मंदिर के पूर्व में खुदाई से 2-1 शताब्दी ईसा पूर्व के मृदभाण्ड प्रकाश में आए।
4.	तमिलनाडू	वी०आर०पी०	ब्रहमदेशम्	उत्खनन कार्य से पूर्व चोल काल के मंदिर परिसर के अभिलेखों खंडहरों, उपवेदियों के साथ एक फर्श प्रकाश में आया है।
5.	उत्तर प्रदेश	(i) आगरा	मेहताब बाग	स्थल से मुगलकालीन उद्यानपरिसर की मौजूदगी तथा समकालीन शिल्प-कृतियों, वास्तुशिल्प-अवशेषों, भित्ति-स्तम्भों के शीर्षो, कोष्ठकों, स्तम्भ खंडों आदि का पता चला है।
		(ii) इलाहाबाद	भोटा	स्थल से विविध शिल्प कृतियों का पता चला है जिनमें टेराकोटा की जानवरों की लघु मूर्तियां, मनके, चूड़ियां तथा मौर्यकाल एवं उत्तरकालों की अन्य वस्तुएं शामिल हैं। अन्य वस्तुओं में उत्तरी काले ओपदार मृदंभाण्ड, लाल मृदभाण्ड थे।
		(iii) फरूखाबाद	संकिसा	स्थल से अनेक शिल्प-कृतियां मिली हैं जिनमें 9वीं शताब्दी ईसापूर्व से लेकर 3 शताब्दी ई० तक की टेराकोटा की लघुमूर्तियां, पहिऐ, चूडियां, गेंदें, मुहरा, हड्डी की बनी वस्तुएं, तांबे तथा लोहे की वस्तुएं पत्थर के मनके।
		(iv) बस्ती	सिसवनिया	स्थल से उत्खनन में कुछ संरचनात्मक साक्ष्यांकन और शिल्प कृतियों के विभिन्न स्वरूप जिनमें समतल और चित्र लेपित स्वरूपों में दोंनो

1	2	3	4	5
				रूप में भाण्ड, ताम्बें की बनी वस्तुएं, अल्प मूल्यवान पत्थर के मनके, शीशे के कड़े, हड्डियों से निर्मित वस्तुएं ताम्बे और लोहे से निर्मित वस्तुएं तथा अन्य उपलब्ध वस्तुएं जो लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ए०डी० की अवधि के बीच।
6.	कर्नाटक	(i) बेलारी	हम्पी	वीर हरीहरा (1336-1357 ए०डी०) के महल परिसर में बड़ी मात्रा में शिल्प-कृतियां, चीनी मिट्टी के बरतन, विभिन्न पुष्प-विषयक चिन्हों वाले दृष्टव्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ तांबे के सिक्के, कोड़ियां, प्रकवच, धीया पत्थर पर बने शिव लिंग भी प्राप्त हुए हैं।
		(ii) उत्तर कन्नड	बनवासी	यहां पर की गई खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में चुतू काल के अल्प-मूल्यवान पत्थरों के मनके एवं चाकलेटी भूरे मृद भाण्ड सातवाहन काल की टेराकोटा की बनी मानव की लघु मूर्तियां एवं शिल्प कृतियां कदम्ब काल के लघु एवं बड़ें कांच के मनके लोहे की वस्तुएं एवं शिल्प-कृतियां तथा मैसूर वोदेयक्षे एवं उत्तर कदम्ब काल के टीपू सुल्तान के कुछ सिक्के शामिल हैं। कालक्रम के मुताबित ये काल सी पहली शताब्दी ईसा पूर्व से सी 18 वीं शताब्दी ए०डी० के बीच की हैं।
		(iii) गुलबर्गा	कंगनहल्ली	उत्खनन से सी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व-तीसरी शताब्दी ए०डी० की शिल्प कृतियों का पता चला है जिनमें सातवाहन काल के शीशे के सिक्के, ओपदार मृदभाण्ड एवं बड़ी संख्या में अलंकृत चूना पत्थर के फलक तथा बुद्ध की चित्रित करने वाली कुछ मूर्तियां शामिल हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में स्टाप बांध का निर्माण

4600. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में मोहगांव के निकट बनाये जा रहे स्टाप बांध के मस्टर रोल में घोर अनियमित्ताएं बरती जा रही है तथा उसका निर्माण कार्य निम्न स्तर का है और उसमें घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष/परिणाम हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जल संसाधन मंत्रालय को मध्य प्रदेश में मोहगांव के निकट बनाये जा रहे स्टाप बांध के मस्टर रोल में किसी घोर अनियमित्ता, निम्न स्तर के निर्माण तथा घटिया किस्म की निर्माण सामग्री के प्रयोग आदि की जानकारी नहीं है।

(ख), (ग) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बिहार में सी०जी०एच०एस० औषधालय

4601. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बिहार शरीफ, नालंदा, जिले में एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होमियोपैथिक सी०जी०एच०एस० औषधालय खोलने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही शुरू की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मौजूदा मानदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं उन्हीं शहरों में शुरू की जा सकती है जिनमें 7,500 अथवा इससे अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी हों बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों। पहले राज्यों की राजधानियों को लिया जाना है। इस समय बिहार शरीफ में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

सिंचाई योजनाओं के लिए धनराशि

4608. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर खर्च हेतु 28391.79 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान यह राशि खर्च की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो मार्च, 1997 तक खर्च के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) धनराशि के कम आवंटन से कौन-कौन सी चालू सिंचाई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) आठवीं पंजवर्षीय योजना में वृहद, मझौली तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 28391.79 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। आठवीं योजना के दौरान वृहद, मझौली तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं पर 27,313,73 करोड़ रुपए का प्रत्याशित व्यय है।

(घ) सिंचाई राज्य का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की तैयारी निष्पादन तथा वित्त पोषण राज्यों द्वारा स्वयं उनके संसाधनों से किया जाता है। राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋणों एवं अनुदानों के रूप में जारी की जाती हैं जो किसी क्षेत्र के विकास तथा परियोजना से जुड़े हुए नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों/पत्तनों के लिए धनराशि

4609. श्री एल० रमना :
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1997 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में "हाइवेज, पोर्टस नीड 50 बिलियन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) सड़क अवसंरचना के लिए 30 बिलियन अमरीकी डालर और क्षमता में आवश्यक विस्तार एवं पत्तन की बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन के लिए 20 बिलियन अमरीकी डालर की आवश्यकता है।

(ग) सरकार, सड़कों और पत्तनों से संबंधित बुनियादी परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र से निवेश प्राप्त करने की इच्छुक है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से ऋण

4610. श्री मोहन रावले : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से बातचीत करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि जैसी विदेशी वित्त पोषण एजेंसियों से वित्तीय सहायता मांगती है। इस प्रक्रिया में साध्यता अध्ययन, परियोजना की मूल्यांकन लागत आदि जैसे अनेक कदम शामिल हैं और इसे योजनाओं के जरिए सत्त् आधार पर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सियाचिन ग्लेसियर में सैनिकों की दिक्कतें

4611. चौधरी रामचन्द्र बैंदा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियाचिन ग्लेसियर अत्यधिक ऊंचाई पर अवस्थित है तथा यह बर्फीले पहाड़ियों से घिरा है तथा वहां ड्यूटी पर हमारे सैनिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या भारत-पाक युद्ध के दौरान तथा शांति के समय में भी हमारे सैनिकों की सियाचिन ग्लेसियर में जान-माल की हानि हुई;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने सैनिक अधिकारियों तथा सैनिकों की जाने गयी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत-पाक युद्धों के दौरान सियाचिन सेक्टर में कोई युद्ध नहीं हुआ था। सियाचिन क्षेत्र में हमारे सैनिकों की तैनाती के समय से लेकर अब तक 517 मौतें हो चुकी हैं जिनमें से अधिकांश मौतें अत्यधिक प्रतिकूल जलवायु के कारण हुई हैं।

(घ) उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए अपनाए गए उपायों में सैनिकों की शीघ्रतापूर्वक बदली, अत्यधिक ठंड में उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रकार के कपड़ों की मदों की व्यवस्था, समुचित शेल्टरों की व्यवस्था, और उच्च कैलोरी वाला विशेष भोजन प्रदान करना शामिल

है। इसके अलावा, यहां तैनात सैनिकों को विशेष भत्ता और कुछ अन्य लाभ भी देय हैं।

[अनुवाद]

भदरवाह में छावनी

4612. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भदरवाह में एक छावनी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और भदरवाह में छावनी स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) छावनी अधिनियम 1924 की धारा 3 के अंतर्गत कश्मीर में भदरवाह की छावनी के रूप में अधिसूचित किए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथापि जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भदरवाह में एक मिलिट्री स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए 7137 कनाल व 19 मर्ला भूमि अधिगृहीत की गई है। कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार भूमि के मुआवजे के रूप में 17,36,49,563 रुपए की राशि रिलीज कर दी गई है।

(ग) ऐसी स्थिति में परियोजना के पूरा होने के लिए कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने जैसी कार्रवाई पहले ही आरंभ हो चुकी है।

कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

4613. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं जिन्हें केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठन कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं तथा फिर भी उक्त परियोजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या महाराष्ट्र के अनेक गैर-सरकारी संगठनों के वित्तीय सहायता सम्बन्धी अनुरोध या तो लम्बित पड़े हैं अथवा उन्हें मना कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के अनुसार केवल कैंसर उपचार से जुड़े गैर सरकारी संगठनों को ही सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) अक्तूबर, 1996 के बाद, महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को दिया गया सहायता अनुदान

I. जागरूकता उत्पन्न करने और शीघ्र पता लगाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के सहायता देने की योजना।

1. पी० पेरीची गाउंडर मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, कोयम्बतूर
2. इन्दौर कैंसर फाउण्डेशन, इंदौर
3. इंडियन कैंसर सोसायटी, दिल्ली
4. एफ०जे०एम०एम० हास्पिटल एवं कम्यूनिटी हैल्थ यूनिट, जिला—अहमदनगर, महाराष्ट्र
5. धर्मशिला कैंसर फाउण्डेशन एवं रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली
6. कैंसर सोसायटी आफ मध्य प्रदेश, ए०जी०एम० मेडिकल कालेज, मध्य प्रदेश
7. परावेरा रूरल हास्पिटल लोनी, महाराष्ट्र
8. कैंसर सेंटर एवं वैलफेयर होम, ठाकूरोकर (पश्चिम बंगाल)
9. इंडियन कैंसर सोसायटी, सोलापुर, महाराष्ट्र
10. बरसात कैंसर रिसर्च एवं वैलफेयर सेंटर, बरसात, पश्चिम बंगाल
11. कैंसर केयर ट्रस्ट एवं रिसर्च सेंटर, इंदौरा, मध्य प्रदेश
12. अमला कैंसर हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, इंदौरा, मध्य प्रदेश
13. श्री प्राणनाथ मिशन, जन कल्याण आश्रम, रायपुर, मध्य प्रदेश
14. मलाबर कैंसर केयर सोसायटी कान्नर, केरल
15. पूना मेडिकल फाउण्डेशन, पुणे
16. मीनाक्सी मिशन हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, मदूरै, तमिलनाडू
17. लोकमान्य मेडिकल फाउण्डेशन, पुणे
18. साधू वासवानी मेडिकल काम्पलैक्श, पुणे

II क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र

1. आर०सी०सी०आर०टी०एस०, कटक
2. कैंसर इन्सटिच्यूट, मद्रास
3. जी०सी०आर०आई०, अहमदाबाद
4. एम०एन०जे० इन्सटिच्यूट, हैदराबाद
5. के०एम०एन०एच०, इलाहाबाद

6. सी०एच०आर०आई०, ग्वालियर

III. कोबाल्ट थिरेपी यूनिट प्रदान करने की योजना

1. पूना मेडिकल फाउण्डेशन, पुणे
2. संजीवन मेडिकल फाउण्डेशन, मीराज
3. साधू वासवानी मेडिकल काम्पलैक्श, पुणे
4. महात्मा गांधी इन्सटिच्यूट आफ मेडिकल साइन्स, सेवाग्राम, वर्धा
5. लीयन्स डिस्ट्रिक 324 सी-1 कैंसर ट्रेटमेंट एवं रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम।

मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए क्षेत्र विशेष कार्यक्रम

4614. कुमारी ममता बनर्जी :
श्री ई० अहमद :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए क्षेत्र विशेष योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य वार लाभान्वित हुए विद्यालयों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी किस प्रकार की जाती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) (I) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए हम गहन कार्यक्रम की योजना का उद्देश्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले ऐसे क्षेत्रों में शैक्षिक आधारभूत ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध कराना है जहां प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

(II) मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना का उद्देश्य मदरसों तथा मकबरों जैसे पारंपरिक संस्थाओं को अपनी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित करना है।

(ख) इन योजनाओं के तहत संस्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इन कार्यक्रमों की मानटरिंग की जा रही है।

विवरण-I

राज्य का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4
गुजरात	इंद्राबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भुंज में 25 लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण कुल 10.93 लाख रु०	–	–
कर्नाटक	12 नए प्राथमिक विद्यालय खोलना (बीदर, गुलबर्गा और वीजापुर में 4-4) कुल अनुमानित लागत 30.96 लाख रु०	–	–
केरल	24 निम्न प्राथमिक विद्यालय, 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 6 आवासीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुल अनुमानित लागत 210.96 लाख रु०	–	–
मध्य प्रदेश	I फूल महल I और II केन्द्रीय कारागर और बरसिया में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5 कमरों के भवनों तथा चहारदीवारी का निर्माण प्रति भवन 6 लाख रु० की दर से	–	–
	II राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 14 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण-बेबीयाली में 3 कमरे, बाडखेराय में 3 कमरे, निशातपुरा में 2 कमरे, टी०टी०नगर में 4 कमरे तथा गोविंदपुर में 2 कमरे 90,000 रु० प्रति कमरा की दर से कुल अनुमानित लागत 30.60 लाख रु०	–	–

1	2	3	4
राजस्थान	(i) 28 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का प्रावधान	(i)(क) मौजूदा प्राथमिक स्कूलों में 170 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण (ख) मौजूदा उच्च प्राथमिक स्कूलों में 195 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण (ग) हाल ही में स्तरोन्नत उच्च प्राथमिक स्कूलों में 45 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण 1.30. लाख रु० प्रति शिक्षण कक्ष की दर से	क्षेत्र गहन कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई निधियां 88.40 101.40
	(ii) आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत शामिल न किए गए 40 प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्ययन–अध्यापन सामग्री का प्रावधान।	(ii) 69 प्राथमिक स्कूलों में मुख्याध्यापक कक्षों का निर्माण 60000 रु० प्रति कमरा की दर से	16.56
	(iii) आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत शामिल 76 प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्ययन-अध्यापन सामग्री का प्रावधान	(iii)(क) 202 प्राथमिक स्कूलों में 0.02 लाख रु० की दर से तथा (ख) 91 उच्च प्राथमिक स्कूलों में 0.50 लाख रु० की दर से अध्ययन अध्यापन सामग्री की आपूर्ति	4.04 45.50
			279.30
	(iv) 23 उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्ययन सामग्री का प्रावधान कुल अनुमानित लागत 25.42 लाख रु०	जैसलमेर जिले के जैसलमेर और पोखरन ब्लाकों, बाडमेर जिले के शिव और चोटन ब्लाकों, सीकर जिले के फतेहपुर ब्लाक, अलवर जिले के तिजारा और रामगढ़ ब्लाकों, भरतपुर जिले के कामा और नाग्रा ब्लाकों के लिए परियोजनाएं अनुमोदित हैं।	
उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद, बस्ती गोंडा, देवरिया, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, पीलीभीत, गाजियाबाद, बहराइंच, बाराबंकी	11 जिलों में 4-4 निम्न प्राथमिक स्कूल तथा 2-2 उच्च प्राथमिक स्कूल तथा गाजियाबाद जिले में सिर्फ 2 उच्च प्राथमिक स्कूल	
	मुरादाबाद, बस्ती गोंडा, बिजनौर, बहराइंच, मेरठ, रामपुर, बाराबंकी मुजफ्फरनगर	प्रस्ताव की कुल अनुमानित लागत है 91.40 लाख रु० 35 प्राथमिक स्कूलों के लिए भवन निर्माण 90 हजार रु० प्रति भवन की दर से (2 कमरे 45 हजार रु० प्रति कमरे की दर से)	

निम्नलिखित ब्लाकों में 93 प्राथमिक स्कूल तथा 26 उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना;

जिला	ब्लाक	खोले जाने स्कूलों की संख्या प्राथमिक	उच्च प्रा०	अनु० प्रा०	लागत उच्च प्रा० (रु० लाख में)
बरेली	बरेली	10	3	17.80	10.29
	बहेरी	11	3	19.58	10.29
	नवाबगंज	8	2	14.24	6.86
	आवला	8	2	14.24	6.86
लखनऊ	मलीहाबाद	8	2	14.24	6.86
	लखनऊ	8	2	14.24	6.86
बदायूं	बदायूं	8	2	14.24	6.86
बुलंदशहर	सिकन्द्राबाद	6	2	10.68	6.86
शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	10	3	17.80	10.29
आजमगढ़	मोहमदाबाद	10	3	17.80	10.29
		93	26	165.54	89.18

कुल : 254.72 लाख रु०

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	(ii) 35 प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्ययन-अध्यापन सामग्री का प्रावधान पति विद्यालय 10 हजार रु० की दर से	(iii) उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए भवन का निर्माण 180000 प्रति विद्यालय की दर से (4 कमरे 45 हजार रु० प्रति कमरे की दर से) (iv) 21 उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्ययन-अध्यापन सामग्री, विज्ञान किट, पुस्तकालय-पुस्तकें 17000 रु० प्रति विद्यालय की दर से कुल लागत 76.475 लाख रु० है।	
पश्चिम बंगाल	माल्दा नदिया दक्षिण 24 परगना कूच बिहार	(i) 24 प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण (चंबल-3, कालीगंज, मूराहर-I तथा शीतलकुचिया ब्लाकों में 6.6) 75000/- रु० प्रति भवन की दर से (ii) चार उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण और उनके लिए *फर्नीचर (उपर्युक्त सभी ब्लाकों में एक-एक 2.00 लाख रु०* प्रतिभवन की दर से कुल अनुमानित लागत 26.00 लाख रु०	

विवरण-II

मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

(रु० लाख में)

राज्य का नाम	वर्ष 1994-95		1995-96		1996-97	
	जारी की गई राशि	मदरसों की सं०	जारी की गई राशि	मदरसों की सं०	जारी की गई राशि	मदरसों की सं०
1	2	3	4	5	6	7
1. उत्तर प्रदेश	11.70	40	34.88	120	91.61	313
2. मध्य प्रदेश	5.77	19	11.09	39	शून्य	—
3. हरियाणा	1.52	5	1.32	5	7.40	25
4. केरल	—	—	12.77	42	शून्य	—
5. त्रिपुरा	—	—	7.30	24	37.65	127
6. पश्चिम बंगाल	—	—	24.32	80	24.77	92
7. असम	—	—	19.46	64	8.37	49
8. तमिलनाडु	—	—	0.30	1	शून्य	—

1	2	3	4	5	6	7
9. राजस्थान	—	—	4.07	पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए	11.26	186 मदरसों के लिए पुस्तक बैंक
10. सिक्किम	—	—	0.30	1	0.26	1
11. दिल्ली	—	—	1.52	5	शून्य	—
12. आंध्रप्रदेश	—	—	—	—	10.95	96
13. बिहार	—	—	—	—	44.38	146
14. चंडीगढ़	—	—	—	—	0.30	1
15. महाराष्ट्र	—	—	—	—	1.82	6
16. कर्नाटक	—	—	2.74	9	2.38	9
योग	18.99	64	1,20.07	390	2,41.15	808

पत्तनों का विकास

4615. श्री सुरेश प्रभु : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु कोई राष्ट्रीय संदर्शी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1996-97 के दौरान इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और 1997-98 में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) पत्तनों के विकास हेतु प्रमुख नीतिगत पहल/निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विचाराधीन ढांचागत परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेषतः पश्चिमी तट के लिए प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और हाल ही में प्राइवेट क्षेत्र की कौन-कौन सी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में अनुमानतः कितना निदेश किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। "भारतीय पत्तन क्षेत्र परिदृश्य-2020 हेतु भावी योजना तैयार करने के लिए अप्रैल, 1997 में मैं० राइट्स को एक अध्ययन कार्य सौंपा गया था।

(ग) आयात/निर्यात यातायात की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न महापत्तनों पर न केवल केन्द्रीय सैक्टर के माध्यम से बल्कि निजी क्षेत्र की पूंजीगत भागीदारी के माध्यम से भी पत्तन क्षमता के आधुनिकीकरण/बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में विस्तृत मार्ग निदेश जारी किए जा चुके हैं।

(घ) पत्तनों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां दे दी गई हैं महापत्तनों पर पत्तन टैरिफ के निर्धारण और संशोधन के लिए एक स्वतंत्र टैरिफ प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(ङ) पश्चिमी तट पर चालू मुख्य परियोजनाएं हैं—कांडला में तीसरी तेल जेट्टी का निर्माण और आठवें कार्गो बर्थ का निर्माण, मुम्बई पत्तन में समुद्री पाइपलाइनों को बदलना और नव मंगलूर में पी ओ एल हैंडलिंग सुविधाएं। जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर लगभग 700 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक नए दो बर्थ वाले कन्टेनर टर्मिनल के निर्माण से संबंधित निजी क्षेत्र की मुख्य परियोजना को अभी हाल में अनुमति दी गई है।

कैन्टबोर्ड कर्मचारियों को पेंशन

4616. श्री अशोक प्रधान : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कैन्टबोर्ड में बहुत से कर्मचारियों को जो 1 मई, 1976 जबकि पेंशन उपदान योजना शुरू हुई थी, नियमानुसार पूरी पेंशन नहीं दी गई है और उनमें से अधिकांश अभी भी तदर्थ पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें नियमानुसार देय पूर्ण पेंशन की शीघ्र अदायगी के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या जिन पेंशन भोगियों ने अपना निवास बदल लिया है वे अपने निवास स्थान पर स्थित अनुसूचित बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं और क्या इन कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी गई है; और

(घ) उनकी कठिनाई कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन०सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) महानिदेशक, रक्षा संपदा को समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने और सभी लंबित मामलों के निपटान के लिए एक निर्दिष्ट समय-सीमा

निर्धारित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। उनके कुछ पेंशनभोगियों, जिन्होंने अपनी पेंशन अनुसूचित बैंकों के माध्यम से लेना स्वीकार किया है और अपने आवास दूसरे स्थानों पर बदल दिए हैं, वे अपनी पेंशन अपने रहने के स्थान पर स्थित अनुसूचित बैंकों से आहरित करने के हकदार हैं। तथापि, केवल कुछ पेंशनभोगी जो दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कर गए हैं वे अपने रहने के स्थानों पर मनीआर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट/चैक से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

गुजरात में प्राइवेट घाट (जेटी)

4617. श्री सनत मेहता : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने रक्षित प्राइवेट घाट हैं और ये कहां-कहां हैं;

(ख) गुजरात तट के लिए अब कितने नए घाटों को मंजूरी दी गई है; और

(ग) रक्षित प्राइवेट घाट किन-किन सामान्य शर्तों को पूरा करते हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) सरकार ने पी०ओ०एल० उत्पाद हैंडल करने के लिए कांडला में आबद्ध आभासी जेटियों के निर्माण के लिए भारतीय तेल निगम (आई०ओ०सी०) और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच०पी० सी०एल०) को अनुमति दी है। दोनों आभासी जेटियों का निर्माण करके चालू कर दिया गया है। सरकार ने अमोनिया, फास्फोरिक एसिड और अन्य तरल उत्पादों को हैंडल करने के लिए कांडला में आर०सी०सी० तरल जेटी के निर्माण के लिए मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइजर्स को-ओपरेटिव लिमिटेड (आई०एफ०एफ०सी०ओ०) को भी अनुमति प्रदान कर दी है। दिनांक 26.10.96 के दिशा-निर्देशों के अनुसार आबद्ध पत्तन सुविधाओं के लिए सामान्य शर्तें विवरण में संलग्न हैं।

विवरण

जांच सूची

मध्यपत्तनों में आबद्ध सुविधाओं की आवश्यकता

1. क्या पत्तन आधारित उद्योग का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय आबद्ध जेटी की आवश्यकता से पूर्णतः संतुष्ट है।
2. क्या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय इस बात से संतुष्ट है कि उस मामले पर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई न किए जाने का पर्याप्त औचित्य है।
3. क्या आवेदक कंपनी तकनीकी और वित्तीय रूप से सुदृढ़ है और उस परियोजना तथा आबद्ध जेटी को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व उपलब्धियां/कंपनी कार्य विवरण है जिसके लिए आवेदन किया गया है और क्या वे ऐसी स्थिति में हैं कि मुख्य परियोजना तथा आबद्ध जेटी के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सकें।
4. आवेदक कंपनी कोई ट्रेडिंग हाउस अथवा ट्रेडिंग पी०एस०यू० नहीं बल्कि पत्तन विशिष्ट उद्योग होना चाहिए। "उद्योग" की परिभाषा का तात्पर्य यह होगा और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल होगा कि कच्चे माल/निवेश को विभिन्न उत्पादों की कीमत वृद्धि द्वारा अवश्य परिवर्तित किया जाएगा।
5. पत्तन को यह जांच करनी चाहिए कि क्या प्रस्ताव में किफायत संबंधी मानदंड पर प्रस्ताव में विचार किया जा चुका है और क्या प्रस्तावित आबद्ध बर्थ/जैटी पर इतनी मात्रा में कार्गो हैंडल किया जाएगा जितना पत्तन की किसी समकक्ष बर्थ पर हैंडल किया जाता है।
6. संयुक्त उद्यम के मामले में क्या मुख्य शेयर धारक तकनीकी और वित्तीय सक्षमताओं, पर्याप्त संसाधन जुटाने की योग्यताओं, अनुभव और पूर्व उपलब्धियों आदि को पूरा करते हैं।
7. आबद्ध कार्गो के लिए बर्थ के उपयोग का प्रतिशत जिसकी गणना एक वर्ष में आबद्ध प्रयोजनों के लिए किए गए बर्थ के प्रयोग के दिनों की संख्या से की गई हो। किसी दिन किसी कारणवश यदि उद्यमी अपने आबद्ध कार्गो के लिए बर्थ का प्रयोग नहीं कर सकता तो इसे पत्तन न्यास बोर्ड के साथ हुए समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार पत्तन अथवा अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।
8. क्या आबद्ध सुविधा के लिए उद्यमी द्वारा साध्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है/तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। यदि साध्यता रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है तो इसे यह सुनिश्चित करने के लिए पत्तन द्वारा देख लिया गया है/जांच कर ली गई है कि क्या इससे पत्तन के अनुमोदन की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं।
9. क्या प्रस्तावित आबद्ध सुविधाओं और पत्तन की मास्टर प्लान के बीच कोई विरोध है।
10. क्या पत्तन के सभी संबंधित घटकों जो ध्यान में रखते हुए अधिकतम वसूली की गणना कर ली है।
11. आवेदक कंपनी को सभी संविदात्मक शर्तें स्वीकार करनी चाहिए और कार्य निष्पादन गारंटियां प्रदान करनी चाहिए जो बी०ओ०टी० करारों में लागू रहेंगी।
12. इसके अतिरिक्त क्या संबंधित मामले से दिनांक 26.10.96 के निजी क्षेत्र की सहभागिता संबंधी दिशा-निर्देशों की अपेक्षाएं पूरी होती हैं।

फेफड़ों की बीमारी

4618. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार अधिकतर यातायात पुलिस कर्मी फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त रोगियों के उचित इलाज के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) बल्लभभाई पटेल चेस्ट इनस्टिट्यूट, दिल्ली द्वारा दिल्ली में यातायात पुलिस पर वायु प्रदूषण के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किए गए एक अध्ययन के दौरान अब तक के अवलोकन से पाया गया कि अध्ययन किए गए 56 में से 9 व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के श्वसनी लक्षण पाए गए जो प्रत्यक्षतः अस्थाई प्रकार के थे। इस निष्कर्षों के प्रभाव तभी स्पष्ट होंगे जब इन व्यक्तियों की अगले कुछ वर्षों तक नियमित रूप से जांच की जाए।

(ग) और (घ) फेफड़े की विभिन्न बीमारियों के उपचार की सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

डाक्टरों के लिए ग्रामीण सेवा को अनिवार्य बनाना

4619. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक्टरों के लिए ग्रामीण सेवा को अनिवार्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों के रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में राज्यों विशेषतः महाराष्ट्र से कोई सूचना मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 8-10 जनवरी 1997 को हुए पांचवे सम्मेलन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की रिक्तियां भरने के लिए क्षेत्रीय - विकेन्द्रीकृत भर्ती नीति शुरू करने तथा 2-3 वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा शुरू करने पर विचार कर सकती हैं।

(ख) और (ग) 30.6.96 को उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश तथा महाराष्ट्र राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की स्थिति संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

राज्य का विषय होने के कारण इन केन्द्रों में डाक्टरों की भर्ती एवं तैनाती राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। राज्य सरकारों को डाक्टरों की रिक्तियां, यदि आवश्यक हो तो संविदा के आधार पर भरने के लिए समय-समय पर सुझाव दिए जाते हैं।

विवरण-I

विभिन्न स्तरों पर डाक्टरों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

	अपेक्षित	मंजूर	कार्यरत	रिक्त	कमी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र					
चिकित्सा अधिकारी	21854	32074	26930	5150	2378
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र					
शल्य चिकित्सक	2424	1366	738	628	1686
प्रसूति विशेषज्ञ एवं स्त्री रोग विज्ञानी	2424	1150	588	562	1836
चिकित्सक	2424	1131	645	846	1883
बाल रोग विशेषज्ञ	2424	858	526	332	1898

विवरण-II

महाराष्ट्र में विभिन्न स्तरों पर डाक्टरों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

	अपेक्षित	मंजूर	कार्यरत	रिक्त	कमी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र					
चिकित्सा अधिकारी	1695	2887	2286	601	

	अपेक्षित	मंजूर	कार्यरत	रिक्त	कमी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र					
शल्य चिकित्सक	295	135	81	54	214
प्रसूति विशेषज्ञ एवं स्त्री रोग विज्ञानी	295	76	67	9	228
चिकित्सक	295	47	41	6	254
बाल रोग विशेषज्ञ	295	55	55	—	240

ग्रामीण विकास हेतु धनराशि

4620. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु और केन्द्रीय धनराशि उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश ने पहले की धनराशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार बेरोजगार युवाओं हेतु मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जन्मभूमि योजना को धनराशि उपलब्ध कराने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने राज्य को आवंटित सारी धनराशि खर्च करके केन्द्रीय योजनाओं को कार्यान्वित किया है; और

(च) यदि हां, तो किन-किन योजनाओं पर धनराशि का उपयोग किया गया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारापू येरननायडू) : (क) से (च) मुख्य ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों को निधियां, योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी के अनुपात के आधार पर आवंटित की जाती है। राज्यों के अतिरिक्त निधियों की मांग के अनुरोध पर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया जाता है और राज्य उसका अनुपालन करते हैं।

वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है :–

कार्यक्रम	उपयोग की गई निधियों का प्रतिशत
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	69.20 (फरवरी, 1997 तक)
जवाहर रोजगार योजना	42.08 (नवम्बर 1996 तक)
सुनिश्चित रोजगार योजना	28.42 (नवम्बर 1996 तक)
दस लाख कुंओं की योजना	73.77 (जनवरी 1997 तक)
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	49.58 (जनवरी 1997 तक)

मंत्रालय में "जन्म भूमि योजना" का वित्त-पोषण करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सिंचाई हेतु जल संसाधनों का विकास

4621. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि किसानों को नहरों तथा नल कूपों से उनके खराब पड़े रहने के कारण समय पर जल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने में अनियमित्ताओं के कारण हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि असिंचित रह जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में देश में समुचित जल संसाधन के अभाव में कितनी कृषि योग्य भूमि असिंचित रही; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि में सुधार लाने हेतु किसानों को आवश्यकता पड़ने पर समुचित मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) किसी भी वर्ष में किसानों को जल की सुनिश्चित और समय पर आपूर्ति उस वर्ष में सतही और पुनर्भरणीय भूजल की उपलब्धता और ठीक प्रकार से कार्य कर रहे यांत्रिक भूजल पंपिंग यूनिटों की संख्या पर निर्भर करती है।

(ख) कृषि मंत्रालय में द्वारा रखे जा रहे अद्यतन भूमि प्रयोग आंकड़ों (1993-94) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में वास्तव में सिंचित क्षेत्र और कृषि योग्य क्षेत्र नीचे दिया गया है :

(मिलियन हैक्टेयर)

	कुल कृषि योग्य क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र
1991-92	184.99	49.87
1992-93	184.88	50.30
1993-94	184.26	51.45

(ग) किसानों को सिंचाई सुविधाएं देने के लिए देश में बहुत सी वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है।

लेसर के चिकित्सीय उपयोग का मूल्यांकन

4622. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को लेसर के चिकित्सीय उपयोग के मूल्यांकन विकिरण के उद्दीप्त निर्गमन द्वारा हल्का परिवर्द्धन के लिये एक केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अन्य आयुर्विज्ञान संस्थानों को भी मान्यता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र ने लेसर के चिकित्सीय उपयोग के मूल्यांकन के लिए किसी संस्थान को मान्यता नहीं दी है। लेकिन उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र ने लेसर के चिकित्सीय उपयोग में अनुसंधान करने के लिए निम्नलिखित पांच चिकित्सा संस्थानों को धन प्रदान किया है :–

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2. श्री चित्र तिरुमाल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम,
3. सेठ जी०एस० मेडिकल कालेज एवं के०ई०एम० अस्पताल, मुम्बई
4. चोइथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर
5. विवेकानन्द आयुर्विज्ञान संस्थान, कलकत्ता

इन संस्थानों से प्राप्त फीडबैक से लेसर के डिजाइन में सुधार करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र को सहायता मिली है।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4623. श्री शिवराज सिंह : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने में बैंक अनावश्यक देरी करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि गरीबों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर ऋण दिया जा सके,

(ग) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(घ) इस योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) ऋणों का समय पर वितरण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान मार्गदर्शी-सिद्धांतों और अनुदेशों के बावजूद बैंकों द्वारा ऋणों की मंजूरी और वितरण में विलम्ब के बारे में राज्यों से निरंतर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। मामले पर केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ऋण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की पिछली संयुक्त बैठक में चर्चा की गयी थी जिनमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य सचिव और वाणिज्यिक बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल थे। यह निर्णय लिया गया कि विकास खण्डों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा प्रायोजित सभी ऋण प्रस्तावों को बैंकों द्वारा इनके प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर स्वीकृत किया जाएगा। इसी प्रकार, सभी स्वीकृत प्रस्तावों के मामले में वितरण, मंजूरी की तारीख से 60 दिनों के अंदर किया जाएगा। अस्वीकृत प्रस्तावों के कारण, यदि कोई हों, के बारे में प्रायोजित करने वाली एजेंसियों को तत्काल सूचित किया जाएगा। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयुक्त अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ग) आरंभ से लेकर फरवरी, 1997 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 502.86 लाख परिवारों को सहायता दी जा चुकी है।

(घ) दिसम्बर, 1992 से फरवरी, 1993 की अवधि के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 14.81% पुराने लाभार्थी 11,000 रुपए की संशोधित गरीबी रेखा को पार कर सके और 50.4% परिवार 6,400 रुपए की पुरानी गरीबी रेखा को पार कर सके।

[अनुवाद]

पत्तनों के विकास हेतु नीति

4624. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रमुख पत्तनों के विकास हेतु नई नीति को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो विकास/दर्जा बढ़ाने/आधुनिकीकरण/पत्तनों के विस्तार और उनकी अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने संबंधी प्रस्तावित नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में किए जाने वाले संभावित पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में इन परियोजनाओं के लिए 1996-97 के दौरान स्वीकृत प्रमुख प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) नई नीति के अंतर्गत नौंवी योजना के दौरान अनुमानित मांगों को पूरा करने के लिए महापत्तनों में अतिरिक्त कार्गो हैंडलिंग क्षमता केवल केन्द्रीय क्षेत्र के जरिए निवेश करके ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की सहभागिता से भी सृजित करने का प्रस्ताव है।

(ग) नौवीं योजना 1997-98 में पत्तन विकास परियोजनाओं में केन्द्रीय क्षेत्र में 8800 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जबकि 6554 करोड़ रु० की राशि का निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किए जाने की संभावना है।

(घ) महाराष्ट्र में एक मुख्य परियोजना अर्थात् जवाहर लाल नेहरू पत्तन में दो बर्थ वाला एक नए कंटेनर टर्मिनल को 1996-97 के दौरान स्वीकृति दी गई है।

वायुसेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

4625. श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना अध्यक्ष ने 7 अप्रैल, 1997 को वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा कि वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाओं में अधिकांश दुर्घटनाएं तकनीकी खराबी/अपर्याप्तताओं के कारण होती हैं और इनमें से सत्तर प्रतिशत विमान हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायुसेना विमानों की दुर्घटनाओं को टालने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) 7 अप्रैल, 1997 को भारतीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए वायुसेनाध्यक्ष ने कहा था कि भारतीय वायुसेना के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष में दुर्घटनाओं की अब तक की न्यूनतम दर प्राप्त की है। उनका यह भी कहना था कि अधिकांश दुर्घटनाएं तकनीकी असफलताओं/अपर्याप्तताओं के कारण हुई थीं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इनमें से 70% वायुयान हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित थे।

(ख) दुर्घटनाओं के गहन अध्ययन के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

ऑपरेशन "ब्लैक बोर्ड" के अन्तर्गत धनराशि का दुरूपयोग

4626. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में जिला पंचायतों द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत अनियमितताएं बरती गई है और धनराशि का दुर्विनियोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्नाटक सरकार से इन अनियमितताओं की जांच कराने के लिए कहा है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत 1995-96 और 1996-97 के दौरान कर्नाटक में जिला पंचायतों को कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत अनियमितताएं और दुर्विनियोजन रोकने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विस्तारित चरण के अन्तर्गत जिला पंचायत चित्र दुर्ग द्वारा पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराए जाने में बरती गई अनियमित्ताओं के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा की गई जाँच तथा इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर बात-चीत के माध्यम से निविदा की दरें घटा दी गई हैं।

(ग) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत जिला पंचायतों को प्रदान की गई धन राशि निम्नवत है :–

वर्ष 1995-96	1381.10 लाख रु०
वर्ष 1996-97	2567.76 लाख रु०

(घ) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने खरीद करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित कर दी है। खरीद करने में अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

सुरक्षा बलों में रिक्त स्थान

4627. श्री संदीपान थोरात : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुरक्षा बलों के तीनों अंगों (विंग्स) में विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों तथा 1997-98 के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी कार्यवाहियों तथा वर्ष 1997-98 हेतु व्यापक श्रेणियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता तथा जवानों अथवा अन्य सैन्य कर्मियों के चयन हेतु तैयार की गयी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्षा सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या नीति तैयार की गयी है; और

(घ) विशेषकर महाराष्ट्र में उभरती हुई रक्षा भर्ती प्रशिक्षण का उन्नयन और विस्तार से समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर संगठन तथा प्रशिक्षण आदानों के पुनर्गठन सहित प्रस्तावित चयन/भर्ती के पुनर्गठन और तैयार करने संबंधी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (घ) सेना में अफसरों की कुल 44703 की प्राधिकृत संख्या में से 12972 अफसरों की कमी है।

भारतीय वायुसेना में अफसरों और अन्य रैंकों (सिविलियन सहित) के इस समय 175910 पद हैं। इसके तहत वर्तमान संख्याशक्ति 166899 है जिसके परिणामस्वरूप 9011 पदों की कमी है।

इस समय नौसेना में 2691 पद (अफसर 624 और नाविक 2067) रिक्त हैं।

सेनाओं में भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार सेना अफसरों की वेतन व सेवाशर्तों में सुधार, भर्ती के लिए जोरदार, अभियान, कैरियर के रूप में रक्षा सेवा के सकारात्मक पक्षों की प्रस्तुति, स्थायी कमीशन प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती में वृद्धि, विश्वविद्यालय प्रवेश योजना लागू करने, अफसरों के रूप में महिलाओं की भर्ती, सेवानिवृत्त अफसरों की पुनर्नियुक्ति जैसे विभिन्न उपाय कर रही है।

तीनों सेनाओं में कमीशन दिए जाने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के "सी" प्रमाण-पत्र धारकों को प्रोत्साहन दिया जाता है। रक्षा सेनाओं के रैंकों पर भर्ती होने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के "क", "ख" और "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को भी प्रोत्साहन दिए जाते हैं। अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में अल्प सेवा कमीशन (गैर-तकनीकी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सरकार राष्ट्रीय कैडेट कोर के सेना विंग के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को मई, 1997 से लिखित परीक्षा में बैठने से छूट दे दी है। इन कैडेटों की आयु 19-25 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उनके पास "सी" प्रमाण-पत्र परीक्षा में "बी" ग्रेडिंग व स्नातक-परीक्षा में कम से कम कुल 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

सशस्त्र सेनाओं की तात्कालिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाएं पर्याप्त समझी गई हैं।

सीमा सड़क संगठन के कर्मियों के भत्ते

4628. श्री पी० नामग्याल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक ऊंचाई और ठंडे मौसम वाले स्थानों जैसे जोजीला, खार्डोंगला, तकलागला, बरलाचा-ला और रोहतांग दर्रे इत्यादि में कार्यरत सीमा सड़क संगठन के कर्मियों को इतनी ही ऊंचाई वाले अन्य स्थानों पर उनके बराबर रैंक में कार्यरत कर्मियों की तुलना में बहुत ही कम भत्ते दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त ऊंचाई वाले स्थानों पर कार्यरत सीमा सड़क संगठन के कर्मियों के भत्तों में वृद्धि करना चाहती है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सीमा सड़क संगठन के कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों को विभिन्न स्थानों पर दी जाने वाली भत्तों की दर, कपड़े, राशन तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ग) अत्यधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों और नितान्त ठंडे स्थानों पर नियुक्त सीमा सड़क संगठन के कार्मिकों को निचले स्थानों पर कार्यरत कार्मिकों की तुलना में अधिक भत्तों का भुगतान किया जाता है। वे सीमा सड़क विनियमों के खण्ड चार से छह के प्रावधानों के अनुसार राशन, वस्त्र और अन्य सुविधाओं के भी हकदार हैं।

सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनरीक्षण तथा सेवा की अन्य शर्तों, जिनमें वित्तीय प्रभाव निहित हो, को पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को निर्दिष्ट किया गया था और आयोग की रिपोर्ट को सरकार द्वारा अभी स्वीकार किया जाना है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले संबंधी विशेष व्यवस्था

4629. श्री राघा मोहन सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अनुकम्पा आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा व्यापक नीतिगत निर्णय के अंतर्गत जुलाई, 1969 में प्रधान मंत्री द्वारा किए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष अनुकम्पा के आधार पर दाखिलों में रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि इन विद्यालयों में बिना बारी के दाखिले देने के लिए नियम बनाए जाएंगे।

[अनुवाद]

होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली

4630. श्री दिलीप संघानी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किन अस्पतालों में होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली में बहिरंग रोगी विभाग की शुरूआत की गयी है;

(ख) कितने स्थानों पर होम्योपैथी के चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है तथा अभी कितने स्थान रिक्त पड़े हैं तथा इनका वेतनमान क्या है;

(ग) क्या होम्योपैथी के चार वर्ष के डी०एच०एम०एस० से डिप्लोमा (1980 के पूर्व उर्त्तीण/पूर्ण) को सरकार द्वारा बी०एच०एम०एस० के समतुल्य मान्यता दी गई है; और

(घ) होम्योपैथी के चिकित्सकों के कितने पद किन-किन स्थानों पर रिक्त पड़े हैं तथा इन पदों को भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी तथा इन पर नियुक्तियां कब तक करने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में कालीकट-मंजेश्वरम राष्ट्रीय राजमार्ग

4631. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालीकट से मंजेश्वरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास हेतु केरल को कुछ धनराशि आवंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) कालीकट और मंजेश्वरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के कार्य चरणबद्ध रूप से किए जा रहे हैं और प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं। जब कभी भूमि कब्जे में ली जाती है तो राजमार्ग को और अधिक लम्बाई में परवर्ती योजनाओं के तहत सुधार किया जा सकता है।

(ग) और (घ) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए वर्ष 1997-98 के लिए 69.00 करोड़ रु० की राशि आबंटित किए जाने की संभावना है जिसमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 36.00 करोड़ रु० शामिल हैं।

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

4632. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार राज्य में लम्बित सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु सिंचाई तथा ग्रामीण विकास कोष से प्राप्त 4000 करोड़ रुपए का सदुपयोग करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार तेलंगाना क्षेत्र में योजनाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर तैयार हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या जुराला सिंचाई परियोजना, जोकि काफी समय से लम्बित है पर शीघ्र कार्य करने हेतु ए०आई०बी०बी० कोष से 20 करोड़ रुपए खर्च किये जा रहे थे; और

(घ) अन्य विचारार्थ परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा इनमें से कितनी परियोजनाओं को वर्ष 1997-98 तक पूरा कर दिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) लघु सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, स्वीकृति, निष्पादन तथा वित्त पोषण स्वयं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इन्हें योजना आयोग से निवेश स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम निधियों के लिए जुराला परियोजना का प्रस्ताव नहीं किया है।

(घ) श्री रामसागर परियोजना चरण-1 तथा चेय्येरू परियोजना के अतिरिक्त राज्य सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम निधियों के लिए तीन और परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। वर्ष 1997-98 के दौरान किसी परियोजना के पूरा होने की संभावना नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44

4633. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में विशेष रूप से दक्षिणी असम में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या अपेक्षाकृत कम है;

(ख) क्या मेघालय, असम और त्रिपुरा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 करीमगंज जिले में कई स्थानों पर बड़ी खराब हालत में है और (करीमगंज जिले में) एक वाई पास अभी बनवाया जाना है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) असम के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई प्रति लाख जनसंख्या 10.4 कि०मी० परिकलित की गई है जबकि राष्ट्रीय औसत 4.09 कि०मी० है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई प्रति हजार वर्ग कि०मी 29.24 कि०मी परिकलित की गई है जबकि राष्ट्रीय औसत 10.53 कि०मी० है।

(ख) और (ग) करीमगंज जिले में मेघालय, असम और त्रिपुरा को जोड़ने वाले रा०रा०-44 को उपलब्ध निधियों के भीतर यातायात-योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। करीमगंज बाईपास को दो रेल ओवरब्रिज सहित 14.68 करोड़ रु० के लिए दिसम्बर, 96 में स्वीकृति दी जा चुकी है। कार्य, भूमि अधिग्रहण के तुरन्त बाद शुरू होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग

4634. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार को चालू बजट के दौरान उस राज्य से होकर गुजरने वाली विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करने हेतु कितनी राशि आवंटित की गयी है;

(ख) क्या उस राज्य में चार लेनों वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि नियत की गयी हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 82.00 करोड़ रु० जिनमें 30 करोड़ रु० विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के शामिल हैं, निर्धारित किए गए हैं।

(ख) वार्षिक योजना 1997-98 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार लेन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिक्किम में मेडिकल कालेज की स्थापना

4635. श्री आर०बी० राई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम राज्य में मेडिकल कालेज की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सिक्किम – मनिपाल यूनीवर्सिटी आफ मेडिकल, हेल्थ एंड टेक्नोलोजिकल साइंसेज के अन्तर्गत गंगटोक में एक मेडिकल कालेज खोलने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

शारीरिक प्रशिक्षण कालेज

4636. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने शारीरिक प्रशिक्षण कालेज राज्य-वार कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या बिहार के गिरिडीह जिले का "वनांचल शारीरिक प्रशिक्षण कालेज" बंद पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार शारीरिक प्रशिक्षण कालेज खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो किस-किस स्थान पर ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर०) : (क) भारत सरकार ने देश में राज्य-वार कार्यरत शारीरिक प्रशिक्षण कालेजों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है और इसलिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वनांचल शारीरिक प्रशिक्षण कालेज के बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मिलियन वैल्स स्कीम

4637. श्री एन०जे० राठवा : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मिलियन वैल्स स्कीम" के अंतर्गत गुजरात में विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन नही हो रहा है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) गांधी नगर जिले को छोड़कर गुजरात के जनजातिय और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी जिलों में दस लाख कुंओं की योजना क्रियान्वित की जा रही है। पिछले तीन वर्षो के दौरान दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत निर्मित कुंओं और उन पर हुए खर्च का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वर्ष	निर्मित कुंएं (संख्या)	खर्च (लाख रुपये)
1994-95	6407	2755.38
1995-96	4107	1494.06
1996-97 (2/97 तक)	2425	1023.51

(ख) दस लाख कुंओं की योजना के लक्ष्य समूह के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के गरीब व छोटे और सीमान्त किसान और मुक्त बंधुआ मजदूर आते हैं। वर्ष 1993-94 से यह योजना गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के गरीब और सीमान्त किसानों के लिए भी इस शर्त के साथ लागू की गई है कि गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों के लिए आवंटित राशि कार्यक्रम के कुल आबंटन के एक तिहाई से ज्यादा न हो। गुजरात राज्य सरकार ने इन निर्देशों का पालन किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 पर उपमार्ग (बाईपास) का निर्माण

4638. श्री अरूण कुमार शर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 पर लखीमपुर में उपमार्ग (बाईपास) के निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि, आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) निधियों की कमी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका। चूंकि नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है इसलिए स्थिति बता पाना अभी संभव नहीं है।

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के पलायन

4639. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री जी०ए० चरण रेड्डी :
श्री मोहन रावले :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिवर्ष भारी संख्या में युवा वैज्ञानिक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की सेवा छोड़कर निजी क्षेत्र की सेवाओं में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वैज्ञानिकों द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की सेवा छोड़ने के क्या कारण हैं;

(घ) दक्ष वैज्ञानिकों के पलायन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठनों से वैज्ञानिकों के पलायन से रक्षा परियोजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और

(च) यदि हां, तो किस हद तक ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हाँ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिक/इंजीनियरों की कुल कार्मिक संख्या के लगभग 3% वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने त्यागपत्र दिया था। इनके बारे में वर्षवार विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	त्यागपत्र देने वाले वैज्ञानिकों/इंजीनियरों की संख्या
1994	131
1995	173
1996	144

(ग) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का कार्य चुनौतीपूर्ण है, उनमें से कुछ प्रतिशत वैज्ञानिक/इंजीनियर बेहतर प्रतिपूर्ति (आकर्षक वेतन तथा अन्य सुविधाओं) के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में चले गए हैं।

(घ) युवा वैज्ञानिकों/इंजीनियरों के लिए सेवा में प्रवेश के समय के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि करने के वास्ते पांचवें वेतन आयोग और सचिवों की समितियों को सुझाव भेज दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रिहायशी/हास्टल आवास, चिकित्सा सुविधाओं, यथासंभव पसंद के स्थान पर तैनाती, और विदेशों में प्रशिक्षण के अधिक अवसर देने के प्रावधानों में सुधार किए जा रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धनराशि का आवंटन

4640. श्री इलियास आज़मी :
श्री पवन दीवान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों के इलाज के लिए प्रचलित चिकित्सा संबंधी विभिन्न पद्धतियां कौन-कौन सी हैं तथा इन पद्धतियों के लिए विभिन्न मदों के अंतर्गत बजट में कितना-कितना आवंटन किया गया है;

(ख) क्या बजट में भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद के लिए कम आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी जिसमें योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और एलोपैथी शामिल हैं, भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियां हैं जिनके अन्तर्गत लोगों का उपचार किया जा रहा है। इन चिकित्सा प्रणालियों के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत 1997-98 के बजट में आवंटित धनराशि इस प्रकार है :–

1.	आयुर्वेद एवं सिद्ध	30.54 करोड़ रु०
2.	यूनानी	8.05 करोड़ रु०
3.	होम्योपैथी	8.34 करोड़ रु०
4.	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	2.62 करोड़ रु०
5.	एलोपैथी	1941.00 करोड़ रु०

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के लिए 56.80 करोड़ रुपए के समग्र आवंटन में से, (जिसमें से भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग की स्थापना के लिए 2.57 करोड़ रुपए की धनराशि तथा उपरोल्लिखित सभी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने तथा उनके विकास के लिए सामान्य योजनाओं के लिए 4.68 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है) आयुर्वेद प्रणाली के लिए 30.54 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

विभाग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि के लिए प्रस्ताव किया है।

कांडला पत्तन

4641. श्री काशीराम राणा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कांडला बन्दरगाह का निजी क्षेत्र में विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या सरकार को गुजरात के अन्य बन्दरगाहों के बारे में भी ऐसे ही प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) कांडला पत्तन में कन्टेनरों की हैंडलिंग के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाएं विकसित किए जाने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 65 करोड़ रु० है तथा इसकी अवधि 18 माह होगी। इन प्रस्तावित सुविधाओं से पत्तन पोत से शिपयार्ड तक कन्टेनर हैंडल करने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त, के०पी०टी० ने निजी क्षेत्र के माध्यम से नौवे और दसवें सामान्य कार्गो बर्थ के निर्माण हेतु विज्ञापन दिया है तथा आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) से (ङ) चूंकि, गुजरात स्थित अन्य पत्तन लघु पत्तन हैं, अतः इनके विकास के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

4642. श्री चिन्तामन बानगा :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री वी०वी० राघवन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए धन का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए आवंटित की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है विभिन्न राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इसे अन्य मदों में लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि राज्यों द्वारा उन्हें आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग किया जाए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पहले के वर्षों में निधियों का समुपयोजन धीमा था क्योंकि मानव आचरण के परिवर्तन से संबंधित परियोजना के कार्यान्वयन में कठिनाईयों का सामना किया गया था। राज्यों/संघ राज्यों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित धन को दूसरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमोदित "कार्य योजनाओं" के आधार पर आवंटित किया जाता है।

(ङ) निधियों के समुपयोजन की स्थिति 1995-96 और 1996-97 में अधिकतर राज्यों/संघ क्षेत्रों के प्रशासन में सुधरी है। तथापि, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इस कार्यक्रम ने अपेक्षित गति नहीं पकड़ी है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार धनराशि की विमुक्ति

(रु० लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95 विमुक्त किया गया अनुदान	1995-96 विमुक्त किया गया अनुदान	1996-97 विमुक्त किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	257.73	432.00	425.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.19	65.81	80.00
3.	असम	50.00	92.70	100.00
4.	बिहार	87.00	0.00	25.00
5.	गोवा	41.82	0.00	25.00
6.	गुजरात	129.29	131.26	300.00
7.	हरियाणा	62.27	0.00	130.00
8.	हिमाचल प्रदेश	87.27	156.75	115.00
9.	जम्मू और कश्मीर	12.95	0.00	25.00
10.	कर्नाटक	138.33	120.00	350.00
11.	केरल	100.88	172.62	225.00
12.	मध्य प्रदेश	217.79	137.00	425.00
13.	महाराष्ट्र	292.60	300.00	900.00
14.	मणिपुर	52.50	113.58	200.00
15.	मेघालय	40.29	18.00	35.00
16.	मिजोरम	56.40	74.00	150.00
17.	नागालैंड	67.33	107.00	190.00
18.	उड़ीसा	126.10	0.00	50.00

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	64.50	80.00	225.00
20.	राजस्थान	123.84	90.00	375.00
21.	सिक्किम	17.82	25.00	50.00
22.	तमिलनाडु	277.44	650.00	1700.00
23.	त्रिपुरा	3.00	38.00	50.00
24.	उत्तर प्रदेश	121.00	0.00	450.00
25.	पश्चिम बंगाल	185.64	288.82	600.00
26.	पाण्डिचेरी	10.18	55.04	400.00
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	31.27	50.59	7.00
28.	चंडीगढ़	28.65	51.70	45.91
29.	दादरा एवं नगर हवेली	25.15	42.00	46.92
30.	दमण व दीव	26.15	43.05	17.00
31.	दिल्ली	97.23	164.00	19.00
32.	लक्षद्वीप	27.52	53.54	16.71
	कुल	2872.40	3552.46	7752.55

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश/बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

4643. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति अत्यंत खराब है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन राज्यों में राजमार्गों के रख-रखाव पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई और चालू वर्ष में कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आयी हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं। उपलब्ध संसाधनों के तहत इन्हें यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ख) पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए इन राज्यों की आवंटित राशि इस प्रकार है :–

वर्ष	उत्तर प्रदेश	बिहार
		(राशि लाख रु०)
1995-96	2529.94	2194.00
1996-97	3377.40	1764.00

चालू वर्ष में रख-रखाव और मरम्मत हेतु आवंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, 1997-98 में भुगतान के आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को क्रमशः 6.34 करोड़ रु० और 4.12 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में किसी प्रकार की अनियमितता की सूचना नहीं मिली है।

ट्रक ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल

4644. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
कुमारी उमा भारती :
श्री विजय गोयल :
श्री पंकज चौधरी :
श्री कचरू भाऊ राऊत :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अप्रैल, 1997 में अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेतृत्व में ट्रक ट्रांसपोर्टरों द्वारा की गई देशव्यापी हड़ताल की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितना अनुमानित नुकसान हुआ तथा अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हड़ताल समाप्त कराने हेतु कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) हानि की मात्रा नहीं बताई जा सकती।

(ग) और (घ) हड़ताल समाप्त करवाने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय और अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के कई दौर चले तथा निम्नलिखित पर सहमति हुई :–

(क) सड़क के रास्ते माल की ढुलाई के लिए सेवा कर की वसूली हेतु प्रक्रिया तैयार करते समय सरकार वसूली की निधि को इस प्रकार से परिवर्तित करने पर राजी है कि सड़क परिवहन प्रचालकों से कर नहीं वसूला जाएगा।

(ख) टैरिफ सलाहकार समिति (टी०ए०सी०) से कहा जाए कि वे मोटर आपरेटरों से फिर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करें तथा अन्य लम्बित मामलों पर बगैर किसी भेदभाव के नए सिरे से उनके साथ परामर्श करें। टी०ए०सी० शीघ्रता से बातचीत को अंतिम रूप देगी और उसके बाद संशोधित प्रीमियम अधिसूचित करेगी। परामर्श और तदुपरान्त लिए जाने वाले निर्णय लंबित होने के कारण अभी हाल ही में अधिसूचित प्रीमियम दरों को स्थगित रखा जा रहा है। संशोधित टैरिफ दरें भविष्य में लागू होगी। नई संशोधित दरों पर वसूला गया बीमा प्रीमियम तत्काल लौटा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

नैदानिक किट

4645. श्री विजय हाण्डिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और एच०आई०वी० जांच के मानक स्तर को एक पर्याप्त स्तर तक लाया गया है ताकि एड्स की महामारी और विशेष रूप से एच०आई०वी० के संक्रमण के प्राकृतिक इतिहास तथा देश में सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण संख्या में लोगों के संबंध में हुई प्रगति का अध्ययन किया जा सके और उस पर निगरानी रखी जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय "सब-टाइप" का पता लगाने के लिए किसी "नैदानिक किट" का विकास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विद्यमान किट में सुधार के लिए अथवा उनके स्थान पर उचित स्तर के नए उपकरण लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) जी हां। भारत सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रमुख अनुसंधान केन्द्र द्वारा एच०आई० वी०-I वाइरस के विभिन्न सब-टाइप्स का पता लगाने के प्रयास किए गए हैं। किट्स का विकास किया जा चुका है लेकिन निर्माता उद्योग को अभी प्रौद्योगिकी का अन्तरण नहीं किया गया है। इस प्रकार कार्यक्रम में उपयोग में लाए जा रहे एच०आई०वी० किट्स आयातित किट्स हैं।

एच०आई०वी० संक्रमण के प्राकृतिक विवरण के अध्ययन में अनुसंधान तथा उसमें कार्य भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे तथा भा० आयु० अनु० परिषद के मणिपुर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र में किया जा रहा है। अध्ययन के परिणामों का अभी विश्लेषण किया जाना है।

औषधि नियंत्रण

4646. श्री मंगत राम शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषधि नियंत्रण को सौंपे गये दायित्वों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारतीय औषधि नियंत्रण द्वारा 1996-97 के दौरान कुल कितनी विदेश यात्राएं की गई तथा प्रत्येक यात्रा पर कुल कितना खर्च हुआ ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान भारत के औषध नियंत्रक ने तीन विदेशी दौरे किए। इन दौरों में अनुमानित व्यय इस प्रकार है :

1. 11-12 अप्रैल 1996 जिनेवा (87500/- रुपए)
2. 14-19 सितम्बर 1996 – पुर्तगाल (खर्च विश्वस्वास्थ्य संगठन द्वारा वहन किया गया।
3. 20-23 जनवरी, 1997 सेसेल्स – (33145/- रुपए)

विवरण

भाग (क) औषध नियंत्रक (भारत) के दायित्व इस प्रकार हैं :-

1. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख
2. नई औषधों को स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी
3. अयुक्ति संगत, अप्रभावकारी और हानिकारक औषधों पर प्रतिबंध
4. औषधों के विपरीत - प्रभाव की मानीटरिंग
5. आयातित औषधों की गुणवत्ता का दायित्व
6. आयात लाइसेंस, परीक्षण लाइसेंस और वैयक्तिक लाइसेंस जारी करना
7. राज्य औषध नियंत्रकों के साथ समन्वय
8. औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों में संशोधन तथा औषध और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम
9. विभिन्न औषधों के मानकों का निर्धारण (सचिव भारतीय भेषज संहिता समिति)
10. औषधों की गुणवत्ता से संबंधित विषयों पर तकनीकी सलाह प्रदान करना
11. औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड जो एक सांविधिक निकाय है, के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करना, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रशासन से संबंधित विषयों में सरकार को सलाह देना
12. अध्यक्ष औषध परामर्शदायी समिति, जो एक सांविधिक निकाय है और जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषध नियंत्रक शामिल है

13. अध्यक्ष प्रसाधन, प्रभाग भारतीय मानक ब्यूरो समिति

14. रक्त बैंक, रक्त और रक्त उत्पादों, लार्ज वाल्यूम पेरेंटेरल्स सीरा और वैक्सीनों के लिए केन्द्रीय लाइसेंसिंग और अनुमोदन प्राधिकारी।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी परियोजना

4647. **श्री सुरेन्द्र यादव :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :
जस्टिस गुमान मल लोढा :
प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो मूल योजना के अनुसार इन दोनों चरणों को कब शुरू किया जाना था तथा कब तक पूरा किया जाना चाहिये था और इन पर कुल कितनी लागत आनी थी;

(ग) क्या प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा किया गया तथा इससे देश के विभिन्न राज्यों में सिंचाई की कितनी क्षमता सृजित की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) मूल स्कीम के अनुसार, जो 1957 में अनुमोदित की गई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूरा कार्य 66.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किया जाना था। मूल स्कीम में की गई परिकल्पना के अनुसार, कार्य 1958 में प्रारंभ किया जाना था और इसे 1968-69 में पूरा किया जाना था। 1960 के बाद, इस परियोजना के क्षेत्र में संशोधन किया गया और इसका कार्यान्वयन दो चरणों में प्रारंभ किया गया। परियोजना का चरण-I 277 करोड़ रुपए के लागत से मार्च, 1992 में पूरा किया गया।

परियोजना का चरण-II 89.12 करोड़ रुपए (1972) की अनुमोदित अनुमानित लागत पर 1975-76 में प्रारंभ किया गया था। चरण-II को मूल रूप से 1980-81 तक पूरा किया जाना था।

(ग) जी, हां।

(घ) चरण-I का कार्य वर्ष 1992 में पूरा किया गया था। राजस्थान में मार्च, 1997 तक इसके द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता 5.35 लाख हैक्टेयर है।

[अनुवाद]

तपेदिक के मामले

4648. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री हरिन पाठक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तपेदिक के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा 1952 में शुरू किये गये राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में तपेदिक के नियंत्रण हेतु एक संशोधित रणनीति अपनाने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इस नीति को लागू किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (छ) क्षयरोग के कारण मृत्यु दर 1970 में प्रति एक लाख पर 80 से घटकर 1993 में प्रति एक लाख पर 53 रह गई है लेकिन देश के समग्र रोग भार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करने से कार्यक्रम में कुछ विसंगतियों का पता चला जिसके कारण संशोधित कार्यान्वयन कार्यनीति को अपनाया गया है। इस संशोधित कार्यनीति जिसमें उन्नत रोग निदान तथा प्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाला उपचार शामिल है, पिछले दो वर्षों में 17 स्थानों में अग्रणी परीक्षण किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में इस संशोधित कार्यनीति का विस्तार तीस जिलों तक किया जाएगा जिसमें देश के 17 अग्रणी परियोजना स्थान शामिल हैं।

नेत्रदान

4649. **श्री के०एच० मुनियप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में 27 राज्यों में से केवल 14 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों में से एक केन्द्र शासित प्रदेश में नेत्रदान के मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नेत्रदान की दिशा में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई अभियान चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) जी हां। नेत्रदान के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना एक सतत प्रक्रिया है। दृष्टिहीनता के नियंत्रण और मृत्यु के पश्चात् नेत्रदान करने, के सन्देश को देश-भर में पहुंचाने के लिए सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से 1985 से हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक एक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भी

मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के दौरान प्रभार के सभी उपलब्ध माध्यमों से तेजी से प्रचार किया जाता है ताकि नेत्रदान अभियान को तेज और मृत्यु के पश्चात् नेत्रदान के लिए प्रतिज्ञा करने/वचन देने के लिए लोगों को तैयार किया जा सके। राज्य सरकारों को इस पखवाड़े के दौरान नेत्रदान अभियान को तेज करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों में मृत्यु के पश्चात अपने नेत्रदान करने की प्रतिज्ञा करने/वचन देने के लिए जनसाधारण को प्रेरित करने के लिए रेडियों और दूरदर्शन के प्रचार नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है।

जलमार्ग के लिये एन०सी०ए०ई०आर० अध्ययन

4650. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान गोदावरी, गोआ नदी में तीन नये जलमार्गों का और सुन्दरवन में अंतर्राष्ट्रीय स्टीमर मार्ग का विकास करने के लिये कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन०सी०ए०ई०आर० द्वारा जलमार्ग का उपयोग करने के लिये कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान गोदावरी, गोवा नदियां और सुन्दरवन में अंतर्राष्ट्रीय स्टीमर रूट राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए और विकसित किए जाने के लिए अभिनिर्धारित किए गए हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) जी हां।

(घ) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त एवं आर्थिक अनुसंधान परिषद ने हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के संपूर्ण खंड पर अंतर्देशीय जल परिवहन (आई डब्ल्यू टी) का प्रचालन करने की साध्यता का निर्धारण करने के लिए और अ०ज०प० सेवाओं के विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक अध्ययन किया है। अध्ययन से वाहन प्रचालन, लागत और कुल परिवहन लागत के मामले में सड़क परिवहन की तुलना में अ०ज०प० की लाभप्रदता का पचा चलता है। अध्ययन में नौचालन, गहराई, टर्मिनल इत्यादि के संबंध में जलमार्ग के चरणबद्ध रूप से विकास की भी सिफारिश की गई है।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए ब्यौरे वार प्रस्ताव तैयार करने में इस अध्ययन के निष्कर्षों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

आवृति कोष

4651. श्री वी० प्रदीप देव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवृति कोष की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि सुधारे गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड़ों पर निरंतर पथकर लगाने का निर्णय लिया गया है, इसलिए एक पृथक परिक्रमी निधि के सृजन के लिए प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

थैलेसेमिया के लिए एच०एल०ए० प्रयोगशाला

4652. श्री हंसराज अहीर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में थैलेसेमिया एंटीबाडीज पर शोध को बढ़ावा देने हेतु एक एच०एल०ए० प्रयोगशाला स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोगशाला पूरी क्षमता से कार्य कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने एच०एल०ए० प्रयोगशाला को पूरी क्षमता के साथ चलाए जाने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) से (ध) यह प्रयोगशाला अस्पताल सेवा, अनुसंधान और शिक्षण में लगी हुई है। अस्पताल सेवा पर भार वृद्धि के लिए प्रयोगशाला की सेवाओं का बढ़ाना आवश्यक कर दिया है। इस संस्थान ने भारत सरकार के जैव प्रौधोगिकी विभाग में साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की है। यह संस्थान देश में एच०एल०ए० सेवाओं के लिए एक रेफरल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और देश में अनेक सेटेलाइट प्रयोगशालाओं की स्थापना में सहायता करेगा।

[अनुवाद]

आबिद हुसैन की रिपोर्ट

4653. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगारोन्मुख शिक्षा संबंधी आबिद हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गयी सिफारिशों का क्या ब्यौरा है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (घ) यह समिति, दिल्ली विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति है जिसे अपनी सिफारिशों को अभी अंतिम रूप देना है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय का कार्य है कि वह की गई सिफारिशों से अनुसरण में अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करें।

सिंचाई के लिए भूमिगत जल

4654. श्री छीतुभाई गामीत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषरूप से देश के शुष्क खेती के क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधन संबंधी कोई अन्वेषण कार्य किया है ताकि उपलब्ध जल का सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो अब तक सिंचाई के उद्देश्य से भूमिगत जल के संसाधनों का राज्य वार किस सीमा तक उपयोग किया गया है; और

(ग) मझौले तथा छोटे किसानों द्वारा देश में विशेष रूप से गुजरात राज्य में भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए पम्प सेट जैसी क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने शुष्क खेती क्षेत्रों सहित देश के भूमिगत जल संसाधनों का अन्वेषण किया है।

(ख) देश में विभिन्न राज्यों में सिंचाई के लिए उपयोग किए गए भूजल की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

आठवीं योजना के अंत तक सिंचाई क्षमता के उपयोग की स्थिति

(आंकड़े हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	(अनन्तिम) कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1644
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	142
4.	बिहार	3906
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	1707
7.	हरियाणा	1498
8.	हिमाचल प्रदेश	11
9.	जम्मू और कश्मीर	10
10.	कर्नाटक	772
11.	केरल	127
12.	मध्य प्रदेश	1496
13.	महाराष्ट्र	1594
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	9
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	1
18.	उड़ीसा	571
19.	पंजाब	3324
20.	राजस्थान	2015
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	1312
23.	त्रिपुरा	21
24.	उत्तर प्रदेश	20358
25.	पश्चिम बंगाल	1408
26.	संघ राज्य क्षेत्र	62
	कुल	41993

[हिन्दी]

परती भूमि विकास

4655. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में परती भूमि के विकास के लिए कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में क्षारीय और वन भूमि के विकास के लिए कोई परियोजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना - वार किन-किन जिलों को उक्त परियोजनाओं के लिए चुना गया है;

(घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी हैक्टेयर भूमि शामिल की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं में कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। बंजरभूमि विकास विभाग विभिन्न श्रेणियों की वनेतर बंजरभूमि के सतत् विकास हेतु बिहार राज्य सहित देश में निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित कर रहा है।

1. समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम
2. सहायता अनुदान योजना
3. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण
4. निवेश संवर्धन योजना
5. बंजरभूमि विकास कार्यबल

(ग) और (घ) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए चयनित जिलों, परियोजना, अवधि, शामिल किया जाने वाला क्षेत्र तथा परिव्यय के योजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत बिहार में 8 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन जिलों में परियोजना क्षेत्रों में शामिल किये जाने वाले लोग लाभान्वित होंगे।

विवरण

परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	वास्तविक लक्ष्य (है० में)	परिव्यय (रु लाख में)
राज्य : बिहार			
1. चतरा	93-94 से 96-97	1445	138.45
2. लोहारडगा	93-94 से 96-97	2670	248.66
3. गढ़वा	93-94 से 96-97	1295	114.21
4. गया	93-94 से 96-97	5470	433.37
5. नवादा	93-94 से 96-97	3620	288.37
6. वैशाली	95-96 से 98-99	1000	40.00
7. देवघर	94-95 से 97-98	4400	331.00
8. पालामू	93-94 से 96-97	2705	253.97
	योग	22605	1828.63

गुरूकुल और आश्रम

4656. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत गुरूकुल और आश्रम शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्यवार अनुमानतः कितने गुरूकुलों और आश्रमों को अनुदान दिया जाता है;

(ग) सरकार द्वारा इस समय इन गुरूकुलों और आश्रमों को कितना अनुदान दिया जा रहा है;

(घ) इन गुरूकुलों और आश्रमों द्वारा किस स्तर की शिक्षा दी जा रही है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत इन गुरूकुलो और आश्रमों को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य-योजना तैयार की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सेकिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह संगठन गुरूकुलों तथा आश्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रदान की गई सहायता राशि का विवरण संलग्न है।

(घ) चूंकि इस मंत्रालय द्वारा इन गुरूकुलों तथा आश्रमों को चलाया नहीं जाता है, अतः इनके शिक्षा स्तर की जानकारी नहीं है।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष 1996-97

क्र० सं०	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त गुरूकुल तथा आश्रमों की संख्या	प्रदान की गई राशि
1.	दिल्ली	2	4,01,400/-
2.	हरियाणा	15	10,04,400/-
3.	केरल	1	28,800/-
4.	मध्य प्रदेश	1	40,500/-
5.	महाराष्ट्र	1	10,800/-
6.	उड़ीसा	2	48,600/-
7.	राजस्थान	1	1,45,800/-
8.	उत्तर प्रदेश	17	11,14,700/-
9.	पश्चिम बंगाल	4	60,750/-
	कुल :	44	28,55,750/-

[अनुवाद]

कर्नाटक में नदियों को जोड़ना

4657. श्री शिवानन्द एच० कौजलगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में वेदाथी को वर्धा नदी और नेत्रवती को हेमवती नदी के साथ जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के संगठन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने वेदाथी-वर्धा सम्पर्क और नेत्रावती-हेमावती संपर्क संबंधी व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्टें तैयार कर ली है। वेदाथी-वर्धा सम्पर्क की व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों को तथा नेत्रावती-हेमावती संपर्क को केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों को परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

सीमांत और मझोले किसान

4658. श्री एल० रमना : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमांत और मझोले किसानों की दशा सुधारने हेतु कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य-योजना बनाई गयी है;

(ग) क्या सरकार के प्रयासों के बावजूद सीमांत किसानों की दशा में सुधार नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय अनेक गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। छोटे और सीमांत कृषकों को केवल समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी जाती है। समन्वितः ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को उत्पादक परिसम्पत्तियां प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार गतिविधि शुरू करने में समर्थ बनाया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक लक्षित समूह को सहायता दी जाती है। लक्षित समूहों में अन्य लोगों के अलावा सीमांत और छोटे किसान आते हैं।

(ख) सीमांत और छोटे किसान जैसे किसी लक्षित समूह के लिए अलग से कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है।

(ग) और (घ) विगत दो वर्षों अर्थात 1994-95 और 1995-96 के दौरान छोटे और सीमांत किसानों के संबंध में वास्तविक प्रगति इस प्रकार है :–

वर्ष	छोटे किसान	सीमांत किसान	कुल लाभार्थियों में से छोटे किसानों का प्रतिशत	कुल लाभार्थियों में से सीमांत किसानों का प्रतिशत
1994-95	287005	790535	12.96	35.70
1995-96	285948	762398	13.69	36.49

[अनुवाद]

दौरे पर गये डाक्टर

4659. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी डाक्टर और अधिकारीगण निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी डाक्टरों और अधिकारीगणों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने हेतु विदेशी दौरे पर जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) यद्यपि कुछ सामान्य शिकायतें की गई है फिर भी कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया है।

केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले संस्थानों/अस्पतालों को सुझाव दिया गया है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि, जहां विदेशी आतिथ्य सरकार, विशेष रूप से निजी फार्मास्यूटिकल कम्पनियों की सहभागिता वाले सम्मेलनों में उपस्थित होने के लिए डाक्टरों की सिफारिश करने के व्यवहार को निरूत्साहित करें। ऐसी सुविधा का लाभ उठाने से पहले नियंत्रक प्राधिकारी से और एफसीआर अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित है। इन अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

अमरीका में भारतीय सैनिक

4660. चौधरी रामचंद्र बैंदा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ लैटिन अमरीकी देश सियेरा लोन में शांति सेना के रूप में भारतीय सैनिकों को भेजने का फैसला कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने सैनिकों के भेजे जाने की संभावना है और इनकी सेवा शर्तें तथा इनका कार्यकाल क्या होगा, और

(ग) शांति मिशनों पर जाने वाले भारतीय सैनिकों के कर्त्तव्यों और उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) किसी भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को स्वीकृति सुरक्षा परिषद द्वारा दी जाती है जो मिशन के लिए विशिष्ट अधिदेश के संबंध में भी निर्णय लेती है। सुरक्षा परिषद द्वारा अभी तक सियेरा लोन के लिए किसी भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सैनिकों द्वारा की गई ड्यूटियां उस मिशन के अधिदेश पर निर्भर करती हैं।

विदेशी नौवहन कम्पनियों के साथ करार

4661. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने भारतीय उप-महाद्वीप और उत्तरी यूरोप के बीच कन्टेनर सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विदेशी नौवहन कम्पनियों के साथ गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कतिपय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विदेशी नौवहन कम्पनियों के साथ किए गए करारों का कम्पनीवार/वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा उनकी क्या उपलब्धियां रही;

(ग) भारतीय नौवहन निगम द्वारा वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) आज की तिथि के अनुसार उन देशों के नाम क्या-क्या हैं जहां के लिए भारतीय पत्तनों से नौवहन सेवाएं संचालित की जाती है और उन देशों का ब्यौरा क्या-क्या है जहां से भारत को नौवहन सेवा संचालित की जाती है;

(ङ) क्या उनकी सेवाओं का उपयोग संतोष-जनक ढंग से किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय नौवहन निगम लि० (एस०सी०आई०) ने जुलाई, 96 में जिस इस्राइल नेवीगेशन कंपनी लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार में प्रत्येक भागीदार द्वारा प्रदत्त कन्टेनर क्षमता/सकल भार क्षमता के अनुपात में एक दूसरे के जलयानों पर स्लाटों के आदान-प्रदान करने की व्यवस्था है। इस करार के अंतर्गत भारतीय नौवहन निगम द्वारा प्रचालित 3 सैल्यूलर कंटेनर जलपोतों के अतिरिक्त जिम इस्राइल द्वारा एक कंटेनर जलपोत का प्रचालन शुरू करने से भारतीय नौवहन निगम अब भारत यू० के० महाद्वीप (यू०के०सी०) क्षेत्र में अधिक वार सेवा सुलभ करा सकता है।

अब भारतीय नौवहन निगम एक और मार्ग पत्तन अर्थात् बारसी लोना में जाता है जहां से वह पश्चिमी भू-मध्य सागरीय और दक्षिण अमरीका का माल भी उठा सकता है।

भा०नौ०नि० और जिम ने सितम्बर, 96 में श्रीलंका के सिलोन शिपिंग कार्पोरेशन (सी एस सी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस करार में भा०नौ०नि० जिम और सीएससी के बीच कुछ स्लाटों के आदान प्रदान करने की व्यवस्था है जिससे भा०नौ०नि० किसी कन्टेनर को मुम्बई से यू के सी सीधा ला सकता है अथवा ले जा सकता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भा०नौ०नि० द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नलिखित है :–

वर्ष	अर्जित/बचाई गई विदेशी मुद्रा (मानी गई राशि सहित) (करोड़ रु०)
1993-94	1487.96
1994-95	1744.87
1995-96	2126.56

(घ) और (च) भा०नौ०नि० द्वारा भारत यू०के०सी० क्षेत्र और भारत-यू एस ए/ई सी कनाडा क्षेत्र में प्रचालित कंटेनर सेवाओं के अतिरिक्त वह निम्नलिखित मार्गों पर ब्रेक बल्क सेवाओं के लिए 26 जलयान प्रचालित करता है।

- भारत-यू०के०सी० क्षेत्र,
- भारत-जापान/सुदूर पूर्व क्षेत्र,
- भारत/भू-मध्य सागरीय क्षेत्र,
- भारत/मारीशस क्षेत्र,
- भारत/काला सागर क्षेत्र,

भा०नौ०नि० मुम्बई/पश्चिम एशिया खाड़ी/चेन्नई, कोलम्बो/चेन्नई, मुम्बई/कोलम्बों/पोर्ट केलंना/सिंगापुर क्षेत्र और जवाहर लाल नेहरू पत्तन/मुम्बई क्षेत्र के बीच कामन फीडर सेवाएं भी प्रचालित करता है।

इन सेवाओं का संतोषजनक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार संबंधी प्रस्ताव

4662. श्री अशोक प्रधान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय

सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के सम्बन्ध में भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव राज्य के गाजियाबाद तथा बुलन्दशहर जिलों के बारे में है;

(ग) उनमें से स्वीकृत/अस्वीकृत तथा लम्बित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(घ) बाकी प्रस्तावों को स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या किसी स्वीकृत परियोजना के निर्माण में विलम्ब हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (घ) सड़क/पुल कार्यों के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	संस्वीकृत	राशि (करोड़ रु०)	टिप्पणी
94-95	38	37	143.35	एक मामला अनुपालन के लिए लो०नि०वि० को लौटा दिया गया।
95-96	26	25	8.88	-यथोक्त-
96-97	18	14	6.55	शेष 4 मामलों की जांच की जा रही है।

उपर्युक्त में से 4 प्रस्ताव गाजियाबाद से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है।

(ङ) और (च) मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से कुछ परियोजनाओं में विलंब हुआ है :

(i) भूमि अधिग्रहण, वृक्षों को हटाने, सेवाओं के हस्तांतरण और परियोजना की तैयारी जैसे निर्माण पूर्व कार्यों के पूरा होने में विलम्ब।

(ii) मुकदमेबाजी

(iii) ठेकेदार की धीमी प्रगति।

[अनुवाद]

प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के जल का उपयोग

4663. श्री सनत मेहता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के जल के उपयोग में सुधार लाने के लिए विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितनी सहकारिताएं संगठित की गई;

(ख) इस विधि द्वारा ऐसे उपयोग के अन्तर्गत राज्यवार कितने एकड़ भूमि आती हैं; और

(ग) देश में ऐसी कुशल प्रणाली के विस्तार के लिए क्या दीर्घावधि योजना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जल राज्य विषय होने के कारण केन्द्रीय मंत्रालय की भूमिका सुविधाएं प्रदान करने वाले की है जबकि सहकारी समितियों सहित जल प्रयोक्ता संघों का संगठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में सिफारिश की गई है कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में किसानों को शामिल किया जाना चाहिए। केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जल प्रयोक्ता संघों के गठन के जरिए माइनर (नहर) स्तर पर किसानों को शामिल करने के लिए सहभागी राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत इन संघों को प्रबन्धकोष सहायता प्रदान की गई है। अधिकारियों और किसानों के बीच जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और परियोजना स्तरों पर सिंचाई प्रबन्ध में भागीदारी पर अनेक सम्मेलन आयोजित किए गए। अधिकारियों और किसानों के लिए भागीदारी क्रिया पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सिंचाई प्रबंध में भागीदारी पर नीति मुद्दों और दिशानिर्देशों पर विचार करने के लिए राज्यों को उच्च स्तरीय कार्यकारी दल गठित करने की सलाह दी गई है। चार क्षेत्रीय भाषाओं में सिंचाई प्रबंध में भागीदारी पर मैनुअल तैयार करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई है। किसान संगठनों को कानूनी पद देने के लिए सिंचाई अधिनियमों में माडल संशोधन करने के मसौदे तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। जल संसाधन मंत्रालय विभिन्न राज्यों और अन्य देशों और राज्यसरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों को सिंचाई प्रबन्ध में भागीदारी पर सूचना वितरित करता रहा है।

विवरण

सहकारी समितियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	सहकारी समितियों की संख्या	क्षेत्र एकड़ में
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17	20,275
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	–
3.	असम	शून्य	–
4.	बिहार	शून्य	–
5.	गोवा	20	5,000
6.	गुजरात	29	31,325
7.	हरियाणा	शून्य	–
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	–
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	–

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	196	3,25,855
11.	केरल	–	–
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	–
13.	महाराष्ट्र	118	1,16,170
14.	मणिपुर	शून्य	–
15.	मिजोरम	शून्य	–
16.	मेघालय	शून्य	–
17.	नागालैंड	शून्य	–
18	उड़ीसा	शून्य	–
19.	पंजाब	शून्य	–
20.	राजस्थान	32	32,000
21.	सिक्किम	शून्य	–
22.	तमिलनाडु	शून्य	–
23.	त्रिपुरा	शून्य	–
24.	उत्तर प्रदेश	1	625
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	–

जन्तर-मन्तर

4664. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "विजिटर्स वांट बेटर सर्विसस एट जन्तर मन्तर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां तो क्या उक्त ऐतिहासिक स्थान धरना और विरोध स्थल बनकर रह गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों पर धरना और विरोध पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्मारक परिसरों में कोई धरना और विरोधों का आयोजन नहीं किया जाता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

4665. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री बी०एल० शंकर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1997 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" के "नेशनल कल्चर फन्ड विल बूस्ट प्राइवेट पार्टिशिपेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के सांस्कृतिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा इसके क्या उद्देश्य हैं;

(घ) सांस्कृतिक पहलू पर निजी क्षेत्र की भागीदारी का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) निजीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति में आ रही गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) भारत सरकार ने दिनांक 29.11.96 के भारत के राजपत्र, जागरण में प्रकाशित अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन०सी०एफ०) की स्थापना की है। इस अधिसूचना की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) उल्लिखित अधिसूचना में एन०सी०एफ० के संचालन की बाबत एक स्कीम का ब्यौरा भी दिया गया है, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि एन०सी०एफ० केन्द्रीय व राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदानों के अतिरिक्त संसद या राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित सांविधिक निकायों, संयुक्त राष्ट्र और उसके संबद्ध निकायों, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रों, न्यासों, सोसायटियों व व्यक्तियों से भी अंशदान स्वीकार कर सकती है। एन०सी०एफ० को भारत सरकार के संस्कृति विभाग के 19.5 करोड़ रु० के अंशदान से प्रारंभिक संवेग प्राप्त होगा, जिसमें से 2 करोड़ रु० की राशि वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान उपलब्ध करायी गयी है। एन०सी०एफ० की धनराशि का इस्तेमाल अधिसूचना में सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए किया जाएगा।

(घ) एन०सी०एफ० संस्कृति से संबंधित प्रयासों में बड़े पैमाने पर संस्थाओं व जनसामान्य के योगदान को कार्यरूप देने, सार्थक अन्तर-सांस्थानिक हिस्सेदारी करने, संस्कृति के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने तथा इस विषय पर और अधिक जागृति उत्पन्न करने के मामले में महत्वपूर्ण पहल करेगी कि संस्कृति निःसन्देह समग्र विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह देश के सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रबंधन में संस्थाओं व व्यक्तियों को सरकार के बराबरी के हिस्सेदारों के रूप में स्वीकार करेगी और संस्कृति संबंधी प्रयासों के संबंध में संसाधन की समस्या से निपटने में मदद करेगी।

(ङ) एन०सी०एफ० के तहत संस्कृति संबंधी प्रयासों में लोगों के

योगदान के माध्यम से उनकी सहभागिता की परिकल्पना की गयी है इसमें संस्कृति का निजीकरण करने का कोई प्रयास नहीं है।

आधारभूत क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन वित्त

4666. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधारभूत क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन वित्त को बढ़ावा देने हेतु कोई आधारभूत विकास वित्त कम्पनी बनाई है जिसमें 5,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी लगी है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उद्योग और सड़क, रेल तथा अंतर्देशीय जल परिवहन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई अन्य आधारभूत सुविधाओं पर आधारित नए पत्तनों के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए "पोर्ट विजन 2020" नामक अध्ययन किया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां, "भारतीय पत्तन क्षेत्र विजन 2020- के लिए संदर्श योजना (पर्सपेक्टिव प्लान)" तैयार करने हेतु मै० राइट्स को एक अध्ययन सौंपा गया है।

सफदरजंग अस्पताल की दयनीय स्थिति

4667. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सफदरजंग अस्पताल में बिस्तरों, प्रयोगशालाओं, बहिरंग रोगी विभाग तथा आपात-कालीन विभाग में साफ-सफाई की स्थिति अत्यधिक खराब है और वहां से दुर्गन्ध आती रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सफदरजंग अस्पताल को एक अस्पताल न कि कसाईखाना बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है तथा कब तक अस्पताल के भवन की सम्पूर्ण रूप से रंगाई-पुताई कर दिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल में सफाई, पलंग, प्रयोगशालाओं, बहिरंग रोगी विभाग एवं आपातकालीन विभाग की स्थिति का वरिष्ठ डाक्टर की निगरानी के अन्तर्गत सफाई दस्ता स्थापित करके सन्तोषजनक स्तर तक ही रख-रखाव किया जाता हैं धुलाई घर में चद्दरें धोने के लिए नियमित रूप से भेजी जाती हैं। बिस्तरों को भी नियमित रूप से साफ किया जाता है। प्रयोगशालाओं में स्वच्छता की स्थिति का अनुरक्षण किया जाता हैं भवनों की नियमित मरम्मत और रख-रखाव किया जाता है। भवनों की सफेदी भी समय-सारणी के अनुसार की जाती है।

नई शिक्षा नीति

4668. श्री बी०एल० शंकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देश में नई शिक्षा नीति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन०पी०ई०) 1986 की पुनरीक्षा कर इसे अद्यतन बनाया गया और 7 मई, 1992 को संशोधित नीति निर्धारण को सदन के समक्ष रखा गया। वर्तमान समय में कार्यान्वयन को गति देने पर तथा शिक्षा के लिए संसाधनों में वृद्धि करने पर बल दिया गया है ताकि संपूर्ण देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की सर्वसुलभता, विद्यार्थियों, को स्कूलों में बनाए रखने की दर तथा गुणवत्ता के बीच बेहतर संबंध हो।

स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण

4669. श्री परसराम भारद्वाज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सबके लिए स्वास्थ्य" अवधारणा को आरंभ करने और उसे अमल में लाने हेतु इस वर्ष देश में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी तथा 25,000 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वास्थ्य कर्मचारियों को चुने जाने के लिए राज्य-वार क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) परिवार कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और चिकित्सा अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इन्हें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया है।

अब परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए सभी स्वास्थ्य कार्यकताओं के नियोजन और प्रशिक्षण के कार्यान्वयन को जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। अब जिलों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की जरूरतों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी वार्षिक जिला प्रशिक्षण योजनाएं तैयार करनी होती हैं। जिला प्रशिक्षण योजनाओं में स्वास्थ्य से जुड़े सभी विषयों को समन्वित किया जाना है, विभिन्न श्रेणियों के कार्यकर्ताओं के कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है और उनके चिकित्सीय, प्रबन्धकीय और संचार कौशल में असमानताओं का निर्धारण किया जाना हैं

प्रशिक्षण के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन जिला स्तर पर जरूरतों के आधार पर जिलों द्वारा किया जाएगा। विभिन्न चरणों में 1997-98 से आरम्भ किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्य और 5 वर्ष की अवधि में पूरा होने वाला कार्य इस प्रकार है :-

कार्मिकों की श्रेणी	प्रशिक्षित किए जाने हैं
विशेषज्ञ डाक्टर	2621
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टर	26583
ब्लाक प्रसार शिक्षक	5616
स्वास्थ्य सहायक (पुरूष)	15879
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष)	61607
स्वास्थ्य सहायक (महिला)	19019
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	133452
फार्मेसिस्ट	19225
प्रयोगशाला तकनीशियन	10163
नर्स मिड वाइफ	12080
रेडियोग्राफर	1274

[हिन्दी]

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग

4670. श्री शिवराज सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे लोगों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(ग) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 1991 से मार्च, 1997 कितने गरीब लोगों का उत्थान किया गया ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) से (ग) योजना आयोग उपभोक्ता खर्च संबंधी पंचवर्षीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आंकड़ों का इस्तेमाल करके देश में विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में गरीबी की स्थिति का आकलन करता है। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर हाल में अपनाई गई सरकारी कार्यप्रणाली के उपरांत वर्ष 1993-94 के लिए गरीबी के नवीनतम अनुमान उपलब्ध हैं जो संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, दस लाख कुओं की योजना शामिल हैं।

सितम्बर 1992 से अगस्त 1993 के दौरान आयोजित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के चौथे दौर के समवर्ती मूल्यांकन से पता चला है कि लगभग 16% लाभार्थियों ने 11,000 रुपए की गरीबी-रेखा को पार कर लिया है और 54.4% लाभार्थियों ने 6,400 रुपए की गरीबी-रेखा को पार कर लिया है।

विवरण

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या और प्रतिशत 1993-94

(विशेषज्ञ समूह द्वारा संशोधित)

क्रम सं०	राज्य	ग्रामीण	
		लोगों की संख्या (लाख में)	लोगों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	71.49	15.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.62	45.01
3.	असम	94.33	45.01
4.	बिहार	450.86	58.21
5.	गोवा	0.38	5.34
6.	गुजरात	62.16	22.18
7.	हरियाणा	34.56	28.02
8.	हिमाचल प्रदेश	15.40	30.34
9.	जम्मू और कश्मीर	18.03	30.34
10.	कर्नाटक	95.99	29.88
11.	केरल	55.95	25.76
12.	मध्य प्रदेश	218.19	40.64
13.	महाराष्ट्र	193.33	37.93
14.	मणिपुर	6.33	45.01
15.	मेघालय	7.09	45.01
16.	मिजोरम	1.94	45.01
17.	नागालैंड	4.85	45.01
18.	उड़ीसा	140.90	49.72
19.	पंजाब	17.76	11.95
20.	राजस्थान	94.68	20.40
21.	सिक्किम	1.81	45.01
22.	तमिलनाडु	121.70	32.48
23.	त्रिपुरा	1.141	46.01
24.	उत्तर प्रदेश	496.17	42.28
25.	पश्चिम बंगाल	209.90	40.80

1	2	3	4
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.73	32.48
27.	चंडीगढ़	0.07	11.35
28.	दादरा व नगर हवेली	0.72	51.95
29.	दमण व दीव	0.03	5.34
30.	दिल्ली	0.13	1.90
31.	लक्षद्वीप	0.06	25.76
32.	पाण्डिचेरी	0.93	32.46
	अखिल भारत	2440.31	37.27

1. असम के गरीबी अनुपात का प्रयोग सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए किया जाता है।

2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग पांडिचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए किया जाता हैं।

3. केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया जाता है।

4. गोवा के गरीबी अनुपात का प्रयोग दमन व दीव के लिए किया जाता है।

5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चंडीगढ़ की ग्रामीण और शहरी गरीबी के लिए किया जाता है।

6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण का प्रयोग गोवा की अनुमानित गरीबी अनुपात के लिए किया जाता है।

7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा व नागर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग दादरा व नागर हवेली के अनुमानित गरीबी अनुपात के लिए किया जाता है।

8. हिमाचल प्रदेश के गरीबी अनुपात का प्रयोग 1993-94 के लिए जम्मू व कश्मीर हेतु किया जाता है।

[अनुवाद]

नशाखोरी

4671. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री सुरेश प्रभु :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मार्च, 1997 को दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ड्रग एडिक्शन आन द राइज इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां। यह समाचार दिनांक 24.2.1997 को, न कि दिनांक 3.3.1997 को, हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। जैसा कि उल्लेख किया गया है।

(ख) इस समाचार में देश में विशेष रूप से महानगरीय शहरों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में औषध व्यसन के बढ़ते जोखिम का उल्लेख किया गया। इस समस्या, जिसमें अवैध व्यापार, तस्करी, अवैध उत्पादन, समाज के विभिन्न स्तरों द्वारा विभिन्न स्वापक औषधों का उपभोग शामिल है, के फेलाव के लिए उत्तरदायी घटकों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस खतरे को नियंत्रण करने के लिए किए गए उपायों की अनुपयुक्तता को भी सूचित किया गया है।

(ग) इस समस्या का सामना करने के लिए मांग में कमी तथा आपूर्ति के नियंत्रण के मामले में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सघन प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में 61 औषध निर्व्यसन केन्द्रों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य शिक्षा, उपचार तथा परिचर्या पश्चात सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों जहां यह अधिक चिन्ता का विषय है, पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अन्य पहलों में समुदाय आधारित कार्यक्रम, जागरूकता पैदा करना तथा उपचार के नए दृष्टिकोण शामिल हैं।

कल्याण मंत्रालय ने शिक्षा तथा जागरूकता निर्माण के लिए कार्य-नीतियां विकसित की है। यह स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे 357 औषध निर्व्यसन-सह-पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से प्रेरणा, परामर्श, उपचार तथा पुर्नवास सेवाएं भी प्रदान करता है।

जहां तक प्रवर्तन पहलुओं का संबंध है, स्वापक विज्ञान नियंत्रण ब्यूरो ने इस संबंध में उपाय तेज किए हैं। इसमें कुछ पड़ौसी देशों के साथ द्विपक्षीय करार, अर्न्तराष्ट्रीय भूमि तथा समुद्रतटीय सीमाओं पर सख्त निगरानी, विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों का अन्तर विषयक समन्वयन, कार्मिकों का प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य परियोजना

4672. श्री के०सी० कोडय्या : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य परियोजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि दिए जाने का प्रस्ताव है तथा कितनी राशि पहले ही दी जा चुकी है; और

(घ) कर्नाटक में किन-किन स्थानों पर ये परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां। प्रजननात्मक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए एक प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग, यूनिसेफ, यू०एन०एफ० पी०ए० और भारत सरकार द्वारा धन दिया जाएगा तथा इसे 1997-98 से देश के सभी जिलों में चरण-वार ढंग से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) नौवीं योजना में प्रजननात्मक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की कुल लागत 5112.53 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) विश्व बैंक दो चरणों में 480 मिलियन अमेरीकी डालर की अर्न्तराष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया हैं प्रजननात्मक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रथम चरण के लिए विश्व बैंक पहले ही 248.3 मिलियन अमेरिकी डालर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है। दूसरा चरण प्रथम चरण के 2 वर्षों के कार्यान्वयन और इसके सन्तोषजनक कार्यनिष्पादन के पश्चात् शुरू होगा।

(ङ) इस कार्यक्रम को कर्नाटक के सभी जिलों में शुरू किया जायेगा। तथापि, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय प्रजननात्मक और बाल स्वास्थ्य, परियोजना के भाग के रूप में एक जिला परियोजना कर्नाटक के बैलरी जिले में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

नर्मदा नदी जल बंटवारा पंचाट

4673. डा० सत्यनारायण जटिया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी जल बंटवारा पंचाट में मध्य प्रदेश को जल की कितनी मात्रा प्राप्त हुई;

(ख) राज्य-वार कितनी जल की मात्रा प्राप्त हुई तथा राज्यों द्वारा उक्त जल का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई तथा कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई तथा इस पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) मध्य प्रदेश के मालवांचल क्षेत्र में नर्मदा जल को ले जाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है तथा इसे लागू करने संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) नर्मदा जल विवाद अधिकरण के अनुसार, सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा नदी में उपलब्ध प्रवाह की मात्रा का अनुमान 75 प्रतिशत विश्वसनीयता के आधार पर 28 मिलियन एकड़ फुट (एम ए एफ) लगाया गया है। इसमें से 18.25 मिलियन एकड़ फुट जल का आवंटन मध्य प्रदेश को किया गया है। अन्य राज्यों को आवंटित हिस्से निम्नलिखित हैं :-

गुजरात	9.00 मिलियन एकड़ फुट (एम०ए०एफ०)
महाराष्ट्र	0.25 मिलियन एकड़ फुट (एम०ए०एफ०)
राजस्थान	0.50 मिलियन एकड़ फुट (एम०ए०एफ०)

संबंधित राज्य सरकारों ने नर्मदा जल के अपने हिस्सों का उपयोग करने के लिए कई वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना बनाई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार से केंद्र में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय विद्यालयों में वाणिज्य विषय के पी०जी०टी० अध्यापकों के पद

4674. श्री राधामोहन सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सत्र से ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों जहाँ वाणिज्य विषय में पी०जी०टी० अध्यापकों के एक अथवा दो पद थे, के पदों में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्नातकोत्तर शिक्षक (कामर्स) के पदों की स्वीकृति केन्द्रीय विद्यालय में कामर्स की जरूरत की अवधि पर निर्भर करती है। आठ केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा-XI और XII दोनों में एक साथ कामर्स की दो से अधिक कक्षाएं होने के कारण स्नातकोत्तर शिक्षक (कामर्स) के दो पद संस्वीकृत किए गए हैं। अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में कामर्स एक विषय होने के कारण एक-एक स्नातकोत्तर शिक्षक (कामर्स) के पद संस्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड का निजीकरण

4675. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड के निजीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) विनिवेशन आयोग द्वारा हिन्दुस्तान

लेटेक्स लि० को विचारार्थ सूचीबद्ध किया गया है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय प्रजातांत्रिक महिला संघ, नई दिल्ली हिन्दुस्तान लेटेक्स कर्मचारी, प्रगतिशील यूनियन, तिरूवनन्तपुरम और हिन्दुस्तान लेटेक्स कार्य परिषद (पंजीकृत) तथा निगम कार्यालय के कर्मचारियों ने अभ्यावेदन किया है कि हिन्दुस्तान लेटेक्स लि० के विनिवेशन से कम मूल्य के गर्भनिरोधकों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा और श्रमिकों की अनिवार्य सेवानिवृति भी होगी।

राजमार्ग परियोजनाओं के लिए धन

4676. श्री संदीपान थोरात : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 1997 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "गवर्नमेंट में आफर ग्राण्टस टू इ्रा प्राइवेट फण्डस इन्द हाइवे प्रोजेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) बोल्ट (बिल्ड ओन लीज ट्रांसफर) आधार पर अभी तक स्वीकृत निजी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और वास्तविक कार्यान्वयन की प्रगति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र के लिये स्वीकृत/विचाराधीन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बी ओ टी परियोजनाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए मामले के गुणावगुण के अनुसार उचित शर्तों पर वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है:

विवरण

क्रम सं०	परियोजना	लम्बाई/सं०	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	वर्तमान स्थिति वस्तुगत प्रगति का प्रतिशत	राज्य
1.	महाराष्ट्र में भिवांडी बाईपास	24 कि०मी०	17.00	70	महाराष्ट्र
2.	राजस्थान में उदयपुर बाईपास	11 कि०मी०	24.00	25	राजस्थान
3.	गुजरात में चालयान रोड ओवर ब्रिज	1	10.00	10	गुजरात
4.	आंध्र प्रदेश में रा०रा० 5 पर पुल	6	50.00	9.4.97 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और वर्ष 2002 तक कार्य पूरा होने की संभावना है।	आंध्र प्रदेश
			101.00		

कावेरी राष्ट्रीय जलमार्ग

4677. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने के बाद भी बंगाल सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर भी सुन्दरवन से होकर गुजर रही गंगा के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित न किये जाने के संबंध में सरकार के सामने कौन सी तकनीकी व अन्य कठिनाईयां आ रही हैं जबकि इससे स्थानीय लोगों को कुछ रोजगार मिलता क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार के कोई अवसर नहीं हैं ?

(ख) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) कावेरी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया गया है। रंगफाला चैनल से बिहारीवाल-रायमंगल नदी संगम तक सुन्दरवन में स्टीमर रूट को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति ली जा रही है।

असैनिक सामान्य परिवहन के कर्मचारी

4678. श्री आर०बी० राई : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि ए०एस०सी० के अंतर्गत असैनिक सामान्य परिवहन के हजारों कर्मचारी सेवा नियमों में भेदभाव के विरूद्ध आंदोलन कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की समस्याओं के निदान हेतु

क्या उपाए किए गए हैं जो असैनिक नियमों के अंतर्गत अधिकार प्राप्त करने के हकदार हैं परन्तु उन्हें सैनिक कानून के अनुरूप अनुशासन के अंतर्गत अपने कर्तव्य निभाने होते हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) इस प्रकार के किसी आन्दोलन की सरकार को कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के लिये धनराशि

4679. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि राज्यवार आवंटित की गई है।

(ख) क्या धनराशि का पूर्ण उपयोग हुआ है और क्या संपूर्ण धनराशि का उपयोग पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है; और

(ग) योजना के अंतर्गत कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है और चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित राज्यवार निधियां संलग्न विवरण में दशाई गई है।

(ख) उपलब्ध कुल निधियों में से 1994-95 के दौरान 78.78%, 1995-96 के दौरान 77.12% और 1996-97 (फरवरी 1997 तक) के दौरान 54.18% निधियों का उपयोग किया गया। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के पास कुल उपलब्ध निधियों का जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों और ग्राम स्तरीय पंचायतों द्वारा 80:20 के अनुपात में उपयोग किया गया था। तथापि, 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना की 15% निधियों को मध्यम स्तरीय पंचायतों और 65% निधियों को ग्राम पंचायतों के जरिए खर्च करने का निर्णय लिया गया था। बकाया 20% निधियों का जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा उपयोग किया गया था।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन की निगरानी सृजित श्रमदिनों की संख्या के रूप में की जाती है। योजना के अंतर्गत इसके शुरू होने से लेकर अब तक (फरवरी, 1997 तक) 67911.97 लाख श्रमदिनों का सृजन किया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान 4512.97 लाख श्रमदिन सृजित करने का अनंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटन (केन्द्र+राज्य)

(रुपये लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95*	1995-96*	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	33343.71	37232.40	17372.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	322.51	329.58	178.30
3.	असम	8921.21	10820.18	5718.18
4.	बिहार	70386.81	78598.18	34075.58
5.	गोवा	348.46	356.09	192.65
6.	गुजरात	13835.36	14754.11	6376.25
7.	हरियाणा	2389.61	3398.28	1531.81
8.	हिमाचल प्रदेश	1107.26	1149.09	612.16
9.	जम्मू और कश्मीर	3103.75	3381.00	1243.93
10.	कर्नाटक	22911.44	24422.41	11665.34
11.	केरल	6620.11	8029.34	4244.16
12.	मध्य प्रदेश	49583.36	51119.46	22014.51
13.	महाराष्ट्र	39760.18	41658.79	18937.55
14.	मणिपुर	413.36	425.45	228.53
15.	मेघालय	483.68	496.31	267.40
16.	मिजोरम	203.75	208.04	112.65
17.	नागालैंड	518.46	526.28	286.64
18.	उड़ीसा	29128.18	30642.94	14093.11
19.	पंजाब	1699.26	1969.93	1089.39
20.	राजस्थान	18835.61	20825.10	9146.40
21.	सिक्किम	188.76	341.93	104.36
22.	तमिलनाडु	27752.94	32634.06	15704.96
23.	त्रिपुरा	536.90	558.65	296.83
24.	उत्तर प्रदेश	74376.76	87188.55	42334.91
25.	पश्चिम बंगाल	30410.53	33287.71	15569.34
26.	अ० व निको० द्वीप समूह	152.70	154.18	84.41
27.	दादरा व नगर हवेली	82.89	80.30	45.81
28.	दमण व दीव	48.83	49.28	26.99
29.	लक्षद्वीप	76.55	76.70	42.32
30.	पाण्डिचेरी	149.47	151.86	82.64
	कुल	457692.38	484869.80	229679.48

*महत्व जवाहर रोजगार योजना शामिल है :

गुजरात में जल-भूतल प्रणाली

4680.श्री एन०जे० राठवा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विशेषरूप से जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा सहायता के अभाव से जलभूतल प्रणाली की स्थिति काफी खराब है, और

(ख) यदि हां, तो गुजरात को इन क्षेत्रों में परिवहन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) भारत सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए जिम्मेदार हैं जो गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों से गुजरती हैं। तथापि, गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग सामान्यतः यातायात योग्य स्थिति में हैं तथा यातायात सघनता और पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं के आधार पर निधियों की उपलब्धता के साथ-साथ विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रख कर राज्यों की निधियां प्रदान की जाती हैं। 1996-97 में 28.00 करोड़ रु० की तुलना में 1997-98 के दौरान आवंटन में वृद्धि करके 35.00 करोड़ रु० करने का प्रस्ताव है ताकि राज्य में यातायात की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

पब्लिक स्कूलो में फीस

4681.श्री माधव राव सिंधिया :
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री ब्रहमानन्द मंडल :
श्री रामकृपाल यादव :
श्री दत्ता मेघे :
श्री छीतुभाई गामीत :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :
डा० अरविन्द शर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेष रूप से दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के प्रबन्ध-वर्ग ने इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) तथा अन्य प्रभारों में वृद्धि कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन स्कूलों के शुल्क ढांचे को विनियमित करने और युक्तिसंगत बनाने के लिए किसी उपाय पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) विभिन्न निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा इस शैक्षिक सत्र से शिक्षण शुल्कों और अन्य शुल्कों में की गई अत्यधिक वृद्धि के संबंध में अखबारों में छपे समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। सभी पब्लिक स्कूल/निजी प्रबंधन वाले स्कूल संबंधित राज्य शिक्षा अधिनियम और जिन बोर्डों से स्कूल सम्बद्ध होते हैं उनके संबर्द्धन उपनियमों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे स्कूलों के शुल्क ढांचे का विनियमन और यौक्तिकीकरण केन्द्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

[हिन्दी]

एम्बुलेंसों की खस्ता हालत

4682.श्री इलियास आज़मी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की एम्बुलेंसों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, उनकी स्थिति बहुत खराब है और उनका दुरूपयोग भी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) एम्बुलेंसों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) जी, नहीं। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों से संबद्ध अधिकतर एम्बुलैंस बुनियादी सुविधाओं से सज्जित हैं। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में एम्बुलैंस का विवरण संलग्न हैं डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पूर्णतः सज्जित पांच अतिरिक्त एम्बुलैंस और बढ़ाई जा रही हैं। पुलिस नियंत्रण कक्ष की 288 गाड़ियां भी दुर्घटना के शिकार लोगों को अस्पतालों में ले जाती हैं।

विवरण

अस्पताल का नाम	एम्बुलैंसों की कुल संख्या
डा० आर०एम०एल० अस्पताल	6
सफदरजंग अस्पताल	14
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	9
श्रीमती एस०के० अस्पताल	2
दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अस्पताल	15
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पताल	38
केन्द्रीय दुर्घटना एवं अभिघात सेवाएं	27

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिविल और रक्षा उपस्कर तथा प्रणाली प्रदर्शनी

4683.श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1997 में दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिविल ओर रक्षा उपस्कर तथा प्रणाली (इंडिया इंटरनेशनल सिविल एण्ड डिफेन्स इक्विपमेंट एण्ड सिस्टम) नामक कोई प्रदर्शनी आयोजित की गई थी;

(ख) क्या इस प्रदर्शनी का आयोजन सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया गया था और ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या विदेशी आसूचना अभिकरणों के प्रतिनिधियों ने भी इस प्रदर्शनी में भाग लिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रदर्शनी से क्या लाभ हुआ ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) यह प्रदर्शनी एक निजी कंपनी मैसर्स सैंट कंसल्टैंट प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में यू०के०, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका आदि से विक्रेताओं और प्रदर्शनीकर्ताओं ने भाग लिया और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी से प्रौद्योगिकीयों और उत्पादों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

4684. श्री विजय हाण्डिक :
श्री सुरेश प्रभु :
श्री येल्लैया नंदी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि विश्व का कोई भी देश संक्रामक रोगों के खतरे से सुरक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में इन रोगों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है ताकि ये महामारी का रूप न ले सकें;

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मुख्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 1996 का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट में मुख्य बल संक्रामक रोगों पर कार्रवाई करने में दिया गया है। रिपोर्ट में संक्रामक रोगों के बारे में विश्वव्यापी स्थिति, विश्व स्वास्थ्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन का योगदान और कार्य प्राथमिकताओं की गहन स्थिति दी गई है।

(घ) मलेरिया, कुष्ठ, क्षय रोग, एड्स जैसे विशिष्ट संक्रामक रोगों पर ध्यान देने के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए निवारक उपायों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

हल्दिया/कलकत्ता पत्तन में जल

4685. श्री सुरेन्द्र यादव :
डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्रीमती सुषमा स्वराज्य :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1997 के "पायोनियर" में "यू०एफ० क्राइसिस ड्राइज अप वाटर टाक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्याप्त मात्रा में जल न रहने के कारण कलकत्ता और हल्दिया पत्तन का कार्य प्रभावित हो रहा है तथा वित्तीय नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है; और

(ङ) जल में कमी होने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) समाचार पत्र में इस शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ है। इस समाचार में जल बंटवारा संधि के बारे में संयुक्त नदी आयोग की बैठक को स्थगित करने और कलकत्ता एवं हल्दिया पत्तनों पर इसके प्रभाव का उल्लेख है।

(ग) और (घ) इस समय आंकलन करना मुश्किल है।

(ङ) वर्ष में मानसून और गैर-मानसून अवधि के दौरान जल के असमान वितरण, भंडारण विकास संबंधी समस्याओं और भंडारण सुविधा के बगैर ग्रीष्मकाल में सिंचाई एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जल के डाइवर्जन के कारण समान मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता है।

[अनुवाद]

कावेरी जल वार्ता

4686. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कावेरी जल वार्ता में केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को सम्मिलित न करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से कोई विरोध व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में कावेरी जल वार्ता में केरल सरकार को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) केन्द्र सरकार ने कावेरी बेसिन राज्यों अर्थात् कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के बीच कावेरी जल विवाद पर निर्णय लेने के लिए 2 जून, 1990 को कोवरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया है।

अभी तक, अधिकरण ने 30.4.1997 तक 110 सुनवाइयां की हैं।

[अनुवाद]

जनसंख्या वृद्धि

4687. श्री एन० डेनिस :
श्री सोहनबीर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार जनसंख्या का वर्तमान वृद्धि दर कितना है;

(ख) छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे है; और

(ग) देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) वर्ष 1995 की अद्यतन नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) (i) बन्ध्यकरण के स्वीकारकर्ताओं को खोई हुई मजदूरियों के लिए नकद मुआवजा।

(ii) 3 अथवा कम बच्चों वाले सरकारी कर्मचारी, जो बन्ध्यकरण करवाते हैं, को विशेष वेतन वृद्धि और गृह निर्माण पेशगी पर ब्याज दर में छूट।

(ग) सरकार जनसंख्या कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन से 1951-61 में 41.7 की जन्म-दर कम होकर 1995 में 28.3 रह गई है। इस कार्यक्रम ने मार्च, 1996 तक लगभग 197 मिलियन जन्मों को होने से भी रोक दिया है।

विवरण

वर्ष 1995 की जनसंख्या की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सहज वृद्धि दर

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995 (अनन्तिम)
1	2	3
प्रमुख राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	1.57
2.	असम	1.97
3.	बिहार	2.16
4.	गुजरात	1.91
5.	हरियाणा	2.20
6.	कर्नाटक	1.66
7.	केरल	1.17
8.	मध्य प्रदेश	2.19
9.	महाराष्ट्र	1.71
10.	उड़ीसा	1.69
10.	पंजाब	1.74
12.	राजस्थान	2.41
13.	तमिलनाडु	1.23
14.	उत्तर प्रदेश	2.43
15.	पश्चिम बंगाल	1.59
अन्य राज्य		
16.	अरुणाचल प्रदेश	1.78
17.	गोवा	7.00
18.	हिमाचल प्रदेश	1.66
19.	जम्मू व कश्मीर	अनुपलब्ध
20.	मणिपुर	1.36
21.	मेघालय	2.00
22.	नागालैंड	अनुपलब्ध
23.	सिक्किम	1.56
24.	त्रिपुरा	1.11

1	2	3
संघ राज्य क्षेत्र		
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.30
26.	चंडीगढ़	1.34
27.	दादरा व नगर हवेली	.2.15
28.	दमण व दीव	1.38
29.	दिल्ली	1.67
30.	लक्षद्वीप	1.78
31.	पाण्डिचेरी	1.25

स्रोत : नमूना पंजीयन पद्धति

राष्ट्रीय स्मारक

4688. श्री भक्त चरण दास :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने स्मारकों/स्थलों/मन्दिरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के राज्यवार इन राष्ट्रीय स्मारकों के रखरखाव के लिए कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) कितने स्मारकों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना विचाराधीन है;

(घ) क्या इन स्थानों पर खुदाई कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में पुरातत्व महत्व की पाई गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) विवरण-I में सूची संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में संलग्न है। चूंकि वर्ष 1997-98 का वित्त वर्ष अभी आरंभ ही हुआ है, राशि का आबंटन विवरण-III में संलग्न है।

(ग) सैंतीस स्मारकों की संरक्षण के लिए पहचान की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

स्मारकों/स्थलों/मन्दिरों की राज्यवार संख्या जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय स्मारक (जिनमें संघ शासित क्षेत्र भी शामिल हैं) घोषित किया गया है

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्मारकों/स्थलों/मन्दिरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	134
2.	असम	49
3.	अरुणाचल प्रदेश	5
4.	बिहार	78
5.	दिल्ली	166
6.	दमन और द्वीव (संघ शासित क्षेत्र)	10
7.	गोवा	25
8.	गुजरात	199
9.	हरियाणा	90
10.	हिमाचल प्रदेश	36
11.	जम्मू और कश्मीर	64
12.	कर्नाटक	505
13.	केरल	28
14.	मध्य प्रदेश	325
15.	महाराष्ट्र	284
16.	मणिपुर	1
17.	मेघालय	8
18.	नागालैंड	4
19.	उड़ीसा	75
20.	पाण्डिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	8
21.	पंजाब	24
22.	राजस्थान	151
23.	सिक्किम	3
24.	तमिलनाडु	405
25.	त्रिपुरा	5
26.	उत्तर प्रदेश	797
27.	पश्चिम बंगाल	114
	योग :	3593

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान संरचनात्मक मरम्मत के लिए अनुमानित व्यय

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95 रु०	1995-96 रु०	1996-97 रु०
1.	आंध्र प्रदेश	37,99,650	48,89,100	58,38,700
2.	असम	3,86,630	11,98,021	26,52,137
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,80,507	5,34,762	72,344
4.	बिहार	28,28,997	37,07,754	87,00,000
5.	दिल्ली	1,76,61,869	2,76,99,978	2,64,00,000
6.	दमन और द्वीव (संघ शासित क्षेत्र)	8,62,014	13,75,976	गुजरात में सम्मिलित
7.	गोवा	14,46,405	15,95,433	23,02,918
8.	गुजरात	39,63,864	41,20,584	57,60,175
9.	हरियाणा	42,04,439	50,96,722	88,84,601
10.	हिमाचल प्रदेश	26,64,753	57,92,220	62,55,924
11.	जम्मू और कश्मीर	43,29,269	60,57,086	64,00,000
12.	कर्नाटक	70,00,099	70,93,841	1,00,00,000
13.	केरल	15,31,524	13,08,345	तमिलनाडु में सम्मिलित
14.	मध्य प्रदेश	76,52,412	78,53,646	1,22,42,312
15.	महाराष्ट्र	30,88,379	30,59,219	57,00,000
16.	मणिपुर	असम में सम्मिलित	66,371	असम में सम्मिलित
17.	मेघालय	26,000	30,000	1,260
18.	नागालैंड	असम में सम्मिलित	23,500	2,09,619
19.	उड़ीसा	51,52,503	66,39,978	93,84,269
20.	पाण्डिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	2,60,989	2,67,399	तमिलनाडु में सम्मिलित
21.	पंजाब	18,49,160	23,04,646	51,59,075
22.	राजस्थान	53,50,817	57,98,210	70,00,000
23.	सिक्किम	1,25,000	1,20,000	3,38,000
24.	तमिलनाडु	56,19,570	59,47,527	80,00,000
25.	त्रिपुरा	2,01,839	3,30,243	5,00,537
26.	उत्तर प्रदेश	64,86,377	83,72,403	87,48,345
27.	पश्चिम बंगाल	42,66,000	47,58,000	61,31,000

विवरण-III

चालू वर्ष के दौरान स्मारकों के रखरखाव और संरचनात्मक मरम्मत के लिए दी गई राशि के आवंटन को दर्शाने वाली विवरणिका

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	78,00,000
2.	असम	50,00,000
3.	अरुणाचल प्रदेश	असम में सम्मिलित
4.	बिहार	83,00,000
5.	दिल्ली	1,50,00,000
6.	दमन और द्वीव (संघ शासित क्षेत्र)	गुजरात में सम्मिलित
7.	गोवा	32,00,000
8.	गुजरात	81,00,000
9.	हरियाणा	1,05,00,000
10.	हिमाचल प्रदेश	हरियाणा में सम्मिलित
11.	जम्मू और कश्मीर	69,00,000
12.	कर्नाटक	1,59,00,000
13.	केरल	41,00,000
14.	मध्य प्रदेश	80,00,000
15.	महाराष्ट्र	85,00,000
16.	मणिपुर	असम में सम्मिलित
17.	मेघालय	असम में सम्मिलित
18.	नागालैंड	असम में सम्मिलित
19.	उड़ीसा	80,00,000
20.	पाण्डिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	तमिलनाडु में सम्मिलित
21.	पंजाब	हरियाणा में सम्मिलित
22.	राजस्थान	80,00,000
23.	सिक्किम	पश्चिम बंगाल में सम्मिलित
24.	तमिलनाडु	95,00,000
25.	त्रिपुरा	असम में सम्मिलित
26.	उत्तर प्रदेश	1,90,00,000
27.	पश्चिम बंगाल	77,00,000

[हिन्दी]

विद्युत उपचार को मान्यता प्रदान करना

4689.श्री हंसराज अहीर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत उपचार और विद्युत होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन चिकित्सा पद्धतियों के समर्थकों द्वारा चलाए जा रहे चिकित्सा महाविद्यालयों को बन्द करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो कौन-कौन सी राज्य सरकारों द्वारा ऐसी सिफारिशें की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यता प्राप्त नहीं, इस बारे में सरकार द्वारा लोगों को चेतावनी देने के लिए समय-समय पर सार्वजनिक सूचनाएं दी जाती हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों द्वारा अर्जित राजस्व

4690.श्री छीतुभाई गामीत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए अस्पतालों द्वारा अर्जित राजस्व में भागीदारी करने का और उनके पलायन को रोकने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) हालांकि नैदानिक परिचर्या और अनुसंधान की सुविधाओं में सुधार करने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं, पर ये संकाय और स्टाफ की परिलब्धियां कवर नहीं करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्र के निकट की भूमि का अधिग्रहण

4691. श्री पवन दीवान :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छावनी क्षेत्रों के आसपास की भूमि को अधिग्रहण करने का है जो कि रक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसलिए भी कि सुरक्षा प्रबंधों के कारण स्थानीय लोगों को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ग) सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण स्थानीय लोगों को हो रही कठिनाइयों की वजह से छावनियों के आस-पास की भूमि को अधिग्रहीत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भूमि तब तक अधिग्रहीत नहीं की जाती जब तक रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस भूमि को लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है।

वेश्यावृत्ति

4692. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में एशियन मानव अधिकार मानीटरिंग संगठन द्वारा "भारत के विभिन्न वेश्यालयों में दो लाख से ज्यादा नेपाली लड़कियां" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय वेश्यालायों में जिस्म के व्यापार में ग्रस्त लड़कियों के बारे में कोई जांच और सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या सरकार ने उन अपराधिक लोगो जो दलाल के रूप में काम कर रहे है और जो इन नेपाली लड़कियों को वेश्यालयों में लाने के लिए जिम्मेदार है, के खिलाफ कोई कार्रवाई की है;

(घ) क्या तिब्बती लड़कियां भी इस घिनौने जिस्म व्यापार का शिकार बन रही हैं;

(ङ) क्या सरकार की इस सामाजिक दोष को दूर करने और महिलाओं की स्थिति को सुधारने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन वेश्यालयों को बंद करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब क्या प्रयास किए गए है और इसके वांछित परिणाम प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी हां। सरकार ने राजस्थान पत्रिका के 9 अपैल, 1997 के अंक में प्रकाशित समाचार की विषय वस्तु नोट कर ली है।

(ख) जी नहीं। भारत में वेश्यावृति में संलग्न लड़कियों की संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1996 में मुम्बई और पुणे में वेश्यावृति वाले क्षेत्रों में 2 छापे मारे गये थे और 220 नेपाली अवयस्क लड़कियों को किशोर अपराध न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत सुरक्षात्मक स्थानों पर रिमाण्ड में रखा गया। इस मामले को काठमाण्डू में स्थित हमारे दूतावास के माध्यम से और रॉयल नेपाली दूतावास के साथ उठाया गया। दैहिक शोषण के शिकार बच्चों के क्रय-विक्रय में शामिल गिरोहों का पता लगाने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। 1986 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गोवा में एक ऐसे मामले की जांच की जिसके फलस्वरूप दोषियों को संजा दी गयी।

(घ) भारत में वेश्यावृत्ति में संलग्न तिब्बती लड़कियों के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने बाल वेश्यावृत्ति के उन्मूलन पर एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है ताकि वेश्यावृत्ति में संलग्न बच्चों को बचाने और उनके पुर्नवास के लिए कानूनी और गैर-कानूनी दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों पर सिफारिशें और उनकी समीक्षा की जा सके। राज्य सरकारों ने भी राज्य सलाहकार समितियां स्थापित की है जो विशेष पुलिस अधिकारियों को अधिसूचित करने, वेश्यावृत्ति वाले क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों के सलाहकार बोर्ड बनाने, नियमित रूप से छापे मारने तथा छुड़ाये गये व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास के उपाय करने की कार्यवाही कर रही हैं। इसके अलावा, सरकार बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और महिला शक्ति-सम्पन्नता के माध्यम से बच्चों विशेषकर लड़कियों की स्थिति में समग्र सुधार करने के प्रयास कर रही है। भारतीय दण्ड संहिता, अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 और किशोर अपराध न्याय अधिनियम, 1986 के मौजूदा प्रावधानों के कड़े अनुपालन के अलावा सरकार ने बच्चों के दैहिक शोषण की समस्या के समाधान के लिये प्रमुख आपराधिक नियमों के कतिपय संशोधन हेतु, जैसा कि राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है, मामले को विधि आयोग को भेजा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय संघ की मांगें

4693. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान और अब तक राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय संघ और केन्द्रीय विद्यालय कर्मचारी संघ से उनकी मांगों के बारे में सरकार को प्राप्त ज्ञापनों/अनुरोधों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संघों ने अपनी मांगों को स्वीकार न करने के बारे में 1 अप्रैल, 1997 से "धरना" और प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और इस मसले को हल करने के क्या कारगर कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि इस संगठन में राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय संघ नाम का कोई संघ नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय कर्मचारी संघ इस संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त संघ नहीं है। इस संगठन द्वारा इस संघ से कोई ज्ञापन/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इन संघों द्वारा धरना और प्रदर्शन किए जाने के निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भरता

4694. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 2005 तक स्वदेशी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ 1995 में 10 वर्षीय रक्षा प्रणाली आत्म-निर्भर कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) सरकार किन-किन क्षेत्रों में रक्षा उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकती है और इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (घ) रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण एक सतत प्रक्रिया है ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके; तथापि, यह कार्य सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार हाथ में लिया जाता है। रक्षा मंत्रालय की मुख्य शक्ति इसकी अत्यंत उच्चस्तर की आत्मनिर्भरता है जो इसने हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में अत्याधुनिक उपस्कर प्रणालियों व संघटकों के डिजाइन विकास व उत्पादन के क्षेत्र में अर्जित की है।

2. मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रक्षेपास्त्रों, इलेक्ट्रानिक युद्धपद्धति प्रणाली और हल्के युद्धक वायुयान का सफलतापूर्वक डिजाइन व विकास करने से देश को आशा है कि वह वर्ष 2005 तक रक्षा प्रणालियों के मामले में सामान्यतः आत्मनिर्भर हो जायेगा।

3. एक वर्ष में देश में उत्पादित प्रणालियों पर व्यय का अधिप्राप्तियों पर कुल व्यय के प्रति अनुपात के 0.3 के मौजूदा स्तर को वर्ष 2005 तक बढ़ाकर 0.7 करने के उद्देश्य से रक्षा प्रणालियों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दस वर्षीय योजना बनाई गई है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तीन बातों पर बल दिया जाएगा।

(i) अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का स्वदेशीकरण करके मौजूदा प्रणालियों को बनाए रखना (ii) व्यवहार्य वर्तमान प्रणालियों को उन्नत बनाना और उनकी उपयोगिता अवधि व क्षमता बढ़ाना और (iii) स्वदेशी प्रणालियों को प्रगामी रूप से शामिल करना और प्रमुख प्रणालियों के आयात को न्यूनतम स्तर पर लाना। एक आत्मनिर्भरता कार्यान्वयन परिषद का गठन किया गया है जिसमें संयुक्त आयोजना समूह और संयुक्त कार्रवाई समूह नामक दो उप समूह शामिल हैं। इन उप समूहों ने सामरिक प्रणालियों की पहचान करके इनकी प्राथमिकता निर्धारित कर ली है।

4. मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रक्षेपास्त्रों, व्यापक उड़ान परीक्षण स्वरूप के प्रमाणन (एफ०ओ०सी०) के बाद हल्के युद्धक वायुयान और इलेक्ट्रानिकी युद्धपद्धति प्रणालियों आदि जैसी मुख्य प्रणालियों को नवीं योजना के बाद प्रगामी रूप से शामिल किए जाने की योजना है। वर्ष 1997-98 में 1676 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है जबकि वर्ष 1996-97 में 1458 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।

सी०जी०एच०एस० औषधालय में वैन की सुविधा

4695. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०जी०एच०एस० औषधालयों में वैन उपलब्ध कराए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा सरकार द्वारा आपात स्थिति में मरीजों के लिए वाहन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों को एम्बूलैंस सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सुझाव प्राप्त हुआ है। संसाधनों की समग्र उपलब्धता और अभिनिश्चित प्राथमिकताओं, जो उपलब्ध निधियों से ही पूरी की जानी है, की निर्भरता पर इसका निर्णय लिया जाएगा।

सड़क दुर्घटना

4696. श्री बी०एल० शंकर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1997 को टाइम्स आफ इंडिया में "इंडिया टाप्स द वर्ल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) समाचार में उल्लिखित रिपोर्ट, 1994 और 1995 के दौरान केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी०आर०आर०आई०) नई दिल्ली द्वारा 23 शहरों के यातायात पुलिस कार्मिकों के लिए सड़क यातायात सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में किए गए एक अध्ययन पर आधारित है। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख है कि देश की कुल सड़क सुविधाओं का 15 प्रतिशत इन 23 शहरों में है। यह मुख्यतः सड़क क्षमता में आनुपातिक वृद्धि के बगैर मोटर वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण है।

सरकार देश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती प्रवृति के बारे में बहुत चिन्तित है और विभिन्न प्रचार उपायों के जरिए लोगों में सड़क सुरक्षा की चेतना पैदा करने के लिए अनेक उपाय कर रही है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के सड़क सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं तथा दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने और राष्ट्रीय राजमार्गों से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने और मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को आवधिक निर्देश/दिशा निर्देश दिए जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिन्हें आवश्यक प्रवर्तन अधिकार दिए गए हैं।

एन०डी०ए०/आई०एन०ए० उम्मीदवारों द्वारा बाण्ड भरा जाना

4697. श्री एल० रमना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०डी०ए०/आई०एन०ए० के लिए चुने गए उम्मीदवारों के माता पिता/अभिभावकों को इस आशय का बाण्ड भरने की जरूरत होती है कि प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों के विकलांग हो जाने या यहां तक कि मर जाने पर सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व के अन्य प्रजातांत्रिक देशों में ऐसा प्रावधान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त प्रावधान को समाप्त कर देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश करने वाले सभी कैडेटों के माता-पिता को, यदि प्रशिक्षण के दौरान किसी कैडेट को चोट आती है/वह अशक्त हो जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भारत सरकार और सशस्त्र सेनाओं से हरजाना न लेने से संबंधित एक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

(ख) रक्षा मंत्रालय के पास अन्य प्रजातांत्रिक देशों में इस प्रकार का प्रावधान होने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय सैन्य अकादमी/राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडेटों के माता-पिता द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, जो कैडेट प्रशिक्षणाधीन रहते हुए अशक्त हो जाते हैं/जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें अप्रैल, 1996 में जारी आदेशों के अनुसार अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। यह आदेश 1.1.86 से लागू कर दिए गए हैं। अतः इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को बन्द किए जाने के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3548 के उत्तर (हिंदी संस्करण) में शुद्धि करने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : उत्तर के अंत में निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाए :

"ऐसी हिंसक घटनाओं की जांच करने के लिए जिनके कारण विश्वविद्यालय को बंद करना पड़ा तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश आर०आर० रस्तोगी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की गई है। समिति का कार्य प्रगति पर है।"

इसे सभा पटल पर पहले नहीं रखा जा सका क्योंकि सदन 21.3.1997 को अस्थगित हो गया था।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे सहित इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) (क) (एक) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1801/97]

(दो) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखा परीक्षित लेखे।

(ख) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 और 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1802/97]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्य उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : श्री मुरासोली मारन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्य उपक्रमों (सरकारी उपक्रम सर्वेक्षण) के कार्यकरण के बारे में वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन (खंड I से III) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1803/97]

खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) (एक) खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1804/97]

(3) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1805/97]

(5) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी, फाउन्डेशन, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1806/97]

(7) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1807/97]

(9) (एक) विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1808/97]

(11) (एक) विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1809/97]

(13) (एक) विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1810/97]

(15) (एक) विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1811/97]

हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1812/97]

(3) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1813/97]

(4) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और जल-भूतल परिवहन

मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1814/97]

[हिन्दी]

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आदि

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सलीम इकबाल शेरवानी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1815/97]

(3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1816/97]

(5) (एक) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1817/97]

(7) (एक) फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1818/97]

(9) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1819/97]

[अनुवाद]

काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा

ग्रमीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडू) : श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) (एक) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1820/97]

सभी के लिए शिक्षा संबंधी तमिलनाडु राज्य मिशन (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) (एक) सभी के लिए शिक्षा संबंधी तमिलनाडु राज्य मिशन (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सभी के लिए शिक्षा संबंधी तमिलनाडु राज्य मिशन (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1821/97]

(3) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1822/97]

(5) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1823/97]

(7) (एक) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1824/97]

(9) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1825/97]

(11) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान), आगरा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1826/97]

(13) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1827/97]

(15) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1828/97]

(17) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1829/97]

सेना अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 10(अ), जो 12 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय सेना में अधिकारियों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की योजना की विधिमान्यता बढ़ायी गयी है, की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1830/97]

(3) 1991 के अनिवार्य माध्यस्थम संदर्भ संख्या 1 में अधिनिर्णय को रद्द किये जाने के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 1831/97]

अपराह्न 12.02 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वनसंबंधी स्थायी समिति

अड़तालीसवां, उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति की पर्यावरण और वन मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी क्रमशः अड़तालीसवां, उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.02½ बजे

कार्य-मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा 2 मई, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 2 मई, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

बिहार राज्य के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता के लिए किए गए अनुरोध के बारे में

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह तथ्य कहने के लिए खड़ा हो रहा हूँ कि मेरे कुछ अन्य साथियों के साथ आपके विचारर्थ मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था; और इससे पहले कि मैं आपसे अर्भ्यथना करू कि आपको हमें इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति क्यों देनी चाहिए मैं स्थगन प्रस्ताव के पाठ को तेजी से पढ़ने के सिवा और कुछ बेहतर नहीं कर सकता हूँ।

मेरी सूचना में कहा गया है कि :

> "यह एक अविलम्ब ध्यान देने योग्य निश्चित मामला है, अर्थात् बिहार राज्य में कानून और व्यवस्था का पूर्णतः ठप्प हो जाना जो कि पटना उच्च न्यायालय के घेराव और केन्द्रीय अन्वेषक अभिकरणों के वकीलों को धमकी, विपक्षी राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों पर हमला, एक साथी सांसद जोकि मेरे सहयोगी हैं और विपक्ष के एक अन्य विधायक पर जानबूझकर कराया गया कातिलाना हमला, इरा राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा में सरकारी तंत्र की लगभग पूर्ण साँठगाँठ और राज्य के उच्च अधिकारी वर्ग द्वारा केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत अमर्यादित चुनौतियों द्वारा स्पष्ट है।"

मेरा यह निवेदन है कि जो आज बिहार में हो रहा है वह मात्र कानून और व्यवस्था का ठप्प हो जाना नहीं है। यह अत्यधिक अभूतपूर्व विस्तार वाला एक संवैधानिक गतिरोध है। यह राज्य के ही सत्ताधारी वर्ग द्वारा सृजित गतिरोध है जबकि राज्य का सत्ताधारी वर्ग सार्वजनिक रूप से यह कह रहा है कि यदि दिल्ली एक विशेष ढंग से व्यवहार नहीं करती है तो वे दिल्ली को नष्ट कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी (दरभंगा) : पूरे बिहार के अंदर तोड़फोड़ की है। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे निपटूँगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : स्टेट के अन्दर लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आंदोलन करने का यह कोई तरीका नहीं है। ···*(व्यवधान)* इन्होंने असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल किया है। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मामले को उलझाइए मत। मुझे उन्हें सुनने दीजिए। उन्होंने सूचना दी है। मैं आपको भी अवसर दूँगा। क्योंकि उन्होंने सूचना दी है, मुझे उनको सुनना होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : अध्यक्ष महोदय, बिहार का मामला यहाँ कितनी बार उठेगा। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह बिहार विधान सभा नहीं है। आप इसे बिहार विधान सभा में उठा सकते है।

श्री जसवंत सिंह : मेरे विचार से यह वैध तथ्य है कि यह बिहार विधान सभा नहीं है। उनका मुद्दा वैध है क्योंकि यह बिहार विधान सभा नहीं है ···*(व्यवधान)* फिर भी, मुझे इस बात को स्पष्ट करना है कि वहाँ पर संवैधानिक गतिरोध क्यों है ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात कहने दीजिए। यह मेरे ऊपर निर्भर है कि अनुमति दूँ या न दूँ। मैं उन्हें सुन रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मेरे विचार से विपक्ष के मेरे मित्र द्वारा उठाए गए कुछ तथ्य वस्तुतः और यथार्थतः वही तथ्य हैं जो मैं उठा रहा हूँ। वह कह रहे हैं कि वहां एक जानलेवा हमला हुआ है ···*(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस (इंदुकी) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। प्रक्रिया नियमों के नियम 58 में उल्लिखित है :

> "अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सभा को स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार निम्नलिखित निर्वन्धन के अधीन होगा, अर्थात्:-
>
> (तीन) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो, तक सीमित रहेगा;"

राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति एक ऐसा विषय नहीं है जिसका भारत सरकार से संबंध हों इसलिए, मेरा निवेदन है कि इस स्थगन प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता है। अनुमति दी जाती है या नहीं यह अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री ए०सी० जोस (इंदुकी) : महोदय, इस प्रस्ताव को प्रस्तुत पेश करना सम्भव ही नहीं है। ···*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : पूरी संवैधानिक प्रक्रिया ही भंग हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप टोका-टोकी क्यों कर रहे हैं ? क्या ऐसा करना आवश्यक है ? श्री जोस, आपने हमारा जो मार्गदर्शन किया है, उसके लिए धन्यवाद।

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य ने नियम बताया है ?

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं श्री अहमद, यदि आज व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं अन्यथा नहीं।

श्री ई० अहमद : मैं तो केवल अपने सहयोगी का समर्थन कर रहा हूँ, जो यह कह रहे हैं कि सभा ने पहले ही यह निर्णय लिया है कि राज्य में कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित कोई भी विषय सभा में नहीं उठाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी वह नियम पढ़ा है।

श्री जसवन्त सिंह : मुझे उस टिप्पणी का ध्यान है और मैं अपने माननीय मित्र श्री जोस का आभारी हूँ कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया है कि हम कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा नहीं कर सकते। आखिरकार इसका मापदण्ड क्या है ?

यह स्थिति अभी-अभी ही ऐसी बनी है। यह हालत अभी-अभी उपजी है। दूसरे, यह एक ऐसा मामला होना चाहिए जिससे सभा का सम्बन्ध हो। हमारे गणराज्य के नाजुक संघवाद के प्रबन्धकीय ढ़ाँचे में राज्य के अधिकार-क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। निश्चय, ही, स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। परन्तु स्वयं राज्य के अधिकारी गण और राज्य के उच्चतम कार्यपालक अधिकारी सार्वजनिक मंचों पर और अन्य समाचार माध्यमों से यह सार्वजनिक घोषणा करने लग जाए कि यदि केन्द्रीय सरकार 'ए' रास्ता अपनाएगी या 'बी' रास्ता अपनायेगी तो उन्हें समाप्त कर देंगे और यदि सभी माननीय सदस्य यह कहें *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : ऐसे कैसा बोल सकते है। ··· *(व्यवधान)* ऐसा नहीं चलेगा ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?

श्री जसवन्त सिंह : मुझे तो ऐसा कहना बहुत कठिन लगता है ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता दल के लोगो पर हमला करने का एलान किया है। ···*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : एक ही विषय सदन में कितनी बार उठेगा। इस काम के लिए बिहार एसेम्बली है या नहीं ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री उत्तर देंगे।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, एक मुद्दा उठाया गया था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे अपनी बात कह रहे हैं। मैं कोई निर्णय लूँगा। आप इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : सदन की बात नहीं है। एक पर्टिकूलर लीडर के खिलाफ इस तरह का वातावरण मुल्क के अन्दर बनना मुनासिब नहीं है। एक पर्सनैल्टी को खत्म करने के लिए ये जो कुछ करें उससे लीडर खत्म होने वाला नहीं है। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका समाधान कर लूँगा। आप चिन्ता न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : महोदय, हम इन लोगों को बोलने नहीं देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मामलों को जटिल मत बनाइये। प्रो० रीता वर्मा, श्री जसवन्त सिंह इस मामले को अच्छी तरह सुलझा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इसे निपटा लूँगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी तक चर्चा नहीं हुई है, यह सबमिशन हो रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे दो मिनट में अपना वक्तव्य पूरा कर लेंगे।

श्री जसवन्त सिंह : हमें किसी विशेष राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने की छूट नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह एक वैध मुद्दा है और मैं इसके प्रति पूर्णतया सजग हूँ। परन्तु तब क्या होगा यदि किसी राज्य का सम्पूर्ण संवैधानिक तन्त्र काम करना बन्द कर दे ···*(व्यवधान)*

मैं किसी विशेष राज्य या व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। मुझे

[श्री जसन्वत सिंह]

तीन विशेष उदाहरण देने हैं *(व्यवधान)* यदि किसी राज्य का उच्चतम न्यायालय घिर जाता है, यदि केन्द्रीय जांच अभिकरणों को रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाए जाते, तो यह क्या है ? क्या यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न मात्र है ? अथवा हम संवैधानिक तंत्र के बिखराव की ओर अग्रसर हो रहे हैं ···*(व्यवधान)*

दूसरे एक संसद सदस्य मात्र इसलिए नहीं कि वह मेरी पार्टी का सदस्य है, अपितु वह संसद सदस्य होने के नाते अपने राजीनीतिक कार्यकलापों का निष्पादन करने में कठिनाईयों का अनुभव करता है ···*(व्यवधान)* यदि वह किसी पार्टी विशेष के विरोध स्वरूप है तो यह आवश्यक नहीं कि वह सदा उसके साथ सहमत ही हों। परन्तु यह तो निश्चित है कि उन्हें यह अधिकार हर्गिज नहीं है कि वह एक बार नहीं अपितु सत्ररह बार उस पर आक्रमण करें यदि वह सदस्य फिर भी बच जाता है, तो यह उसका सौभाग्य है ऐसे सदस्य को कहाँ जाना चाहिए ? एक सदस्य कौन सी अदालत में अपील कर सकता है ? क्या यह मात्र कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति है ?

तीसरे, यदि राज्य के उच्चतम अधिकारी गण पुलिस और नागरिक प्रशासन किसी राजनीतिक दल के उद्देश्यों के एजेंट बन जाते हैं तो यह मात्र कानून और व्यवस्था की स्थिति है ? अथवा संवैधानिक तंत्र के टूटने के चिन्ह हैं ? हमें विश्वास है और मैंने यह कहा है कि बिहार में जो कुछ हम देख रहे हैं वह मात्र कानून और व्यवस्था के नष्ट होने की स्थिति नहीं, अपितु संवैधानिक तंत्र के भंग होने के चिन्ह हैं। अतः सभा के यह अधिकार ही नहीं, अपितु यह उसका कर्त्तव्य भी है कि वह इस पर बहस करे। हम केवल स्थगन प्रस्ताव के द्वारा ही इस पर चर्चा कर सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव ही क्यों लाया जाए ···*(व्यवधान)* क्या यह सरकार बिहार सरकार की बन्दी है। यह केवल नाम की केन्द्रीय सरकार है। यह बिहार सरकार के अधीनस्थ हो गई है। क्या इन्हें बांध कर रखा जाता है। क्या केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य के किसी विशेष व्यक्ति की इच्छाओं के अधीन हो गई है।

यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की बन्दी बन जाती है तो हम गणराज्य में एक ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जिस पर चर्चा केवल इसी सभा में हो सकती है और इसी लिए, महोदय मैं यह कहता हूँ कि यह केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है। सभा को इस बात का हक है और हमें इस सरकार की निन्दा करनी है। इसलिए हम यह प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। हम यह प्रस्ताव पेश करने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : अध्यक्ष जी, एक मौका हमें भी दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूँगा। श्री फर्नान्डीज ने नोटिस दिया है। श्री फर्नान्डीज कृपया संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, यहाँ नियमो की चर्चा होने लगी है और मैंने भी आपको एडजोर्नमैंट मोंशन के लिए नोटिस दिया हुआ है। मैं आपको संविधान का आर्टिकल 257 पढ़कर सुनाऊँगा, जो काम की बात है।

[अनुवाद]

> "प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिस से संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिखाई दे।"

[हिन्दी]

इसका पहला जो हिस्सा है

[अनुवाद]

> "जिस से संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, एग्टीक्युटिव पॉवर ऑफ यूनियन में अदालतें आती हैं, हाईकोर्ट और सेंट्रल एजेन्सीज आती हैं, मैं आपका ध्यान सातवें शैडयूल्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप लिस्ट (1) आइटम नं० (8) देखें। और आगे आप आइटम नं० 78 की सूची में देखेंगे।

[अनुवाद]

> "उच्च न्यायालयों का संविधान और गठन, केवल उच्च न्यायालयों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान को छोड़कर उच्च न्यायालयों में वकालत करने के योग्य व्यक्तियों।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, जो नोटिस हम लोगों ने दिया है उसमें इन दोनों बातों का जिक्र है। मैं और चीजों पर जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि उसमें तर्क-वितर्क हो सकते हैं। इसलिए मैं केवल यही दो मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, हम जानना चाहता हैं सरकार से और गृह मंत्री जी से जो यहां बैठे हुए हैं कि क्या सी०बी०आई० जांच करने वाले वहां जो डा० विश्वास नाम के संयुक्त निदेशक हैं उनको एक केन्द्रीय सुरक्षा विभाग के जरिये सुरक्षा देने की आवश्यकता हो गयी। क्या यह बात सही नहीं है कि उनको रहने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए सी०आई०एस०एफ० अपने ढंग से उनको सुरक्षा देकर उनको बचाने का काम आज से नहीं बल्कि तब से दे रहा है जब से यह जांच चल रही है।

अध्यक्ष जी, अगर यह संसद इस बात पर विचार नहीं करेगी कि

इस संसद की कहां जिम्मदारी है, केन्द्र की कहां जिम्मदारी है। हमारे जो भी जांच करने वाले विभाग हैं जब कभी भी किसी प्रदेश में उनका हाईकोर्ट के माध्यम से काम चलने वाला है तो उन्हें सुरक्षा न दी जाए और उनकी जान को सीधे-सीधे चुनौती दी जाए, अनेक लोगों के माध्यम से चुनौती दी जाए तो अध्यक्ष जी, वे अपने संरक्षण के लिए कहां जाएं ? ब्रैक-डाउन का मामला आर्टिकल 257 के तहत अगर इस मामले में नहीं आता है तो किस चीज में आता है। अध्यक्ष जी, सी०बी०आई० के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं कि सी०बी०आई० होश में आओ। अध्यक्ष जी, यह चुनौती सी०बी०आई० को नहीं है बल्कि यह चुनौती केन्द्र को है और केन्द्र का मतलब इस सदन और इस संसद को है। अब चूंकि संसद है इसलिए आपकी सरकार वहां पर बैठी है, अगर संसद नहीं होती तो आपकी सरकार नहीं बैठती। इसलिए सी०बी०आई० की जिम्मेदारी उस सरकार की जिम्मेदारी में शामिल है। जब पटना की सड़कों पर दिन-रात नारे दिए जाते हैं कि सी०बी०आई० होश में आओ और व्यक्तियों को धमकियां दी जाती हैं, जांच करने वाले लोगों को धमकियां दी जाती हैं तो अध्यक्ष जी, कहां पर ये लोग इंसाफ के लिए जाएंगे। अगर यह सदन में हम लोग स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय पर बहस नहीं चला सके, अध्यक्ष जी, तो कहां चलाएंगे ? हमारे बाएं बाजू में जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उन्होंने नियमों के अन्तर्गत सवाल उठाया लेकिन नियमों के ऊपर संविधान है। संविधान इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है कि ब्रेक डाउन का मतलब क्या है ? मैं यहां आर्टिकल 257 फिर पढ़ना चाहता हूं :

[अनुवाद]

> "प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हों।

[हिन्दी]

आज हाई कोर्ट के सामने दी पावर इज़ बीइंग इम्पीडिड।

मैं यहां जो चीज पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे माफ करना। लिस्ट (1) आइटम 8 में लिखा है कि दैट पावर इन बीइंग इम्पीडिड ये मामूली शब्द नहीं हैं बल्कि उनकी जान को चुनौती दी गई है। हम जब उसे कॉस्टीट्यूशन के ब्रेक डाउन का मामला कहते हैं, अगर आर्टिकल 356 और 365 की ओर आपकी नजर जाए, तो बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। आर्टिकल 365 में लिखा है।

[अनुवाद]

> "जहां इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है वहाँ राष्ट्रपति के लिए यह मामला विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।"

[हिन्दी]

आज बिहार में मामला यहां आकर पहुंच गया है। हम आर्टिकल 356 की चर्चा करते हैं लेकिन आर्टिकल 365 आर्टिकल 356 से जुड़ा हुआ नहीं है। वह अलग धारा है। वह धारा हमने और आपने कई बार यहां रखी है। हमारा फैडरल कॉस्टीट्यूशन है और राज्यों के अपने अधिकार हैं। हम और आप उन अधिकारों के पक्षधर हैं। इसलिए आर्टिकल 356 की बात जब ऐसे संदर्भ में लेते हैं, जहां सरकार की तरह से कुछ और काम प्रदेश स्तर पर हो जाते हों या न हो जाते हों लेकिन यहां आर्टिकल 365 के तहत बात हो रही है कि इम्पीड हो गया और केन्द्र सरकार की एथॉरिटी को डीफाई किया। वहां केन्द्र सरकार ने जो जायज काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए किए, उनमें बाधाएं डाली गईं और जांच करने वाले अधिकारियों की जान का खतरा हो गया। क्या इसमें ब्रेक डाउन ऑफ दी कॉस्ट्टीयूशन नहीं हो गया? मैं यहां धारा 202, 203, 204 और 205 पर नहीं जाऊंगा जिस के बारे में केन्द्र सरकार को जरूर सोचना चाहिए। मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि इस संसद द्वारा एलॉट किए गए पैसे वहां बर्बाद हो गए लेकिन आज के दिन वहां जो गतिविधियां चल रही हैं, उनके आधार पर यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम लोगों के एडजर्नमैंट मोशन की सुनवाई हो और हमें यहां अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक नोटिस तो दस बजे के बाद प्राप्त हुआ है। मैंने सब पहलुओं का भली प्रकार से अध्ययन कर लिया है। केवल दो नोटिस, एक श्री जसवन्त सिंह का और दूसरा श्री फर्नान्डीज का समय पर प्राप्त हुआ है शेष नोटिस दस बजे के बाद मिले हैं।

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, अगर आप नोटिस से बाहर दूसरे लोगों की बात सुनते हैं तो हमारी बात भी सुनिए। *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कौन सा नोटिस दिया है ? इन्होंने एडजर्नमैंट मोशन को कैंसिल करने का नोटिस दिया है या उसे मूव करने का नोटिस दिया है। ···*(व्यवधान)* इन्होंने अगर नोटिस दिया है तो वह कब दिया है और किस बात का दिया है ? ···*(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे : अध्यक्ष जी, ये लोग बिहार में नागरिकता खत्म कर रहे हैं ···*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : अध्यक्ष जी, नीतीश जी को ये लोग चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। नीतीश जी ने मुझे सचमुच कठिनाई में डाल दिया है। यदि मैं प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करूँ तो मैंने उन दोनों सदस्यों के विचार सुन लिये हैं जिन्होंने नोटिस दिये

[श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी]

हैं। फिलहाल इस मामले सम्बन्धी सभी तथ्य तो मेरे सामने नहीं है। नोटिस आज सुबह दस बजे मिले। नियमों के अन्तर्गत मैं केवल सम्बद्ध मंत्री—गृह मंत्री से स्पष्टीकरण ही मांग सकता हूँ। यदि आप सहमत हों तो मैं गृह मंत्री की प्रतिक्रिया लूं और फिर अपना विनिर्णय दूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मामले को खींचना क्यों चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने अपनी बात एक गलत ढंग से रखी है तो हमें अपनी बात सही ढंग से रखने का चांस मिलना चाहिये। आखिर बिहार का मामला है

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष जी, इन्होंने बिहार सरकार पर इलज़ाम लगाने का काम किया है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : अगर ये एडजर्नमेंट मोशन पर बोलते तो कोई बात नहीं थी ···*(व्यवधान)* इन्होंने पूरे लॉ एंड ऑर्डर पर बोला है

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मामला क्या है ? ···*(व्यवधान)* मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पूर्व में भी विभिन्न राज्यों में आयकर अधिकारियों जैसे केन्द्रीय अधिकारियों की अवहेलना की गयी है ···*(व्यवधान)* गुजरात में उन पर आक्रमण किया गया। ये सब हो रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, दुख तो इस बात का है कि यहां भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और इसलिए यहां पर इस नियम का पालन नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मामले को और जटिल क्यों बना रहे हैं? क्या आप मुझे स्थिति से निपटने देंगें ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या यह विषय-वस्तु हो सकता है? मैं तो केवल इसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने एक ऐसे मामले पर स्थगण प्रस्ताव का सुझाव दिया है जिसमें केन्द्रीय अधिकारियों की राज्यों में अवहेलना हुई है। महोदय, यह मैं भी जानता हूँ और वे भी जानते हैं कि आप कर अधिकारी केन्द्र के होते हैं और उनकी प्रयासों को विगत में गुजरात, महाराष्ट्र और कश्मीर में धक्का पहुचाँया गया है। कुछ आयकर अधिकारी मारे भी गये हैं। तब यह स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री पी०आर० दासमुंशी (हावड़ा) : बंगाल में भी राज्य सरकार ने एक बन्द का आह्वान किया और केन्द्रीय अधिकारियों को रोका। यदि आप इस तरह का विनिर्णय कड़ाई से देंगे तो यह बंगाल पर भी लागू होगा। ···*(व्यवधान)* यह बंगाल पर भी लागू होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सम्बद्ध पार्टी के विरुद्ध एक सी० बी०आई० जांच की मांग की। *(व्यवधान)* यह इस का दूसरा रुख है। ···*(व्यवधान)*

श्री पी०आर० दासमुंशी : बंगाल में भी इसका प्रचलन है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : अध्यक्ष जी, इसलिए हम लोगों को अलाऊ कीजिये। हम लोगों को भी आपको सुनना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : कोई जरूरत नहीं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : जरूरत है। अगर लॉ एंड आर्डर का मामला था तो इनको एडजर्नमेंट मोशन मूव करना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : अभी एडजर्नमेंट मोशन मूव नहीं हो रहा है।

श्री राम कृपाल यादव : हमारे पक्ष की बात भी बोलने दीजिये और हम लोगों के साथ जस्टिस कीजिये।

श्री नीतीश कुमार : इन्होंने पक्ष-विपक्ष की बात नहीं की है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : यदि हमें मौका नहीं मिला तो कल हम भी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूँ और मैं न्याय कर रहा हूँ।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, हम न्याय चाहते है ···*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : वे यहाँ न्याय चाहते है और बिहार में न्याय से वंचित कर रहे हैं। ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो हो रहा है ···*(व्यवधान)* आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है ? जैसा बिहार में हो रहा है, वैसा ही ये यहां कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा कैमरे बंद कर दिए जाएं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी कैमरे बन्द कर दिये गए हैं कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री पी०आर० दासमुंशी : क्या आपने गृह मंत्री को बोलने की अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.31 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : श्री फ़ातमी, आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है। आप कृपया अपने स्थान पर वापिस जाएं।

(व्यधान)

अपराह्न 12.32 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी अपने स्थान पर वापिस चले गए।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप गृह मंत्री को पुकारें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ श्री जसवन्त सिंह ने सभा में जिन-जिन मुद्दों को उठाया हैं मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु मुझे लगता है कि श्री रूडी पर हुए आक्रमण के विषय में मुझे बोलना चाहिए। मुझे उनका पूरा नाम नही आता। बस मैं उन्हें श्री रूडी के नाम से ही जानता हूँ। अतः मुझे क्षमा किया जाए।

एक माननीय सदस्य : उनका नाम श्री राजीव है।

श्री चन्द्रशेखर : ठीक है। यह बहुत गम्भीर मामला है। मुझे लगता है कि पूरी सभा को चिन्ता होगी। मेरे पास केवल प्रैस से ही नहीं अपितु छपरा के स्थानीय लोगों द्वारा दी गई रिपोर्ट भी है। यह बहुत दहशत पैदा करने वाली है। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूँगा कि उन्हें अपने गुप्तचर अभिकरणों का प्रयोग करना चाहिए, बिहार सरकार से रिपोर्ट लेनी चाहिए और वहाँ की स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए। यहाँ पर ऐसे आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं। मैं उन मायनों में नहीं बोल रहा जिन में आप बोल रहे हैं। अतः अध्यक्ष महोदय गृह मंत्री को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस मामले की छानबीन हों। यह बहुत गम्भीर मामला है कि माननीय सदस्य पर सत्रह बार गोलीबारी हुई। मैं श्री रूडी को उनके बालपन से जानता हूँ। वह बहुत संयमी, बुद्धिमान और उदीयमान युवा व्यक्तित्व है। यदि ऐसी घटना श्री रूडी के साथ घट सकती है तो मुझे लगता है कि यह किसी के साथ भी घट सकती है मुझे लगता है विपक्ष में बैठे शेष सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसमें कोई सन्देह नहीं। इस पर सभा में आम सहमति है।

अध्यक्ष महोदय : श्री फ़ातमी मेरी बात सुनें, फिलहाल, तो मुझे यही निर्णय लेना है कि मैं श्री जसवन्त सिंह को नियम 56 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दूँ अथवा नहीं। अतः यह बहुत सीमित प्रश्न है। इस बारे में कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। मुझे देखना है कि यह नोटिस अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव के लिए दी गई सम्मति के लिए न्यायोचित है अथवा नहीं। यह बहुत सीमित मुद्दा है। अतः मैंने माननीय सदस्यों के विचार सुन लिए हैं। निर्णय लेने से पूर्व मैं यह जानना चाहूँगा कि गृह मंत्री इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं अथवा नहीं। इसलिए क्योंकि वे ही सम्बद्ध मंत्री है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, वे इस पूरी स्थिति को और भ्रमात्मक बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अतः फिलहाल कोई बहस नहीं होगी कृपया स्थिति को समझे। यदि आप इस पर बहस चाहते हैं तो आप इसे खींच सकते है। परन्तु यदि मैं विनिर्णय दे देता हूँ तो मामला यहीं निपट जाएगा। आप सबके विचार सुनने के बाद में अपना विनिर्णय दे दूँगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : अध्यक्ष जी, मैंने सिर्फ इसलिए समय मांगा था कि न सिर्फ जसवंत सिंह जी ने बल्कि जार्ज साहब ने जो बात रखी, उसके अंदर उन्होंने अपने को ऐडजर्नमेण्ट मोशन तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सी०बी०आई० की बात कही ···*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि उन पर हमला हो रहा है। ···*(व्यवधान)* उसके अलावा हम भी अपनी बात कहना चाहते हैं कि किस तरह से क्रिमिनल्स वहां इस्तेमाल हुए। *(व्यवधान)* किस तरह से वहां पर जनता दल के दफ्तर पर हमला हुआ ···*(व्यवधान)* किस तरह से वहां बी० जे०पी० और सी०बी०आई० का नैक्सस है ···*(व्यवधान)* ये सब एक लीडर को बरबाद करने के चक्कर में हैं। क्या मुझे अपनी बात कहने का हक नहीं है ? ···*(व्यवधान)* किस तरह से वहां सी०बी०आई० की जांच की खबर समता पार्टी और बी०जे०पी० को पहले पहुंच जाती है। ···*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मंत्री जी से बोलने के लिए कह दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सर, सब फ़ातमी जी को सुन रहे हैं तो हम लोगों को भी सुनिए ···*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : अभी मैं बोला कहां हूँ ···*(व्यवधान)* क्या हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ आपको ही बोलने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : अधिकार तो है, लेकिन रूल्स का भी ख्याल रखना पड़ता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चलिए, माननीय गृह मंत्री जी की बात सुनते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सर क्या इन लोगों को बोलने का अधिकार है। आपनें उनको मौका दिया, हमें भी मौका दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपके सम्मुख इस समय यही मुद्दा विचारार्थ है कि स्थगन प्रस्ताव, जिसके लिए नोटिस देना आवश्यक होता है अथवा दिया गया है शायद श्री जसवन्त सिंह और श्री जार्ज फर्नान्डीज के द्वारा उसके लिए आप अपनी सहमति दें अथवा नहीं। मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके अन्तर्गत आप अपनी सहमति दें। उन सब वितर्कों के बावजूद जो यहां पेश किए गए हैं कानून और व्यवस्था की स्थिति के भंग होने का कोई मामला नहीं बनता कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है, इधर कुछ मुठभेड़े हुई है और कुछ लोगों पर आक्रमण हुए हैं, मैं इससे इन्कार नहीं करता ऐसी ही एक घटना वह है जिसका उल्लेख श्री चन्द्रशेखर ने किया है जिसमें इस सभा के एक सदस्य पर गोलीबारी की गई। मुझे नहीं पता, उन्हें कुछ चोटें अवश्य आई होंगी जब सत्रह बार गोलीबारी हुई है तो किसी भी हालत में ···*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, मैं आपको बताता हूँ ···*(व्यवधान)* मुझे घटना का ब्यौरा देने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैं चुपचाप बैठा रहा, मैं आपको बताता हूं कि यह सब कैसे हुआ? ···*(व्यवधान)* यह सब ऐसे ही नही चल सकता ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले का निपटारा करने जा रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय मंत्री जी ने कटाक्षपूर्ण टिप्पणी की है ···*(व्यवधान)* मैं आपको बता सकता हूँ कि गोली कैसे चलाई गई ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उस मामले से निपट लूँगा।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं आपको ब्यौरा दे सकता हूँ ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : यह कई बार हो चुका है। जब सत्रह चक्र गोलियाँ चली है तो इन्कुयरी तो होनी चाहिए इसका क्या मतलब है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है माननीय मंत्री जी समझ गए है ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष जी, मैं बिहार घूमकर आया हूं। मैं अभी पिछले कुछ दिनों बिहार में था। ···*(व्यवधान)* गृह मंत्री का बयान आपत्तिजनक है, उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। गृह मंत्री को इस बात के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। ···*(व्यवधान)* उन्हें खेद प्रकट करना होगा ···*(व्यवधान)* आपको इस बात के लिए खेद प्रकट करना होगा। यह गलत बात है। ···*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मुझे बोलने तो दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे निपटता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को अपनी बात पूरी करने दो।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, उन्हें सुन तो लीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप बोलते जा रहे हैं। ···*(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : जी नहीं, यह सवाल नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यही सवाल है। ···*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : आप खड़े होकर बोले जा रहे हैं। आप होम मिनिस्टर की बात सुन लीजिए, फिर बोलिये। ···*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : हम बिल्कुल नहीं बोलने देंगे ···*(व्यवधान)* पहले सुनिए और बाद में बोलिए ···*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप बोलते रहिए . . .(व्यवधान) सवाल क्या है, आपको पता नहीं है ···*(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : होम मिनिस्टर से ऐसी आशा नहीं की जा सकती ···*(व्यवधान)* उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इस हाउस के एक सदस्य के बारे में ऐसे विचार प्रकट करें कि वे बच कैसे गए ···*(व्यवधान)* यह बहुत आश्चर्य की बात है। इस बात के लिए उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए ···*(व्यवधान)* माननीय सदस्य पर गोली चलाई गई थी ···*(व्यवधान)* लेकिन गृह मंत्री जी यहां ऐसा कहें कि वे बच कैसे गए, पर उन्हें शोभा नहीं देता – मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं। ···*(व्यवधान)* यह उन्हें शोभा नहीं देता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। ···*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता यदि गृह मंत्री जी के बोलने से पहले आप संबंधित सदस्य को सुन लेते तो शायद अभी जो परिस्थिति पैदा हुई है, वह पैदा न हुई होती। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी। ···*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय गृह मंत्री ने ऐसा नहीं कहा। आपने उन्हें ध्यान से नहीं सुना ···*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : माननीय गृह मंत्री को अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है। मैं उन्हें मौका दूंगा।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष जी, पहले गृह मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे गृह मंत्री जी अपनी बात रख नहीं पाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनने के लिए आपको बैठना ही पड़ेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, यहां दो मामले हैं जिन्हें अलग-अलग किया जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। अगर आप रूडी जी को पहले सुन लेते और बाद में गृह मंत्री जी को बोलने के लिए कहते तो शायद यह कठिनाई पैदा नहीं होती। अभी गृह मंत्री जी के सामने सारे तथ्य नहीं आए हैं। अभी उन्हें रिपोर्ट लेनी है, इंटैलीजैंस से रिपोर्ट लेनी है, स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट लेनी है, मगर रूडी जी तो यहां मौजूद हैं। अगर आप पहले उन्हें सुन लेते तो इस कठिनाई से बचा जा सकता था। अगर उधर के सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वे अपनी बात रखें और हम अपनी बात रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब आपको फैसला करना है लेकिन गृह मंत्री जी कोई ऐसी बात न कहें जिससे सदन में अकारण उत्तेजना पैदा हो।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय सदस्य ···*(व्यवधान)*

प्रो० पी०जी० कुरियन (मवेलीकारा) : आप माननीय सदस्य श्री रूडी की बात क्यों नहीं सुनते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक मिनट। हर कोई अध्यक्ष महोदय को यह समझाने का प्रयास क्यों कर रहा है कि सभा का संचालन कैसे किया जाए। मुझे समझ नहीं आता कि इतने वरिष्ठ सदस्य भी इस तरह क्यों चिल्लाये जा रहे हैं ? ···*(व्यवधान)* विपक्ष के नेता ने यह सुझाव दिया है कि श्री राजीव प्रताप रूडी को पहले घटी घटना के, सन्दर्भ में सभा में वक्तव्य देने का मौका दिया जाना चाहिए और वह सदन में उपस्थित हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। महोदय, आप उन्हें अपने विवेक से यह अनुमति दे सकते हैं। मैं बाद में बोलूँगा। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। महोदय, यदि आप चाहें तो आईये हम उनकी बात सुने।

महोदय, इस घटना का उल्लेख माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी ने किया था जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा है, कि यह एक तथ्य है कि अभी तक इस घटना से सम्बन्धित कोई विस्तृत रिपोर्ट हमारे मंत्रालय को नहीं मिली है। यदि श्री रूडी इस घटना पर कुछ प्रकाश डाल सकें, तो व्यक्तिगत रूप से मैं इसका स्वागत करूँगा। इसमें कुछ गलत भी नहीं। मैंने तो केवल एक टिप्पणी की थी ···*(व्यवधान)*

प्रो० पी०जी० कुरियन : यह तो कटाक्षपूर्ण टिप्पणी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने तो मात्र टिप्पणी की थी। कि यह बहुत दिल दहलाने वाली घटना है कि एक सदस्य पर सत्रह गोलियाँ चलाई गई। क्या यह आम बात है ? ···*(व्यवधान)* कृपया सुनिए ···*(व्यवधान)*

डा० एम०पी० जायसवाल (बेलिया) : आपने कहा है कि एक ही व्यक्ति पर सत्रह गोलियाँ चलाई गई

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो महोदय, यदि सभा इस बात के लिए उत्सुक है और आप उत्सुक हैं कि पहले श्री राजीव प्रताप रूडी की बात सुनी जाए ···

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु वर्तमान मुद्दे के दूसरे भाग से इसका कोई लेना देना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं स्थगन प्रस्ताव के नोटिस का मामला निपटा रहा हूँ। मैं किसी व्यक्तिगत घटना से नहीं निपट रहा।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, फिलहाल नहीं। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्थगन प्रस्ताव के दूसरे सम्बन्धित हिस्से के सम्बन्ध में, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने श्री जसवन्त सिंह और श्री फर्नान्डीज की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन ली है और उन्होंने ऐसा कोई मामला नहीं बनाया जिससे यह दावा किया जा सके ···

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई–उत्तर-पूर्व) : महोदय, यह निर्णय आपको लेना है। ···*(व्यवधान)*

श्री अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना तर्क देने दीजिए। उन्हें अपने मामले की वकालत करने का हक है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, वह तो श्री रूडी के बारे में है। अधिक चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। आपको उन्हें उत्तर नहीं देना है। आप अपनी बात कहें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह तो श्री रूडी के मामले का जिक्र कर रहे हैं। मैंने कहा है कि हमें गुप्तचर विभाग से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। परन्तु आप कानून और व्यवस्था के सामान्यतया भंग होने की बात कह रहे हैं। किसने कहा हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं। हमारे पास रिपोर्टें हैं और उन रिपोर्टों के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसे कानून और व्यवस्था भंग होने की संज्ञा दी जा सके। कई प्रकार की गड़बड़ियां चल रही है। मैं उन सब के विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो कुछ वहां हो रहा है उन विस्तृत घटनाओं में से कुछ की रिपोर्ट मुझे मिली है, और उनमें दलगत मुठभेड़ो, अधिकारियों और लोगों पर हुए हमलों की घटनाएँ भी शामिल है। परन्तु, महोदय, विनम्रतापूर्वक मेरा निवेदन यही है कि सामूहिक रूप में यह सब कमाधिक कानून और व्यवस्था के पूर्णतया भंग होने अथवा संविधानिक व्यवस्था के भंग होने के चिन्ह नहीं है। हमें राज्यपाल से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली जो इस आरोप की पुष्टि करता हो कि कानून और व्यवस्था पूर्णतया भंग हो गयी हैं।

जो कुछ अन्य मुद्दों का आपने उल्लेख किया है, तो मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय के सामने प्रदर्शन किया है अथवा उनका घेराव किया है। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि उच्च न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया में बाधा रही हो और उसे न चलाया जा सका हो।

दूसरे प्रैस रिपोर्टों के सम्बन्ध में, यह कहा गया है कि बहुत सी धमकियां दी गई हैं। जिन लोगों का उल्लेख श्री जसवन्त सिंह ने उच्चतम प्राधिकारियों के रूप में किया है उन लोगों ने वक्तव्य दिये है कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी धमकियां दी हैं, "यदि किसी ने ऐसा किया तो मैं यह कर दूँगा, वो कर दूँगा आदि-आदि" मेरा कहना यह है कि चाहे धमकियाँ कुछ भी दी गई हों, वो साकार तो नहीं हुई। वैसा कुछ घटा तो नहीं न ···*(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, उनका इन धमिकयों से कोई सरोकार नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा कुछ नहीं घटा ···*(व्यवधान)* कुछ नही हुआ, महोदय . . .(व्यवधान) जैसे केरल में *(व्यवधान)* ऐसा कुछ नहीं घटा जिससे यह पता चलता हो कि केन्द्र द्वारा दिए गए किसी निर्देश का अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गए किसी निर्देश का राज्य सरकार ने उल्लंघन किया है। ऐसा कोई दृष्टान्त अथवा रिकार्ड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे यह पता चलता हो कि केन्द्रीय गुप्तचर अभिकरणों अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अनुभाग के कार्यपालन में बाधा आई है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्री जसवन्त सिंह का दावा अपरिपक्व है। शायद, मुझे नहीं पता, बाद में कुछ ऐसा हो जिससे कुछ सतुष्टि हो। फिलहाल तो यह कालपूर्व की गई टिप्पणी है और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे यह लगे ···*(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : आपको क्या लगता है कि किस समय कुछ घटेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ तो साकार हो

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केन्द्रीय सरकार को किसी भी अर्थ में कोई चुनौती नहीं दी गई है कि वहां से जारी किये गए किसी अनुदेश या आदेश की अवज्ञा राज्य सरकार द्वारा की गई है। क्या हमें लोगों द्वारा जारी किए गए वक्तव्यों के अनुसार चलना है ? उदारणतया राज्य के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के बीच कथित रूप से क्या वार्तालाप या विचार-विमर्श हुआ जिससे यह सब घटित हुआ, मुझे कुछ नहीं पता उनकी कोई बैठक हुई। उन्होंने कुछ विचार-विमर्श किया। मैं नहीं कह सकता कि उनके बीच में क्या हुआ ···*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : आप राज्यपाल से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगते ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बेशक, रिपोर्ट तो आएगी स्वामाविक रूप से रिपोर्ट तो मुझे मिलेगी।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मान लो, प्रैस में कुछ छपा हो। तब भी क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इसके बार में जाँच करें ?

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, 3 तारीख को जो 17 राऊंड गोलियां चली, क्या उसकी इन्फोंमेशन होम मिनिस्टर साहब को है या नहीं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यही कारण है कि रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। आप गृह मंत्री थे।

डा० मुरली मनोहर जोशी : हाँ, मुझे आधे घण्टे के अन्दर रिपोर्ट मिली हैं। मैं जानता हूँ कि इसे कैसे किया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : तेरह दिनों तक।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : इनको अभी तक पता ही नहीं है कि 3 तारीख को 17 राउंड गोलियां चली थी।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चाहे कुछ भी है, महोदय जहां तक इससे संबंधित भाग का संबंध है मैं यह दोहराता हूं कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति देने का आपके पास कोई आधार नहीं है क्योंकि ऐसी कोई स्थिति बिहार राज्य में उत्पन्न नहीं हुई है और इसलिए इसे स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इससे पहले कि हम प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करें, अनुरोधों के दौरान एक माननीय सदस्य पर गोली चलाए जाने की घटना का उल्लेख किया गया है और माननीय सदस्य श्री चन्द्रेशखर ने भी उस संबंध में बहुत मज़बूत तर्क दिया है, मैं यह महसूस करता हूँ कि यह एक गंभीर मामला है। सरकार इसकी जांच कर सभा में रिर्पोट प्रस्तुत करें। अतः, मैं यह प्रश्न यही समाप्त करता हूँ।

श्री शरद पवार (बारामती) महोदय, आप उन्हें सुरक्षा दीजिए ···*(व्यवधान)* सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, माननीय सदस्य की बात सुनी जानी चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, आप मेरी बात सुने बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं ? ···*(व्यवधान)* कृपया मुझे अनुमति दीजिए। महोदय, आप मेरा मुद्दा मेरी बात बिना सुने ही समाप्त कर रहे हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, हमें उस घटना के शिकार व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। कृपया उनकी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मुद्दा यह है कि यदि माननीय सदस्य अभी बोलते हैं तो गृह मंत्री जवाब देंगें कि : "मुझे तथ्यों की जांच करनी होगी'।

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, कृपया सभा को यह जानने दीजिए कि क्या हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें तथ्यों का पता लगाने दीजिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा को सभी तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा का यही विचार है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी पहले गृह मंत्री को रिपोर्ट मिलने दीजिए। मैं अभी नहीं बाद में स्पष्टीकरण देने का मौका दूँगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मेरा विचार यह है *(व्यवधान)* मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे यह अवश्य जानना चाहिए। मेरे साथ वहां कुछ घटना घटी और माननीय गृह मंत्री कहते हैं : 'आप 17 गोलियों के बाद कैसे बच सकते हैं ? उनको यह बात स्पष्ट होगी कि मैं कैसे बच गया। मैं केवल एक बात कह सकता हूँ। मैं इस बात की गहराई में नहीं जा रहा हूँ। मैं यह कह सकता हूँ कि इस सभा को दो मिनट के लिए एक अवसर से वंचित रखा जा रहा है ···*(व्यवधान)* वे केवल यही बात सुनना चाहते हैं और यदि एक गोली मुझ तक पहुँच जाती तो वे यहाँ पर बात करने में अधिक खुश होते और आप भी खुशी से उसको उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताते। यही मैं कहना चाहूँगा। आपकी अपनी एजेंसियां है। मैं आप पर और अधिक विश्वास नहीं कर सकता। जो कुछ भी आप कहते हैं, मैं उस पर भी विश्वास नहीं करता। आप पूर्णतः असफल रहें हैं। आपकी अपनी एजेंसियां हैं। रिपोर्टें भेज दी गई होंगी। वे वहाँ होंगी। मैं विस्तारपूर्वक बताऊँगा, महोदय, आप मुझे कब अनुमति देंगें। मैं गृह मंत्री की इस बात को सुनकर हक्का-बक्का रह गया कि : वह कैसे बच गए ?" मैं भगवान तथा अपने मित्रों की दुआओं से बच गया। न कि आपके बचाव *(व्यवधान)* मेरी भी एक नज़र है और मैं जानना हूं कि अपनी बात की व्याख्या कैसे की जाए।

महोदय, मैं यह अवश्य कहूँगा कि हमारे देश के गृह मंत्री के पास दिल नहीं है। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करवाने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे विचार में इतना काफी है।

मैंने सूचनाओं की सामग्री पढ़ ली है। मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज के बाद श्री जसवंत सिंह जी के अनुरोध को भी ध्यानपूर्वक सुना है। सूचनाओं में बिहार राज्य में कानून तथा व्यवस्था की पूर्णतः बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में कहा गया है और उसकी व्याख्या की गई है। इसमें कहीं भी राज्य में संविधान भंग होने का उल्लेख नहीं किया गया।

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

श्री जसवंत सिंह ने इसका हवाला दिया हैं भी जार्ज फर्नान्डीज़ ने हमेशा की तरह बहुत जोरदार तरीके से मामले की वकालत की है।

तर्क की दृष्टि से मान भी लिया जाए कि कानून तथा व्यवस्था की स्थिति खराब है, इस बात को स्वीकार न करते हुए मैं नही समझता कि अनुच्छेद 256 अथवा अनुच्छेद 257 अथवा अनुच्छेद 365 लागू होते हैं।

संविधान बहुत स्पष्ट है। यदि संवैधानिक व्यवस्था भंग होने के साथ-साथ कानून तथा व्यवस्था का उल्लंघन होता है तो भारत के संविधान का संबंद्ध अनुच्छेद है 356। अतः यह लागू होगा और इसलिए स्थगन प्रस्ताव के उद्देश्य से मैं नहीं समझता कि संवैधानिक प्रणाली के भंग होने का प्रश्न उठ सकता है।

श्री ए०सी० जोस ने अपने व्यवस्था के प्रश्न पर सभा का ध्यान नियम 58(iii) की ओर दिलाया जिसमें यह कहा गया है कि इस प्रस्ताव को हाल ही में हुई घटनाओं के विशेष मामलों तक ही सीमित रखना चाहिए जिसमें भारत सरकार की जिम्मेदारी हो। नियम बहुत स्पष्ट है कि कानून तथा व्यवस्था से संबंधित मामला राज्य का विषय है और सभा राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा नहीं कर सकती है। अतः मैं नहीं समझता कि मेरे पास स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की सहमति देने के लिए कोई न्यायसंगत तर्क है। मैं इसके लिए अपनी सहमति नहीं देता हूँ।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक पूर्वसूचना दी है। इंग्लैड लेबर पार्टी सत्ता में आ गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, मैं नहीं समझता कि जो मामला आपने उठाया है वह शून्य-काल में उठाए जाने के लिए सही है क्योंकि यह शून्य-काल में उठाए जाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप इसे किसी अन्य तरीके से भी उठा सकते हैं। मामला इंग्लैड में नई सरकार द्वारा कार्यभार संभाले जाने तथा उनकी नीतियों और भारत के साथ संबंधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न के संबंध में है। मेरे विचार में इस विषय पर भिन्न प्रकार से चर्चा की जानी चाहिए न कि शून्य काल में जहाँ कि सरकार जवाब नहीं दे सकती है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, हम वहां पर लेबर पार्टी सरकार का स्वागत करते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने सभी पूर्व सूचनाओं को पढ़ा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज का शून्यकाल पहले ही समाप्त हो गया है। मैं कल देखूंगा अब नियम 377 के अधीन मामलों को लिया जाएगा। श्री दादा बाबूराव परांजये उपस्थित नहीं है।

अपराह्न 12.58 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अजमेर, राजस्थान में हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, अजमेर का ऐतिहासिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटन की दृष्टि से अत्याधिक महत्व है। यहां प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा साहब की सुप्रसिद्ध दरगाह तथा पास में ही तीर्थराज पुष्कर स्थित है जहां देश-विदेश के लाखों व्यक्ति तथा हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। अजमेर के पास ही नसीराबाद जैसी सुप्रसिद्ध सैनिक छावनी तथा ब्यावर एवं किशनगढ़ जैसी औद्योगिक नगरियां हैं। अजमेर में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सी०आर०पी०एफ०) के दो बड़े ग्रुप सैंटर हैं जहां बड़े अधिकारियों की निरंतर आवाजाही रहती है। पास में ही भीलवाड़ा, नागौर, पाली आदि सुप्रसिद्ध औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र हैं। किन्तु खेद है कि अजमेर में अभी तक हवाई अड्डा नहीं है। अजमेर में राजस्थान सरकार ने हवाई अड्डे के लिए सराधना के पास जमीन भी दे दी है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उसका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है।

केन्द्र सरकार अपनी सिद्धान्ततः स्वीकृति के पश्चात् भी तथा देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों एवं महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आश्वस्त करने के बावजूद भी अज़मेर में हवाई अड्डा नहीं बन सका है। अज़मेर में सूफी संत ख्वाजा साहब के 786 वां उर्स भी होने को है जिसमे लगभग 20-25 लाख लोग अजमेर में आएंगे। इनमें विदेशी भी बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। बंगलादेश से हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष आने वाले जायरीनों को अजमेर में हवाई अड्डा नहीं होने के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अजमेर के कई विशेषतः सिन्धी व्यापारियों को जो हांगकांग, फिलीपीन्स, मनीला, दुबई, मस्कट आदि में रहते हैं, को भी अजमेर आने-जाने में बहुत कठिनाई का सामनां करना पड़ता है। राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन सीमित हैं।

अतः भारत सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि अज़मेर में शीघ्र ही हवाई अड्डे की स्थापना अविलंब कराएं तथा उसे देश के हवाई मार्गों से जोड़ा जाए।

अपराह्न 1.00 बजे

(दो) पूर्वी दिल्ली में विश्वविद्यालय खोले जाने संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में लगभग आठ कालेज हैं और दिल्ली की एक तिहाई आबादी यहां पर निवास करती हैं बढ़ती हुई आबादी के साथ दिल्ली का वह हिस्सा दूसरे बड़े राज्य से सटा हुआ है, जहां से बड़ी संख्या में छात्र पूर्वी दिल्ली के कालेजों में शिक्षा प्राप्त

करना चाहते हैं। लेकिन वहां पर कोई विश्वविद्यालय न होने के कारण नागारिकों, छात्रों और प्रवक्ताओं को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यमुनापार में विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के लिए भूमि की व्यवस्था हो चुकी है, किन्तु सरकार ने अभी तक वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की है। यमुनापार में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करने में हो रहे विलम्ब के कारण वहां रह रहे नागरिकों, छात्रों और प्रवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है।

अपराह्न 1.01 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह पूर्वी दिल्ली में विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें

(तीन) हावड़ा, पश्चिम बंगाल में पेयजल की भारी कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी०आर० दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले तथा हावड़ा शहर में पेयजल की समस्या तथा सड़क परिवहन समस्या के कारण जनजीवन प्राय अस्त-व्यस्त हो गया है। मैं योजना आयोग, शहरी कार्य तथा रोज़गार मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूँ कि इस संबंध में तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करें लेकिन अब तक इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है परन्तु अभी तक शहर की दो तिहाई आबादी को पेयजल आपूर्ति का कोई आश्वासन न मिल पाने के कारण वे अभी भी अंधेरे में हैं। हावड़ा निगम में शामिल किए गए क्षेत्र जैसे सांद्रागाच्ची, शिवपुर निर्वाचन क्षेत्र के बक्सर क्षेत्र की दशा भी बुरी है। विश्व बैंक परियोजना, सी०एम०डी०ए० परियोजनाएं इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर पा रही हैं। इस समस्या से वहां पर कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है जिससे रेल परिवहन तथा स्थानीय परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है जिससे भारत सरकार तथा अन्य ऐजेंसियों को राजस्व में काफी नुकसान हो सकता है।

मैं शहरी कार्य तथा रोज़गार मंत्रालय, योजना आयोग तथा विशेषकर प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर तत्काल आकर्षित करता हूँ कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि हावड़ा में पेयजल की कमी की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी की जा सके।

(चार) गन्ने और चीनी की कीमत के बीच वास्तविक अनुपात निर्धारित करने और इस संबंध में सिफारिश करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, चीनी उत्पादन के दो प्रमुख एजेंट हैं, किसान और कारखाना। चीनी के दामों में इन दोनों का कितना-कितना हिस्सा है, अभी तक यह तय नहीं हो पाया है आजादी मिलने के बाद 1948 में एक समिति गठित हुई। इस समिति ने गहन अध्ययन के बाद एक सिद्धान्त घोषित किया, जिसे किदवई फार्मूले के नाम से जाना जाता है। आम भाषा में "जितने रुपये मन चीनी, उतने ही आना मन गन्ना" का सिद्धान्त तय किया गया। सन् 1948-49 में 32 रुपये मन चीनी थी और गन्ने का दाम 32 आना, अर्थात् दो रुपये मन तय हुआ। कुछ दिनों तक उसपर अमल होता रहा। इस प्रकार चीनी के दाम का 1/16वां भाग किसान के गन्ने का दाम हुआ।

आज की परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। उस जमाने में शीरा मोनसेज का कोई दाम नहीं था। खोई और प्रेस मड की बिक्री नहीं होती थी। आज चीनी मिलों को इन चीजों से खासी आमदनी होने लगी है।

आज की बदली हुई स्थिति में उच्चधिकार प्राप्त एक आयोग की स्थापना होनी चाहिए, जो सारी बातों का अध्ययन कर गन्ना चीनी के दाम का रिश्ता तय करे। जब तक कोई आयोग नहीं बनता, तब तक किदवई फार्मूले पर चलना उचित होगा।

सम्प्रति 40 प्रतिशत चीनी नियंत्रित दाम रुपये 10.50 प्रति किलो तथा 60 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बिकती है। आजकल बिक्री का भाव 15 रुपये किलो हैं इस प्रकार एक क्विंटल चीनी का औसत दाम 1320 रुपये हुआ तथा इस दाम का 1/16 भाग, अर्थात् रुपये 82.50 एक क्विंटल गन्ने का दाम हुआ।

अस्तु मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि चीनी के दाम में गन्ने का हिस्सा तय करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया जाये तथा गुड़ पर लगे प्रतिबंध को तत्काल समाप्त किया जाये।

(पांच) जहानाबाद, बिहार में टेलीफोन प्रयोक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : आज देश के अंदर दूरभाष की मांग बढ़ती जा रही है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में जितने त्री-मार सिस्टम लगाया गया है। उसमें अस्सी प्रतिशत उसी समय से खराब हैं जबसे लगा हैं लोग गया में जिला दूरभाष कार्यालय जाते-जाते परेशान हैं। छोटे-छोटे कस्बे जैसे कुर्था, मखदमपुर, घोषी में जिन लोगों ने कनैक्शन लिए हैं, सभी के सभी खराब पड़े हैं। जहानाबाद जिला के अरवत एक्सचेंज कम्प्यूटराइज्ड है, लेकिन उसकी हालत बद से बदतर है। पटनी जिला के मसौढ़ी एक्सचेंज की भी हालत खराब हैं जितनी मांग है, उतनी केबल नहीं है। टेलीफोन खराब होने पर बहुत ज्यादा दिन तक डेड रह जाता हैं नालन्दा जिला को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर टाउन बिहार शरीफ टेलीफोन एक्सचेंज की हालत बहुत ही खराब है। एक्सचेंज में नया कार्ड अभी तक नहीं लगाया गया है जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें केबल की हालत बहुत खराब है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कंज्यूमर की परेशानी को देखते हुए इसके लिए एक जांच दल गठित किया जाए तथा शीघ्र जांच दल की रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू की जाए। तब तक बिगड़े हुए टेलीफोन को ठीक करवाया जाए। तथा केबल तथा एक्सचेंज की हालत को सुधारा जाए।

(छः) शाहाबाद, उत्तर-प्रदेश के सम्पूर्ण विकास के लिए विशेष अनुदान जारी किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : मेरा निर्वाचन क्षेत्र शाहाबाद जो उत्तर प्रदेश के दो जिलों हरदोई व खीरी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, सबसे अधिक पिछड़ा है। पूरे क्षेत्र में सड़कों का अभाव है। आम तौर पर गांव सड़क से 5 से 15 किलोमीटर के रेडियस में एक हाई स्कूल पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कभी न तो योजना आयोग ने ध्यान दिया न ही अभी केन्द्र सरकार ने क्षेत्र के विकास हेतु विशेष विकास अनुदान दिया।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र को दूसरे क्षेत्रों के बराबर करने के लिए विशेष अनुदान दें जिससे पक्की सड़कों व पुलों का निर्माण हो सके इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक निर्माण विभाग से एक योजना बनवाकर दे चुका हूं। मेरा अनुरोध है कि उस योजना को स्वीकृत कर धन उपलब्ध कराया जाए।

(सात) बरेली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत एक काउंटर मैगनेट सिटी के रूप में सम्पूर्ण विकास करने के लिए और अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : बरेली उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक महानगर है तथा इसको केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत काउंटर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय पूर्व में लिया है परंतु राजधानी दिल्ली के ऊपर बढ़ रही जनसंख्या व उद्योगों एवम् अन्य कार्यालयों के दबाव को कम करने के लिए समुचित विकास कार्य बरेली के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नही किए गए हैं तथा इस योजना के अंतर्गत करवाए जा रहे कार्यों की प्रगति धीमी है तथा इस संदर्भ में मुख्य योजनाएं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाया जाना, बरेली पर बाई पास का निर्माण चौपला (बदायूं बरेली मार्ग) पर रेल का ओवर ब्रिज, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना व रेलवे जंक्शन को आधुनिक बनाया जाना, को केन्द्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर ले तथा इनको शीघ्र क्रियान्वित करने की योजना करते हुए नौंवी योजना में आवश्यक धन का प्रावधान करे जिससे बरेली का समुचित विकास हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजने के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.39 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.39 बजे पुनः समवेत हुई।*

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सामान्य बजट 1997-98 अनुदानों की मांगे—*(स्वीकृत)*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित माँग संख्या 48 से 51 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए चार घंटे का समय नियत किया गया है।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, अनुदान की माँगों के संबंध में जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव करना चाहते हैं तो वे उन की क्रम संख्या दर्शाते हुए उन्हें 15 मिनट के अंदर सभा पटल पर रख सकते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत हुआ माना जाएगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 48 से 51 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षो के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के लिए लेखा अनुदानों की मांग (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखा अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
48.	शिक्षा विभाग	871,80,00,000	14,00,000
49.	युवा कार्य और खेलकूद विभाग	26,25,00,000	31,00,000
50.	संस्कृति विभाग	36,70,00,000	–
51.	महिला और बाल विकास विभाग	158,02,00,000	–

*अपराह्न दो बजकर दस मिनट पर गणपूर्ति की घंटी बजाई गई थी। गणपूर्ति नहीं थी। अपराह्न दो बजकर 13 मिनट पर गणपूर्ति की घंटी फिर बजाई गई थी और गणपूर्ति नहीं थी। तत्पश्चात् महासचिव ने निम्नलिखित घोषणा की।

"गणपूर्ति नहीं है। अतः सभा समवेत नहीं हो सकती और जब तक गणपूर्ति पूरी नहीं होती हम सभा की बैठक आरम्भ नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभा उपराह्न दो बजकर 35 मिनट पर पुनः समवेत होनी चाहिए।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती सुमित्रा महाजन बोलेंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय, जो केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि इस मंत्रालय के इर्द-गिर्द सभी मंत्रालय घूमते हैं, ऐसे मंत्रालय की मांगों पर हम आज विचार करने जा रहे हैं। वैसे तो इसका नाम मानव संसाधन मंत्रालय है लेकिन सारे मंत्रालयों में से यही सबसे उपेक्षित मंत्रालय है। हम सबसे पहले मानव को संसाधन मानते हैं जिसके जरिये मानव का संसाधन होना है या इसके जरिये देश का विकास होना है। उसमें दोनों प्रकार की बातें कही गई हैं। हमें इस बात पर विचार करने से पहले यह सोचना चाहिये कि यह कोई साधारण संसाधन नहीं है। जब हम मनुष्य के बारे में बात करते हैं तो सोचते हैं कि पिछले पचास साल के अंदर हम मनुष्य के लिये क्या करते आये हैं। क्या हम केवल इसके वोट बैंक के बारे में सोचते आये हैं ? यहां पर हर वर्ष बजट में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किये जा रहे हैं। क्या मनुष्य उस प्रयोगशाला में प्रयोग करने की चीज़ रह गई है या प्रयोगशाला के प्रयोग में आने वाला कोई प्राणी है ? हम मनुष्य के लिये क्या सोचते हैं ? वास्तविक रूप से हम जब अपने आपको मनुष्य कहते हैं तो उसकी कल्पना केवल आहार या पेय से नहीं होती। इससे भी परे और भी ज्यादा मानव के समग्र विकास की बात करते हैं। पं० दीन दयाल उपाध्याय ने भी कहा था – 'एकात्मक मानववाद' जब हम विकास की कल्पना करते हैं तो एक तरीके से शिक्षा में विकास करना या और साधनों से विकास करना होता है। मानव एक प्रकार से सम्पत्ति ज्यादा अर्जित करता है या औद्योगीकरण करता है। पं० दीन दयाल उपाध्याय ने यह भी कहा था कि मानव के एक-एक रूप, एक-एक रोष पर विचार होना आवश्यक है। इसलिये जब हम मानव संसाधन कहते हैं जो एकात्मक मानव है तो कहीं न कहीं उस पर विचार करना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम मानव संसाधन की बात जरूर करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, वह आंकड़ों का एक भ्रमजाल पैदा करता है, हालांकि यह भ्रमजाल नहीं है। उससे हमारी नीतियों की परिकल्पना की जाती है कि हम किस काम के लिये पैसा खर्च करते हैं। वैसे इससे हमारी नीति भी स्पष्ट हो जाती है। हमें तो ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी ने सांसदों की अपेक्षा की है। इस सदन ने तीन-चार साल पहले सांसदों की स्थायी समितियों का गठन किया था जिनमें अलग-अलग मंत्रालयों के बजट पर विचार किया गया। सासंदों ने चिंतन करके अपने-अपने विचार उन समितियों में रखे। लेकिन जब हम बजट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सांसदों द्वारा जो विचार रखे गये या जो सुझाव दिये गये, उनको नज़रअंदाज किया गया है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो घोषणायें हुई हैं या सदस्यों द्वारा चिन्ता प्रकट की गई है या जो विचार प्रकट किये गये हैं, स्थायी समिति की ओर से उस पर जरा भी चिन्ता प्रकट नहीं की हुई है। इतना ही नहीं है, लेकिन इस बजट में न शिक्षा के क्षेत्र में, न खेल में, और न संस्कृति के क्षेत्र में ही किसी नीति का आभास होता है। विभिन्न मदों पर जो आबंटन किया गया है, उसमें कई सवाल खड़े होते हैं। कई योजनाएं हमने रखी थी और प्रारंभ की थीं पर आज लगता है कि उन योजनाओं को भी हम नज़रअंदाज करना चाहते हैं।

हम साक्षरता की बात करते हैं। अगर हम प्राथमिक शिक्षा से लें तो हमने एक योजना प्रारंभ की थी। इस पर संपूर्ण विचार करें तो बहुत बड़ा विषय हो जाता है, लेकिन हमने 1995 में एक योजना प्रारंभ की थी और उस योजना को प्रारंभ करते समय मन में एक कल्पना थी कि प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं क्योंकि हमारा संविधान वास्तव में यह कहता है कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करना हैं इसको हमें दस साल में पूरा करना था लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है और आज उस उपलब्ध व्यवस्था को भी बिखेरने की बात हो रही है। हमने एक योजना चलाई थी न्यूट्रीशनल सपोर्ट टु प्राइमरी एजुकेशन। मध्याह्न भोजन की यह योजना थी। मन में कल्पना थी कि जो गरीब बच्चे हैं, हो सकता है कि वे अपने जीविकोपार्जन के लिए निकलते हैं और इसलिए स्कूलों में नहीं आते हैं। ऐसे बच्चे भी शिक्षा के लिए आगे आएं और स्कूलों की तरफ बढ़े, इसलिए हमने ऐसे स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना प्रारंभ की थी। बड़े ढोल-धमाके के साथ हमने इस योजना को प्रारंभ किया था। मुझे याद है, हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य मंत्री जी भी एक दिन स्कूल में गए थे और एक मध्याह्न भोजन में शामिल हुए थे। बड़े-बड़े अक्षरों में अखबारों में विज्ञापन छपे कि मुख्य मंत्री मध्याह्न भोजन में शामिल होंगे, ताकि गरीब बच्चे स्कूलों में पढ़ने के साथ-साथ शारीरिक ताकत भी प्राप्त करेंगे। पोषक आहार की यह कल्पना है। शरीर सुदृढ़ होगा तो मन भी सुदृढ़ होगा और बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। इन सबके साथ यह योजना प्रारंभ की थी। पहले साल में हमने कुछ लक्ष्य रखे और करीब 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इस साल जब हम देखते हैं तो यह आवंटन 1997-98 में घटाकर 960 करोड़ रुपये कर दिया गया। अब समझ में नहीं आता कि क्या मध्याह्न भोजन योजना संपूर्ण हो गई है ? अगर ऐसा कहा जाए तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4426 प्रखंडों में यह योजना प्रारंभ की गई थी और अगर यह योजना पूरी होनी है तो अभी 1997-98 में करीब 1014 प्रखंड ऐसे बचे हुए हैं और ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जिनमें यह योजना प्रारंभ करनी है, यानी योजना को और बढ़ाना है। जब इसको बढ़ाना है तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा आवंटन बहुत कम किया गया है। हालांकि पैसा नहीं है, यह कहा गया है। मैंने जो नीतिगत बात की थी, उसी समय अगर मैं दूसरे मंत्रालयों पर नजर दौड़ाने लगी तो एक बात ध्यान में आई कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विज्ञापन और दृश्य प्रचार पर करीब 10-12 करोड़ रुपये का बजट हमने बढ़ा दिया है। हम किस बात को महत्व देना चाहते हैं ? हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, इस पर एक बार सोचना आवश्यक है।

हम हर समय एक राष्ट्रीय नीति बनाने की बात शुरू करते हैं। पहले हमारे यहां 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। उसके बाद उसकी समीक्षा की गई और उसके बाद 1986 में हमने फिर जोर-शोर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और उसमें हमने पहले की जा राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसकी असफलता के कुछ कारण गिनाए। यह कारण हमने गिनाए कि वित्तीय संसाधनों की कमी है। हम ही गिना रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की असफल क्यों रही यही कि वित्तीय संसाधनों की कमी रही और क्रियान्वयन मशीनरी का अभाव। ये कारण

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

बताये गये। अब मुझे लगता है अगर हम फिर से समीक्षा करने बैठेंगे तो फिर से यही कारण दोहराये जायेंगे। यही बातें फिर से बतायी जायेंगी कि क्रियान्वयन का अभाव है। इसलिए हमें कोई ताकत नहीं मिल रही है। हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं। यानी बजट बनाते समय एक प्रकार का दिशाहीन बजट हम बनायेंगे। कर्तव्यहीनता की दृष्टि से हम काम करते रहेंगे। तो मैं जानना चाहूंगी कि इस राष्ट्र का जो भविष्य है, क्योंकि इसे मानव संसाधन हम कहते हैं, समानान्तर शिक्षा जगत से इस राष्ट्र का भविष्य हमें बनाना है। तो इस राष्ट्र के भविष्य पर इस प्रकार से कर्तव्यहीनता और दिशाबोधहीनता की चादर हम कब तक डालते रहेंगे। मंत्री जी इस पर सोचना बहुत आवश्यक है।

अब इसमें एक बात और हो गई 1968 में राष्ट्रीय नीति जोर-शोर से बनाई गई। यानी पहली एक बात आरंभ भी नहीं हुई, अगर हुई है तो क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और हमने नवोदय विद्यालय प्रारम्भ कर दिये। कोई बात नहीं, लेकिन नवोदय विद्यालय की जो कल्पना है वह अभी तक ठीक ढंग से साकार नहीं हो पा रही है। लेकिन हमने नवोदय विद्यालय की स्थापना कर दी। लेकिन उसके बाद हमने क्या नवोदय विद्यालयों के लिए बजट ठीक ढंग से रखा है। वह भी हमने नहीं रखा हैं यह आवंटन जो पहले 250 करोड़ रुपये था तो इस बार 220 करोड़ किया गया। यानी शिक्षा के हर क्षेत्र में हम आवंटन कम ही करते जा रहे हैं। लेकिन आवंटन कम करते समय नवोदय विद्यालय स्थापित किये, आवंटन कम किया। यानी इन विद्यालयों को हम ठीक ढंग से नहीं चला पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद हम देखते हैं, पहले हमने एक योजना ऑपरेशन ब्लैंक बोर्ड शुरू की थी। यह एक बहुत अच्छी योजना थी। सुदूर ग्रामीण अंचलों और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए यह योजना प्रारम्भ की थी। लेकिन आज आपरेशन ब्लैक बोर्ड की क्या स्थिति है। दो शिक्षक और दो कमरों की कल्पना की गई थी। लेकिन आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो हम क्या देखते हैं, मेरे अपने क्षेत्र में स्थिति देखने में आती है कि सरकारी स्कूलों के भवन ही नहीं है। दो कमरों की तो बात ही छोड़िये। कभी-कभी तो जैसे-तैसे टप्पर वाला एक कमरा हो तो उसमें ही पूरा का पूरा स्कूल लगता है। शिक्षकों की कमी हैं यहां पर हमने बजट क्या रखा है, यानी जितना चाहिए उतना नहीं रखा है। इसलिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड सब दृष्टि से असफल हो गया है। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल यह है कि शिक्षक नहीं हैं, बैठने की जगह नहीं है। इतना सब होने के बाद भी हम नई प्रौद्योगिक नीति की बात कहते हैं। नई प्रौद्योगिक नीति, यानी एक के बाद बातें हम एक दूसरे में मिला रहे हैं और इस नीति के अंतर्गत हमने क्या किया कि स्कूलों में टी०वी० होने चाहिए, रेडियो होने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ही जिले में यह स्थिति हो गई है कि 100 टी०वी० तो आ गये, लेकिन सौ सरकारी स्कूल ही नहीं थे। जिनके पास अपना एकाध कोई ठीक ढंग का कमरा ही नहीं है कि जिसमें यह टी०वी० रखा जा सकें यानी वह खोखा रखना चाहें तो उसको रखने के लिए कोई सुरक्षित जगह ही नहीं है। इसलिए साल भर तक वे टी०वी० खोले ही नहीं गये। उसके बाद बिजली की स्थिति तो हर प्रदेश में एक जैसी है। मेरे यहां तो स्थिति यह है कि खेती करने के लिए, खेत में पानी देने के लिए घंटे, दो घंटे बिजली पूरे दिन में आ जाए तो किसान अपने आपको भाग्यशाली मानता है। तो हम इस प्रकार से यह सब करा रहे हैं कि जहां पर आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत अगर एक योजना है तो उसको ठीक ढंग से चलाना चाहिए, लेकिन यह सही ढंग से नहीं चलती है। फिर नई प्रौद्योगिक नीति के नाम पर टी०वी० उपलब्ध करा दिये। वह टी०वी० का पैसा कहां गया, या तो टी०वी० इधर-उधर किसी के घर में गया, या फिर ठीक ढंग से उस पैसे का उपयोग नहीं हो पाया ···*(व्यवधान)* कमीशन की बात तो अलग है ही।

उपाध्यक्ष महोदय, अब माध्यमिक शिक्षा की आप बात लें। यानी प्राइमरी शिक्षा जो वास्तव में अत्यंत आवश्यक शिक्षा है, इस शिक्षा का एक दूसरा पहलू भी है। जिसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। वास्तव में प्राइमरी शिक्षा सरकार को अनिवार्य रूप से देनी चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से यह व्यवस्था न होने के कारण कुकरमुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल हमारे देश में जहां तहां पैदा हो गए हैं। उनकी भी स्थिति आज क्या है, उसे हम सब जानते हैं। उनमें पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति क्या है, उसे मैं बाद में बताऊंगी। आज हमारी शिक्षा नीति में जो लूपहोल्स हैं, उसके कारण पता नहीं हम अपने बच्चों का भविष्य किस तरह का बनाने जा रहे हैं।

उसके बाद आप माध्यमिक शिक्षा की स्थिति देखिए, वह भी अच्छी नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने जो लक्ष्य रखा था, उससे हम बहुत पीछे चल रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने 'वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजूकेशन' को चुना था जो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसके लिए बजट में ठीक ढंग से एलोकेशन नहीं हुआ। वर्ष 1995-96 में हमने इस मद में 82 करोड़ रुपए, 1996-97 में 60 करोड़ रुपए और 1997-98 में 82 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, जिससे पता लगता है कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजूकेशन के मद में पिछले तीन सालों में कोई वृद्धि नहीं हुई। जिस गति से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, उस दृष्टि से यह बजट पर्याप्त नहीं है। कम्प्यूटराइजेशन की स्थिति भी वही है, प्रोमोशन ऑफ साइंस एंड लैबोरेट्रीज की स्थिति भी वैसी ही है क्योंकि पहले उसके लिए इए मद में 22 करोड़ रुपए, उससे अगले वर्ष 20 करोड़ रुपए और इस बार 19 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई है यानी उसका बजट एलोकेशन भी लगातार कम होता जा रहा है। आप एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात लीजिए, उसके लिए भी पहले 27 करोड़ रुपए, फिर 25 करोड़ रुपए और इस साल 23 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई है जिसका मतलब है कि इस मद में भी हर साल एलोकेशन कम होता जा रहा है।

जैसा मैंने पहले कहा वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजूकेशन का कन्सैप्ट अच्छा था लेकिन वह भी नहीं हो पाया। वर्ष 1990 तक हमने लक्ष्य रखा था कि 10 परसेंट छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देकर तैयार करेंगे, वर्ष 1995 तक 25 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने का हमने लक्ष्य रखा था लेकिन जब हम वास्तविक स्थिति देखते हैं तो आज केवल 2.5 प्रतिशत लक्ष्य तक ही पहुंच पाए हैं। हमें देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या हैं। एक बार इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी लेकिन हमारे यहां समीक्षा करने की परिपाटी ही नहीं है। हमें अपनी योजनाओं की समीक्षा भी करनी चाहिए।

उसी प्रकार अगर उच्च शिक्षा की स्थिति देखे तो वह भी इससे अलग नहीं है। ऐसा लगता है कि उच्च शिक्षा का समाज से कुछ लेना-देना नहीं है, राष्ट्र से कुछ लेना-देना नहीं है। हमारे यहां 2,500 विश्व-विद्यालय हैं और 10,000 महाविद्यालय है लेकिन उनसे शिक्षा प्राप्त करके जो छात्र निकलते हैं, उनके लिए एक ऐसी राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए ताकि वहां से उच्च शिक्षा ग्रहण करके जो युवक बाहर निकलें, वे किसी न किसी व्यवसाय को अपना सके लेकिन ऐसा कोई तालमेल या ऐसी कोई योजना हमने अभी तक नहीं बनाई। कभी हमने यह देखने की कोशिश नहीं की कि देश की आज जरूरत क्या है, कितने डाक्टरों, कितने इंजीनियरों, कितने वकीलों की या कितने प्रोफैसरों की हमें प्रतिवर्ष आवश्यकता है ताकि उसी के अनुसार हम प्लानिंग करके युवकों को तैयार कर सकें और हमारे रिसोसेंज का सही तरीके से उपयोग हो सके।

हमारे अर्थशास्त्रियों के अनुसार आज लगभग 10 करोड़ युवक बेरोजगार हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत बनता है जिनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझती हूं कि हमारी उच्च-शिक्षा की नीति में कही गलती है। क्या हमने यह जानने की कोशिश की कि प्रति वर्ष जितने डाक्टर तैयार होते हैं, हमारे अस्पतालों में उतने डाक्टर, कम्पाउंडर या नर्स चाहिए, क्या हमने वैसा सैट-अप तैयार किया है। जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं, क्या वास्तव में हम इस देश के मानव संसाधन का सही उपयोग कर रहे हैं, क्या हमने ऐसी कोई योजना बनाई है कि आने वाले 10 वर्षों में देश का विकास हम किस प्रकार करना चाहते हैं, देश के विकास के लिए हमें किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होगी, देश को किस प्रकार के लोगों की जरूरत होगी। मैं समझती हूं कि ऐसा खाका तैयार करना आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं और देश में डाक्टर, इंजीनियर्स हर साल तैयार होते जाएंगे मनुष्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं है या जो शिक्षा हमारे युवक ले रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या हैं, क्या आगामी वर्षों में हम उनके ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे – मैं समझती हूं कि इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष जी, इन सब बातों पर भी थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। मैं सिर्फ दो-तीन बातें कहूंगी और फिर अपना भाषण समाप्त करूंगी। आज हम अपनी आजादी की 50वीं साल गिरह मना रहे हैं। हम गलतियां कैसी करते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। हमने आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 200 करोड़ रुपए रखे हैं। जब हमने पूछा कि इसके लिए क्या योजना है, तो हमें बताया गया है अभी इसके लिए योजना बनेगी। हमने पूछा कि कब बनेगी, बताया गया कि बना रहे हैं। अब मैं यहां महादेवी वर्मा जी की उस बात को कहना चाहती हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि यह तो गाड़ी के पीछे घोड़े को जोतने की बात हो गई। पैसे का प्रावधान कर दिया, लेकिन उसके लिए कोई योजना नहीं है। अभी तक कोई योजना नहीं है। 50 करोड़ उसमें से साइंस के लिए रखे गए हैं बाकी 150 करोड़ का क्या करेंगे ? मेरा सुझाव है कि इस धन को भाषा के विकास और अभिवृद्धि के लिए खर्च करना चाहिए क्योंकि अब 15 अगस्त आ जाएगा और आपकी कोई योजना बन नहीं सकेगी और अंत में इस पैसे को ऐसे ही खर्च कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पैसे को भाषा की अभिवृद्धि के लिए खर्च करना चाहिए। हमें कई देश ऐसे देखने को मिलें हैं जिन्होंने अपनी भाषा की अभिवृद्धि करके अपनी तरक्की की है और दुनिया में अपना स्थान बनाया है। चायना का उदाहरण इस बारे में दिया जा सकता है जिसने भाषा की अभिवृद्धि की ओर अपना स्थान बनाया।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा पर अपने देश के जी०डी०पी० का 6 प्रतिशत खर्च होना चाहिए, ऐसी सबकी मान्यता है, लेकिन आज इस देश का दुर्दैव देखिए कि हमारे जी०डी०पी० का 4 प्रतिशत भी हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री जी को हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि हम यदि कुछ कहेंगे तो वित्त मंत्री जी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन वही बात यदि बाहर के लोगों की ओर से कही जाएगी, तो वे उसे तुरंत मान लेंगे। इससे ऐसा लगता है कि इनको हमारे देश के लोगों की भाषा समझ में नहीं आती है। बाहर के किसी देश का कोई व्यक्ति यदि वही बात कह देता है, तो इन्हें समझ में आ जाता है। जैसे कल आई०एम०एफ० ने कहा कि जी०डी०पी० का 5 प्रतिशत फिस्कल डेफिसिट पर खर्च होना चाहिए, तो इन्होंने उस बात को मान लिया और इस बारे में हम 4 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। इसलिए यदि शिक्षा के बारे में भी ब्रिटेन हुड के किसी व्यक्ति या देश की तरफ से यह बात की जाए, तो शायद हमारे वित्त मंत्री जी इस बात को मान लें और इनकी समझ में आ जाए कि जी०डी०पी० का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। अभी इतना नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात और कहना चाहती हूं कि मनुष्य के विकास के लिए केवल शिक्षा से कुछ नहीं हो सकता है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ-साथ खेल भी आवश्यक हैं। आज यदि हम खेल के क्षेत्र में देखें, तो हमारे बजट का मात्र .0001 प्रतिशत धन ही खेलों पर खर्च हो रहा है। इसके कारण हमारी खेलों के क्षेत्र में स्थिति बहुत दयनीय है। जो एक-दो ब्रोंज मैडल खिलाड़ियों द्वारा जीते भी गए हैं, वे सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि उनके अपने प्रयास रहे हैं। खेलों के संबंध में हमारी स्कालरशिप की स्थिति क्या है, हमारे देश के खेलों के मैदानों की स्थिति क्या है इसको भी देखें। आज हमारे देश के 85 प्रतिशत स्कूलों में खेल के साधन नहीं हैं। 54 प्रतिशत स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं और जो थोड़े से साधन हैं, उनको आज टी०वी० ने समाप्त कर दिया है। टी०वी० के कारण छात्रों का खेलों के मैदानों से संबंध टूट रहा है। जब खेलों के मैदानों से संबंध टूटेगा, तो इस धरती मां से संबंध टूटेगा और यदि हमारी छात्र पीढ़ी का अपनी जमीन, अपनी माता से नाता टूट जाएगा, तो भविष्य उज्जवल नहीं बन सकता है। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगी कि जैसे अभी हमारे खेलों के प्रमुख अधिकारी कभी किसी आई०पी०एस० को बना देते हैं, कभी आई०ए०एस० को बना देते हैं और जैसे ये आई०ए०एस०, आई०पी०एस० और आई०एफ०एस० सेवाएं होती हैं, क्या उसी प्रकार से हम अपने देश में आई०एस०एस० (इंडियन स्पोर्ट्स सर्विस) नहीं बना सकते हैं ? जो इस क्षेत्र में उच्चतम परीक्षा पास करें उनको इस प्रकार की उपाधि दी जाए और उनको ही खेलों का प्रमुख बनाया जाए, अन्य को नहीं। ऐसा करने से मैं समझती हूं

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

कि हमारे देश में खेलों की स्थिति सुधरेगी और खेलों का विकास होगा तथा प्रतिभाएं उभरकर सामने आएंगी।

अपराह्न 3.04 बजे

[श्री पी०सी० चाक्को *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, यदि इस प्रकार से किया जाएगा, तो अधिकारियों का एक कैडर तैयार होगा। खेलों के जो अधिकारी हम नियुक्त करें वे यदि इस कैडर के होंगे, तो उनकी रूचि खेलों में रहेगी और अच्छे खिलाड़ी तैयार करने की तरफ उनका ध्यान जाएगा। इसी प्रकार से इस मंत्रालय के अंदर जितने भी विभाग हैं चाहे वह महिला तथा बाल विकास हो या कोई और हो, सबकी एक जैसी स्थिति है। इसलिए संपूर्ण मानव की कल्पना करते हुए हम इस मानव संसाधन मंत्रालय की कल्पना करें। नहीं तो हमारी स्थिति यह हो रही है, मैं एक दूसरा सजेशन्स देना चाहूंगी। आजादी के 50 साल के लिए जो पैसा रखा है या प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर हम आज अरबों रुपया बहा रहे हैं और वह रुपया यहां से सीधा कलैक्टर के पास जा रहा है। कई सामाजिक संस्थायें अच्छी भी हैं लेकिन कई सामाजिक संस्थायें ऐसी भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो दिल्ली में होगा लेकिन वह काम अरूणाचल में करेंगी। इस प्रकार की भी सामजिक संस्थायें हैं। प्रौढ़ शिक्षा पर अरबों रुपयों का खर्चा है। उस पर अगर सीमित ढंग से, ठीक ढंग से, पैसा खर्च हो और बचा हुआ पैसा कन्या शिक्षा में लगाया जाये तो अच्छा होगा क्योंकि आज लड़कियों की शिक्षा पर भी उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना कि लगता है। उनको कोई सुविधायें नहीं मिल रही हैं। महिला तथा बाल विकास में अन्य कई प्रकार की योजनायें हैं। 10 प्रकार की योजनायें हैं। अगर हम एक समेकित योजना बनायें ताकि महिलाओं की शक्ति बढ़े तो वह ज्यादा ठीक होगा। एक सम्पूर्ण मनुष्य के नाते अगर हम इस विभाग की तरफ देखें कि मनुष्य बनाना है। नहीं तो आज, मैं एक वाक्य में कहना चाहूंगी कि आज हमारी जो शिक्षा बन गयी है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ग से गणेश तो बंद हो गया है। अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं तो मंत्री जी समझेंगे। जब हम स्कूलों के प्रोसपेक्ट्स बनाते हैं, जब किताबें लिखी जाती हैं तो उसमें भी बहुत ध्यान देना आवश्यक है। अभी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की 100वीं जयंती है। उनके बारे में टी०वी० पर आ रहा था। जब वह टी०वी० पर आ रहा था तो मेरे पास एक 10-12 साल का लड़का बैठा था। मैंने केवल उससे यह पूछा कि बेटा तुम जानते हो कि यह कौन हैं तो वह बोला कि मैं नहीं जानता। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मालूम है कि अपना देश आजाद हुआ तो उसने कहा कि मालूम है। मैंने उससे कहा कि देश को आजादी किसने दिलाई तो उसने कहा कि देश को आजादी तो महात्मा गांधी ने दिलाई। फिर मैंने उससे कहा कि किसी और ने नहीं दिलाई तो उसने कहा कि किसी और के बारे में तो मुझे मालूम नहीं। यानी एक 10-12 साल के लड़के को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में मालूम नहीं है।

एक बात और हो गयी। एक बार पढ़ते-पढ़ते आया कि अकबर महान। मेरी रूचि रही है कि मैं बच्चों को कहानियां बताती रहती हूं कई महीने पहले मैंने अपने बच्चों को राणा प्रताप की कहानी बताई थी। पढ़ते-पढ़ते बच्चे ने पूछा कि मां इसमें तो लिखा है कि अकबर महान तो अगर अकबर महान है तो उसके साथ लड़ाई करने वाला राणा प्रताप क्या होगा ? कहीं न कहीं इस प्रकार की विरोधी बातें होती हैं। आपको इसको भी देखना पड़ेगा एक दिशा-दर्शन बच्चों को ठीक ढंग से शुरू से लेकर आखिरी तक देना पड़ेगा ताकि वह मानव के रूप में विकास कर सकें ग से गणेश के एवज में वे ग से गधे को लेकर न चलें। किताबों का बोझ, जैसे हमारे यहां हलिया बैल बोलते हैं, वैसे ही बैल जैसा बोझा उसके कंधों पर रहेगा। किताबों का बौझ ढोने वाला और बोझ ढ़ोते-ढ़ोते जब उसकी पीठ झुक जायेगी तो उसकी स्थिति ऊंट जैसी हो जायेगी और ऊंट जैसी स्थिति वाला बालक ग से गधे का देखते हुए, बोझ ढोते हुए, ऊंट जैसी स्थिति और फिर सामान्य तौर पर इस प्रकार की बातें वह सीखेगा। न खेलेगा, न कूदेगा न समझेगा न नैसर्गिकता को समझेगा, न किसी चीज को समझेगा तो मानव कहां बन पायेगा और जब मानव भी नहीं बनेगा तो संसाधन भी नहीं हो सकेगा। संसाधन ही नही तो किस बात का उपयोग करके इस शक्ति का विकास कर पायेंगे ?

इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यह मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हम क्षुद्रता दृष्टि से नहीं देखें और वास्तविक रूप से इस मानव संसाधन का सही ढंग से उपयोग करना चाहते हैं और इस राष्ट्र के विकास में जिसके लिए विकास करना है वह भी मनुष्य और जिसके द्वारा विकास करना है वह भी मनुष्य है। वह सही रूप में मनुष्य बने। मनुष्य जैसी उसको शक्ति मिले और इस धरती से उसका नाता भी जुड़े। खेलों के द्वारा, भारतीय खेलों के द्वारा भी वह नाता इस धरती से जुड़े और सही मायने में इस देश का विकास हो। इस दृष्टि से इस मंत्रालय की तरफ हम देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने थोडा ज्यादा समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। उनके द्वारा अधिक समय लिए जाने का अर्थ है उनकी पार्टी का समय कम हो जाना। उनके दल के अन्य सदस्यों के साथ न्याय करने के लिए यह आवश्यक हैं कि वह समय सीमा के भीतर रहें।

कटौती प्रस्ताव—*(अस्वीकृत)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : *मैं प्रस्ताव करता हूँ :—*

कि शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

देश भर में शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाए जाने की आवश्यकता। (4)

कि युवा कार्य तथा खेल विभाग के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

देश में खेल संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और

उसे सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता ताकि ओलम्पिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं मे बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। (9)

कि युवा कार्य तथा खेल विभाग के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

युवकों के लिये और अधिक कार्यक्रम आयोजित करने और विकसित करने की आवश्यकता जिससे कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाया जा सके और युवा शक्ति को विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में लगाया जा सके। (10)

कि युवा कार्य तथा खेल विभाग के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

भारतीय खेल प्राधिकरण को सुव्यवस्थित करने और उसका पुनर्विन्यास किये जाने की आवश्यकता ताकि इस संगठन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। (11)

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (विलासपुर) : *मैं प्रस्ताव करता हूं :–*

कि शिक्षा विभाग शीर्ष से अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश में विलासपुर में केन्द्रीय सहायता से रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों के समान विशेष रूप से कम्प्यूटर और इलैक्ट्रानिक्स डिग्री पाठ्यक्रम वाला एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (12)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष से अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर (मध्य प्रदेश) को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किये जाने की आवश्यकता। (13)

कि महिला और बाल विकास विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की कार्य दशा में सुधार लाये जाने की आवश्यकता। (14)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : *मैं प्रस्ताव करता हूँ :–*

कि शिक्षा विभाग शीर्ष से अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपये कम किये जायें।

निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता। (43)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष से अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने और शिक्षकों के सभी रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता। (44)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष से अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य और महिला शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान को और अधिक वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यता। (45)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष से अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

राजस्थान में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (46)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष से अंतर्गत मांग में 100 रुपयं कम किये जायें।

राजस्थान में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय और राज्य के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (47)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष से अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय की कार्यदशाओं में सुधार लाने हेतु उन्हें और अधिक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (48)

कि शिक्षा विभाग शीर्ष से अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर में सहशिक्षा सुविधायें प्रदान करने हेतु उसे सहायता अनुदान प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (49)

कि युवा कार्य तथा खेल विभाग के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

राज्य सरकारों को खेल के मैदान, स्टेडियम और अन्य खेल क्रियाकलापों के सवर्धन हेतु और अधिक धनराशि दिये जाने की आवश्यकता। (50)

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : माननीय सभापति महादेय, मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए बेहद खुशी हो रही है। इस मंत्रालय को मैं भारत सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय समझता हूँ। मेरे मित्र श्री बोम्मई मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री के रूप में अपने अनुभव से इस मंत्रालय को बहुत कुशलता से संभाल रहे हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि उन्हें न केवल और संसाधन दिए जाने चाहिए बल्कि इस मंत्रालय की व्यापकता के कारण उनकी सहायता के लिए और मंत्री भी दिए जाने चाहिए।

[श्री पी० उपेन्द्र]

मुझे तीन वर्ष के लिए इस मंत्रालय की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करने का मौका मिला, पहले एक सदस्य के रूप में, फिर स्थायी समिति के सभापति के रूप में। अतः वास्तव में मेरे लिए इस मंत्रालय के कुछ पहलुओं तक सीमित रहना कठिन है लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं इस मंत्रालय के चार विभागों से संबंधित केवल कुछ मुख्य मुद्दों को ही उठाँऊगा।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के संबंध में, स्वतंत्रता प्राप्ति के आरम्भ की धीमी गति को देखते हुए, हमने शिक्षा के प्रसार, शिक्षा के क्षेत्र में भाग लेने तथा समान अवसर प्रदान करने में साक्षरता के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। स्वाधीनता के पश्चात् साक्षरता दर तीन गुनी हो गई है तथा केरल जैसे राज्य में शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। साक्षरता प्रतिशत में निश्चय ही गिरावट आई है परन्तु जनसंख्या वृद्धि के कारण साक्षर व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह बहुत दुख की बात है कि आज भी जनसंख्या का 47.8 प्रतिशत भाग निरक्षर हैं। निःसन्देह प्राथमिक स्तर तक स्कूलों में शिक्षा लेने वालों की संख्या में सुधार हुआ है, 95 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को एक किलोमीटर क्षेत्र के भीतर स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है। लेकिन इस संबंध में सबसे अधिक असफलता संविधान में दी गई, इस प्रतिबद्धता के संबंध में है कि हम 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को एक निश्चित समयावधि के भीतर निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेंगे जो कि हम आज तक नहीं कर सके हैं।

हमने "सन् 2000 ई० तक सभी को शिक्षा" और 2005 ई० तक पूर्ण साक्षरता" का लक्ष्य रखा है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा 1992 में उसे लागू करने की कार्य योजना में भी कई लक्ष्य निर्धारित किए गए है जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

जहां आपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि अब तक केवल 55 प्रतिशत स्कूलों के भवनों का ही निर्माण हुआ है। शिक्षा पर राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 3.7 प्रतिशत है। पूर्व प्रधानमंत्री ने यह वचन दिया था कि सन् 2000 ई० तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की 6 प्रतिशत धनराशि शिक्षा पर खर्च की जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब इस 6 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर हमें नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 65,000 करोड़ रु० की आवश्यकता है। यदि हम इस वर्ष अपनी आनुपातिक आवंटन की राशि को ध्यान में रखें तो हमे 10,500 करोड़ रु० प्रदान किए जाने चाहिए। लेकिन हमें केवल 4093 करोड़ रु० धनराशि का आवंटन किया गया है और उसी से ही पता चलता है कि हम शिक्षा पर छः प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। हमने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया है। परन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्र इस संबंध में उपना दायित्व नहीं निभा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा पर होने वाले कुल सरकारी खर्च का 91 प्रतिशत भाग राज्यों से आता है और केवल 9 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।

हालांकि राज्य अपने बजट का 20 प्रतिशत भाग शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, केन्द्र उन्हें केवल 4 प्रतिशत धनराशि देता है। इससे शिक्षा को बढ़ावा देने में केन्द्र सरकार द्वारा ली जा रही कम रूचि का पता चलता है।

बच्चों द्वारा बीच में ही शिक्षा छोड़ने की भी समस्या है। हालांकि प्राथमिक स्तर पर तथा अन्यथा दोनों की प्रतिशतता में कमी आई है, फिर भी समस्या गंभीर है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए यह कक्षा I से IV तक प्राथमिक शिक्षा के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ की गई, जिसका लाभ 11 करोड़ बच्चों को मिलता है। परन्तु इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शिकायते है और इसकी सफलता अलग-अलग राज्य में अलग-अलग है। कुछ राज्यों, जैसे तमिलनाडु जो कि पहले भी सफल हुए थे, में अच्छी प्रगति हो रही है, जबकि अन्य राज्यों में अभी परिणाम सामने नहीं आए हैं।

शिक्षा के मामले में लड़कियों से भेदभाव अभी भी किया जाता है। महिला साक्षरता अभी तक बहुत कम है। इनकी साक्षरता पर केरल के कोट्टायम जिले में 94 प्रतिशत की तुलना में राजस्थान के बाड़मेर जिले में 8 प्रतिशत है। इस कारण अधिकाधिक मुक्त विद्यालयों और मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए ?

यदि आप तर्क का आधारभूत तत्व देखें, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को प्राईमरी तथा माध्यमिक शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व संभालना चाहिए तथा उच्च शिक्षा में सामान्य क्षेत्र तथा तकनीकी क्षेत्र दोनों में गैर सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए स्थायी समिति ने गैर सरकारी विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया था और उसे संसद द्वारा स्वीकार कर लिए जाने की सिफारिश की थी।

यहाँ तक कि आज भी, हम शिक्षा के बजट का 65 प्रतिशत प्राइमरी शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोग गैर सरकारी क्षेत्र में डिग्री कालिजों तथा तकनीकी संस्थानों इत्यादि की स्थापना के लिए आगे आ रहे हैं। हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और हम निश्चय ही ऐसा कर सकते है। इनके संबंध में ऐसे सुरक्षोपाय अवश्य किये जाने चाहिए ताकि शुल्क तथा शिक्षा स्तर आदि के संबंध में यह पूरा व्यावसायिक दृष्टिकोण न अपनाए। इस संबंध में कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए लेकिन गैर सरकारी विश्वविद्यालयों सहित इस क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

इस क्षेत्र में किसी बड़े व्यापारी अथवा किसी अन्य के आ जाने में कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैं नहीं समझता कि काफी लोग इसमें रूचि लेंगें। यहां तक कि गैर सरकारी विश्वविद्यालयों में भी यदि मानदंड इतने कड़े हो तो एक गैर सरकारी विश्वविद्यालय आरम्भ करने के लिए बहुत कम लोग ही नियम के निर्माण के लिए 10 करोड़ रु० की धनराशि जुटा सकेंगे। यहाँ तक कि अमरीका, जापान और जर्मनी जैसे देशों में भी जहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है वहां 25 प्रतिशत उच्च शिक्षा संस्थान गैर सरकारी क्षेत्र में हैं और शेष अन्य द्वारा संचालित किए जाते हैं। अतः यह सोचना कि शिक्षा के क्षेत्र का पूर्ण व्यवसायीकरण हो जाएगा, यह किसी के लिए इतनी आसान बात नहीं होगी।

हमें प्रमुख रूप से व्यापक प्राइमरी शिक्षा तथा स्कूल बैग के बोझ को कम करने के लिए बल देना चाहिए क्योंकि यशपाल समिति ने स्कूल बैग के बोझ की कम करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। लेकिन उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में देश तथा विदेशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर बल देने के साथ परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा मूल्यों पर आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। व्यासायिक शिक्षा पर भी जोर देने की आवश्यकता है।

जैसाकि श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा को उद्योगो, फैक्ट्रियों कृषि, मछली-पालन तथा डेयरी उद्योग से जोड़ा जाना चाहिए जहां उद्योग विद्यमान नहीं हैं।

जब तक कि हम इस मामले पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तब तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की बात कागज़ों में ही रहेगी। इसके बाद शारीरिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाना चाहिए। अनेक वर्ष पहले यह बात स्वीकार कर ली गई थी लेकिन अभी तक इसे कार्यान्वित नहीं किया गया।

एक अन्य मुद्दा, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं और जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि यह तकनीकी मिशन अथवा साक्षरता मिशन अथवा विभाग जो योजनाएं बनाता है, वह देश भर में समान नहीं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान जैसे राज्यों की समस्याएँ अन्य राज्यों से भिन्न है। इन राज्यों के लिए एक पृथक परियोजना, एक पृथक तकनीकी मिशन अथवा एक साक्षरता मिशन होना चाहिए जो कि कई दृष्टियों से अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए है। अतः देश भर में समान योजनाएं बनाने के बजाय हमें राज्यों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखना चाहिए और उनके लिए पृथक योजनाएं बनानी चाहिए।

अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन तथा उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यहां कुछ संदिग्ध तथा नकली संस्थान है लेकिन अन्य संस्थान अच्छा कार्य कर रहे है। अतः गैर सरकारी संगठनो को अनौपचारिक शिक्षा में प्रोत्साहन देना चाहिए।

पंचायत को न केवल साक्षरता के प्रसार में बल्कि सभी शैक्षिक गतिविधियों में भी शामिल किया जाना चाहिए और जो पंचायत अच्छे परिणाम प्राप्त करे उसे इनाम दिया जाना चाहिए। ऐसी पंचायतों के लिए एक पुरस्कार होना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि शिक्षा प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को दी गई अनुदान राशि को ठीक ढंग से खर्च नहीं किया गया है। इलेक्ट्रानिक मीडिया ने तेज़ी से प्रगति की है तो आप शिक्षा के प्रसार के लिए विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न भाषाओं में कैसेट बनाने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग क्यों नहीं कर सकते ? एक बार इसका प्रयोग आन्ध्रप्रदेश में कक्षा I से III तक किया गया था और वह बहुत सफल हुआ था। कैसेट बनाए गए थे और स्कूलों को वीडियो दिए गए थे। उसमें अच्छी सफलता मिली थी। हमें ऐसी प्रणाली के बारे में भी सोचना चाहिए।

टी०वी० पर भी शिक्षा के लिए पृथक चैनल होना चाहिए। एक शैक्षणिक चैनल की काफी लम्बे समय से मांग की जा रही है, विभाग को इसके लिए जोर डालना चाहिए ताकि चैनल आरम्भ किया जा सके। काफी समय पहले नवोदय विद्यालय प्रणाली बनायी गई थी। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय होने चाहिएं लेकिन अब तक केवल 350 जिलों में ही नवोदय विद्यालय हैं और शेष जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जाने हैं। सामान्यतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन भी धनाभाव से पीड़ित रहता है और अभी भी 360 स्कूल बिना भवनों के हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में काफी धन तथा संसाधनों की आवश्यकता है।

जहाँ तक संस्कृति का संबंध है, इस विभाग के लिए 1997-98 में 368 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं जो कि कुल योजनागत परिव्यय का लगभग एक प्रतिशत है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति के संबंध में एक प्रस्ताव था और काफी समय पहले स्थायी समिति की बारहवीं रिपोर्ट में इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन तब से कोई कार्यवाही नहीं की गई है और मैं प्रसन्न हूं कि केवल एक सुझाव को कार्यान्वित किया गया है। 19.5 करोड़ रुपये की राशि से पांच वर्ष के लिए 'कारपास फंड' के साथ 'राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि' भी हाल में शुरू की गई हैं परन्तु इसके लिए 2 करोड़ रुपए की आरम्भिक धनराशि का आवंटन बहुत कम है। सामान्यतः, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को सहयोजित करना चाहिए।

मैं एक मुद्दे पर जोर देना चाहता हूं कि संस्कृति के क्षेत्र में अनेक संगठन कार्य कर रहे हैं। हमारे पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संस्कृति विभाग है। इसके अन्तर्गत अकादमियाँ, आई०सी०सी०आर०, जोनल सांस्कृतिक केन्द्र, राज्य सरकारें, राज्य अकादमियाँ आदि कार्य कर रहे हैं। उनके बीच कोई समन्वय नहीं है। विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय की कमी है और विशेष रूप से जोनल सांस्कृतिक केन्द्र उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर रहे है जिनके लिए उन्हें आरम्भ किया गया था। अनन्तमूर्ति समिति ने जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के बाद सिफारिशें की थीं और जनवरी 1996 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर कार आर्टस के लिए भारी धनराशि का आवंटन किया गया है। यह एक अच्छा संस्थान है। देश के लिए यह एक प्रतिष्ठावान् संस्थान है और स्थायी समिति को यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि उसके कार्य-कलाप आवंटित धनराशि के अनुरूप नहीं हैं।

अतः वहां कार्य की गति तेज़ करनी पड़ेगी। संस्थान के महत्वपूर्ण होने के कारण उन्हें धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।

पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पर मंत्री महोदय द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। 3,562 संरक्षित स्मारक हैं। स्मारकों तथा मन्दिरों में जानबूझ कर काफी तोड़-फोड़ की गई है। वे काफी समय से स्मारक परिचालकों की माँग कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है और उनमें अधिकतर स्मारक असंरक्षित स्थिति में हैं। मंत्री महोदय को इन स्मारकों की देख-रेख के संबंध में निजी क्षेत्र को शामिल करने पर भी विचार करना चाहिए। इनमें से कुछ स्मारकों को रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है।

[श्री पी० उपेन्द्र]

मैं आन्ध्र प्रदेश से संबंध रखता हूँ और में सालार जंग संग्रहालय में हो रही चोरियों के विषय में चिन्तित हूँ। अनेक मूल्यवान कलाकृतियाँ चली गयी हैं। उसके लिए एक समिति भी नियुक्त की गई थी। हालांकि, तब से उनमें से कुछ खोई हुई चीज़े मिल गई हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के आदेश दे दिए गए हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं निकले हैं। इस कार्य में तीव्रता लानी चाहिए और वहां सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। संग्रहालय के साथ एक इमारत बनाए जाने का प्रस्ताव है। उसे भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना चाहिए।

इसी प्रकार ग्रामीण ग्रंथालयों की एक योजना है। इसमें भी प्रगति नहीं हो रही हैं यह योजना अभी योजना आयोग द्वारा पारित होनी है और बार-बार के अनुस्मारकों के बावजूद भी योजना आयोग ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। राजा राममोहन राय फाउंडेशन को इस योजना की देख-रेख का कार्य सौंपा गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात नेताजी रिसर्च ब्यूरो के संबंध में है। उनको 3 करोड़ रुपए की 'कारपस ग्रांट' दी जानी थी जो अभी तक नहीं दी गई हैं। हालांकि दो माननीय प्रधानमंत्रियों ने 12.5 करोड़ रु० की कुल परियोजना लागत का 6.5 करोड़ रु० देने का वचन दिया था लेकिन अभी तक वह भी नहीं दिया गया।

इसी तरह, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर जिसके गठन की समिति ने बार-बार सिफारिश की थी, अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इन परिसरों को आरम्भ करने के लिए प्रत्येक राज्य को एक करोड़ रु० की धनराशि आवंटित की जानी थी लेकिन अभी तक योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

अकादमियों के कार्यकरण के संबंध में हक्सर समिति की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। हालांकि ललित कला अकादमी को सरकार ने अपनी जिम्मेवारी में ले लिया है, अन्य अकादमियों का कार्यकरण भी बहुत असंतोषजनक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति की 50वीं जयंती को सही तरीके से मनाया जाना है। इसे सही तरीके से नियोजित करना चाहिए ताकि युवा तथा विद्यार्थी इस जयंती में शामिल हो सकें।

जहां तक महिला तथा बाल विकास का संबंध है, मैं यह कहना चाहूँगा कि समान गतिविधियों तथा उद्देश्यों से संबंधित अनेक योजनाएं हैं। स्थायी समिति ने भी इन योजनाओं की समीक्षा करने तथा इन्हें समाप्त करने के लिए बार-बार सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उदाहरण के लिए, इन्दिरा महिला योजना। वर्ष 1995-96 के दौरान 200 ब्लॉको में कुछ प्रयोगात्मक परियोजनाएं आरम्भ की गई थी। तब से कोई भी नई परियोजना आरम्भ नहीं की गई है। 6.1 लाख रु० प्रति ब्लॉक जारी किए जाने थे लेकिन पूरी राशि जारी नहीं की गई है।

इसी प्रकार महिला समृद्धि योजना में छः करोड़ रुपए का लेखा खाता खोला जाना था, परंतु केवल 2.2 करोड़ रुपए के लेखे खाते ही खोले जा सके अर्थात् आठवीं योजना में लक्ष्य का 36.7 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका है। इसी प्रकार जहां तक राष्ट्रीय महिला कोष का संबंध है, लक्ष्य बिल्कुल भी प्राप्त किये नहीं जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। परंतु इसकी विशेष भूमिकाएं, कर्त्तव्य और शक्तियां निर्धारित की जानी चाहिएं।

महिला अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयुक्त की नियुक्ति की जानी थी वह भी अभी तक नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ की ओर भी आकर्षित होना चाहिए। जिन महिला विकास निगमों की विभिन्न राज्यों में शुरूआत की जानी थी वे अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं।

देश में आठ लाख शिशु पालन गृह/टीका सुरक्षा केंद्र खोले जाने की आवश्यकता है। परंतु इस समय इनकी संख्या केवल 14,000 ही है और शेष अभी तक शुरू नहीं किये गए हैं। राष्ट्रीय शिशु पालन केन्द्र विधि 2,000 करोड़ रुपए से शुरू की जानी थी। इस वर्ष 154 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया था परंतु आपने केवल 94 लाख रुपया ही आवंटित किया है। इस क्षेत्र में भी काफी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि संसदीय समिति का गठन अभी हाल ही में हुआ हैं परन्तु महिलाओं को अधिक शक्ति दिए जाने संबंधी राष्ट्रीय नीति पर भी बल दिया जाना चाहिए। इसपर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

महिलाओं से संबंधित कानूनों की भी समीक्षा की जाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार बालिकाओं तथा बाल वेश्याओं की समस्याओं की समीक्षा की जाने की भी आवश्यकता है।

अभी 5270 ब्लाकों में आई०सी०डी०एस० ब्लॉक शुरू किए जाने थे। परंतु वे अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं। 27 वर्षों बाद भी सभी ब्लाक शामिल नहीं किए गए हैं। 1996-97 में 500 नए ब्लाक शुरू किए जाने का प्रस्ताव था और इस वर्ष हम 1668 ब्लॉक शुरू करने वाले हैं। परंतु संसाधनों की कमी के कारण मुझे नहीं लगता कि आप इतने सारे ब्लाक शुरू करने में सफल होंगे। इन ब्लाकों के प्रभाव के संबंध में भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इस ओर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अब इसका मूल्यांकन राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है और इसे पूरा हो जाना चाहिए।

एक अन्य बात जिसका उल्लेख मैं यहां करना चाहता हूं वह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के संबंध में है। उनका मानदेय इनता कम है कि वे 350 से 400 रुपए ही पाते हैं। इसे पर्याप्त रूप से बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है परंतु इसे अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

एक अन्य क्षेत्र जिसे बार-बार नजरअंदाज किया गया है वह कार्याकारी महिलाओं के होस्टल के संबंध में है। इस समय पूरे देश में केवल 789 ही होस्टल है। जिसमें 54000 कामकाजी महिलाएं रहती हैं। हमें और अधिक होस्टलों की आवश्यकता है। परंतु उनमें भी वृद्धि नहीं हो रही हैं पिछले वर्ष 60 होस्टल खोले जाने का प्रस्ताव था परंतु 16 ही खोले गए थे। अनुदानों के दिए जाने के बावजूद भी बहुत से लोग इस दिशा में आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार को इस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को दिया जाने वाला अधिकांश धन स्थापना प्रभारों पर खर्च किया जा रहा है और समाज कल्याण बोर्ड में वास्तव में कोई गति विधि नहीं हो रही है। गैर-सरकारी संस्थाओं में कई महिला संगठन कार्य कर रहे हैं, जिनको मजबूत बनाए जाने और सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। सभी ब्लाकों में और गांव के निचले, स्तर में भी महिला मंडल शुरू किए जाने हैं। सरकार को इन महिला मंडलों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

अंतिम विभाग जिसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं वह है युवा मामले और खेल विभाग। स्थाई समिति ने अपनी 34वीं व्यापक रिपोर्ट में यह बताया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में क्यों अच्छा प्रदर्शन करने में सफल नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री अपना ध्यान इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन की तरफ लगा रहे हैं। इसको तुरंत कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता हैं क्योंकि 95 करोड़ लोगों के इस देश के लिए यह बहुत ही शर्म की बात हैं कि ओलंपिक खेलों में केवल एक कांस्य पदक ही जीत सके।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : खेल मंत्री यहां उपस्थित नहीं है।

श्री पी० उपेंद्र (विजयवाड़ा) : आप खेलों के लिए कितना धन दे रहे हैं ? आप 86 करोड़ रुपए दे रहे हैं। यह कुल सरकारी बजट का 0.0001 प्रतिशत है।

प्रो० पी०जे० कुरियन (भवेलीकारा) : प्रतिशत में बात मत कीजिए।

जी०पी० उपेंद्र : फिर भी यह बहुत कम है। स्थाई समिति ने कहा है कि आप को कम से कम 0.5 प्रतिशत से शुरूआत करनी चाहिए। ···*(व्यवधान)* कई स्कीमें लागू की गई हैं। हमने इन सभी स्कीमों की समीक्षा की थी और कुछ सुझाव दिए थे। माननीय मंत्री जी यह देखें कि ये सुझाव लागू किए जाएं।

एक और बात जो मैं कहना चहता हूं वह यह है कि 32 से 34 प्रकार के खेल है। हम इन सभी खेलों में अपनी टीमें क्यों भेजते हैं जबकि हमें इनमें कोई भी पदक जीतने का अवसर नहीं मिलता ? इसलिए कुछ खेलों में ही ध्यान केंद्रित करना ठीक होगा। जहां हम पदक जीतने के लिए अपनी शक्ति लगा सकते हैं बजाए इसके अपने संसाधनों को सभी खेलों में लगा दें। इस बात पर हम लगातार ज़ोर देते आ रहे हैं। परन्तु यह लागू नहीं की गई है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संबंध में यहां बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि हम इस प्रकार की चर्चा को महत्व दे रहे हैं। ···*(व्यवधान)*

श्री निर्मलकांति चटर्जी (दमदम) : यद्यपि पूर्व मंत्री यहां उपस्थित हैं तो भी चलेगा।

श्री रमेश चेन्नित्तला : वे भी यहां उपस्थित नहीं हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : युवा मामलों और खेल मंत्री की उड़ान आज रह गई है। मंत्रीमंडल के मंत्री यहां उपस्थित है।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, हम बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि खेलों को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। परंतु जैसा कि मैंने पहले कहा है यह अभी तक नहीं किया गया है। प्रत्येक राज्य में खेलों के विद्यालय होने चाहिए। केवल दो तीन राज्यों, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में ऐसे खेल के विद्यालय हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक जिले में खेल के विद्यालय होने चाहिए। यह हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हम इसे तुरंत नहीं कर सकते। हो सकता है हम नौवीं पंचवर्षीय योजना या दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य को पूरा कर सकें। दसवीं योजना के अंत तक प्रत्येक जिले में एक खेल का विद्यालय होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में खेल का एक महा विद्यालय और एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमने ग्वालियर में विश्वविद्यालय की मांग की है परंतु वह काफी नहीं है। सर्वांग खेल विश्वविद्यालय भी होना चाहिए।

एक और बात है। हमारे यहां पर्याप्त रोजगार के अवसर भी नहीं हैं। इस देश में खिलाड़ियों के लिए कोई प्रोत्साहन भी नहीं है। मैं रिपोर्ट के पूरे ब्यौरे नहीं देना चाहता। परंतु, दुर्भाग्यवश अब सरकार भी विभागों मे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। अगर हम विश्लेषण करें तो देखते हैं कि रेलवे, रक्षा, अर्धसैनिक दलों और सरकारी क्षेत्र की ईकाइयों को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों में 25 वर्षों में केवल 25 व्यक्ति ही नियुक्त किए गए हैं।

इसका अर्थ है कोई भी खिलाड़ियों की नियुक्ति को अधिक महत्व नहीं दे रहा है। जब वे नियुक्त भी किए जाते हैं तो उनको टिकट कलेक्टर, क्लर्क, और समूह चार कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह खिलाड़ियों के लिए कोई प्रोत्साहन की बात नहीं है। जिन लोगों ने पदक जीते उनको भी पर्याप्त नकद पुरस्कार नहीं दिए जा रहें हैं। यद्यपि सरकार ने भूतपूर्व ओलंपिक खिलाड़ियों इत्यादि के लिए एक नकद पुरस्कार प्रणाली और पेंशन स्कीम शुरू की है परंतु यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए पेंशन की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, खेलों की सबसे कमज़ोर बात इनके संघों की कार्य प्रणाली है। उनको चलाने वाला कोई नियम नहीं है। इन संघों में विहित स्वार्थ देखे जाते हैं। एक ही व्यक्ति उसी पद पर कई दशकों तक बना रहता है। जब हम एक कर्मचारी के पास गए और उससे पूछा कि वह कितने समय से उसी पद पर नियुक्त था तो उसने कहा कि वह उस पद पर 35 वर्षों से था। इसका अर्थ है कि वे अपना पद भी नहीं छोड़ते। कोई चुनाव नहीं कराए जाते और न ही ठीक लेखे रखे जाते हैं। इसलिए, सरकार को इन संघों की कार्यप्रणाली का विशेष अध्ययन करना चाहिए क्यों कि वे खिलाड़ियों का चयन करते हैं। वे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबले में भेजते हैं और वे ही उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। इसलिए जब तक इस क्षेत्र में सुधार नहीं होता हम अपने खेलों में सुधार नहीं कर सकते।

इसके अतिरिक्त भारतीय खेल प्राधिकरण पर बहुत अधिक धन खर्च किया जा रहा है। हमें खेल क्षेत्र की देखरेख के लिए इतने बड़े अधिकारिक ढांचे की आवश्यकता नहीं है। इसका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। प्रारंभ में भारतीय खेल प्राधिकरण का काम एशियाई खेलों से संबंधित स्टेडियमों की देखरेख करना था, परंतु स्टेडियम भी बहुत खराब

[श्री पी० उपेन्द्र]

हालत में हैं। अगर आप नामी स्टेडियमों के अंदर जाकर देखें तो आप पाएंगे कि वे बहुत बुरी अवस्था में हैं। उनका कहना है कि उनको इसके रखरखाव के लिए ही प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसलिए स्टेडियमों के रखरखाव की स्थिति भी काफी खराब है।

अब सरकार को निचले स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को भी शामिल करना चाहिए जिससे ग्रामीण खेलों और जनजातीय खेलों को भी प्रोत्साहित किया जा सके।

सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास निधि शुरू की है। सरकार को सरकारी और निजी क्षेत्र की इकाइयों को इसमें योगदान करने के लिए बाध्य करना चाहिए तथा इन औद्योगिक इकाइयों को एक विशेष खेल अपनाने के लिए मजबूर करना चाहिए जिससे प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक-एक उद्योग द्वारा खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती, प्रशिक्षण और प्रायोजन का कार्य किया जा सके।

जहां तक खेलों को समवर्ती सूची में शामिल किए जाने का संबंध है इसे बारे में हम कई राज्यों को मनाने में सफल हुए हैं। अगर एक या दो राज्य साथ नहीं दे रहे हैं तो सरकार को इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए और इसे समवर्ती सूची में शामिल करना चाहिए।

जहां तक युवा मामलों का संबंध है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में भी अधिक से अधिक युवा केंद्र खोलने पर प्रोत्साहन देना चाहिए। हरियाणा में भी इस दिशा में अच्छा कार्य किया गया है। केवल हरियाणा में ही 924 युवा केंद्र हैं। सब राज्यों में यह सबसे अच्छा काम है। अब केवल 49 युवा होस्टल काम कर रहे हैं। हमें और अधिक युवा होस्टल खोलने चाहिए। इसके अतिरिक्त युवा क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की सहायता को भी बढ़ाना चाहिए। साहसिक खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के मामले में भी इसकी संख्या और पुरस्कार राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने श्री पेरंबदूर में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान शुरू किया है और इस संस्थान के लिए 16.3 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। भवन के निर्माण की प्रगति काफी धीमी है। इस भवन को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

अंत में, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश कमियां – मैं मंत्रालय को दोष नहीं दे रहा – संसाधनों की कमी के कारण हैं। इसलिए, इस महत्वपूर्ण मंत्रालय को और अधिक विधियां आवंटित की जानी चाहिए जो मानव संसाधन के विकास से संबंधित हैं। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए संसद सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है जिससे हम इन गतिविधियों में अधिक रूचि ले सकें। आप जिला और स्थानीय स्तरों पर स्थानीय समितियों में इस बात को रख सकते हैं जिससे हम विभिन्न स्कीमों के कार्य की देखरेख कर सके।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : सभापित महोदय, भारत के स्वाधीनता आदोलन के अनेक लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यह भी था कि हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे। जब हम आजाद हुए उस समय शिक्षा की बहुत ही गंभीर स्थिति थी। हमे जो शिक्षा-प्रणाली विरासत में मिली उसमें ढांचागत असंतुलन के साथ-साथ केवल 14 प्रतिशत लोग ही साक्षर थे।

आजादी के बाद हमारी शिक्षा की जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी नजर आती है। उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति आज क्या है ?

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1986 में बनी तथा संशोधित कार्य योजना 1992 में बनी। उसका लक्ष्य यह था कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सन् 2000 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन ऐसी व्यवस्था जिस रूप में होनी चाहिए थी उस रूप में नहीं हुई है।

सभापति महोदय, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा-नीति है उसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन कमरे तथा तीन अध्यापक अवश्य होने चाहिएं। लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम 25-30 प्रतिशत विद्यालयों में भवन ही नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि जहां पर भवन नहीं हैं वहां पर बच्चे ठीक ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मैं सही मायने में बता देना चाहता हूं कि जो सांसदं-मद में हमें रुपया मिलता है तो मैं प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण को लेता हूं। लेकिन फिर भी आजादी के 50 वर्षों के बाद भी हिंदुस्तान के बहुत से प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर भवन नहीं है। अब जिस देश में प्राथमिक विद्यालय में भवन ही न हो वहां उस देश की शिक्षा का स्तर कैसे हम ऊंचा उठा सकते हैं, कैसे ऊपर ला सकते हैं। सही मायने में यह एक गंभीर विषय है।

सभापति महोदय, खुदा न खास्ता अगर कहीं स्कूल है तो उसमें शिक्षक नहीं हैं, अगर शिक्षक है तो विद्यार्थी नहीं हैं। हम लोगों में यह निश्चित रूप से दोष है कि ग्रामीण शिक्षा का स्तर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा दयनीय क्यों है। हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्हें गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। जिन लोगों के पास पैसे हैं, उनके बच्चे देश के बड़े-बड़े कन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन किसानों के बच्चों या छोटे-छोटे काम धंधा करने वाले लोगों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जिस ढंग की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी उस ढंग से व्यवस्था नहीं हुई है।

सभापित महोदय, कुछ दिन पहले एक ब्लैक-बोर्ड स्कीम चली थी लेकिन इसकी जानकारी जिला-स्तर पर किसी को नहीं थी। इसका मुख्यालय दरभंगा में है। इसके लिए जो पैसा आवंटित किया गया था वह सही ढंग से खर्च नहीं हुआ। पता नहीं उस स्कीम से कितना रुपया लोगो ने उठा लिया, इसका किसी को पता नहीं है। अभी भी पक्का भवन निर्माण नहीं है। जब हम जिला अधिकारी से इस बात की जानकारी

लेना चाहते हैं तो वे कहते हैं कि ये हमारे बस के बाहर की बात है। यह केन्द्र सरकार की स्कीम है, इसलिए मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ब्लैक-बोर्ड स्कीम केवल बिहार में ही नहीं जहां कहीं भी यह चल रही है गंभीरता से उसकी जांच की जाए और जो लोग इसके तहत रुपया लिए हैं भवन बनाने के लिए और वह अधूरा पड़ा हुआ है, उस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए।

सबके लिए बुनियादी शिक्षा सही मायनें में बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1992 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए एक नया प्राथमिक शिक्षा जिला तैयार किया गया था। लेकिन उन ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। आज आजादी के 50 साल के बाद भी जिस ढंग से स्कूली बच्चों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिये थी, नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण है ? इस पर माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिये। आज ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को दिन का भोजन दिया जा रहा है, हमारी जानकारी के अनुसार उनको गेहूं दिया जा रहा है जिसे शिक्षक या पदाधिकारी पैसे देकर सारा गेहूं हड़प जाते हैं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस मामले में जिस प्रकार से गंभीरतापूर्वक कार्यवाही होनी चाहिये थी, नहीं हो पा रही है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की ओर से व्यावसायिक शिक्षा के लिए 11 एवं 12 कक्षा को वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को दी जाती है लेकिन आम जनता को पता ही नहीं होता कि वह शिक्षा किस स्तर पर और कहां से दी जा रही है ? मेरा निवेदन है कि इसका प्रदेश स्तर पर प्रचार होना चाहिये ताकि आम आदमी उसका लाभ उठा सके।

सभापित महोदय, इस देश में 29 करोड़ युवा बेरोज़गार हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा ने कहा था कि 10 लाख बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे तथा हमारे युवा जनता दल नेता श्री नवल किशोर राय ने देश के कई भागों में आन्दोलन खड़ा किया लेकिन उसका जिस रूप से प्रचार था विचार किया जाना चाहिये था, नहीं किया गया। यदि इस देश में 29 करोड़ बेरोज़गार रहेगे तो देश का क्या होगा ? शिक्षा का शुरू से ही व्यवसायीकरण होना चाहिये था ताकि बच्चे आगे चलकर अपना भविष्य सुनहरा बना सकते।

सभापति महोदय, सन् 1961 में एन०सी०ई०आर०टी० का गठन किया गया था लेकिन मुझे नहीं मालूम इसके राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हो पायी है या नहीं ? क्या इसका कभी सर्वेक्षण किया गया कि जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उन का पुनर्रीक्षण किया गया कि कितनी सफलता/असफलता मिली है ? इस विषय में आम लोगों को जानकारी नहीं है कि किन-किन राज्यों में ये योजनायें चालू हैं। मेरा मंत्री से आग्रह है कि इस बारे में अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

सभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि नवोदय विद्यालयों के बारे में वे अधिक उत्सुक एवं सजग है। इन्होंने कई जगह नवोदय विद्यालयों के लिये शिलान्यास भी किया है। इन नवोदय विद्यालयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को ऊपर उठाना है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय का शिलान्यास किया और उसके लिए 5 करोड़ रुपया दिया है और यह हमारे जिला में चल रहा है। क्योंकि हमारा जिला हिंदुस्तान और नेपाल के बार्डर पर है। लेकिन यह शिक्षा के मामले में बहुत ही कमजोर है, उसका स्तर बहुत ही नीचे है। मैं अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की ओर से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछड़े इलाके में जाकर आपने नवोदय विद्यालय का शिलान्यास करके उस इलाके का उद्धार करने का काम किया। सभापति महोदय, केन्द्रीय विद्यालय का जो नियम हैं उसके मुताबिक हमारे क्षेत्र में एक फारबिसगंज अनुमंडल भारत-नेपाल सीमा पर है। उसमें रेलवे के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और केन्द्रीय कर्मचारी रहते हैं। केन्द्रीय विद्यालय के नियम के मुताबिक हमारे यहां केन्द्रीय विद्यालय का एक प्रोपोजल आपके पास आया है। हम आपसे आग्रह करना चाहते है कि हमारे यहां फारबिसगंज में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करके आप पिछड़े हुए इलाके का उद्धार करने का काम करें।

सभापति महोदय, प्रौढ़ शिक्षा के विषय में एक आश्चर्य की बात है। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य था कि 15 से 35 वर्ष के बच्चों और वयस्को को साक्षर बनाना। लेकिन बहुत से राज्यों मे ऐसा होता है कि प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर कागज पर ही प्रौढ़ शिक्षा चलायी जाती है। 15 वर्ष के बच्चे जो सही मायनों में गरीबी और बेरोजगारी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं या माता-पिता के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यह स्कीम केन्द्र सरकार या विश्व बैंक के द्वारा चलायी जाती है। सही मायनों में इसका 10 से 15 प्रतिशत ही गावों में प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर खर्चा होता है। इसमें जो बड़े-बड़े अफसर होते हैं वे बैठकर कागज पर फर्जी बच्चों और वयस्कों का नाम लिखकर पैसा उठा लेते हैं। भले ही बहुत लोग कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा विश्व बैंक की स्कीमं है। तो यह पैसा इस स्कीम में ही खर्च होना चाहिए और उचित ढंग से होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष की जेब में यह पैसा नहीं जाना चाहिए। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कुछ बातें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में कहना चाहता हूं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार ने यह स्कीम तैयार की है। सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि पिछड़ेपन के कारण 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के अनुपात में 16.33 प्रतिशत हरिजन आदिवासियों की पापुलेशन हैं लेकिन अभी तक जो गावों की स्थिति है, उस तरफ देखते हैं तो 20 से 25 प्रतिशत हम लोगों के इलाके में प्राथमिक विद्यालय में एस०सी०, एस०टी० बच्चे जा पाते हैं। इसका क्या कारण है ? गरीबी तो प्रमुख कारण है ही। लेकिन आजादी के 50 वर्ष के बाद भी अगर ऐसी शिक्षा होगी कि 20 से 25 प्रतिशत गांवों में विद्यार्थी जब स्कूलों में जायेंगे तो उस इलाके, उस राज्य और देश का भविष्य क्या होगा ? यह गंभीरता से सोचे कि एस०सी०, एस०टी० की देश में क्या स्थिति है। उसमें दलितों की कितनी सीटें है। इसलिए यह जो समाज है उसको ऊपर उठाने के लिए माननीय मंत्री जी आपको निशेष प्रावधान करना होगा। जिस तरह से आपने

[श्री सुकदेव पासवान]

ग्रामीण इलाकों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना करके गावों में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनका स्तर ऊपर उठाने के लिए और प्रतिभा को आगे आने का आप मौका देते हैं, ठीक उसी रूप में एस०सी०, एस०टी० के बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में निश्चित रूप से नवोदय विद्यालय की तरह एक विद्यालय बनायें। इसमें सारी शिक्षा का खर्च, अस्पताल का खर्च, कपड़ों और किताबों का खर्च केन्द्र सरकार वहन करें। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों का स्तर ऊपर लाया जाए और समाज के अन्य वर्गों के साथ उसको समान स्तर पर लाने के लिए आप क्या करेंगे। तो मेरी समझ में एक ही उपाय है कि प्रथम कक्षा से लेकर बी०ए० तक की सारी शिक्षा का खर्च केन्द्र सरकार वहन करें। ताकि उस बच्चे को समाज के अन्य बच्चों के साथ आने का मौका मिले।

सभापति महोदय, मैंने अभी प्राथमिक विद्यालयों के विषय में बताया कि वे 20 से 25 प्रतिशत हैं। लेकिन अब मैं माध्यमिक विद्यालयों के बारे में बताना चाहता हूं कि माध्यमिक विद्यालय हमारे यहां कम से कम 5-7 किलोमीटर की रेडियस में होते हैं। उनमें एस०सी०, एस०टी० के बच्चों की संख्या मुश्किल से 8 से 10 प्रतिशत होती है। उसी तरह उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो कि पूरे ब्लॉक में दो या तीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होते हैं। आज अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षित बच्चों की संख्या दो या तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है। जब तक हम समाज के प्रत्येक तबके के बच्चों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, सभी वर्गों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा नहीं देंगे, तब तक हमारा देश समान रूप से विकास नहीं कर पाएगा और हमेशा कमजोर बना रहेगा तथा देश विदेश के लोगों के मन में यह अवधारणा बनी रहेगी कि हिन्दुस्तान पढ़ाई-लिखाई के मामले में एक पिछड़ा देश हैं। शिक्षा के मामले में, मुझे खुशी है कि जब केरल का नाम आता है तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है क्योंकि वहां शत-प्रतिशत लोग शिक्षित हैं लेकिन दूसरी तरफ जब हमारा ध्यान बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा देश के अन्य प्रदेशों की तरफ जाता है तो हम अपने आपको केरल के स्तर से काफी नीचे पाते हैं इसलिए मंत्री जी, एस०सी० एस०टी० के बच्चों को शिक्षित करने के मामले में हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा।

आप देखिए कि एक तरफ गांवों में जहां प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां शिक्षक नहीं है बच्चों के पास स्लेट नहीं है, पेंसिल नहीं है या दूसरी सुविधाएं नहीं है लेकिन दूसरी तरफ जिन विद्यालयों में समाज के सम्पन्न वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते है, चाहे वे दार्जिलिंग में पढ़ते हों, दिल्ली में पढ़ते हों, बम्बई में पढ़ते हो, पटना में पढ़ते हों, वहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रति माह 3 से 5 हजार रुपए तक खर्च करते है – इस असमानता को दूर करने पर हमें ध्यान देना होगा। इस हाउस में सभी पक्षों के नेता जब बोलते हैं तो अपने भाषण में अंग्रेजी स्कूल, कन्वेंट स्कूल समाप्त करने की बात करते है लेकिन अन्तर्मन से वे ऐसा नहीं चाहते। यही कारण है कि सर्वसम्मति से इस मामले में हम कोई निर्णय नही ले पाते। सिर्फ लोकसभा या सार्वजनिक स्थलों पर भाषण देने से काम चलने वाला नहीं है। हमें अपने मन में पक्का निश्चय करके पूरे देश के स्तर पर समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी।

अपराह्न 3.58 बजे

[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुईं*]

सभापति जी, आप देश में अल्पसंख्यकों में शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। सही मानों में, शिक्षा के मामले में उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। वैसे देश में 1993-94 के प्रारम्भ में अल्पसंख्यकों को शिक्षित करने के लिए कई योजनाएं प्रारम्भ की गईं, शैक्षणिक रूप से अल्पसंख्यकों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम तैयार किया गया था, मदरसों के जरिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई, जहां प्राथमिक विद्यालय पर्याप्त नहीं है, वहां बुनियादी शिक्षा ढांचा तैयार करके शत-प्रतिशत शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना बनी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम उत्तरी बिहार के जिस इलाके से आते है, अरारिया, किशनगंज, पूर्णिया जैसे इलाकों में, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी 60 से 80 प्रतिशत है, लेकिन शिक्षा के मामले मे हमें नहीं लगता कि दो या तीन प्रतिशत से अधिक ये लोक शिक्षित हो यानी शिक्षा के मामले में वे काफी पिछड़े हैं, उनकी शिक्षा का प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजातियों से भी कम है।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वे भी इस देश के नागरिक हैं और उस नाते मंत्री जी को उनके उत्थान के लिए विशेष योजना तैयार करनी चाहिए। जो योजना इन लोगों के उत्थान के लिए बनी थी, पता नहीं वह किस जगह दब कर रह गई क्योंकि मैं उत्तरी बिहार के इलाके की स्थिति जानता हूं। हमारे इलाके में अल्पसंख्यकों को शिक्षित करने के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। मंत्री जी, हमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा के मामले में गम्भीरता से ध्यान देना पड़ेगा ताकि वे भी समाज के दूसरे वर्गों के समकक्ष आ सकें। मैं जानता हूं कि इन लोगों को शिक्षित करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, ज्ञान-विज्ञान, वानिकी तथा व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है लेकिन ऐसी व्यवस्था किन राज्यों में है लेकिन उत्तरी बिहार के किसी इलाके में, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां अल्पसंख्यकों को व्यासायिक शिक्षा दी जा रही हो, मदरसा, शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की योजना, मकतब पाठ्यक्रम, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी की शिभा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हो जबकि मदरसों और मकतबों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय, हमें ये परियोजनाएं देखने में कहीं नहीं आ रही हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये परियोजनाएं मंत्रालय की फाइलों में ही दबी हुई हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में चलाई जा रही परियोजनाओं की समीक्षा कर सके और अपनी रिपोर्ट दे सके कि वास्तव में वे परियोजनाएं प्रदेशों में चल रही हैं या नहीं।

सभापति महोदया, इस यदि शिक्षा में पिछड़े रहेंगे, तो हमारा सम्मान कहीं भी नहीं होगा। जैसे हमारा देश पूरी दुनिया के देशों में गरीब

देश के रूप में जाना जाता है, यदि हम शिक्षा में पिछड़े रहेंगे, तो हमें गरीबी के साथ-साथ शिक्षा की दृष्टि से भी दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह इस दिशा में सही कदम उठाए ताकि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा न रहे।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, मुझे बोलने के लिए समय देने हेतु, आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री समीक लहिरी (डायमंड हार्बर) : सभापति, महोदया, मैं यहां बड़े दुख के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि ऐसे समय जब हम अपनी स्वतंत्रता का पचासवां वर्ष मनाने जा रहे हैं, हमारे देश में निरक्षरता की दर कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत तक है। अगर हम अपने देश की स्थिति की दूसरे देशों की स्थिति से तुलना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि विभिन्न अतंर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार भारत का स्थान 90वां है। यहां तक कि बहुत अधिक गरीब देशों में भी साक्षरता दर हमारे देश से बहुत अधिक है। मैं बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं। यहां तक कि बोत्सवाना की निरक्षरता 26 प्रतिशत, ब्राज़ील की 19 प्रतिशत, चिली की 7 प्रतिशत आदि है। मैं और अधिक उदाहरण भी दे सकता हूं। यहां तक कि अविकसित देशों में भी इतने अधिक अशिक्षित लोग नहीं है।

हम अगली शताब्दी में प्रवेश करने वाले हैं। परंतु किस के साथ? इन 45 करोड़ से अधिक अशिक्षित लोगों के साथ हम अगली शताब्दी में किस तरह की सभ्यता का निर्माण करने जा रहे हैं। इस विभाग का नाम मानव संसाधन विकास विभाग है। मेरी माननीय साथी श्रीमती सुमित्रा महाजन ने यह स्पष्ट किया है कि इस विभाग का नाम इस तरह क्यों रखा गया है। परंतु मानवता के इस संसाधन के विकास के लिए मौलिक आवश्यकता साक्षरता दर को बढ़ाना और शिक्षा का प्रसार करना है। परंतु दुर्भाग्य वश इसमें हमारा देश बहुत पीछे है।

1995 में यू०एन०डी०पी० द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था। उन्होंने एच०डी०आई०, मानव विकास सूचकांक का गठन किया था जिसकी गणना तीन प्रमुख घटकों – दीर्घता, ज्ञान और आय – को लेकर की जाती है।

उस सर्वेक्षण के अनुसार भारत का स्थान क्या है ? उन्होंने लगभग 174 देशों का सर्वेक्षण किया है और भारत का स्थान 135वां है। यहां तक कि अर्जेंटीना, मेक्सिको, श्रीलंका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान भी हमसे आगे है।

पिछले पचास वर्षों में कैसा ध्यान दिया गया है। जहां तक मानव संसाधन विकास, शिक्षा, युवा मामले ओर खेल का संबंध है। हमारी स्थिति बहुत खराब है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस बात पर ज़ोर दिया गया था ? मैं यह कह सकता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 15 से 35 साल के लोगों के बीच 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका अर्थ है 10 करोड़ अतिरिक्त लोगों को पढ़ाया जाना। इन लोगों को पढ़ाने के लिए 3.5 लाख अनौपचारिक शैक्षिक केंद्रों की आवश्यकता है परंतु केवल 2.80 लाख केंद्रों को ही 1996-97 तक स्वीकृति मिल सकी है।

हमने आठवीं योजना पूरी कर ली है। अब नौवीं योजना के लिए दृष्टिकोण का (एप्रोच पेपर) प्रस्तुत किए गए हैं और एक घोषणा की गई है कि भारत को 2005 ईस्वी तक पूर्ण साक्षर बना दिया जाएगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उनकी योजनाएं क्या हैं। या यह केवल एक धोखा है – जैसा कि पिछली सरकार ने किया था – जो हमारे साथ कर रहे हैं ? किस बात की आवश्यकता है ? अगर हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है तो 2001 तक सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत प्रदान करना होगा। इसका अर्थ है 1,31,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

हम जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में दर्शाई गई है। श्री पी० उपेन्द्र ने कहा है कि केंद्र उतना उत्तरदायित्व नहीं ले रहा जितना इसे लेना चाहिए। अगर शिक्षा समवर्ती सूची में आती है तो केंद्र द्वारा कम से कम 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने चाहिए जिससे हमारे देश को 2005 ई० तक पूर्ण साक्षर बनाया जा सके। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करना चाहते हैं तो इतनी राशि खर्च करनी पड़ेगी। पर कितना खर्च किया जा रहा है ? शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.7 प्रतिशत ही खर्च किया जा रहा है जिसमें राज्य सरकार का तथा भारत सरकार के विभिन्न अन्य विभागों का व्यय भी शामिल है।

इस विभाग की अपनी धारणा है कि अगर हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करना होगा। इस प्रकार 1997-98 में पहले वर्ष 10,500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे; अगले वर्ष विभाग को 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और उससे अलगे वर्ष उनको इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में अर्थ व्यवस्था में 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।

परंतु इसके लिए क्या आवंटन किया गया है ? यह आवंटन 5,231.63 करोड़ रुपये है जिसमें योजनागत और गैर योजनागत दोनों ही राशियां शामिल हैं। अगर हम अगले 5 वर्षों के लिए परिकल्पना करते हैं तो यह केवल 25,000 करोड़ रुपए ही होगा जबकि आवश्यकता 1,31,000 करोड़ रुपए की है। इस प्रकार हम 2005 ईस्वी तक प्रत्येक को साक्षर बनाने का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकेंगे ?

अब मै इस वर्ष के बजट के बारे में कहना चाहूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि शिक्षा के लिए योजनागत और गैर योजनागत आवंटन 5,231.63 करोड़ रुपए है। यह सच है कि अगर हम इसकी पिछले वर्ष से तुलना करते हैं तो आवंटन में वृद्धि हुई है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह वृद्धि समय और स्थिति की आवश्यकता को पूरा कर सकेगी ? यही मुख्य प्रश्न है। सरकार लगातार यह कहती रही है कि वह प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने पर विचार कर रही है। अगर यह ऐसा करती है तो उन्हें इसके लिए आवश्यक आधार संरचना प्रदान करनी होगी; उन्हें उसके लिए विद्यालय प्रदान करने होंगे; उन्हें अन्य सभी चीजें भी प्रदान करनी होंगी। इस संबंध में सरकार की क्या योजना है ? उनके लिए बजट में क्या आवंटन है ?

[श्री समीक लहिरी]

मै इस बात से सहमत हूं कि संसाधनों की कमी है परंतु मैं यह बात वास्तव में नहीं समझ सकता; हो सकता है कि मैं इसे समझने के लिए अभी बहुत छोटा हूं। सरकार ने निगम कर को कम कर दिया है और इससे 5,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इससे कारपोरेट हाउसों को राहत मिल रही हैं। क्या सरकार इस अतिरिक्त राशि को उनके लिए नहीं लगा सकती ? उस राशि को उन पर लगाकर क्या वे इसे मानव संसाधन विकास पर नहीं खर्च कर सकते ? जिसकी प्रगति पर हमारा देश निर्भर है ? मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस स्थिति में है कि वह सी०एम०पी० में घोषित अपने आश्वासन को पूरा कर सकने की स्थिति में है ?

जहां तक अनौपचारिक शिक्षा का संबंध है, यह सच है कि इस वर्ष बजट में किया गया आवंटन लगभग दुगुना कर दिया गया है। परंतु हमारे देश के विशेषकर उत्तरी भाग में अनौपचारिक शिक्षा की वास्तविकता क्या है ? वहां कोई स्कूल नहीं है। अगर स्कूल हैं तो उसकी छतें नहीं हैं; अगर स्कूल और छतें हैं तो दीवारे नहीं हैं। अगर स्कूल छतें और अध्यापक हैं तो ब्लैक बोर्ड नहीं है। इसी प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा चल रही है। इसलिए सरकार द्वारा एक मज़बूत सतर्कता और मज़बूत निगरानी प्रणाली बनाई जानी चाहिए। इस संबंध में *पंचायतों* को भी शामिल किया जाना चाहिए। जब तक पंचायतों को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम स्थानीय संसाधनों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तक भी ले जाने में सफल नहीं हो सकेंगे।

एक अन्य बात मध्याह्न भोजन स्कीम के संबंध में है। यह 15 अगस्त 1990 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का लक्ष्य क्या है ? इसका लक्ष्य बच्चों की भर्ती, स्कूलों में छात्रों को बनाए रखना, उपस्थिति तथा साथ ही साथ बच्चों को पौष्टिक आहार देना है। परंतु इस वर्ष जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है मध्याह्न भोजन स्कीम पर खर्च की जाने वाली राशि अब कम कर दी गयी है।

परंतु मध्याह्न भोजन स्कीम के संबंध में वास्तविकता क्या है ? अगर भोजन है तो गाड़ी नहीं है; अगर गाड़ी है तो ड्राइवर नहीं है; अगर भोजन और गाड़ी है तो इसे बांटने वाला कोई नहीं है; अगर ऐसा सब कुछ किया जाता है तो कोई छात्र ही नहीं है। इस तरह की बातें हो रही हैं और जब तक हम इस संबंध में पंचायतों को शामिल नहीं करते तब तक इस स्कीम में हमें सफलता नहीं मिल सकती। एक अन्य बात बीच में ही शिक्षा छोड़ने वालों की है। यह बहुत ही गंभीर बात है। विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में और उत्तरी भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछले वर्गों में बीच में ही शिक्षा छोड़ने वालों की दर बहुत अधिक है। अब तक, छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में बीच में ही शिक्षा छोड़ने की दर बहुत अधिक है और मध्याह्न भोजन स्कीम के अतिरिक्त बीच में शिक्षा छोड़ने वालों पर रोक लगाने के लिए कोई और विशेष स्कीम नहीं है। सरकार को यह देखना चाहिए की बीच में शिक्षा छोड़ने वालों की समस्या का सामना कैसे किया जाए।

माध्यमिक शिक्षा के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को इस बजट से हैरानी है। माध्यमिक शिक्षा के आवंटन में काफी कमी की गई है। 1996 में बजट अनुमान 715.41 करोड़ रुपए था और संशोधित अनुमान 708.61 करोड़ रुपए था। 1997-98 में यह 684.29 करोड़ रुपए है। सरकार का अभिप्राय क्या है ? क्या वे माध्यमिक विद्यालयों को बंद करना चाहते हैं ? क्या उनका अभिप्राय माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को बढ़ाने का नहीं है ? सरकार का अभिप्राय क्या है ? इस कमी के पीछे क्या तर्क है ? इस कमी के पीछे किसी को कोई तर्क दिखाई नहीं देता। इसलिए, मैं सरकार से इस दिशा में भी ध्यान देने का अनुरोध करूंगा। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में किए जाने वाले आवंटन को कम न किया जाए।

मेरा अन्य विषय स्कूल शिक्षा के संबंध में है। प्रो० जसपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसने सिफ़ारिश की थी कि बच्चों के स्कूल के बस्तों का बोझ कम किया जाना चाहिए। महोदया, अगर आप स्कूल जाते हुए बच्चों को देखें तो आप यह नहीं समझ सकते कि किस तरह की शिक्षा चल रही है और हम उन्हें किस तरह की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की शिक्षा से वे बहुत अच्छे छात्र बनने के बजाए बहुत अच्छे कुली बन सकते हैं। वे बड़े-बड़े बस्ते उठाते हैं, जिसमें बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत सारे खाते होते हैं और एक ही विषय पर बहुत सारी कापियां और किताबें होती हैं। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में ही वे चार किताबें और तीन संदर्भ पुस्तकें लेकर जाते हैं। इस संबंध में सरकार क्या कर रही है ? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस बात का उत्तर जरूर देंगे।

एक अन्य बात प्राइवेट ट्यूशन है। यह प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक है। अब यह स्कूलों और कालेजों में भी हो गई है। अगर आप वहां जाएं तो आप देखेंगे कि क्लास रूम में एक भी छात्र नहीं है। क्यों ? *(व्यवधान)* यह संसद की तरह है। परंतु, हमें पढ़ाने के लिए कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं है। आप देखेंगे कि वहां कोई छात्र नहीं है और वे यही कहते हैं। "मेरा अपना ट्यूटर है, मैं उससे जाकर पढ़ लूंगा।" प्राइवेट ट्यूशन का भार कौन उठा सकता है ? छात्रों से 300 से 500 रुपए तक या 1000 रुपए तक लिए जाते हैं। हमारे देश के अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक योजना बनाई है।

अगर इसी तरह चलता रहा तब गरीब लोग कैसे शिक्षा पा सकेंगे? जहां तक विश्वविद्यालय की शिक्षा का संबंध है, वहां भी स्थिति बहुत खराब है। इस वर्ष कुल योजनागत आवंटन 359.10 करोड़ रुपए है और गैर योजनागत आवंटन 450 करोड़ रुपए है मुझे इसका कारण नहीं पता है। पिछले वर्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए गैर योजनागत क्षेत्र हेतु 465 करोड़ रुपए का आवंटन कियां गया था। इस वर्ष इसे कम करके 450 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके पीछे क्या तर्क है ? जब भारत में एक उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चर्चा हुई थी तो मैंने सरकार से विशेष रूप से क्या विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया था। आप नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करते हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु क्या यह राज्य विश्वविद्यालयों की कीमत पर होना चाहिए ? विभिन्न राज्य विश्व विद्यालयों की स्थिति क्या है ? निकट भविष्य में, छात्र अपनी-अपनी क्लासों में हेल्मेट पहनकर घुसेंगे क्योंकि छत कभी भी गिर सकती है। ऐसी स्थिति

इसलिए है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें धन नहीं दे सकता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों को और उप-नाटाकीय महाविद्यालयों को धन देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण बात शिक्षा का व्यवसायीकरण है। आज शिक्षा एक वस्तु बन गई है। आप इसे खरीद सकते हैं। इंजीनियरिंग कालेजों और मेडिकल कालेजों में भर्ती के लिए अंकों का आधार हो सकता है। परंतु जब तक आप धन नहीं देते तो आप ऐसे कालेजों में दाखिला नहीं ले सकते। लोगों को पांच से दस लाख रुपए तक देने पड़ते हैं, मानो बोलियां लग रही हों। जो लोग ज्यादा धन दे सकते हैं, वे दाखिला ले सकते हैं। यह सब क्या हो रहा है ? इस समस्या को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ? अगर यही चलता रहा तो गरीब बुद्धिमान छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कालेजों में किस तरह दाखिला ले सकेंगे ? मुझे रविंद्रनाथ ठाकुर की यह बात याद आती है :

"जहां मन में भय न हो, मस्तक ऊंचा हो और ज्ञान निशुल्क हो।"

'फ्री' का अर्थ है निशुल्क परंतु हमारे देश में जहां तक मेडिकल, इंजिनियरिंग और अन्य विश्वविद्यालय शिक्षा का संबंध है यह धन से आज़ाद नहीं है। यह व्यवसाय से आज़ाद नहीं है।

अब बहुत से व्यापारी शिक्षा के व्यवसाय में आ रहे हैं क्योंकि हमें शिक्षा नकद खरीदनी पड़ती है। आप इस तरह का व्यवसाय उधार नहीं दे सकते। हमें नकद खरीदना पड़ता है। इसलिए इसमें बहुत अधिक लाभ है। यह नकद फसल की तरह है। कृपया इसे रोकने के लिए कुछ करें। अन्यथा, पूरी शिक्षा प्रणाली का विनाश हो जाएगा। एक तरफ तो बहुत सारे अशिक्षित छात्र हैं। दूसरी तरफ विद्यालय में प्रवेश लेना बहुत कठिन है। अगर आपको किसी विद्यालय में प्रवेश मिलता है तो आपको 'शिक्षा छोड़ने वाले' छात्रों की कठिनाई को दूर करना होगा। अगर आप वह कठिनाई दूर कर देते हैं तो आपको स्कूल के बस्ते के भार का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने गुणों के कारण वह कठिनाई भी दूर कर सकते हैं तो आप तकनीकी संस्थाओं या अन्य कालेजों में दाखिला नहीं ले सकते। क्योंकि आपके पास धन नहीं है।

महोदया, इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरी शिक्षा प्रणाली, जहां तक शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्रश्न हैं, जहां तक वर्ष 2005 तक पूर्ण साक्षरता लाने का प्रश्न है। और जहां तक शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के आवंटन का प्रश्न है, की समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है कि संयुक्त मोर्चा सरकार लोगों के विकास विशेषकर गरीब लोगों के विकास के लिए वचन बद्ध है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार इसकी जांच करेगी।

मैं आशा करता हूं कि सरकार और माननीय मंत्री इस वर्तमान प्रणाली की पूरी जांच करेंगे। यह एक ऐसी प्रणाली है जो हमें वास्तव में दुख देती है; यह एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे सिर शर्म से झुका देती है। मैं इस आशा के साथ समाप्त कर रहा हूं कि सरकार इस प्रणाली को बदलने की कोशिश करेगी। माननीय सभापति महोदया, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : धन्यवाद, सभापित महोदया, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, भारत में विद्यमान संस्थाओं को नए नाम देने का बहुत शौक हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने शिक्षा मंत्रालय को एक नया नाम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया। स्वर्गीय राजीव गांधी भारत को बहुत तेजी से 21वीं सदी में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हम सभी बहुत खुश हैं कि इस मंत्रालय को एक नया नाम दिया गया है। अब भारत में रहने वाले लोग, स्कूलों तथा कालेजों में शिक्षा के लिए जाने वाले छात्र न केवल विकास के एक साधन के रूप में बल्कि इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बदले जाने के बाद अच्छे मानव के रूप में विकास के लिए भी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

महोदया, दुर्भाग्यवश श्री पी०वी० नरसिम्हा राव उन्होंने उससे पहले अपनी सत्ता खो दी थी अब यहां नहीं हैं। बाद में वे भारत के प्रधान मंत्री बन गए। वे अपने शासन में मानव संसाधन विकास मंत्री थे। एक वर्ष से भी कम समय में हमने दो प्रधानमंत्री देखे हैं। अब समय आ गया है कि हम देखें कि शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखने के बाद से वास्तव में क्या हुआ।

महोदया, जब से यह नाम बदला गया है, क्या इससे देश का वास्तव में कोई विकास हुआ है ? मैं समझता हूं सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। हमें यह देखना होगा कि उस समय निर्धारित उद्देश्य — जब इस मंत्रालय का नाम बदला गया था — पूरे कर लिए गए हैं या नहीं; क्या इससे लोगों को वास्तव में लाभ हुआ है या नहीं? वार्षिक रिपोर्टों या दैनिक जीवन के परिणामों में हम यह देखते हैं कि हमें इससे वह प्राप्त नहीं हुआ जो हम इससे प्राप्त करना चाहते थे।

इन दिनों हम नई आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं। इस नई आर्थिक नीति में हम अर्थ व्यवस्था के विकास के एक साधन के रूप में आधार-भूत संरचना के विकास की बात कर रहे हैं। हमें सड़कों, पुलों, विद्युत उत्पादक इकाइयों, रेलवे और इसी तरह की वास्तविक आधार-भूत संरचनाओं की आवश्यकता है। ये चीजें वास्तव वमें आवश्यक हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार भारत को इस समय विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 200 मिलियन डालर के आवंटन की आवश्यकता है। क्या हम विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को एक आधारभूत संरचना समझते हैं ? परंतु इसे विकास के लिए एक आवश्यक आधारभूत संरचना समझने में यह विफल हुआ है— विश्व बैंक की बात क्या करें, पूरा देश ही विफल हुआ है। विश्व बैंक तो एक छोटा सा उदाहरण है — और इन क्षेत्रों में जितनी निधि प्रदान की जाती थी उतनी नहीं दी गई है।

सभापति महोदया, हमारे देश के कुछ भागों में प्लेग फैला था और

[श्री सुरेश प्रभु]

देश के पूरे आर्थिक कार्यकलाप लगभग ठप्प पड़ गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था कि सूरत जैसे छोटे शहर में स्वास्थ्य का कोई संकट आ गया था और इससे देश की आर्थिक व्यवस्था ठप्प पड़ गई थी। यहां तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र में निवेश की कमी से आने वाले समय में आर्थिक संकट आ सकता है।

महोदया, यही समय है जब साझा न्यूनतम कार्यक्रम में विकास के एक मापदंड के रूप में आधारभूत संरचना के निवेश की बात की गई है जो मैं समझता हूं कि वे देश के विकास के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करेंगे।

महोदया, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रांतशत निवेश करने की बात कही गई है। उस दिन सामान्य बजट पर चर्चा करते हुए माननीय वित्त मंत्री – भाग्यवश वे फिर वित्त मंत्री के रूप में वापस आए – ने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में केवल केंद्रीय स्तर पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6 प्रतिशत की बात नहीं कही गई है। इसका अर्थ है कि इस कार्यक्रम में शिक्षा पर कुल निवेश के बारे में न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार द्वारा भी निवेश किए जाने के बारे में कहा गया है और पूरी राशि को शिक्षा के विकास के लिए खर्च किए जाने के संबंध में कहा गया है। जब मैं इसे फिर पढ़ता हूं तो मुझे उसमें वह पैराग्राफ बिल्कुल दिखाई नही देता। मैंने उस समय भी कहा था कि 'ऐनिमल फार्म' की तरह लिखे गए घोषणा पत्र की तरह इसमें भी कई शर्तें थीं। संभवतः न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6 प्रतिशत के निवेश का पता लगाने के उद्देश्य से शिक्षा में राज्य द्वारा निवेश किए जाने की एक और शर्त लगाई गई हैं संभवतः ये वे आंकडे हैं जिनका प्रयोग जनता और शिक्षा प्रणाली का संबंधित मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए किया जाता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभाग हैं जिनके विभिन्न कार्य हैं। उनमें से एक शिक्षा विभाग है। हम देखते हैं कि सरकार की विभिन्न स्कीमें और विभिन्न कार्यक्रम हैं जिनके आधार पर शिक्षा पद्धती बनाई जाती है। शिक्षा की वास्तविक नींव प्राथमिक शिक्षा है। शिक्षा के तीन स्तर हैं। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इस संबंध में कई मतभेद हैं कि सरकार किसको वरीयता दे और किसमें अधिक निवेश करें। जैसा कि हम जानते हैं, यद्यपि हम सकल घरेलू उत्पादन के 6 प्रतिशत की बात कर रहें हैं। अगर पूरी राशि भी खर्च कर दी जाती है फिर भी हम शिक्षा के इन तीनों स्तरों के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें वास्तव में मूल नींव अर्थात् प्राथमिक शिक्षा पर ज़ोर देना चाहिए। मुझे खुशी है कि अब सरकार इस दिशा में सोच रही है। विभिन्न समितियां थीं, मेरे कहने का अर्थ है कि कम से कम 20 से ज्यादा समितियां थीं जिनका लगातार यह कहना था कि प्राथमिक शिक्षा पर ज़ोर दिया जाना चाहिए और माध्यमिक या उच्च शिक्षा पर उतना नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि "अगर सरकार केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित करती है तो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा नामक शिक्षा के दो अन्य भागों पर कौन ध्यान देगा ?"

मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे एक माननीय साथी ने इस विषय पर बोलते हुए सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षिक किया था। अब समय आ गया है कि सरकार एक ठोस नीति के साथ, चाहे श्वेत पत्र हो, सामने आए कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा नामक इन त्यागे हुए बच्चों की देख-रेख कौन करेगा ? क्या यह कार्य निजी क्षेत्र करेगा ? यदि हां, तो किस कीमत और किन शर्तों पर इन एजेंसियों और संस्थाओं की भूमिका को कौन नियंत्रित करेगा? इन संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का स्तर कौन सुनिश्चित करेगा? सरकार इसे पूरा करने के लिए कौन सा तरीका सुनिश्चित कर रही है। अब समय आ गया है कि सरकार इस संबंध में कोई नीति बनाए।

चालू वर्ष 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा आवासीय प्राथमिक स्कूलों पर 25 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाती है। सरकार का लक्ष्य इस देश के 100 जिलों में यह राशि खर्च करने का है। अगर आप 25 करोड़ रुपया 100 जिलों में खर्च करते हैं तो प्रत्येक जिले को 25 लाख रुपया मिलेगा जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की इस बड़ी आवश्यकता को कितने घरेलू स्कूल पूरा करने वाले हैं तथा इसे किस तरह पूरा किया जाएगा ? सरकार को यह स्पष्ट करना होगा। कि यह राशि किस तरह खर्च की जाएगी।

मैं यहां संसद में कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र का नाम राजापुर है परंतु इसमें दो जिले हैं। सिंधुदुर्ग जिला एक ऐसा जिला है जिसे महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया था। हमें यह कहते हुए मान और गर्व का अनुभव हो रहा है। यह पहला जिला था जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया था, लातूर को नहीं।

श्री शिवराज बी० पाटिल (लातूर) : मै उसका दावा नहीं कर रहा हूं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, यह पहला जिला था जिसे राज्य का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया था। परंतु मुझे यह देखकर हैरानी हो रही है कि इस जिले को आवासीय प्राथमिक शिक्षा स्कीम के लिए इन 100 जिलों में शामिल नहीं किया गया है। मुझे इस बात में कोई तर्क नहीं दिखता कि जो जिला इस बात का दावा करता है और यह कहने का गर्व करता है कि वह राज्य का पहला पूर्ण साक्षर जिला है तो उस जिले को ऐसा होने की सजा क्यों दी जानी चाहिए और स्कीम में क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि सरकार की नीति अच्छे और कार्य करने वाले जिलों को सजा देने की है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : उस स्कीम के अंदर किसी जिले को मंजूरी नहीं दी गयी है।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि इसे शामिल किया जाएगा।

श्री एस०आर० बोम्मई : हो सकता है।

श्री सुरेश प्रभु : धन्यवाद महोदय। इस पूर्ण साक्षर जिले से उठने

वाली एक अन्य बात यह है कि जब हमने यह साक्षरता अभियान चलाया था तो देश में कई जिले और क्षेत्र ऐसे थे जो पूर्ण साक्षरता स्तर तक पहुंच गए थे। प्रश्न यह है कि जब हम लोगों को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए बहुत सा धन, ऊर्जा, ध्यान और समय लगाते हैं तो कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जाती और वे सभी लोग जो कुछ समय के लिए साक्षर बन जाते हैं अब फिर निरक्षर बन रहे हैं। कार्यात्मक साक्षरता उन लोगों के लिए कुछ ही समय की थी। अब वे पुनः निरक्षर बन रहे हैं। जो धन हमने खर्च किया, जो सम्मान हमें मिला, जो तस्वीरें अखबारों में छपीं, समाचार पत्र यह कहने में गर्व महसूस करते थे कि कोई मंत्री पूर्ण साक्षर लोगों को पुरस्कार वितरित करता रहा है जो अब उस प्राप्त पुरस्कार को भी नहीं पढ़ सकते, अब सब व्यर्थ हो गया है। ऐसा इसलिए है कि उन्हें कुछ समय के लिए साक्षर बनाया गया था परंतु कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई जिससे अनुसंधानों पर खर्च किया गया धन व्यर्थ चला गया। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच करें और कोई अनुवर्ती कार्यवाही की पद्धति अपनाएं जिससे इस स्कीम में पद्धति स्वयंमेव शामिल हो और उसपर पहले खर्च किया गया धन बेकार न जाए तथा लोग कुछ समय के बाद फिर से निरक्षर न बनें।

महोदया, सरकार की एक बड़ी योजना श्रमिक विद्यापीठ है। मैं वास्तव में कुछ नया काम करने के लिए मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करती हैं जो लोग स्कूलों और कालेजों में नहीं जा सकते या वास्तव में जिन्हें स्कूलों और कॉलेजों में जाना चाहिए था वे श्रमिक विद्यापीठ जाते हैं। उन्हें विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसकी उस क्षेत्र में वास्तव में आवश्यक है। मैं समझता हूं यह एक बहुत अच्छी स्कीम है। जो राशि हमने इस स्कीम के लिए निर्धारित की है उसे इस वर्ष से बढ़ा भी दिया गया है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परंतु उन्हें इन क्षेत्रों की कुछ स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करने की कोशिश करनी चाहिए और संभवतः उन्हें कोई सीधा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उनका रवैया बहुत लचीला होना चाहिए जिससे जहां भी जरूरी हो अधिक राशि खर्च की जा सके। जिससे ऐसी कठिन स्कीम न बनाई जाए जिसके द्वारा अधिक लोगों को लाभ नहीं हो रहा है।

महोदया, मुझे शिक्षा पद्धति की विभिन्न बुराइयों पर नहीं बोलना चाहिए परंतु एक भूतपूर्व छात्र होने के नाते स्कूलों और कालेजों में पढ़ने के कारण कभी-कभी मुझे वास्तव में हैरानी होती है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है ? महोदया, आप शिक्षा का अर्थ हम से अच्छी तरह जानती हैं क्यों कि आप इससे बहुत पहले स्कूल गई थी। हम सोचते थे कि शिक्षा का अर्थ किसी प्रकार की वृद्धि कि प्राप्ति है परंतु अब हमें यह बताया गया हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना है। मैं समझता हूं कि यह ज्ञान बहुत ही सीमित है। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको एक डिग्री मिलती है जो कोई काम लेने के लिए बनी होती है। इसलिए आखिर में हमने इस शिक्षा को कार्य बाजार में कुछ उत्पाद कार्य प्राप्त करने का एक साधन बना लिया है जिसमें अब भीड़ बढ़ती जा रही है। महोदया, इसलिए क्या आप हमारी पुरानी मूल्य प्रणाली को भूल गई हैं जिसके द्वारा हम अपने समाज में बुद्धि लाने के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा देना चाहते थे ? मैं यही चाहता हूं कि सरकार ऐसा ही करें। शिक्षा का अर्थ काम प्राप्त करने के लिए केवल डिग्रियां देने तक ही सीमित नहीं है। इसलिए यही समय है जब हम चाहते हैं कि शिक्षा की कई सतहें हों। शिक्षा के कई क्षेत्र हों, ज्ञान और बुद्धि को वास्तव में जानने वाला किसी खास स्कूल और कालेज था विश्वविद्यालय जाएगा। जो लोग वास्तव में कार्योन्मुखी प्रशिक्षण चाहते हैं वे किसी खास प्रकार की संस्था में जाएंगे और जो लोग बी०ए० या बी०काम० या बी०एस०सी० के स्तर की शिक्षा नहीं पा सकते वे व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान में जाएंगे। इस तरह विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणाली को अलग-अलग निर्धारित किया जाना चाहिए। हमने इसे एक उलझे हुए तरीके से किया हैं हमने विभिन्न संस्थाएं बनाई हैं परंतु हमने प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक इसे अलग-अलग निर्धारित नहीं किया है। इसकी अनुपस्थिति में किसी को भी इस बात की उलझन हो सकती है कि वास्तव में शिक्षा का अर्थ क्या है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह एक स्पष्ट कार्यक्रम बनाए।

महोदया, महिलायों की समस्या आपके दिल को भी बहुत छूती है। आपने एक विधान लाने की बहुत कोशिश की थी परंतु दुर्भाग्य से यह सदन में अभी तक नहीं आ सका है। मेरे संसदीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का साठ प्रतिशत है। इसलिए, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मुझे पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं ने चुना है।

मैं समझता हूं कि यह मेरा कर्त्तव्य है कि आपके ध्यान में यह बात लाई जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि हूं जहां महिलाओं को शिक्षा दिये जाने में विशेषता प्राप्त है बहुत अच्छी संस्थाएं नहीं हैं जिनकी अनुपस्थिति में महिलाओं में साक्षरता उतनी अधिक नहीं है तथा इसीलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि प्राथमिक स्कूल और कुछ अन्य स्तर के आवासीय स्कूल जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, लड़कियों के लिए विशेष स्कूल होने चाहिए जिससे उनकी ओर वास्तव में ध्यान दिया जा सके।

सरकार की जिला प्राथमिक परियोजना के लिए चालू वर्ष के दौरान 650 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को यह स्मरण कराना चाहूँगा कि उनके बजट दस्तावेज में वास्तव में उस कार्यक्रम के, जो वे लाना चाहते हैं, तथा जो राशि वे खर्च करना चाहते उसके ब्यौरे नहीं हैं। अगर वे हमें इस संबंध में कुछ बता सकें तो बेहतर होगा।

वर्ष 1996-97 के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार संबंधी सहायता हेतु अनुदान सं० 2202 के अंतर्गत 1400 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। इस सबके बारे हम बहुत खुश हैं। वास्तव में इसका श्रेय सरकार को भी जाना चाहिए। परन्तु संशोधित अनुमानों को कम करके 800 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इसमें 600 करोड़ रुपये की कमी आई है और हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। हम यही महसूस कर सकते हैं कि पोषक आहार की आवश्यकता वाले लोगों की कमी हो गई है या पौष्टिक आहार की मांग में कमी हो गई है या सरकार उन लोगों तक नहीं पहुंच सकी है जिन्हें इसकी वास्तव में आवश्यकता है। हमें यह बात जानने की आवश्यकता हैं चालू वर्ष में, 960 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मैं समझता हूं जब सरकार 1400 करोड़ रुपये के इस आंकड़े को लेकर सामने आती है तो ऐसे बच्चों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें ऐसे पौष्टिक

[श्री सुरेश प्रभु]

आहार की आवश्यकता है जिससे वे स्कूल खाली पेट न जाएं बल्कि आहार की चिन्ता किए बिना स्कूल जाएं। परन्तु अब इस राशि में इस शिक्षा का वास्तव में अर्थ है कि उन लोगों से संपर्क नहीं हो सकेगा जिन्हें इस प्रकार की सहायता की वास्तव में आवश्यकता है।

सभापति महोदय, शिक्षा को विश्व व्यापी बनाने की एक स्कीम है। इसके लिए 35 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं जिससे पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्कूल जाने पर बाध्य किया जा सके। जब मैं इसका अर्थ पढ़ता हूं तो मुझे यही समझ आता हैं परन्तु जब आप यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने पर विचार करते है कि इस स्कीम का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है तो सरकार द्वारा इसमें कोई विधायी परिवर्तन नहीं किया जाता। क्या सरकार विद्यमान विधायी ढ़ांचे में ऐसी स्कीम को जबर्दस्ती कार्यान्वित कर सकती है या सरकार को नए विधायी उपायों को कार्यान्वित करने या लाने की आवश्यकता है ? अन्यथा, इस स्कीम का भी वही हश्र होगा जो अन्य स्कीमों का हुआ है जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है।

महोदया, शिक्षा का व्यावसायिकरण एक अन्य अच्छी स्कीम थी जिसके संबंध में मेरे कुछ माननीय साथियों ने पहले ही कहा हैं मैं आपसे यह कहूँगा कि हम केवल एक ही स्कीम को लागू न करें और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यह स्कीम किसी विद्यार्थी को प्रमाण पत्र दिए जाने तक ही सीमित रहे। बल्कि इसके लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

हम कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं और कुछ अन्य संस्थाओं को इसमें शामिल कर सकते हैं जो इस काम को कुछ आगे बढ़ा सकते हैं और सम्भवतः यह हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो वह अपना कुछ काम शुरू कर सकता है और कुछ धन प्राप्त करके गैर-सरकारी संस्थाओं या बैंकों या कुछ अन्य संस्थाओं की सहायता से, अपने प्रशिक्षण से आगे कुछ ठोस काम शुरू कर सकता है।

हमारे देश में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं और सम्भवतः हम उनके नाम पढ़ कर खुश हो सकते हैं। एक ऐसी संस्था है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान।

संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। परन्तु कभी-कभी हमें तब बहुत दुःख होता है जब हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि संस्कृत का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह तो बहुत देर से कही गई बाते है परन्तु शायद संस्कृत को बहुत से राज्यों के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जा सकता था और शायद इससे बहुत सी समस्याएं भी सुलझ सकती थी। परन्तु कई बार इससे मामले बहुत राजनीतिक रूप ले लेते हैं और यह अवधारणा हमें अच्छी नहीं लगती। परन्तु मलयालम की जननी भी तो यही भाषा है। मेरे विचार से ज्ञान के विस्तार की समान अवधारणा राष्ट्रीय एकता पैदा करने का यह प्रभावशाली माध्यम बन सकती है। मेरे विचार से सरकार को इस पर अधिक धन खर्च करना चाहिए। व्यय का मुख्य शीर्ष बनाने की अपेक्षा एक ऐसा शीर्ष होना चाहिए, जिस पर सरकार अधिक ध्यान दें।

महोदया, मेरा अनुरोध यह है अब समय आ गया है कि जब मैं श्वेत-पत्र के बारे में बात कर रहा हूं, वे एक नई शिक्षा नीति की घोषणा करें। हमारी शिक्षा नीति हो और समितियां ही नियुक्त की जाती रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद इन सब समितियों ने पहले ही अपनी सिफारिशें दे दी है। एक व्यक्ति सब काम छोड़ कर, रिपोर्ट के मुद्दों का अध्ययन करे और एक नीति बनाए। हम स्कूल या कालेज जाते है और साल पूरा होने पर हम परीक्षा में बैठते हैं। पूरे साल की मेहनत का दारोमदार परीक्षा मात्र पर ही होता है। शायद परीक्षा की प्रक्रिया भी एक परिहास बनके रह गयी है क्योंकि वे उस वातावरण में नहीं करवाए जाते, जिस वातावरण में करवाए जाने चाहिए। परन्तु क्या हम ऐसी कोई प्रणाली नहीं बना सकते जिसमें कोई विद्यार्थी स्कूल या कालेज जाए, कोई विशेष विषय पढें; और तुरन्त उसी विषय पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे ताकि उस विशेष अवधि में उसने जो कुछ पढ़ा हो, वह उसके दिमाग में समा जाए, उस ज्ञान को जिसे वह मात्र परीक्षा की अवधि में तैयार करता है। क्या हम किसी ऐसी अवधारण पर विचार नहीं कर सकते जिसमें सरकार ऐसी नीति बनाए और इसे श्वेतपत्र की नीति के एक भाग के रूप में शामिल करें।

शिक्षा के सम्बन्ध में जो अन्तिम मुद्दा मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें कि विश्वविद्यालयों शोध संस्थानों और उद्योगों में परस्पर समन्वय, हो। वे एक दूसरे से विपरीत उद्देश्यों के लिए कार्य नहीं कर सकते। वास्तव में शिक्षण संस्थाओं और प्रणाली के विकास के लिए हम हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण देते हैं। परतु हम देखते हैं कि देश में इस विषय पर भारी विभिन्नता है और मुझे लगता है कि हमें इस महत्वपूर्ण मामले में उचित समझ-बूझ होनी चाहिए।

मैंने पहले ही कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक नोटिस दिया है जो मैं बाद में पेश करूँगा, परंन्तु मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर इस लिए बात कर रहा हूं क्योंकि यह विषय मेरे सुयोग्य मित्र को बहुत प्रिय है जो विभिन्न खेलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। मैं एक संस्था का भी प्रतिनिधि हूं। मैं खेल प्रशासक हूं, इसीलिए मैं इस विषय पर बोल रहा हूं। शायद उससे बहुत कम जो भी खेल जगत में गलत हो रहा है।

महोदया, इस वर्ष हम भारतीय स्वतन्त्रता की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं। अभी तक मुझे यह नहीं पता कि हम यह समारोह 15 अगस्त से शुरू करेंगे या वह समापन वाला दिन होगा। वास्तव में यह इसलिए है क्योंकि यहां कुछ कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं जो भारत की स्वतन्त्रता के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किये जाने वाले कार्यक्रमों का भाग हैं। यदि यह 200 करोड़ रुपये एक वर्ष की अवधि में खर्च किए जाने हैं तो यह इस तरह नहीं खर्च किए जाएं कि किसी व्यक्ति को यह अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा जा रहा है कि वहां पर लोग भारतीय स्वतंत्रता को किस दृष्टि से देखते हैं अपितु यह एक वास्तविक यादगार आयोजन होना चाहिए ताकि वह 200 करोड़ रुपये हमेशा के

लिए लोगों को याद रहें। तो क्या सरकार इस विषय पर कोई नीति बनाने और संसद को इस बारे में विश्वास में लेने का विचार रखती है कि यह दो सौ करोड़ रुपये किस तरह खर्च किये जाएंगे। इस दिशा में मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के लिए आधारभूत ढ़ाचा बनाए जाए।

सभापति महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र को यह श्रेय प्राप्त है कि उसमें देश के अथवा संसार के श्रेष्ठ खिलाड़ी पैदा हुए हैं। श्री सचिन तेन्दुलंकर श्री सुनील गावस्कर, श्री विनोद काम्बली, श्री दिलीप वेंगसरकर सब इसी क्षेत्र के तो हैं। बेंशक, इसलिए तो आपको श्रेय देना चाहिए—उन्हें मुझे नहीं। परन्तु यह खिलाड़ी उस क्षेत्र में पैदा हुए है जहां खेलों की कोई सुविधा नहीं। क्या यह 200 करोड़ रुपये उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रयोग किये जा सकते हैं जहां से वास्तविक मेधावी व्यक्ति पैदा हुए हैं ? तो क्या हम इन ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के लिए वास्तविक आधारभूत ढ़ाचा खड़ा करने के लिए इन दो सौ करोड़ रुपयों का उपयेाग कर सकते हैं ?

इस वर्ष हम 125 करोड़ रुपये युवा मामलों पर खर्च करने जा रहे हैं। 95 करोड़ लोगों के देश में यदि यह परिहासजनक कार्य नहीं तो इस देश के युवा लोगों के साथ क्रूर मज़ाक है। हम हमेशा अपने देश के युवाओं की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि वे नशीली दवाओं के आदी हो गए हैं। इन युवाओं की संख्या दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही है जो एड्स से प्रभावित हैं परन्तु क्या हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त काम करते है कि वे अपने आपको रचनात्मक और उत्पादक कार्यों में लगाएं और उस युवा शक्ति को अच्छी देख भाल करे जो प्रभाव समाज की रीढ़ है।

महोदया, मुझे सौभाग्य से जी०डी०आर, जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसे पूर्वी जर्मनी के नाम से जाना जाता है और वहां कोने-कोने मे हजारों युवा-क्लब देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।

सभी बस्तियों में एक युवा क्लब था जिसमें उस देश के युवाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं थी। आजकल युवा मामलों और खेलों सम्बन्धी विभाग नौकरशाही के अतिरिक्त कुछ नहीं है और उस नौकरशाही का भी जो युवा है परन्तु जिनको अपनी युवा-अवस्था बिताये बहुत साल हो गए हैं। क्या हम युवा मामलों को एक ऐसी गतिविधि के रूप में नहीं ले सकते जो युवा शक्ति के प्रति पूर्णतया समर्पित हो इसकी बजाय कि वह सरकारी किताबों में एक अलग शीर्ष मात्र बन कर रह जाए। हमें इसे युवाओं को एक शक्ति के रूप में विकसित करने के प्रति एक वचनबद्धता के रूप में लेना चाहिए।

महोदया, पूरे देश में मात्र 49 युवा-होस्टल है जिनमें केवल एक महाराष्ट्र में है। सात आठ करोड़ की जनसंख्या वाले महाराष्ट्र में कुल 49 में से केवल एक होस्टल। मेरे विचार से आपको ऐसी विसंगतियां दूर करनी चाहिए और महाराष्ट्र राज्य में और होस्टल बनाने को बढ़ावा देना चाहिए। होस्टल तो अन्द राज्यों में भी होने चाहिए परन्तु इतनी अधिक जनसंख्या वाले राज्य की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

नेहरू युवक केन्द्र, शुरू किए गए हैं जो कि प्रशंसनीय कार्य है। हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन युवक केन्द्रों में खर्च किया 80% धन वेतन और प्रशासन के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर खर्च किया जाए। केवल तभी इस तरह की गतिविधियों को बनाए रख सकते हैं।

महोदया, जल्दी से संस्कृति विभाग के बारे में उल्लेख करने के बाद मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। संस्कृति विभाग ने श्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट तैयार की है जो कोई भी विभाग कभी कर सकता हैं मैं मंत्री जी को और ऐसी अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बधाई देता हूं। वास्तव में यह रिपोर्ट अन्य विभागों को भेजी जानी चाहिए ताकि उन्हें भी यह पता चले कि ऐसी रिपोर्ट कैसे बनाई जाती हैं परन्तु ऐसी प्रतिभा जो मंत्रालय के अन्दर ही उपलब्ध है, उसका उपयोग वर्ष के अन्त में आज रिपोर्ट तैयार करने के समय ही नहीं प्रयोग की जानी चाहिए अपितु वर्ष भर में भी ऐसी गतिविधियां जारी रखने में इसका प्रयोग होना चाहिए। संस्कृति विभाग को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए अपितु और भी अच्छी रिपोर्टें तैयार करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। और हर समय अच्छी गतिविधियां जारी रखनी चाहिए।

ऐसी बहुत सी लोक-कलाएं हैं, जिन पर हमें गर्व हैं, जो जिन्दा रही हैं और जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अतिक्रमणों के बावजूद जिन्दा रही हैं और जिनका लोग अभी भी अभ्यास कर सकते हैं और वे अभिलिखित नहीं हैं।

मैं केवल एक उदाहरण दूंगा दशावतार का जो कि महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले की प्रचलित लोक कला है। यह 550 वर्षों तक अनेक हमलों को झेलने के बाद भी ज़िदा है। वास्तव में, यक्षगान, जो कि बहुत प्रचलित और मशहूर है, कि उत्पत्ति दशावतार से हुई है और मैं यह समझता हूं कि प्रलेखन केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को हमेशा के लिए नुकसान होगा और वास्तव में सांस्कृतिक विभाग को इस पहलु पर विचार करना चाहिए।

महोदया, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा, मुझे विश्वास है कि जिसका संबंध आपसे भी अवश्य होगा, वह है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। वर्ष 1861 में इसका गठन किया गया। यह देश में 3,593 स्मारकों की देख-रेख का कार्य करता है। लेकिन जब हम ऐसे स्मारकों पर जाते हैं, तो वहां पर लगे बोर्डों से ही यह पता चलता है कि उनकी देख-रेख ए०एस०आई० द्वारा की जा रही है, और वह भी अनेक लोगों द्वारा पढ़ा नहीं जाता। क्या हम इन महत्वपूर्ण स्मारको के रख-रखाव के लिए वास्तव में इतने गंभीर हैं जो कि हज़ारों वर्षों से भारत में विद्यमान है ? मैं यह कहूँगा कि इन प्राचीन स्मारकों का उसी पुराने तरीके से रख-रखाव न करना और उनकी पुरानी शान को न बनाए रखने से इन स्मारकों के प्रति सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैये का पता चलता है। हमें उन पर पर्याप्त धन खर्च करना चाहिए और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन्हें ऐसी संस्थाओं को सौंप दिया जाए जो इनके रख-रखाव की जिम्मेवारी ले सके। उनमें से कुछ स्मारकों का रख-रखाव पर्यटको को आकर्षित करने के उद्देश्य से भी किया जा सकता है और उसका रख-रखाव और अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। सरकार यह सुनिश्चित

[श्री सुरेश प्रभु]

करने के लिए नियंत्रक की भुमिका भी अदा कर सकती है कि यह संस्थाए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करती हैं।

मैं यह जानकर हैरान था कि यहां 3593 संरक्षित स्मारक है। यहां असंरक्षित स्मारक भी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमें इन दोनों के बीच अन्तर बताया जाए क्योंकि तभी हम अनुमान लगा सकते हैं कि संरक्षित स्मारकों का वास्तव में सरकार द्वारा संरक्षण किया जा रहा है और इस स्मारक के साथ हो सकने वाली किसी भी घटना के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। यदि माननीय मंत्री हमें और इस राष्ट्र को यह बता सकें तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि इन स्मारकों की सही तरीके से देखभाल की जा रही है।

महोदया, मैं चर्चा के अन्तिम मुद्दे पर हूं।

श्री ए०सी० जोस (इंदुकी) : आप अच्छा बोल रहे हैं। कृपया जारी रखिए।

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, सांस्कृतिक विभाग को यूनेस्को के साथ संपर्क रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि कुछ स्मारको का रख-रखाव जिनको उनके उपयुक्त रख-रखाव के लिए यूनेसको को दिया गया था, उनका उचित रख-रखाव नहीं किया गया है। वास्तव में, यूनेस्को ने ऐसे स्मारकों के रख-रखाव के लिए न केवल वित्तीय बल्कि तकनीकी सहायता देने की पेशकश की है। एक बार ऐसा हुआ था कि जापान सरकार ने गया, बिहार में कुछ स्मारकों के रख-रखाव के लिए कुछ धनराशि देने की पेशकश की थी। लेकिन शायद बिहार सरकार तथा केन्द्र सरकार उस समय किसी अन्य कार्य में व्यस्त थी। अतः उनको इन पहलुओं पर गौर करने का समय नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करें कि इन सब स्मारकों का रख-रखाव उचित तरीके से हो रहा है और यूनेस्को कार्यक्रम को उपयुक्त तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग को अफसरशाही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देश में 1,000 से अधिक यूनेस्को क्लब हैं। आपको इन्हें इस महत्वपूर्ण पहलू की कार्यप्रणाली में शामिल करना चाहिए।

धन्यवाद। महोदया, मुझे खेद है यदि मैंने अधिक समय लिया हो।

सभापित महोदय : अब श्री अजय चक्रवर्ती बोलेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे संक्षेप में बोले।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सभापति महोदया, चेतावनी देने वाली घंटी के बजने से पहले ही मैं अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। शिक्षा संस्कृति, खेल तथा अन्य क्षेत्रों में व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इस मंत्रालय का गठन किया गया था। इस संबंध में सभी एकमत होंगे कि शिक्षा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। उचित शिक्षा के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि शिक्षा नहीं होगी, तो प्रगति नहीं होगी। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र को उपयुक्त तथा पर्याप्त बजटीय समर्थन नहीं मिल रहा है। शिक्षा, खेल, संस्कृति तथा अन्य क्षेत्रों को अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए।

मुझ पर यह कहने के लिए ज़ोर डाला जा रहा है और मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बाद भी हमारे देश के अनेक लोग – हमारे देश के लगभग 50 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। अविकसित पिछड़े हुए क्षेत्रों के अधिकतर लोग और पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले, निर्धन वर्ग तथा निर्धनतम लोग निरक्षरता के अधंकार में रह रहे हैं। न केवल वही, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया था। यदि आप सर्वेक्षण करें तो निश्चय ही आप भी यह राय कायम कर लेगें कि हमारे संविधान निर्माताओं के लक्ष्य तथा उद्देश्य हमें बिल्कुल पूरे नहीं हुए हैं।

अब शिक्षा स्वास्थ्य की तरह खरीदी जाने वाली वस्तु बन गई है। कुछ मंत्री, कुछ संसद सदस्य और धनी वर्ग के लोग ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। यही शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है। धनी और उच्च-मध्यम वर्ग के लड़के और लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास महंगी पुस्तकें खरीदने की वित्तीय क्षमता है। पुस्तकों की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ रहीं हैं।। वे अनेक विषयों में प्राइवेट ट्यूशनें लेने की क्षमता भी रखते हैं। यदि हम स्कूल के स्तर से विश्वविद्यालय के स्तर तक अच्छे परिणाम चाहते हैं तो यह हमारा अनुभव है कि हमें महंगी पुस्तके खरीदनी पड़ती है और स्कूल के स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक प्रत्येक विषय के लिए निजी तौर पर ट्यूशनें पढ़वानी पड़ती।

अपराह्न 5.00 बजे

बिना किसी पर लांछन लगाए, विशेषकर हमारे देश के अध्यापक वर्ग तथा डाक्टरों पर, मैं यह कहना चाहूंगा कि डाक्टर अस्पतालों में सही तरीके से कार्य करने की बजाए निजी पेशे में अधिक रूचि लेते हैं। सामान्यतः, अध्यापक भी स्कूलों, कालिजों, तथा विश्वविद्यालयों में सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि वे निजी तौर पर घरों में ट्यूशन पढ़ाने में अधिक रूचि रखते हैं। लेकिन सभी अध्यापकों की यह स्थिति नहीं है और केवल कुछ ही अध्यापक इस तरह का कार्य कर रहे हैं। इसलिए, समाज के धनी वर्ग के लड़के और लड़कियां ही शिक्षा खरीद सकते हैं। समाज के गरीब वर्ग के बच्चे जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। और वे बच्चे जो पिछड़ वर्ग तथा पिछड़ क्षेत्र से संबद्ध है, वह स्कूल जाने की बजाए खतरनाक उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। वे अपने बचपन में स्कूल नहीं जा पाते।

उद्योगों की तरह, विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का भी निजीकरण हो गया है। बड़े-बड़े औद्योगिक घराने ओर बड़े व्यापारी लोग स्कूलों की स्थापना कर रहे हैं। वे शहरों और कस्बों में स्कूलों की बड़ी-बड़ी इमारतें बनाते हैं और अपने स्कूलों और कालेजों में दाखिला लेने के लिए अभिभावकों और छात्रों को लुभाते हैं ताकि उच्च मध्यम वर्ग के लोग, उच्च वर्ग तथा धनी वर्ग के विद्यार्थी अपने लिए शिक्षा खरीद सकें।

अपने अनुभव से हम यह जानते है कि समाज के निर्धन वर्ग के लड़के और लड़कियाँ भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने और डिग्री लेकर इंजीनियर, डाक्टर इत्यादि बनने के काबिल हैं। लेकिन धन के अभाव

के कारण उचित शिक्षा नहीं ले पाते जबकि वे इस योग्य है। हमारे देश में यह वास्तविकता है।

यदि हम हमारे देश के विभिन्न भागों में स्थित गांवों को जाते है, हम पाएंगें कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति अत्यधिक शोचनीय है। हमारे देश के लड़के और लड़कियां अपनी शिक्षा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर आरम्भ करती है। हमारे देश के विद्यार्थियों को अपने भविष्य के 'कैरियर' का निर्माण प्राथमिक विद्यालयों से करना होता है। परन्तु हमारे प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों पर छत नहीं है और कई प्राथमिक विद्यालयों में समुचित 'शेड' नहीं है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः प्राथमिक विद्यालय गोशाला जैसी स्थिति में है। हमारे कई प्राथमिक विद्यालयों में बेंच नहीं है, मेजें नहीं है, कुर्सियां नहीं है और वहां पर ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। विद्यार्थी खुले मैदान में बैठते है और अपने शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे देश के प्राथमिक विद्यालयों की यह स्थिति है।

यह स्थिति केवल हमारे ही प्राथमिक विद्यालयों की नहीं है बल्कि लगभग प्रत्येक राज्य में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। हमारे कई माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त 'क्लास रूम' नहीं है। मुझे कई विद्यालयों का दौरा करने का अवसर मिला था क्योंकि शिक्षक और प्रबन्ध समिति के सदस्य मेरे पास आए और हमें विद्यालयों का भ्रमण करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने मुझसे उनके विद्यालयों में सुविधाओं के सुधार के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कुछ धन देने का अनुरोध किया था। मैंने उन्हें कहा था कि मेरे पास एक करोड़ रुपए हैं जो उनके उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा।

मुझे कई विद्यालयों का दौरा करने का अवसर मिला और मैनें पाया कि वहां पर विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें नहीं है और वहां पर पुस्तकालय सुविधाएं भी नहीं है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की भी स्थिति है।

केन्द्र सरकार ने अभी तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए और हमारे देश से निरक्षरता के निवारण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं।

केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने निरक्षरता के निवारण के कुछ उपाए किए हैं। उन्हें कुछ अच्छे परिणाम भी प्रापत हुए हैं। इन राज्यों ने कुछ संगठनों का गठन किया और कुछ अभियानों का आयोजन किया। उन अभियानों का परिणाम अच्छा निकला। हमारे देश के अधिकांश राज्यों में मैंने पाया कि हम देश में निरक्षरता के निवारण और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, विशेषकर समाज के सबसे गरीब वर्गों के लड़के और लड़कियों, को देने में पूरी तरह असफल रहे है। यह एक वास्तविकता है। महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और भी दयनीय है। हम संसद और राज्य विधान सभाओं, दोनों में ही 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए गम्भीरतापूर्वक आग्रह कर रहे है परन्तु हम स्त्री शिक्षा के बारे में गम्भीर नहीं है। गांवों और शहरों में हमनें लड़कियों को विद्यालयों और कालेजों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। उनके परिवारों में एक प्रकार की हिचकिचाहट है। उनके संरक्षक या उनके माता-पिता अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय या कालेज भेजने के इच्छुक नहीं है। परन्तु सरकार ने कोइं उपाय नहीं किया, सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों को विद्यालयों और कालेजों में भेजने के लिए उनके माता-पिता को उत्साहित करने का कोई अभियान आरम्भ नहीं किया। सरकार ने लड़कियों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। ऐसा कोई भी कदम सरकार द्वारा अभी तक नहीं उठाया गया।

हम समाज में लड़कियों का दर्जा बढ़ाना चाहते है क्योंकि वे हमारे समाज का अभिन्न अंग है। वे हमारे देश की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक भाग को गठित करती है। परन्तु लड़कियों की शिक्षा से संबंधित कोई प्रभावी पद्धति नहीं है। मुझे यह कहने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय और शोचनीय है।

हम जानते हैं कि कुछ स्वयंसेवी कार्यकर्त्ता, जिन्हें *'आंगनवाड़ी'* कार्यकर्ता कहा जाता है, कुछ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्त्रियों के साथ 12 घण्टे से ज्यादा समय कार्य कर रहे हैं, परन्तु उन्हें अपना वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन्हें उनका वास्तविक पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है, जिसका कि उनको भुगतान किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

अब मैं दूसरे पहलू पर आऊंगा जो खेलकूद के बारे में है। हम सब एकमत और हम सब सहमत है कि हमारे देश में खेलकूद की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हमारे नौजवान दोस्त मैदान में फुटबाल खेलने या खेल-कूद में भाग लेने के इच्छुक नहीं है। वे सिनेमा हालों में प्रेम कहानियां और अन्य यौन सम्बन्धी कहानियों को देखने में ज्यादा रूचि रखते हैं। आज कई टी०वी० चैनल है और वे सभी कई फिल्में दिखा रहे हैं, कई कार्यक्रम दिखा रहे हैं, जोकि युवाओं को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। मैं कह सकता हूं कि वे संस्कृति को गलत ढंग से दर्शाने वाले कार्यक्रम है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नवयुवक, विशेषकर लड़के और लड़कियां, इन कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा रूचि रखते हैं। हम 50 वर्षों के बाद भी, खेलकूद के क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाए हैं। हमारे देश में खेलकूद की बहुत ज्यादा उपेक्षा की गई हैं हमारा एक इतना बड़ा देश इस देश में लगभग 100 करोड़ लोग रहते हैं – है जबकि खेलकूद के क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन अत्यंत शोचनीय रहा है। जहां तक हमारा एशियाड या ओलम्पिक्स में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में प्रदर्शन का सम्बन्ध है हमें अत्यधिक कम पदकों पर संतुष्ट होना पड़ा। हमारा प्रदर्शन बहुत ज्यादा दयनीय और खराब रहा। भारत सरकार या राज्यों द्वारा खेलकूद के विकास और संवर्द्धन के लिए कोइं भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया।

मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री को और साथ ही मानव संसाधन राज्य मंत्री को कुछ परामर्श देना चाहता हूं कि हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में खेलकूद को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

परीक्षाओं के परिणामों में खेलकूद में प्राप्त अंकों को भी जोड़ा जाया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में एक खेल का मैदान होना चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं है तो कम से कम प्रत्येक पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में एक खेल का मैदान होना चाहिए। प्रत्येक उपमंडल

[श्री अजय चक्रवती]

में खेलकूद के विकास के लिए एक स्टेडियम केन्द्र सरकार की ओर से बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में एक प्रशिक्षक होना चाहिए। फुटबाल, एथेलेटिक्स और हॉकी में रूचि रखने वाले लड़के तत्संबंधी खेलों में अपनी पसंद के अनुसार भाग ले सकें। हॉकी का स्वर्णिम अतीत रहा हैं ध्यान चंद हॉकी के जादूगर थे। परन्तु अब हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं और यह संग्रहालयों तक सीमित रह गई है। हमारे नवयुवक और युवा पीढ़ी हॉकी खेलना भूल चुकी है हॉकी में भारत कई ओलम्पिक्स खेलों और कई अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में अपार सफलता प्राप्त करने में सफल रहा है। हमारी सरकार द्वारा खेलकूद के लिए एक निश्चित और रचनात्मक कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए। खेलकूद से हमारे नवयुवकों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास होगा। परन्तु उनकी बहुत उपेक्षा हुई है।

मुझे कहते हुए दुख होता है कि इस वर्तमान बजट में खेलकूद के लिए बहुत ही नगण्य धनराशि आवंटित की गयी हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यहां तक की अविकसित देशों की तुलना में, हम यह पाते हैं हमारा खेलकूद के लिए आवंटन अति अल्प है। इसी कारण, हमें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और खेलकूल को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे कहते हुए दुख होता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक नेता खेलकूल के आयोजक है। वे कुछ फुटबाल और ओलम्पिक महासंघों के नेता भी है। वास्तविक प्रशिक्षक, जो फुटबाल और हॉकी खेलते हैं, वे आयोजक नहीं है। यह देश की विडम्बना है कि हम खेलकूद के मामले में कई देशों से पीछे छूट रहे है। श्रीलंका की तुलना में भी हम खेलकूद में पीछे पड़े रहे है। बड़े व्यावसायी और औद्योगिक घराने हमारे देश में उनके अपने लाभों और हितों को ध्यान में रखकर क्रिकेट को प्रायोजित करते हैं। परन्तु वे फुटबाल, एथेलेटिक्स, हॉकी और वाली-बाल को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल नहीं है। क्रिकेट मात्र कुछ देशों का खेल है, वास्तव में कुछ राष्ट्रमंडल देशों का खेल है। परन्तु कुछ बड़े औद्योगिक घराने क्रिकेट को ही प्रायोजित कर रहे हैं परन्तु दूसरे खेलों को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दें और हमारे देश में खेलकूद के विकास पर जोर दें और इस उद्देश्य के लिए सभी सम्भव सहायता प्रदान करें। हमारे पास कई माननीय सदस्य हैं जो देश में खेलकूद के विकास पर मूल्यवान भाषण दे सकते हैं। हम उनके भाषणों से सीख सकते हैं।

मैं भारत सरकार से यह आग्रह करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि वह कुछ असंस्कृत लोगों के हाथों से हमारी संस्कृति की रक्षा करें। हमारे आकाश पर कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कुछ विदेशी निवेशकों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने हमारे आकाश को खरीद लिया है और वे ऐसे टी०वी० कार्यक्रमों को दिखा रहे हैं जो कि पूरी तरह से असभ्य है।

मैं भारत सरकार और हमारे माननीय मंत्रियों से आगे आने और असभ्य व्यक्तियों के हाथों से हमारे देश और हमारे आकाश को बचाने का आग्रह करता हूं जिससे कि वास्तविक सांस्कृतिक कार्यक्रम और वास्तविक सांस्कृतिक प्रदर्शन हमारे देश में बना रह सके।

प्राचीन काल से ही संगीत, नाटक और सिनेमा और जीवन के कई क्षेत्रों में हमारे देश की संस्कृति की प्रतिष्ठा रही है। इसी कारण मैं फिर से माननीय मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने और देश को असभ्य व्यक्तियों के हाथों में जाने से रोकने और देश की संस्कृति की रक्षा करने का आग्रह करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं, महोदया, अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब, प्रो० रासा सिंह रावत बोलेंगे। मैं सभी सदस्यों से अपनी बात को संक्षेप में रखने की अपील कर चुकी हूं। मैं श्री अजय चक्रवर्ती को मेरी मानने के लिए धन्यवाद देती हूं।

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदया, कांग्रेस की ओर से अभी तक केवल एक सदस्य ही बोला है।

सभापति महोदय : प्रो० रासासिंह रावत के बाद प्रो० कुरियन बोलेंगे। सब एक साथ नहीं बोल सकते हैं। आपको संक्षिप्त होना चाहिए। जैसाकि मैं कह चुकी हूं अगले वक्ता प्रो० कुरियन है।

श्री एन०एस०वी० चित्यन (डिंडीगुल) : महोदया, कृपया इस ओर के सदस्यों को भी अवसर दीजिएं हमारे सदस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : उस ओर के सदस्यों का नाम भी यहां पर लिखा हुआ है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : हमारी पार्टी का भी एक बोला है। अभी दूसरा हुआ है। दूसरा कहां बोला है ?

प्रो० पी०जे० कुरियन : दो बोले हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर सभापति महोदय, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने एक दफा कहा था और भारत भारती में लिखा था, "हम क्या थे, क्या हो गये, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें, देश की समस्याएं सभी"। एक समय था कि भारत विश्व का गुरू कहलाता था। दुनिया के देश यहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालय, इतिहास के पन्नों पर जब उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सारे संसार के लोग यहां आते थे और मनुस्मृति के अन्दर यह लिखा गया, "एतद् देशः प्रसूतस्य सकासाद अग्रजन्मनाः स्व स्वचरित्र शिदोरेन वृभित्यां सर्वमानयः"। इस देश में उत्पन्न होने वाले विद्धानों के चरणों में समस्त विश्व के लोग चरित्र और सदाचार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहां पर आते थे। परन्तु आज आजादी के बाद और आजादी के पहले सैंकड़ों वर्षों की पराधीनता के कारण और उसके पश्चात् आज हमारे देश की क्या स्थिति हो गई है, अगर मैं यह कहूं कि दुनिया की कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत भाग हिन्दुस्तान के अन्दर बसता है, लेकिन दुनिया के कुल निरक्षर लोगों में 48 परसेंट लोग भारत में हैं और दुनिया में हर 10 निरक्षर लोगों में से लगभग पांच भारतीय हैं और भारत के हर 10 निरक्षर लोगों में से सात महिलाएं हैं और

सन् 2000 तक संसार के लगभग 55 परसेंट निरक्षर भारत के अन्दर हो जायेंगे। इससे एकदम हमारा माथा शर्म से नीचे झुक जाता है।

साक्षरता दर हालांकि सरकार ने प्रयास किये, जिन लोगों के हाथों में भी शासन की बागडोर आई, उन्होंने प्रयास तो किये, लेकिन शिक्षा को जो प्रमुखता प्रदान की जानी चाहिए, जो महत्व प्रदान किया जाना चाहिए था, उसका सर्वथा अभाव रहा, उनकी दृढ़ इच्छा-शक्ति का अभाव था, दृढ़ संकल्प शक्ति का अभाव था या शिक्षा का मैकालेकरण हो चुका था, पाश्चात्यीकरण की धारा में शिक्षा को बहाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहें। परिणाम यह रहा है कि शिक्षा का जिस ढंग से प्रचार-प्रसार होना चाहिए था और जो उपयोग भारत के लिए सिद्ध होना चाहिए था, नई पीढ़ी का निर्माण होना चाहिए था, चारित्रिक संस्कार उनके अन्दर पैदा होने चाहिए थे, वे दुर्भाग्य से पैदा नहीं हो पाये। यद्यपि साक्षरता दर 1951 के अन्दर कुल 19.24 प्रतिशत थी, पुरूष 20 प्रतिशत थे और महिलाएं केवल 2.83 परसेंट थीं। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता की दर 52.11 प्रतिशत हुई, पुरूष 63.86 प्रतिशत हुए और महिलाएं 49.42 परसेंट हुई। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जिनमें साक्षरता की दर 35 प्रतिशत से भी कम है और वहां पढ़ाई को बीच में छोड़ने वालों की दर तो कहीं-कहीं 45.7 परसेंट से लेकर 80 प्रतिशत तक है। इससे हमारी शिक्षा की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी हो जाती है। जब मैं बजट की ओर देखता हूं, माननीय बोम्मई साहब क्षमा करेंगे, जब आपने मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में शपथ ली थी तो समाचार-पत्रों को एक साक्षात्कार दिया था, उस समय आपने कहा था कि मैं इस मंत्रालय में मंत्री बनने पर खुश हूं। लोगों ने पूछा क्यों, तो आपने कहा कि यह मानव निर्माण करने का मंत्रालय है, मैन-मेकिंग, मैन-मेकिंग प्रोसेस, यानि मानव संसाधन। दूसरी बात आपने अपने कार्य का स्मरण करते हुए यह कहा था कि मुझे श्री मानवेंद्र राय का शिष्य रहने का गौरव प्राप्त हुआ है इसलिए शिक्षा में कार्य करके मुझे प्रसन्नता का अनुभव होगा। आपकी साझा मोर्चे की सरकार बने हुए करीब एक साल हो गया है, केवल मुखिया बदल गए हैं, बाकी सभी वही हैं, आपकी नीतियों में और कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं पड़ा हैं आपसे जो हमें अपेक्षाएं थी, मैं कहना चाहता हूं कि आप उसमें पूरी तरह खरे नहीं उतरे हैं।

सबसे पहले तो मैं यह बजट देखकर कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो वादा किया था, आपकी साझा मोर्चे की सरकार उस वादे से पीछे हट रही है। 1993 में जब नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे, उस समय सर्वाधिक आबादी वाले देशों का एक सम्मेलन भारतवर्ष में हुआ था। उसमें यह संकल्प किया गया था कि सन् 2000 तक सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस बजट में सरकार अपने उस वादे से पीछे हट रही है। आपकी साझा मोर्चा सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया है। उसमें भी, और 13 दलों के घोषणापत्रों में भी लिखा हुआ है कि हम सकल उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करेंगे। लेकिन खेद है कि वह संकल्प, घोषणापत्र की बात और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंदर लिखी बात को भुला दिया गया है और मात्र तीन से चार प्रतिशत तक ही आप इसमें धनराशि दे पाए हैं। यह बजट की सबसे बड़ी कमी है। इससे हम कैसे 2000 तक सबके लिए शिक्षा, सबको प्राथमिक शिक्षा दे पाएंगे।

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते हुए नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों को दस साल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करने की बात कही है। वह दस साल भी कब के निकल गए। आज जबकि हम आज़ादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, लेकिन वह सपना सपना ही रह गया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि निरक्षरता को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। यह ठीक है कि इसमें आबादी का बढ़ना भी कारण है, वह तो तेजी से बढ़ रही है, जैसा रामायण में आता है, पौराणिक कथा है कि :

जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा
तासुदून कपि रूप दिखावा।

जैसे-जैसे सुरसा ने अपना मुंह फैलाया, वैसे ही हनुमान जी ने अपना आकार दुगुना कर दिया। ऐसे ही शिक्षा के संसाधन बढ़ते हैं तो आबादी और शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ती चली जाती है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोंडा) : लेकिन शिक्षा के साधन नहीं बढ़ाते।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : यादव जी कह रहे हैं कि साधन नहीं बढ़ रहे और साक्षरता में मानसिक परिवर्तन नहीं किया गया तो साक्षर — राक्षसः हो जाएगी।

निकले कहां जाने के लिए, पहुंचेंगे कहां यह मालूम नहीं
इस राह में भटकने वालों को मंजिल की दिशा मालूम नहीं।

आखिर शिक्षा किस के लिए है, शिक्षा रोजगार के लिए है, शिक्षा श्रेष्ठ मानव निर्माण के लिए है, शिक्षा स्वाबलम्बन के लिए है, शिक्षा संस्कार के लिए है, शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए है, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ मानव बनाने के लिए है, उदात्त प्रवृत्ति को और अधिक उदात्त प्रेरणा देने के लिए है। पशुता से मानव के लिए शिक्षा है। लेकिन इस सरकार के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह अपने वादे से मुकर गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो हमने वादा किया था कि 6 प्रतिशत सकल उत्पाद का इस पर खर्च करेंगे, यह सरकार उससे पीछे हट रही है। मेरा ख्याल है कि 2000 तक यह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह हमारे सामने प्रश्न वाचक चिह्न बनकर खड़ा है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पास एक प्रस्ताव और विचाराधीन है, शिक्षा को बुनियादी अधिकार बनाना। साझा मोर्चे की सरकार अपने घोषणापत्र को याद करें, आपने बजट में भी घोषणा की थी। हम इनको शिक्षा का बुनियादी अधिकार देंगे। वह किस स्टेज पर पहुंची है ? अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए, सबको शिक्षा प्रदान करने के लिए संसाधन कैसे जुटा पाएंगे ? इसके बारे में स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। सच्चाई तो यह है कि केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 3.7 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रही हैं। सैकिया साहब आपने बोम्मई साहब के मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था और एक समिति भी आपकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। उस समिति ने भी कुछ सिफारिशें की थी कि शत-प्रतिशत साक्षरता

[प्रो० रासा सिंह रावत]

के लिए एक योजना बनाएंगे। उसके बारे में क्या प्रगति हुई है ? उसकी रिपोर्ट आप कब देने जा रहे हैं ? आप रिपोर्ट सदन में रखेंगे या मंत्रिमंडल के सामने रखेंगे ? जैसा भी हो प्रकाश डालने का कष्ट करें। मात्र तीन वर्ष बचे हैं और वादा कैसे पूरा किया जाएगा ? यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जो वादा किया है, वह निभाना पड़ेगा। देश की जनता आपसे यह भी जानना चाहती है। आपने जो राशि रखी है, लक्ष्य से आधी राशि 4094.13 करोड़ रुपए रखी है। लक्ष्य प्राप्ति का जो प्रावधान रखा गया है, वह केन्द्र और राज्य सरकार किस प्रकार से करेंगे ? केन्द्र सरकार को भी जितना प्रावधान करना चाहिए था, उतना नहीं किया है। विचारे आर्थिक संकट से जूझने वाले राज्य इस बारे में कैसे करेंगे, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

अपराह्न 05.27 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

शिक्षा को सब तक पहुंचाने की रणनीति का भी आपके पास अभाव है। शिक्षा को किस प्रकार से आप सब तक पहुंचाएंगे ? इस बारे में एक ठोस रणनीति होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के अन्तर्गत आपने काफी राशि का प्रावधान किया है। लेकिन उस राशि का दुरुपयोग हो रहा है। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता। स्कूल भवन बनाने का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। गांवों के अंदर दो-तीन कमरे या दो कमरों के साथ-साथ एक स्कूल में तीन अध्यापक अवश्य होंगे और वहां व्यवस्थाएं भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना यदि मैं कहूं कि वह अभी तक नहीं पहुंच पाई है और इस योजना को असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें अतिश्योक्ति नही होगी। गांवों के अंदर तथा दूरस्थ इलाकों के अंदर शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं जाते। कहां तो शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं और आपने बी०एड० कॉलेज और डिग्रियाँ सब कुछ कर रखा है तथा रिफ्रेशर कोर्सेज भी आप कराते हैं। लेकिन उनमें यह भावना नहीं है कि वे विद्यार्थियों को पढ़ाएं।

प्राइमरी स्कूल और सैकेंडरी स्कूल के अध्यापकों की आप पांच-छः घंटे ड्यूटी विद्यालयों में लगाते हैं। लेकिन सर्वाधिक तनख्वाह लेने वाले विश्वविद्यालयों और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स सिर्फ एक-डेढ़ घंटा पढ़ाकर घर चले जाते हैं। उनकी कोई एकॉउंटेबिलिटी भी नहीं है। अन्य देश जैसे कोरिया, जापान या चीन को ले लीजिए। इन देशों ने कितनी तरक्की की है ? उन्होंने सर्वाधिक ध्यान शिक्षा की ओर दिया है। लेकिन हमारे यहां शिक्षा का क्षेत्र ही सर्वाधिक उपेक्षित रहा है। ऑपरेशन ब्लक बोर्ड क्यों असफल हो गया ? क्योंकि आपने पचास या बावन प्रतिशत राज्यों से हिस्सा देने के लिए कहा। कई राज्य तो हिस्सा देने की स्थिति में भी नहीं है। आपकी जो महत्वाकांक्षी योजना "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" है, वह भी सारे देश के अंदर सब जिलों में लागू नहीं हो पाई है। आपने कुछ ही जिलों का पहले चयन किया था और फिर आपकी योजना थी कि पहले कुछेक इतने जिलों में करेंगे। तत्पश्चात अन्य जिलों में करेंगे। फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी देश के सभी जिलों में कब तक लागू किया जाएगा और उसके लिए भी विशेष जो करना चाहिए था, वह नहीं किया गया है। हमारा देश विदेशी अनुदान का मोहताज हो गया है। विदेशी अनुदान चाहे किसी भी स्कीम के अन्तर्गत मिलता है, जब तक हम उसके मोहताज रहेंगे, तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बजट के अन्दर सबसे बड़ी एक कमी है और वह यह कि सरकार नौवीं योजना के अंत तक यानि 2001-02 तक शिक्षा के क्षेत्र में छः प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। इसका मतलब कि 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। केन्द्रीय सरकार इस खर्च का 50 प्रतिशत वहन करेगी और अगले पांच वर्षों में 65 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंत्रालय के अनुसार 1997-98 में 10,500 करोड़ रुपये, 1998-99 में 12 हजार करोड़ रुपए, 1999-2000 में 13 हजार करोड़ रुपए, 2000-01 में 14 हजार करोड़ रुपए, 2001-02 में 15,500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। अगर यह स्थिति होगी, तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने 1997-98 में शिक्षा की विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने के लिए 4094.13 करोड़ रुपए रखे हैं। यह राशि लक्ष्य की प्राप्ति में आधी भी नहीं है। जब यह स्थिति है, तो पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो आगे क्या स्थिति होगी। इसमें भी अफसोस की बात है कि 4094.13 करोड़ रुपए में से एक-चौथाई राशि यानि 960 करोड़ रुपए केवल पोष्टिक आहार योजना, जिसमें जिन विद्यार्थियों की हाजिरी 80 प्रतिशत होगी, उनको इन्टरवल में तीन किलो गेहूं दिए जाने में खर्च हो जाती है। मेरा सुझाव है कि यह योजना की समीक्षा की जानी चाहिए। यह देखना चाहिए कि जिन राज्यों में इस योजना का संचालन हुआ है, वहां उपस्थिति की संख्या प्राथमिक शालाओं में कितनी बढ़ी है। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि लड़कों की संख्या कितनी बढ़ी है, लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी हैं मेरा विचार तो यह भी है कि इस बारे में भी पता किया जाना चाहिए कि अन्न का सही वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, अन्न समय पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्थायी समिति के सामने जब यह मामला आया था, तो उस समय विराजमान सचिव महोदय भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए थे कि इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे या कितना धन इस योजना पर खर्च करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित प्रावधान करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि बीस माननीय सदस्यों ने अभी बोलना है, आप कृपया अपनी बात 5-7 मिनट में कह कर खत्म करें। आपने तो 17 मिनट ले लिए हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बजट के बारे में बात कह रहा हूं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित प्रावधान करना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा के बारे में सरकार के पास लक्ष्य प्राप्त करने, आर्थिक संकट से जूझने, प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने की स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए। इसके बारे में भी सरकार बताने का प्रयास करें।

मैं उच्च शिक्षा के बारे में भी कहना चाहता हूं। भारत में उच्च शिक्षा के अच्छे परिणाम नहीं निकले है। उच्च शिक्षा के बारे में देश में बहुत बुरा हाल हैं शिक्षा से संबंधित नींव की तरफ ध्यान नहीं दिया

जा रहा हैं और बिना नींव के ऊपर विशाल भवन खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे इस बात को कहने के लिए क्षमा करेंगे कि बहुत से आयोग शिक्षा के बारे में स्थापित किए गए हैं, जैसे राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, ईश्वरभाई पटेल समिति, कभी नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति और कभी रामामूर्ति कमीशन, लेकिन शिक्षा के विकास के लिए उतना प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऊपर से महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर अदने से अदना नेता भी शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की बात कहता हैं इससे ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता हैं मैकोले के जमाने की जो शिक्षा नीति है, कोरी सैद्धान्तिक शिक्षा – ज्ञानम् भाराः क्रियां बिना – बिना कर्म के ज्ञान भार है।

ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है;
इच्छा क्यों पूरी हो मन की।
दोनों एक दूसरे से मिल न सके;
यही विडम्बना है जीवन की।

यह कोरी सैद्धान्तिक शिक्षा हमारी नई पीढ़ी के मन में श्रम के प्रति निष्ठा पैदा नहीं करती है। वह पंखे की हवा में बैठ कर काम करना चाहती है। आपने वोकेशनल एजूकेशन शुरू की – कभी 10+2, 10+2+3 और कभी मैट्रिक इंटर मीडिएट। यह जो आप बार-बार कर रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि सीनियर सैकेंड्री स्तर पर तो आपने व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ भी कर दी। इसके आगे निरंतरता हेतु महाविद्यालय में क्या व्यवस्था है ? आई०टी०आई० से पास किये हुए, पोलीटैक्नीक से पास किये हुए तथा इंजीनियरिंग कॉलेज से पास किए हुए की डिग्री का जितना महत्व होगा, महाविद्यालय सैकेंड्री स्कूल के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पढ़े हुए, सीनियर सैकेंड्री के स्तर पर पढ़े हुए जब महाविद्यालय में जाएंगे तो उनको प्रवेश नहीं मिलता। वहां व्यावसायिक शिक्षा वाला सबजैक्ट ही नहीं होगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। [अनुवाद] अस्थिर चित्र व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। [हिन्दी] इधर का रहता है और न ही उधर का रहता है। वह न व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करता है, न दूसरी। इसकी आपको जांच करानी चाहिए कि जिन राज्यों को आपने दिया उनकी कितनी उपलब्धि रही है।

[अनुवाद]

भारत की उच्च शिक्षा की अवस्था अच्छे परिणाम नहीं दे पायी है। केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा तैयार किया सरकारी दस्तावेज कहता है कि उच्च शिक्षा दूषित दिशा विहीन, निष्क्रिय हो गई है रोजगार से लगाये जाने के आयोग्य महिलाओं और पुरूषों का निर्माण कर रही है, बिना गुणवत्ता और घटते हुए संसाधनों के बावजूद त्वारित विस्तार हुआ है, अपर्याप्त सुविधाएं और मूल्य व्यवस्था का अभाव है।

[हिन्दी]

इसका परिणाम यह हुआ कि आज संस्कार नाम की चीज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उन्नयन विकास या मानसिकता में परिवर्तन, देश भक्ति के प्रति भाव, ऐसा कुछ भी नयी पीढ़ी के अंदर नहीं है। तोड़-फोड़, घेराव, हड़ताल, चाकूबाजी, छुरे, नकल की प्रवृत्ति, ये सारी चीजें आज नयी पीढ़ी के अंदर बढ़ रही हैं। ये सब कुछ जो हा रहा है उन सब के पीछे क्या कारण है ? शिक्षक जैसा बीज बोएंगे वैसा ही वृक्ष बनेगा। जैसी शिक्षा मिलेगी वैसी ही दीक्षा प्राप्त होगी। जैसा विचार होगा वैसा आचार बनेगा। जैसी होगी दृष्टि, वैसी करेंगे सृष्टि। हमें जैसा नयी पीढ़ी का निर्माण करना चाहिए था, जिस उद्देश्य को लेकर करना चाहिए था उसका सर्वधा अभाव है।

मान्यवर, अब मैं महिला शिक्षा के बारे में अंतिम बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। 1963 में श्री भक्त वत्सलम की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद् ने एक समिति का गठन किया था और उसने स्त्री शिक्षा हेतु बहुत-सी सिफारिशें की थी। हालांकि महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत कुछ बढ़ा है लेकिन जैसा कि 1964-66 में शिक्षा आयोग ने कहा था कि स्त्रियों की शिक्षा पुरूषों की शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लड़कियों की शिक्षा पर जितना ज्यादा ध्यान दिया जाए उतना कम है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा होती है किन्तु एक लड़की की शिक्षा सारे परिवार को शिक्षा देती है। मैं चाहूंगा कि उत्तर-भारत के अधिकांश राज्यों के अंदर जहां महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत अत्यधिक कम है, जब तक महिलाओं में सुधार नहीं होगा तब तक घर नहीं सुधरेगा, परिवार नहीं सुधरेगा और परिवार नहीं सुधरेगा तो सतानें नहीं सुधरेगी, संतानें नहीं सुधरेंगी तो समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। व्यवहार में जो चेंज आना चाहिए वह नहीं आएगा और इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। सितम्बर, 1966 में विकासशील देशों का सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हुआ था। उस समय विश्व साक्षरता दिवस मनाने का संकल्प भारत ने भी लिया था। साक्षरता के क्षेत्र में विकासशील देशों में भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हमारे यहां 52.21 प्रतिशत साक्षरता का प्रतिशत है और इसमें महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है।

महोदय, मैं केरल जैसे राज्य को धन्यवाद देना चाहूंगा जहां महिलाओं का 90 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य है और बाकी में उसने शतप्रतिशत प्राप्त कर लिया है। हमारे राजस्थान में अभी केवल 20 प्रतिशत है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता कहलाता है। गतवर्ष बिहार के हजारों शिक्षक जंतर-मंतर में आए थें जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, जिनको 20-20 महीने से वेतन नहीं मिला था और वे सारे इंटर कॉलेज के लेक्चरार थे। वे कई सालों से संस्थाएं खोले हुए हैं, उनको मान्यता दे रखी है लेकिन उनके वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है। महोदय, शिक्षा में संस्कृत के प्रति घोर उपेक्षा हो रही है। बिहार के अंदर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मदरसे वगैरह में तो लगभग 2500 उर्दू के शिक्षक लगा दिए हैं लेकिन जो संस्कृत पाठशालाएं थी उनमें जो शिक्षक थे उनका वनांचल के अंतर्गत जो एरिया आता है वहां पर हमारे बहुत से मित्र बैठे हुए हैं वहां पर बहुत सारे स्कूलों में संस्कृत की मान्यता के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अंदर मामला विचाराधीन है, कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है। अनुदान की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, शिक्षकों के पदों का कोई सृजन नहीं हो रहा है।

सारे देश के अंदर यही स्थिति है।

देश की एकता और अखंडता के लिए त्रिभाषा फार्मूला लागू होना चाहिए था लेकिन वह नहीं हुआ। दूसरी ओर खेल-कूद के लिए एक केन्द्रीय कानून आप बनाना चाहते थे, आप कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में उसे लाना चाहते थे लेकिन उसका क्या हुआ ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले देश के अंदर जो खेल संघों में आपसी फूट है आप उसे मिटाइये ताकि आने वाले ओलम्पिक में हम सफल हो सकें। खेल संघों के बड़े-बड़े पदों को हथियाया जा रहा है। स्पोर्ट अथॉरिटी

[प्रो० रासा सिंह रावत]

ऑफ इंडिया कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारे खेल-कूद, हमारी महिलाओं की शिक्षा और बाल-शिक्षा में सुधार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

"माता शुत्र, पिता बैरी येन पुत्रों न पाठितम्।
न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा।।"

वह माता शत्रु है तथा वह पिता बैरी है जिन्होंने अपनी संतानों को नहीं पढ़ाया है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को माता-पिता और संरक्षक को साथ लेना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका धर्म शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। जिस दिन यह राष्ट्रीय चेतना शिक्षा के प्रति, सारक्षरता के प्रति पैदा होगी, उसी दिन से हमारी सामाजिक कुरीतियां, अंध-विश्वास और नाना प्रकार के हमारे राष्ट्रीय रोगों का निराकरण हो सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि 6 प्रतिशत शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का सरकार प्रयास करेगी और इसके लिए राशि बढ़ाने का भी प्रयास करेगी।

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह मंत्रालय अत्यधिक महत्वपूर्ण है और राष्ट्र के विकास के लिए जीवनदायी है। परन्तु मैं देखता हूं कि इस मंत्रालय को सरकार द्वारा अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। ऐसा केवल सरकार द्वारा ही नहीं किया जा रहा है अपितु जब मैं सभा में उपस्थिति देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि हम भी इस मंत्रालय को उतना महत्व नहीं दे रहें हैं जितने का यह हकदार है।

यह राष्ट्र न तो संसद में राजनीतिज्ञों की कटुता से निर्मित हुआ है न ही नौकरशाहों द्वारा निर्मित हुआ है जो सरकारी फाइलों को आगे बढ़ाते हैं। यह हमारे विद्यालयों की कक्षाओं में निर्मित हुआ है। एक कहावत है कि वाटरलू की लड़ाई इटन के खेल के मैदानों मे लड़ी गई थी। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी कक्षाएं और विद्यालय नए भारत का निर्माण स्थल हैं जिसका कि हम निर्माण कर रहे है। परन्तु दुर्भाग्यवश, मैं अनुभव करता हूं कि हम इस मंत्रालय को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे है। और इसलिए मैंने इसके बारे में इतना कुछ कहा है।

मैं रिपोर्ट का अध्ययन कर चुका हूं। 1950-51 में हमारी साक्षरता दर मात्र 18 प्रतिशत थी। 1990-91 की जनगणना के अनुसार यह 52 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। मैं आज की स्थिति के बारे में नहीं जानता हूं परन्तु मैं जानता हूं कि अभी हमारी अधिकांशतः जनसंख्या अशिक्षित है। हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। फिर भी मैं नहीं समझता कि ऐसे योजनाओं जिनका कि योजना आवंटनों द्वारा सरकार अनुसरण कर रही है, जिसे मैं दस्तावेजों से देख रहा हूं, से हम 100 प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शायद यह लक्ष्य मृग-मरीचिका के समान दूर होता जा रहा है क्योंकि प्रतिवर्ष जनसंख्या विस्फोट के कारण बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इसका हल बेहतर प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण पद्धति है। परन्तु अब वह मेरा विषय नहीं है।

जब हम देश की महिलाओं के बारे में विचार करते हैं तो साक्षरता में वृद्धि पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं देती हैं इसमें 1950-51 के 9 प्रतिशत से 1981 के केवल 39 प्रतिशत तक ही वृद्धि हुई हैं यह अन्तर कुछ कम हुआ है। परन्तु हमारे देश की महिलाओं को अभी भी मुख्यधारा में शामिल होना है। पूर्व वक्ता ने केरल राज्य को महिला साक्षरता का सबसे ज्यादा प्रतिशत प्राप्त करने के लिए बधाई दी थी। मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह सरकार और साथ ही केरल में निजी स्कूलों की बड़ी संख्या के निजी प्रबन्धनों द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों के कारण हुआ है। यह एक संयुक्त प्रयास है। एक माननीय सदस्य निजी संस्थाओं की आलोचना कर रहे थे। यह सही है, कि जब वह कोई गलत काम करते है तो उनकी आलोचना की जानी चाहिए। परन्तु निजी संस्थाओं के योगदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए।

आठवीं योजना के अंत तक हमारा लक्ष्य 15 से 35 वर्षों के बीच के सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना था। हम कहां है ? हम उसे प्राप्त नहीं कर सके। जब मैं इस वर्ष किए गए आवंटन को देखता हूं तो मुझे अभी भी निराशा होती हैं आज, बजट आवंटन — राज्यों और केन्द्र के दोनों को साथ मिलाने पर — सकल घरेलू उत्पाद का 3.7 है जबकि हमारा लक्ष्य छह प्रतिशत है। इस वर्ष, शिक्षा के लिए यह 4,903 करोड़ है जबकि 86 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। कम से कम आपको इस वर्ष 10,000 करोड़ से ज्यादा देने चाहिए और आने वाले वर्ष इसे तदनुसार बढ़ाएं। इस परिदृश्य के साथ आप हमारी आबादी को किस प्रकार से शिक्षित करने जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा को सर्व व्यापी बनाने के कार्यक्रम को आप किस प्रकार से क्रियान्वित करने जा रहे हैं। मैं एक निराशाजनक परिस्थिति को प्रतिपादित नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैं मात्र उस कड़वी वास्तविकता के बारे में बोल रहा हूं जिसका कि हम सामना कर रहे हैं।

आपने कहा है कि शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाया जाएगा। इसका क्या उपयोग होगा ? इसका कोई उपयोग नहीं है जब तक कि आप पर्याप्त निधियां आवंटित नहीं करते हैं। इसी कारण कानून केवल कागजी बनकर रह जाएगा। इसका देश में कोई मूर्त प्रभाव नहीं होगा।

1986 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिपादित किया था। मैं जानना चाहूंगा कि उस नीति को कहां तक क्रियान्वित किया गया। बाद में हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी पी०वी० नरसिम्हा राव ने भी 1992 में एक कार्य-योजना लाई थी। मैं जानना चाहूंगा क्या सरकार द्वारा इसका कार्यान्वयन निष्ठापूर्वक और गम्भीरता से किया जा रहा है।

'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है जिसका कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका हैं इसलिए मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। परन्तु क्या 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' सफल रहा ? जैसाकि मैं समझता हूं, यह कई राज्यों में सफल नहीं रहा। इसका कारण यह है कि हम राज्य सरकारों से 50 प्रतिशत, विशेषकर भवनों के निर्माण के लिए, लेने के लिए कह रहे हैं। यदि भवनों का निर्माण नहीं किया जाता

है तो आप किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे ? इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपरेशन ब्लैकबोर्ड का कार्यान्वयन भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी होना चाहिए। सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय है – केरल में ज्यादा नहीं – विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य स्थानों पर जहां, मुझे बताया गया कि, विद्यालय के लिए भवन नहीं है। केवल घास-फूस के भवन ही उपलब्ध है। सौ छात्रों के लिए एक अध्यापक भी नहीं है। अध्यापक सही प्रशिक्षित भी नहीं है। अध्यापक अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं एक भवन की सुविधा और एक अध्यापक समान रूप से महत्वपूर्ण है। भवन की सुविधा या ऐसी ही कोई अन्य वस्तु एक अध्यापक का प्रतिपूरक नहीं है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सभी छात्र शिक्षक पर निर्भर रहते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि वहां पर कोई भवन नहीं है तब भी एक अध्यापक अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने विश्वभारती विश्वविद्यालय को कहां आरम्भ किया था। यह एक बड़े भवन में स्थिति नहीं था भवन महत्वपूर्ण है परन्तु अध्यापक भी समान रूप से महत्वपूर्ण है क्या आप ऐसा महत्व अध्यापकों को दे रहे है ? अध्यापकों की एक सामाजिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए; उन्हें पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए; वे सही ढंग से प्रशिक्षित होने चाहिए। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि इन चीजों को उन्हें प्रदान नहीं किया जा रहा है अध्यापकों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मैं आपके मंत्रालय की रिपोर्ट से मैं समझता हूं कि आपके पास अध्यापकों को उपग्रह आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने का नया विचार है। इसका परीक्षण किया गया था और इसे सफल भी पाया गया। यदि यह सफल है तो इसे अन्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए। प्राथमिक वर्ग में अध्यापकों को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है।

महोदय, सबसे बड़ी समस्या जिसका कि हम आज सामना कर रहे हैं छात्रों का विद्यालय को बीच में ही छोड़ देना हैं मेरे विचार से प्राथमिक वर्ग में आज इसका 40 प्रतिशत है। उच्च प्राथमिक वर्ग में पढ़ाई अधूरी छोड़ने वालों का प्रतिशत 60 प्रतिशत है। विद्यालयों को बीच में ही छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या को कम करने के लिए कई योजनाएं है। मैं जानना चाहूंगा; विद्यालय से पढ़ाई अधूरी छोड़कर निकलने वाले छात्रों की संख्या को कम करने में सरकार अभी तक किस हद तक सफल हो पायी है ? आप 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक प्रतिशत कम करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है ? क्या आप उसमें सफल हुए है ? यदि नहीं तो क्यों ? आप इस संदर्भ में आप का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

हम मध्याह्न भोजन योजना की बात करते हैं। पढ़ाई अधूरी छोड़ने वालों को रोकने के लिए यह एक प्रोत्साहन था। यह पढ़ाई अधूरी छोड़ने वालों को हतोत्साहित करना था। परन्तु इस योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया गया। इस योजना के बारे में कई शिकायतें है। मैं नहीं जानता, क्या आपके राज्य में यह योजना क्रियान्वित की गई है या नहीं। मैं समझता हूं ऐसे कुछ क्षेत्र है जहां इस योजना को क्रियान्वित किया जाना हैं इस योजना की घोषणा भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री पी०वी० नरसिम्हा राव द्वारा 15 अगस्त, 1995 को की गई थी। यह एक बहुत ही अच्छी योजना हैं इसे सभी विद्यालयों में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। परन्तु मैं समझता हूं कि आपने इस शीर्ष के अंतर्गत बजट आवंटन को घटा दिया हैं तब, फिर इसे आप किस प्रकार क्रियान्वित करेंगे ? कृपया इस महत्वपूर्ण योजना के लिए बजट आवंटन बढ़ाइए और यह सुनिश्चित कीजिए कि देश के सभी विद्यालयों में इसे क्रियान्वित किया जाए। इसी के साथ मैं इस तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा कि इस योजना के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं मैं इसके बारे में कहीं पढ़ा हैं छोटी-मोटी चोरी या घटिया स्तर के भोजन की आपूर्ति के रूप में भी की जा रही कतिपय अनियमितताओं के बारे में आशंकाएं व्यक्त की जा चुकी है। इसलिए, मैं निवदेन करना चाहता हूं कि इस योजना को, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके क्रियान्वयन में कोई अनियमितता न बरती जाए, क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

महोदय, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में कुछ तथ्य पहले ही उठाए जा चुके है और मैं उन तथ्यों को दोहराना नहीं चाहता हूं। परन्तु मैं यहां एक तथ्य उजागर करना चाहता हूं। अनौपचारिक शिक्षा के लिए वर्ष 1996-97 के लिए बजट आवंटन 158 करोड़ रुपए है परन्तु 1997-98 के लिए आवंटन 324 करोड़ रुपए हैं जबकि अन्य कई क्षेत्रों में आवंटन घटाया गया है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के लिए आवंटन 200 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ाया गया हैं मुझे अनौपचारिक शिक्षा के लिए आवंटन को बढ़ाए जाने से कोई शिकायत नहीं है परन्तु मैं केवल पूछ रहा हूं। यह अनौपचारिक शिक्षा है और इसे दूसरी एजेन्सियों द्वारा चलाया जा रहा है, क्या आपके पास इन पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र है, मैं कहना चाहूंगा कि आप इस के लिए आवंटन बढ़ाने से पहले; आपके द्वारा इन संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान दिए जाने से पहले – कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि इन पर कड़ी दृष्टि रखने वाली एक व्यवस्था हो। धनराशि को आप यह रिपोर्ट मिलने के पश्चात ही जारी कीजिए कि पिछले आवंटनों को सभी संबद्ध लोगों की संतुष्टि के अनुरूप उपयोग में लाया जा चुका है।

महोदय, कई दयनीय दृश्यों, जो हमारी दृष्टि से गुजरते हैं, में से एक यह कि बच्चे किताबों का भारी बोझ ढोकर विद्यालय जाते हैं। बच्चे किताबों के बोझ से दबे हुए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यशपाल समिति के प्रतिवेदन के बारे में पहले ही एक बार उल्लेख किया जा चुका है। क्यों उस प्रतिवेदन को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है ? हमारा उद्देश्य उस बोझ को कम करना और बच्चों की रक्षा करना होना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। छात्रों, विशेषकर कम आयु के छात्रों को अधिकाधिक विषयों और किताबों के बोझ से लादते जाने में कोई तुक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए सहायक वातावरण हो। बच्चों को अधिकाधिक ज्ञान प्रदान करना शिक्षा नहीं है। उन्हे उनके दोस्तों के साथ मुक्त व्यवहार करने देना चाहिए, खेलने देना चाहिए, संगीत सुनने देना चाहिए गाने देना चाहिए, नाचने देना चाहिए और इसी से उनका मानसिक विकास होगा और यही शिक्षा का आधार है।

अधिकाधिक जानकारी प्रदान करना, उन्हें इसे घोटने के लिए कहना और फिर तोते की तरह रटना, यह शिक्षा नहीं है।

मैं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम, जिसका उल्लेख पहले ही मेरे एक दोस्त द्वारा किया जा चुका है, का भी उल्लेख करना चाहूंगा। निचली कक्षाओं के बालक से एक अजनबी भाषा में अध्ययन करने के लिए कहना पाप हैं निचली कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा

[प्रो० पी०जे० कुरियन]

और केवल मातृ भाषा होनी चाहिए। कक्षा-पाँच के पश्चात् या शिक्षा के पाँच वर्षों के पश्चात् आप एक सामान्य भाषा जैसे अंग्रेजी, हिन्दी या संस्कृत पर आ सकते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु निचली कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिए। यदि आप निचली कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या ऐसी ही भाषा रखते है तो आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप भारी संख्या में औसत दर्जे के व्यक्ति बनाने लग जाएंगे।

मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि हमारे देश में "डैडी-मम्मी संस्कृति" विकसित हो रही है। यह 'डैडी-मम्मी संस्कृति' आपको औसत दर्जे के व्यक्ति प्रदान करेगी। इससे नौकरशाह, और आई०ए०एस० पैदा होंगे। आप ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त कर सकेंगे जो सुरूचिपूर्ण ढंग से अंग्रेजी बोलेंगे परन्तु आप इस 'मम्मी-डैडी संस्कृति' से उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पास साहित्य में उत्कृष्टता के लिए रवीन्द्र नाथ टैगोर हैं हमारे पास विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए सी०वी० रमन और होमी०जे० भाभा हैं। यदि आप ऐसी उत्कृष्टता चाहते है तो बालक को अपनी माँ का दूध दीजिए और एक सौतेली माँ का दूध मत दीजिए। मै कहना चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे प्राथमिक स्तर के पश्चात् उनके द्वारा किसी अन्य भाषा को चुने जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अब मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं माध्यमिक शिक्षा को दिए गए निर्मम व्यवहार से निराश होता हूं। इसके लिए बजट घटा दिया गया, मैं नहीं जानता क्यों। केन्द्रीय विद्यालय वित्तीय संकट से जूझ रहे है। उन के प्रति लोगों की राय अच्छी हैं हम केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु मांग के बारे में जानते है। ऐसे समय निधियों को कम कर दिया गया है। इनके बाद नवोदय विद्यालय आते हैं। मंत्री ने स्वयं सुबह सदन में कहा था कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में अन्य विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन नवोदय विद्यालय दे रहे हैं। परन्तु इन विद्यालयों के लिए अनुदानों को घटा दिया गया। मैं समझ नहीं पाता हूं कि माध्यमिक शिक्षा के साथ ऐसा घटिया व्यवहार क्यों किया जा रहा हैं मेरी यहां पर एक निजी शिकायत हैं लगभग दो वर्ष पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था। मैं नहीं जानता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसे तत्काल आरम्भ करें।

मैं केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। वहां पर संस्कृत एक अनिवार्य विषय है। यह अच्छी बात है इससे हमारी सांस्कृतिक परम्परा का अच्छा परिचय मिलता है। परन्तु इसे अन्य विद्यालयों में भी क्रियान्वित क्यों नहीं किया जाता है। अन्य विद्यालयों में संस्कृत को पढ़ाए जाने पर विचार किया जा सकता हें नवोदय विद्यालय तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा रूपायित एक नया विचार और पहली बार क्रियान्वित किया गया। यही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा गरीब वर्गों, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा के सम्पर्क में लाया जा सकता हैं मैं कुछ नवोदय विद्यालयों का दौरा कर चुका हूं। मैंने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले छात्र अन्य छात्रों से बेहतर प्रदर्शन करते है।

मैं यहां पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रवेश के संबंध में वहां पर एक अनिवार्य शर्त है कि शहरी क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को मात्र 25 प्रतिशत स्थान ही दिए जाएंगें और बाकी के 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को दिए जाने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं क्या इस नियम का पूरा पालन किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा की बात करते हुए मुझे बार-बार यह कहते हुए दुख होता है कि स्थिति निराशाजनक है। उच्च शिक्षा के लिए बजट आवंटन कम कर दिया गया। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 824 करोड़ रुपए के योजना और 644 करोड़ रुपए के गैर-योजना प्रावधान के लिए कहा था परन्तु उन्हें क्रमशः 359 करोड़ और 450 करोड़ रुपए की तुच्छ धनराशियां प्रदान की गई। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस वर्ष पिछले वर्ष के 464 करोड़ रुपए से घटाकर 450 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

अपराह्न 6.00 बजे

आप इसे कम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस प्रकार कार्य कर पाएगा ? यदि आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उपेक्षा करते हैं, तो मैं नही जानता कि क्या होगा। मैं नहीं जानता कि मंत्री और सरकारी अधिकारी देश में उच्च शिक्षा से इतना द्वेष क्यो रखते हैं। यह दृष्टिकोण ठीक नहीं हैं इस सम्बन्ध में मैं दो विश्वविद्यालयों अर्थात् डॉ० अम्बेडकर यूनीवर्सिटी — लखनऊ और केन्द्रीय विश्वविद्यालया, सिलचर, असम के बारे में जानना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि इन विश्वविद्यालयों में निधियों की भारी कमी है। मैं माननीय मंत्री से इन विश्वविद्यालयों को पर्याप्त निधियां आवंटित करने का अनुरोध करता हूं। मेरे पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में भी एक शिकायत है। कई महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने मुझे बताया कि विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को निधियों, विशेषकर विकास अनुदानों को स्वीकृत करने में बहुत ज्यादा विलम्ब कर रहे हैं।

श्री ए०सी० जोस : निधियां ही नहीं है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : ऐसी बात है तो मंत्री को और अधिक निधियां देनी चाहिए।

तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास कई भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज और अच्छी प्रतिष्ठा वाले कई अन्य इंजीनियरिंग कालेज है। हमारे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान अंतर्राष्ट्रीय महत्व के है। मुझे हमारे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों पर गर्व है। आपने उन्हें निधियां प्रदान करने की नई व्यवस्था की हैं मुझे निधियां प्रदान करने की नई व्यवस्था के बारे में भी शिकायत नहीं हैं परन्तु मुझे एक शिकायत है जिस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों और इंजीनीयरिंग कालेजों के बड़ी संख्या में विद्यार्थी विदेश चले जा रहे हैं। मुझे उनके विदेश जाने से कोई शिकायत नहीं है। विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर संसाधनों का ऋणात्मक गमन हो रहा है जिसे प्रतिभा-पलायन कहा जाता है। मैं इसके भी विरोध में नहीं हूं। परन्तु मैं जो कह रहा हूं वह

यह है कि आप इतना ज्यादा धन उन छात्रों पर खर्च कर रहे है जो हमारे देश से बाहर जा रहे हैं। उन देशों को बिना एक पैसा खर्च किए इंजीनियर और डाक्टर मिल रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन जी, जरा एक मिनिट आप बैठिए।

ऐसा है, वे घड़ी की ओर पाइंट-आउट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का फैसला है कि प्रतिदिन एक घंटा ज्यादा बैठेंगे।

[अनुवाद]

हम लोग प्रतिदिन एक घंटा देर तक बैठेंगे। सभा 7 बजे तक बैठेगी।

प्रो० पी०जे० कुरियन : मैं कहना चाहूंगा कि मेरी पार्टी की ओर से कोई भी नहीं बोलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी की ओर से बोलने वाले और पांच सदस्य है जो बोलेंगे।

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, मुझे हमारे मुख्य सचेतक द्वारा कहा गया है कि और कोई भी नहीं बोलेगा। वे यहां पर नहीं है।

श्री ए०सी० जोस : महोदय, वे एक प्रोफेसर है, उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, मैं प्रतिभा-पलायन की बात कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं माननीय मंत्री इस बात को समझेंगे कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। महोदय, मेरा अनुभव है कि भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों और इंजीनियरिंग कालेजों के 50 प्रतिशत छात्र मध्यम वर्ग और उच्च मध्य वर्ग से आते हैं। यह एक तथ्य है। ये शिक्षा की पूरी लागत को वहन कर सकते हैं परन्तु फिर भी उनकी शिक्षा पर राज सहायता दी जाती हैं हम एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र पर 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए खर्च करते है परन्तु वह मात्र 20,000 रुपए का भुगतान करता है। तत्पश्चात् वह अमेरिका या किसी अन्य देश को जाता है और प्रतिमाह 1 लाख रुपए ही कमाता है। मैं कहना चाहता हूं कि उसे धन का वापस भुगतान करना चाहिएं यदि वह पूरे धन का भुगतान कर सकते हैं उन्हें भुगतान करने दें। राज सहायता गरीबों और कमजोर वर्गों को दी जानी चाहिए जो धन नहीं दे सकते है। उन्हें आप राज सहायता क्यों देते हैं ? कृपया इस पर विचार कीजिए और तरीका निकालिए।

श्री एस०आर० बोम्मई : हमारे पास एक तरीका है।

श्री पी०जे० कुरियन : परन्तु पूरी लागत उनके द्वारा वहन की जानी चाहिए। सरकार को गरीबों को राज-सहायता देनी चाहिए जो व्यय-भार नहीं उठा सकते हैं।

अब मैं एक अत्यधिक गम्भीर समस्या पर आता हूं। कैम्पस राजनीति की आफत है। मैं केरल राज्य से आता हूं जहां पर 100 प्रतिशत साक्षरता है। में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोलह साल तक शिक्षक रह चुका हूं। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि समय के साथ-साथ वहां नैतिकता में गिरावट आई है।

श्री के०पी० सिंह देव (ढेकानाल) : यहां भी हुई है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : हां। इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहां पर सोलह वर्षों से हूं। मैंने पाया कि बहुत ज्यादा गिरावट आई है। मैं जानता हूं। परन्तु उच्च शिक्षा के इन महाविद्यालयों में अनुशासनहीनता के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, पम्बकुला नामक एक कालेज में, मुझे कहते हुए दुख होता हैं कि राजनीतिक झड़पों के कारण तीन छात्र मारे गए। एक झड़प हुई थी और अपने आप को बचाने की कोशिश में वे तैरना न जानते हुए भी नदी में कूद पड़े। परन्तु खेद का विषय यह कि कुछ महिलाएं जो स्नान कर रही थी, जब उन्हें अपनी साड़ियों की मदद से बचाने की कोशिश करने लगी जिससे कि कम से कम एक को तो बचाया जा सकता था, इन हत्यारों ने उन महिलाओं को ऐसा करने से रोक दिया।

मैं कहना नहीं चाहता ऐसा किसने किया था। मेरे बाम पक्ष के मित्र और जो पीड़ित थे, मैं जानता हूं, वो मेरे दक्षिण पक्ष के मित्र थे। जब मैंने इसकी जिंदा की, एक नेता ने कहा था कि, आपने ऐसा क्यों कहते हैं वे लोग भाजपा से सम्बन्ध रखते हैं ऐसा दृष्टिकोण है। यदि तीन लड़के मारे जाते हैं तो लोग देख रहे है कि वे भाजपा के है या किसी अन्य पार्टी के हैं यह दुर्घटना मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में घटी। यह एक अकेली घटना नहीं है इसे बार-बार दुहराया जा रहा हैं इसीलिए इसका कोई समाधान होना चाहिए।

भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, स्वर्गीय श्री एन०सी० छागला ने कहा था 'अनुशासनहीनता एक रोग नहीं है, यह केवल योग का लक्षण है।' मैं इससे सहमत हूं। परन्तु मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा एक समवर्ती विषय हैं इसलिए विश्वविद्यालय परिसर की राजनीति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधान लाया जाना चाहिए।

मैं मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर आता हूं। हमारे विश्वविद्यालय सही मायनों में विश्वविद्यालय नहीं होंगे जब तक कि वे छात्रों के दिलों में सहानुभूति की भावना नहीं जगाते हों। हमारे विश्वविद्यालय इस लिए नहीं है कि वे ऐसे छात्रों का निर्माण करें जो तकनीकी रूप से कुशल या व्यावसायिक रूप से सक्षम हो। उन्हें उनमें पीड़ितों के लिए दया और प्रेम तथा मानवता के प्रति प्रेम की भावना जगाना चाहिए।

हमारे कुछ शिक्षित लोग गरीबों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण क्यों नहीं हैं हमारे कुछ नौकरशाह और राजनीतिज्ञ गरीबों के प्रति प्रेम को क्यों भूल गए हैं इसका कारण उन्हें मिली शिक्षा और उन्हें मिले प्रशिक्षण में ढूंढा जाना चाहिए। आप देश की सभी प्रशिक्षण पद्धतियों को सुधारिए।

आई०ए०एस० करने वाले व्यक्तियों को कैसा प्रशिक्षण दे रहे हैं ब्रिटिश परम्परा के उत्तराधिकार को। आप उन्हें छुरी-कांटा संस्कृति दे रहे है। आप इस पर विचार क्यों नहीं करते हैं। इस बात की आवश्यकता

[प्रो० पी०जे० कुरियन]

है। आई०ए०एस०, आई०सी०एस० का बदला हुआ नाम हैं यह एक बदला हुआ नामकरण है परन्तु यह जैसा था वैसा ही है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नेताजी बोस आई०सी०एस० थे परन्तु उनके हृदय में देशभक्ति की, गरीबों के प्रति प्रेम और देश के प्रति प्रेम की भावनाएं उमड़ रही थी। मुझे मेरे कलकत्ता के मित्रों द्वारा पता चला था कि उन्होंने नेताजी भवन के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिस पर 12 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। यह परियोजना दो भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों सर्वश्री नरसिम्हा राव जी और देवेगौड़ा जी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इसके लिए मात्र 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जो कि केवल एक चौथाई है। मैं माननीय मंत्री से इस के लिए अपेक्षित 12 करोड़ रुपये की पूरी धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं। यह नेताजी की याद में है, इसीलिए मैं आपसे इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं कह रहा था कि नेताजी आई०सी०एस० थे परन्तु उनके हृदय में देशभक्ति की भावना उमड़ रही थी। मैं सरकार से आई०ए०एस० के प्रशिक्षण की पद्धति को बदलने का अनुरोध करना चाहता हूं। सभी आई०ए०एस० प्रशिक्षुओं को तीन वर्षों के लिए गांवों को जानने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्हें गांवों में रहना चाहिए, विकास कार्यों में ग्रामीणों के साथ सहयोग करना चाहिए और इस बात को समझे की भारत कहां रहता है। गांधी जी ने कहा, "भारत गांवों में रहता है।" यदि आप नौकरशाही के दृष्टिकोण को बदलना चाहते है तो इस बात की आवश्यकता है।

एक माननीय मंत्री ने मुझसे कहा था, 'मैं क्या कर सकता हूं? नौकरशाह मेरी बात ही नहीं सुनते हैं।' भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वक्तव्य में कहा था, 'मैं क्या कर सकता हूं ? नौकरशाह मिनटों में बदल जाते हैं।' समस्या यहां पर नहीं है। समस्या उस प्रशिक्षण में है जो आप उसे दे रहे हैं, समस्या शिक्षा में है जो आप उसे दे रहे हैं कृपा करके इसे बदलिए।

मैं डॉ० राधाकृष्णन् ने जो कहा था उसे उद्धर्त करता हूं :

> "हमारी पीढ़ी अपनी त्वरित यात्रा में महान किताबों को पढ़ने की आदत नहीं बना पाई और देश के गौरवमयी शास्त्रीय साहित्य से प्रभावित होने की आदत भूल गई है।"

इसका क्या परिणाम रहा ? वे देश के गौरवमयी शास्त्रीय साहित्य को कैसे पढ़ सकते हैं ? वे उनका अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि वे संस्कृत में लिपिबद्ध है और आप उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ा सकते है। देश का गौरवमयी शास्त्रीय साहित्य महानतम खजाने का भण्डार, हमारे देश की विरासत हैं हम उन्हें पढ़ा नहीं सकते।

महोदय, श्री राजीव गांधी द्वारा निरूपित शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की ही बात लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन आपके अतिरिक्त पाँच मिनट पहले ही पूरे हो चुके हैं।

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, मैं केवल दो मिनट और लूंगा।

महोदय, क्या आप इस बात पर मेरे साथ सहमत नहीं है ? यदि आप इस बात पर मुझसे सहमत है तो आप मुझे कुछ और समय दे सकते हैं ···*(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : महोदय, उन्होंने खेलकूद के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। सभी इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। खेलकूद को और अधिक धन दिया जाना चाहिए। ···*(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन : मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा।

महोदय, हमें हमारे छात्रों का, हमारे लोगों का परिचय संस्कृत माध्यम से उपलब्ध महान कोष से कराना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा हैं 'भगवत् गीता' को पढ़ने और समझने के बाद कौन सांप्रदायिक और रूढ़िवादी रह सकता है। यह केवल एक व्यापक और सार्वदेशिक दृष्टिकोण को ही सिखाएगा। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हम हमारे राष्ट्रीय नेताओं के बलिदानों के बारे में पढ़ने और अध्ययन करने में भी शर्म महसूस करते हैं। हम हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन और उनके बलिदानों का अध्ययन करने से कतराते हैं। हम रवीन्द्रनाथ टैगोर की किताबों को भी पढ़ना नहीं चाहते है।

महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने यहां रवीन्द्रनाथ टैगोर को उद्धृत किया था। यद्यपि उन्होंने जो कहा था उसमें से कई बातों से मैं सहमत नहीं था तब भी मुझे प्रसन्नता हुई थी कि उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर को उद्धत किया था। वो बात क्या थी ? वह थी: 'भगवान वहां है जहां पर कृषक भूमि की जुताई कर रहा है और जहां सड़क बनाने का काम कर रहा मजदूर पत्थर तोड़ रहा है।' कम से कम यदि इस कविता का अध्ययन किया जाता है, इसे पढ़ाया जाता है तो आप सांप्रदायिक नहीं हो सकते; आपका हृदय पीड़ित गरीबों के प्रति सहानुभूति से भर जाएगा।

महोदय, मैं चरित्र के बारे में भी बोलूंगा। रिचर्ड लिविंग्स्टन ने कहा था : शिक्षा चरित्र निर्माण का प्रशिक्षण है। "स्वामी विवेकानन्द ने कहा था : हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो और मस्तिष्क की क्षमता का निर्माण हो।" महोदय मैं अब डॉ० राधाकृष्णन ने जो कहा था उसे उद्धृत करता हूं :

> "चरित्र भाग्य है। चरित्र ही है जिस पर किसी देश के भाग्य का निर्माण होता हैं तुच्छ चरित्र के मनुष्यों से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता।"

महोदय, यह हमें देखना है कि क्या हमारी उच्च शिक्षा और शैक्षणिक पद्धति इस महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं मैं मंत्रालय से आग्रह करता हूं, यदि आवश्यक हुआ तो, पूरी प्रणाली, पूरी शैक्षणिक प्रणाली को सुधारिए जिससे कि शिक्षा महान चरित्र वाले मनुष्यों का निर्माण करे और जिनके द्वारा एक महान राष्ट्र का निर्माण हो।

महोदय, अब मैं खेलकूद पर आता हूं। मैं खेलकूद के सम्बन्ध में केवल एक मिनट लूंगा।

आरम्भ में मैं एक उद्धरण पढ़ता हूं "वाटरलू की लड़ाई एटन के

खेल के मैदानों में लड़ी गई थी।" महोदय राष्ट्र की शक्ति उसके खेल के मैदानों में निहित होती हैं इस सम्बन्ध में मंत्री से मेरा एक अनुरोध है। माननीय मंत्री के पास स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए 200 करोड़ रुपए है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक बैठक में कहा था कि वे इससे विशाल भवनों का निर्माण नहीं करेंगे अपितु गरीबों को ऊपर उठाने में इसका प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। मैं केवल एक बात का अनुरोध करूंगा। कृपया उस धन का आधा भाग खेलकूद को उपलब्ध कराइए। कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि प्रत्येक स्कूल में एक खेल का मैदान हो, स्टेडियम नहीं। साथ ही कृपया यह भी सुनिश्चित कीजिए कि प्रत्येक पंचायत में एक खेल का मैदान हो। कम से कम यदि आप ऐसा करते है तो आप राष्ट्र की महान सेवा करेंगे।

यद्यपि मुझे कई और बातें बोलनी है परन्तु आप मेरी ओर देख रहे है इसीलिए में अपने भाषण को समाप्त कर रहा हूं। मैं आपको मुझे समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री एस०के० कारवींधन (पलानी) : महोदय, मैं आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मानव संसाधन मंत्रालय का कामकाज तीन व्यापक अनुभवी मंत्रियों अर्थात् श्री एस०आर० बोम्मई जी, श्री मुहीराम सैकिया और श्री धनुषकोड़ी आदित्यन द्वारा देखा जा रहा है जबकि इस मंत्रालय के पास पर्याप्त धन नहीं हैं मैं तमिलनाडु के तिरूवल्लुवर द्वारा 2000 वर्षों पूर्व लिखे तिरूक्कुरल से द्विपक्षी का उल्लेख करना चाहता हूं।

आइन्याभूझूथिल पेरीयोक कम थून महानाय
सन्तोइन इना केट्टा थाई

अर्थात, एक मां को अत्यधिक आनन्द की अनुभूति यह सुनकर होती है कि उसका पुत्र महान विद्धान है उसके पैदा होने के बारे में सुनने से होने वाली आनन्द की अनुभूति से भी ज्यादा अब हमारी भारतीय मांए अपने पुत्रों के सम्बन्ध में खुश है।

इसीलिए हमें हमारे देश की साक्षरता दर के बारे में सोचना चाहिए। 1950-51 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 18 प्रतिशत थी। पुरूषों की साक्षरता दर 27.2 प्रतिशत और स्त्रियों की 9 प्रतिशत थी। पुरूषों और स्त्रियों की दरों में अन्तर है।

1990-91 की जनगणना के अनुसार यह मात्र 52.2 प्रतिशत है। पुरूषों की साक्षरता दर 64 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 39 प्रतिशत थी।

आजकल हम लोग महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए लड़ रहे है। स्वर्गीय राजीव गांधी के निर्देशानुसार पंचायती राज में हमने महिलाओं को शक्तियां दी है। वे पदों पर आसीन हैं परन्तु शिक्षा के अभाव में वे कड़ा संघर्ष कर रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने 15 और 35 वर्ष के आयु समूह के मध्य शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य रखा था। यदि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें इस पर सोचना होगा। पूर्ण समय वाले औपचारिक विद्यालय और अल्पकालिक अनौपचारिक विद्यालय के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाह रहे थे। परन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमनें अनौपचारिक शिक्षा के 3.5 लाख केन्द्र खोलने की योजना बनाई थी। परन्तु हम इसे पूरा नहीं कर पाए थे। वर्ष 1996-97 तक सरकार ने केवल 2.00 लाख मात्र खर्च किया। प्रगति की रफ्तार बहुत ही धीमी हैं इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 के अनुसार वर्ष 2005 तक देश को पूर्ण साक्षर घोषित करने की वचनबद्धता थी। उसके लिए 2000 ईस्वी तक सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। चाहे केन्द्र सरकार अधिक धन का आवंटन करे या राज्य सरकार अधिक धन का आवंटन हमें इस पर सोचना होगा। परन्तु केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा किया गया व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.7 प्रतिशत था। इसी कारण, इसे 2000 ईस्वी तक छह प्रतिशत तक बढ़ाया जाना होगा।

केन्द्र सरकार को नौवीं पंचवर्षीय योजना में बजटीय आवंटन करना होगा। हमारे देश में साक्षरता दर 47 प्रतिशत है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। प्राथमिक शिक्षा का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौंवी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002 तक छह प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमें इसे खर्च करना होगा। सरकार को धन का आवंटन करना होगा।

हमारे लक्ष्य के अनुसार हम वर्ष 1997-98 में 10,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुके होंगे। वर्ष 1998-99 में हम 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे; वर्ष 1999-2000 में यह 14,000 करोड़ रुपए हो जाएंगें; वर्ष 2000-2001 में यह 15,500 करोड़ होंगे। परन्तु वर्ष 1997-98 के दौरान केवल 4,093.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

सरकार कोठारी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफल रही है जिसने शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसने शिक्षा के लिए 20 वर्षों के भीतर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत के आवंटन की सिफारिश की थी। इसके लिए केन्द्र और राज्यों को बड़ी धनराशियों का आवंटन करना चाहिए।

फिर भी, वर्ष 1996-97 की बजटीय सहायता के दौरान हमारे वित्त मंत्री ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के आशय की घोषणा की थी।

हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री, श्री एच०डी० देवेगौड़ा ने सभी जिलों में एक आवासीय विद्यालय खोलने की आशा की घोषणा की थी। जिसे क्रियान्वित किया जाना है।

जहां तक अनौपचारिक शिक्षा का संबंध है कई विदेशी राष्ट्र हमारी सरकार की मदद कर रहे है। हम बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से कुछ योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं।

मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य के रूप में मैने कुछ महीने पहले दौरा किया था। राजस्थान में हमने 'शिक्षा कर्म और लोक जुम्बिश' स्कीम को देखा। इसे 50 प्रतिशत राज सहायता स्वीडिश सरकार, 25 प्रतिशत भारत सरकार और 25 राज्य द्वारा दी जा रही हैं यह एक अच्छी स्कीम हैं यह ग्रामीण लोगों को भी फायदा पहुंचा रही हैं उदाहरणार्थ,

[श्री एस०के० कारवींधन]

मैं कहना चाहूंगा कि उस गांव में कोई भी शिक्षित नहीं है, सभी अशिक्षित हैं। वे विद्यालय के संचालन के लिए अध्यापक को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। 'शिक्षा कर्म और लोक जुम्बिश' स्कीम के माध्यम से उन्होंने शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया। उस स्कीम में पंचायत अध्यक्षों ने भी इस प्रकार के विद्यालयों को स्थापित करने में स्वयं परिश्रम किया। इस स्कीम को पूरे राष्ट्र में विद्यालयों के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए चलाया जाना चाहिए।

जहां तक मध्याह्न भोजन योजना का सम्बन्ध है, जैसा कि कुछ सदस्य उल्लेखित कर चुके है, इसकी घोषणा पिछली सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1995 को की गई थी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि 1960-61 की अवधि के दौरान जब हमारे महान नेता तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे, पूरे भारत में, वे मध्याह्न भोजन योजना की घोषणा करने वाले वे पहले नेता थे। केरल के बाद, तमिलनाडु सर्वाधिक शिक्षित राज्य है जिसका कारण कामराज और क्रांतिकारी नेता ई०वी० रामासामी पेरियार जैसे हमारे महान नेताओं द्वारा किया गया महान कार्य है। केन्द्र सरकार ने 15 अगस्त, 1995 को मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ की थी। यह योजना तमिलनाडु में सफल रही है। देश में सभी ग्रामीण केन्द्रों में, छात्रों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने की दर में कमी लाने में सफल रही हैं इस योजना को सभी राज्यों में उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस योजना में भी, भारत सरकार को कदम उठाने होंगे और सभी केन्द्रों में मध्याह्न भोजन योजना को क्रियान्वित करना होगा। इसके साथ इस योजना की देखरेख के लिए एक समिति का गठन भी किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें भी कुछ त्रुटियां और कुछ अनपेक्षित बातें हो सकती है। मध्याह्न भोजन योजना को जारी रखने के लिए सरकार को खाद्यान्न और अन्य सामग्री की आपूर्ति करनी चाहिए।

जब स्वर्गीय कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे तब विद्यालयों में पढ़ाई अधूरी छोड़कर जाने वाले छात्रों की दर को कम करने के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों का नियंत्रण पंचायत संघों द्वारा किया जाता था। यदि उनका नियंत्रण पंचायत संघों द्वारा किया जाता है तो वे शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के तबादले, शिक्षकों का नियंत्रण और विद्यालयों के देखभाल इत्यादि मामलों में अच्छा कार्य कर सकते है। पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत भी यह प्रावधान है कि पूरे भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विद्यालयों को पंचायतों को दिया जाना चाहिएं

मुझे प्राइवेट ट्यूटोरियल कालजों के बारे बात करते हुए दुख होता है। आजकल यह भी एक बड़ा व्यापार बन गया हैं सरकारी माध्यमिक विद्यालयों या प्राथमिक विद्यालयों में काम करने वाले सभी अध्यापक प्रमुख रूप में प्राइवेट ट्यूशनों पर ही ध्यान दे रहे हैं और उस शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे है जो कि उन्हें विद्यालयों में प्रदान करनी होती हैं उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं दो या तीन सप्ताह पहले आन्ध्र प्रदेश में एक प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले लीक हो गया था। खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि इसका कारण ट्यूटोरियल कालेज थे। वे और ज्यादा संख्या में छात्रों को प्रवेश देना चाहते थे। प्रावइेट ट्यूटोरियल कालेज और प्राइवेट ट्यूशन सिस्टम युवा छात्रों के दिमाग को खराब कर रहे हैं। उन्हें पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए।

मैं खेलकूद और युवा मामलों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हम लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार युवा मामलों और खेलकूद के विकास के लिए कदम नहीं उठा रही है। मुझे कहते हुए दुख होता हैं कि मात्र 86 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। भारत सरकार को युवा मामलों और खेलकूद के विकास के लिए और ज्यादा धन आवंटित करना चाहिए।

सभी सरकारी उच्च विद्यालयों में भारत सरकार को खेलकूद के विकास के लिए सभी सुविधाएं और सभी बुनियादी ढांचा प्रदान करना चाहिए। हमें पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार करना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र वेटासिंडूर और ऊटाचटरम क्षेत्रों में कम से कम छह से सात किलोमीटर का इलाका पहाड़ी इलाका है। यहां 100 से ज्यादा छात्र अध्ययन कर रहे है परन्तु अध्यापक पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचने में समर्थ नहीं है। अध्यापकों को बाहरी क्षेत्रों से नियुक्त किया जाता है। वे उन क्षेत्रों पर पहुंचने में समर्थ नहीं है। स्थानीय क्षेत्रों से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। सरकार को शिक्षा के विकास पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहिए।

एक अन्य बात भी हैं ज्यादातर गांवों और शहरों में लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना चाहते हैं। यह एक आर्कषण की बात बन गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी स्कूल कार्यरत हैं लेकिन वे अपने बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश नहीं दिलाते। वे उन्हें अलग स्थानों, तालुक केन्द्रों पर भेजते हैं। शासकीय उच्च विद्यालयों में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विशेषकर शिक्षा विभाग से यह अनुरोध करता हूं कि वह सभी राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराये जाने की दिशा में कदम उठाये। हम इसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए भी सिफारिश करते हैं। लेकिन वे कम्पयूटर उपलब्ध कराने में बहुत अधिक विलम्ब करते हैं।

मैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। पूरे देश में लोग ऐसे केन्द्र में जाने से घबराते हैं क्योंकि वे ऐसा दर्शाते हैं ये केन्द्र केवल बड़े व्यापार केन्द्रों की ही जरूरतों को पूरा करते हैं। बड़े शहरों में तकनीकी महाविद्यालय खोलने के लिए उन्हें कहा जाता है कि उनके पास चालीस से पचास एकड़ भूमि होनी चाहिए। इस अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा केन्द्र में सभी प्रकार के कदाचार चलते हैं। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने होंगे। कॉलेज खोलने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है : राज्य सरकार की अनुमति, विश्वविद्यालय की अनुमति तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमति। गांवों या ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज खोलने के लिए इन तीन स्तरों से गुजरना होता हैं। उन्हें इसके लिए ज्यादा धन व्यय करना पड़ता हैं इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह इजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में सभापित के कोटा को भी समाप्त करें।

हमारे दिवगंत नेता श्री कामराज ने गरीब विद्यार्थियों को डाक्टर, इंजीनियर या अधिवक्ता बनाये जाने के लिए भोजना का शुभारंभ किया था। एक गरीब विद्यार्थी 96 प्रतिशत अंक लाकर भी इन महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं पाता जबकि 60 प्रतिशत अंक लाकर एक विद्यार्थी कोटा

के आधार पर 25 लाख रुपए देकर इन महाविद्यालयों में प्रवेश पा लेता है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इस कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। पूरे भारत में गुण के आधार पर प्रवेश प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। इस प्रणाली को शुरू किया जाना चाहिए।

साथ ही मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि केन्द्र स्तर पर अच्छे तरीके से स्वतः ऐसे स्कूलों के विकास के लिए कदम उठाना चाहिए। तभी हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए अधिक धन आवंटित करना चाहिए। तभी हम गुणवान विद्यार्थी विकसित कर सकते हैं। आज के अच्छे विद्यार्थी ही कल के अच्छे नागरिक होंगे और कल के अच्छे नागरिक हमारे राष्ट्र के नेता होंगे। इस पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार को शिक्षा के लिए और अधिक धन आवंटित करना होगा।

इन्ही शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी कुछ राजनैतिक दल नहीं बोल पाए हैं। भा०ज०पा० के भी अभी दस मिनट बाकी हैं एक नॉमिनेटेड मेम्बर हैं, वह भी नहीं बोल पाए हैं। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा चार मेम्बर्स को बुलाऊंगा और फिर माननीय मंत्री जी अपना जवाब देगे। मैं माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि वे सिर्फ पांच-पांच मिनट बोले। कृपया हमारे साथ सहयोग करें।

[अनुवाद]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : लास्ट में बोलने वालों के साथ हमेशा यही होता है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कल एनर्जी मिनिस्ट्री पर भी डिसकशन होना है। यह कल तक पास नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी।

श्री इलियास आजमी : उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर कुछ कहने से पहले मैं यह कहूंगा कि जहां तक उसमें जितनी खराबियां यहां पर बताई गई हैं, वे बहुत पहले से चली आ रही हैं। बोम्मई साहब नेतागिरी कम करते हैं, डिपार्टमेंट ज्यादा देखते हैं, यह मैं जातीय तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूं मैं यह भी कहूंगा कि उन्होंने कुछ काम भी किया हैं लेकिन शायद यूनाईटेड फ्रंट में रहकर उनमें यह हिम्मत नहीं है कि जो गलत तरीके से पैसा पहले से खर्च होता चला जा रहा है, उस पैसे का ठीक से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में विचार करें। मिसाल के तौर पर, यह पूरे देश का मामला है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नाम पर एच०आर०डी० मिनिस्ट्री में जो योजनायें हैं, इन योजनाओं का पैसा 90 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार की नजर हो जाता हैं जब इस प्रकार की बात आई, तब मैंने कहा और बोम्मई साहब से प्रार्थना भी की कि इन स्कीम्स को बन्द कर दिया जाए। इतने पैसे में तो हमारे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का कुछ प्रसार हो रहा है।

जहां तक हायर शिक्षा की बात है, चूंकि डिग्री कालेज यू०जी० सी० से गवर्न होते हैं, उनकी हालत भी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा जो कि प्रदेश सरकार के अधीन हैं, उनकी हालत यह है कि 12-14 साल जिस स्कूल को चलते हुए हो गए, वे अभी तक भी ए-लिस्ट में नहीं आए हैं। पांच-सात वर्षों में भी जो नए इन्टर कालेज हैं, वे भी ए-लिस्ट में नहीं आ सके हैं। राष्टीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम में भी 90 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। मैं समझता हूं कि जब यह योजना बनी थी, तो उस वक्त अधिकारियों को खिलाने के लिए यह स्कीम बनी थी। एक मामूली सा बच्चा भी यह समझ सकता था कि जिस तरह से यह स्कीम बनी हैं, वह देश की दौलत को बरबाद करने के लिए बनी हैं। यह सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाएगा। इसके अलावा दीवारों पर मोनोग्राम मिल जायेंगे, लेकिन देहात से लेकर शहर तक कहीं भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा हैं स्थिति यह है कि दस प्रतिशत पैसा खर्च किया जाता है और बाकी 90 प्रतिशत पैसा अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा फर्जी बिल बनाकर खा लिया जाता है। मैं बोम्मई साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। साथ ही मैं रासासिंह रावत जी से भी कहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा है शिक्षा पर छः प्रतिशत भी खर्च नहीं हो रहा है, इन आंकड़ों के जाल में न जायें कि कितना पैसा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : आपके राज्य में ऐसी स्थिति होगी, हमारे राज्य में साक्षरता में बहुत कार्य हो रहा हैं इस समय 21 जिले शतप्रतिशत शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।

श्री इलियास आजमी : मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार का पैसा बांटने का क्राइटेरिया क्या हैं मुझे आज ही एच० आर०डी० मंत्रालय से जवाब मिला है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में 1996-97 में जो पैसा दिया गया है, उसमें राजस्थान को 13,04,62,000 रुपए और उत्तर प्रदेश को, जो इस राज्य से तीन गुना है, 9,43,27,000 रुपए दिए गए हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : काम तो हो रहा है।

श्री इलियास आजमी : कुछ काम नहीं हो रहा हैं दूसरी तरफ केरल राज्य में, जहां पर 100 प्रतिशत लीट्रेसी है, वहां पर प्रौढ़ शिक्षा की क्या जरूरत है, लेकिन इस राज्य को इस कार्यक्रम के लिए 5,97,97,000 रुपए दिए गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस राज्य में सौ प्रतिशत लिट्रेसी है, तो फिर इतने पैसे इस कार्यक्रम में देने की क्या जरूरत है। *(व्यवधान)* मेरे समझ में नहीं आता है कि यह किस आधार पर बंदर बांट केन्द्र में बैठे अधिकारियों द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आबादी ज्यादा है, लेकिन इसको इग्नोर किया जाता है और राजस्थान को 13 करोड़ और उत्तर प्रदेश को 9 करोड़, जबकि यह राज्य तीन गुना ज्यादा बड़ा है, राशि दी गई है।

प्रो० रासा सिंह रावत : राजस्थान आपका पड़ोसी राज्य है।

श्री इलियास आजमी : इस प्रकार पैसा जाया किया जाता है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी योजना और महिला बाल निर्माण योजना तथा दोपहर में भोजन के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, वे पैसा भी सही मायनों खर्च में नहीं हो रहा हैं मैं यह कहता हूं कि जहां पर ये पैसा 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं हो रहा हो, उस स्कीम को तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय ने सोशियल आडिट स्कीम के तहत समितियां बना दी हैं, उनकी रिपोर्ट

[श्री इलियास आजमी]

का उनको इंतजार है और इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि पैसा जाया हो रहा है, कम खर्च हो रहा है, मंत्री जी ने कहा है कि वहां उस स्कीम को बन्द कर दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय में भी सोशियल आडिट स्कीम के तहत जांच हो कि जिन योजनाओं में पैसा दिया जा रहा है, वह कही जाया तो नहीं हो रहा है। अगर जाया हो रहा है, तो उसको रोकने के प्रयास सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। इतने पैसे में तो बहुत सारे स्कूल बन सकते थे, बहुत सारे नये स्कूल खुल सकते थें जहां बाकायदा शिक्षा दी जाती है वहां बहरहाल कुछ न कुछ काम होता है। स्कूलों में टी०वी० लगाने की बात की बड़ी वकालत हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि टी०वी० वगैरह के चक्कर में मत पड़े, इसके जरिए कोई पढ़ाई नहीं हो सकती बल्कि जो पढ़ाई हो रही है वह भी बर्बाद हो जाएगी। सारे बच्चे टी०वी० देखने में लग जाएंगे।

महोदय, दूसरी बात हमारे एक दोस्त पासवान जी ने कही है। उन्होंने कहा है कि मदरसे को शायद केन्द्र सरकार एक पैसा भी नहीं दे रही है। मैं रिकार्ड में लाना चाहता हूं। हालांकि मदरसे के नाम पर सिलसिला शुरू हुआ था कि उर्दू जुबान की हिफाज़त के लिए और कुछ मज़हबी तालीम की हिफाज़त के लिए जब एक बार मुसलमानों में यह भावना पैदा हुई कि कहीं यह जुबान ही न खत्म हो जाए तो उन्होंने चंदे से पूरे मुल्क में शिक्षा का इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया कि शायद किसी सरकार के बस में भी नहीं था कि एक-एक गांव में एक स्कूल, जो सिर्फ चंदे के बल पर चलता हो उसमें एक पैसा भी सरकार का न हो। बहरहाल शिक्षा तो वहां भी होती है, वहां के लड़के भी प्राइमरी तक पढ़ कर किसी सरकारी स्कूल में भेज कर, उनकी परीक्षा देकर प्राइमरी तक तो वे दे ही देते हैं। कुछ स्कूल हैं जो जूनियर हाई स्कूल तक भी चलते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है, जिससे लाखों बच्चे पढ़ते हैं वहां अब तक सरकार का एक पैसा भी नहीं लगा हैं मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार, जो मौजूदा युनाइटेड फ्रंट की सरकार है, जो अकलियतों की, अल्पसंख्यकों की हमदर्द है और हमदर्दी का दावा करती है वह जो पैसा जाया हो रहा है वह पैसा अगर मदरसे पर खर्च कर दे तो शायद ये मदरसे यहां की जरूरत को पूरा कर देंगे, जो साक्षरता की जरूरत है। अगर यह पैसा मदरसे या संस्कृत की पाठशालाएं जो चला रहे हैं उनको दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि वे उस जरूरत को पूरा कर देंगे। मैं एक बार फिर बोम्मई जी से कहूंगा कि जितना पैसा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा पर बच्चों के भोजन के नाम पर जाया हो रहा है इस सारे पैसे को बेहतर काम में लगाइए ताकि उसके नतीजे बेहतर हों। शायद आप यह समझते हैं कि जो हजारों आदमी लाखों-करोड़ों रुपए खा रहे हैं ये सड़कों पर आ जाएंगे। इसमें डरने की बात नहीं है, इसके लिए पूरा देश आपका स्वागत करेगा कि जो पैसा जाया हो रहा था उस पैसे को आपने बचा लिया। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और न यह पोलिटिकल मसला बन पाएगा। गांव के एक-एक आदमी से पूछिएगा तो वह कहेगा कि सरकार की अकल पर शुभा करता है कि यह पैसा सरकार दे रही है, क्यों दे रही है, यह पैसा कहां जा रहा हैं वक्त कम है इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आपके आदेश का पालन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री रनेन बर्मन (वलूरघाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बंगाली में बोलूंगा। अपने क्रांतिकारी समाजवादी दल की ओर से मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, हम जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र शिक्षा के बिना तरक्की नहीं कर सकता है। किसी देश की समृद्धि शिक्षा के विकास पर ही निर्भर करती है। लेकिन यह दुःख की बात है कि स्वंतत्रता के पचास वर्ष बाद भी हम सभी लोगों को शिक्षा देने में समर्थ नहीं हैं। यद्यपि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं फिर भी मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव से व्याप्त है। यह भेदभाव ग्रामीण और शहरी शिक्षा व्यवस्था, पुरुष और महिला शिक्षा व्यवस्था, गरीब और अमीर शिक्षा व्यवस्था के बीच देखा जा सकता है। हमारे देश के 85% जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं वे बहुत गरीबी और कठिनाई से अपना जीवकोपार्जन करते हैं।

उनमें ज्यादातर लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच बहुत बड़ी खाई है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान ग्रामीण जनसंख्या हेतु शिक्षा की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। सहानुभूति दिखाना ही पर्याप्त नहीं हैं यह हमारा दुर्भाग्य है। कि हमारे जैसे स्वतंत्र देश में भी कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की सभी सुविधायें उपलब्ध होती है। दूसरे लोगों का क्या होता है ? गांवों में रह रहे अधिकांश लोगों को शिक्षा की मूलभूत सुविधायें भी नही मिल पाती हैं। इस कारण निरक्षरता की दर में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे नेताओं ने सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ उपलब्ध कराने का वायदा किया था। उन्होंने वर्ष 1960 तक प्राथमिक शिक्षा को पूरे देश में एक जैसा करने का संकल्प किया था लेकिन वह संकल्प मात्र कागजी बनकर रह गया। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि शिक्षा के लिए आवंटित बजटीय समर्थन में वृद्धि की जाए और ग्रामीण लोगों को शिक्षा पाने का अवसर मिलना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुरुष और महिला शिक्षा के बीच भी भेदभाव है। महोदय, हम जानते हैं कि शिक्षा पुरुषों को सही जीविका उपलब्ध कराती है। लेकिन महिला शिक्षा का आशय अगली पीढ़ी का उत्थान है क्योंकि महिला बच्चों के लालन-पालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं एक शिक्षित माता बच्चों के समग्र विकास के लिए एक धरोहर स्वरूप है और बच्चों का सही विकास ही राष्ट्र के विकास की रीढ़ होती हैं मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि महिला शिक्षा के उत्थान संबंधी योजना में हम असफल रहे हैं। हमें इसकी महत्ता को समझते हुए महिला शिक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए।

मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं। निगरानी और उचित मार्ग दर्शन के अभाव में गांवों के स्कूल सही रूप में कार्य नहीं करते। जैसा कि पूर्व वक्ताओं द्वारा पहले कहा गया है, अनेक शिक्षक निजी ट्यूशन और ट्यूटोरियल क्लास चलाने में ज्यादा रूचि रखते हैं। ऐसे लोग अपने कार्यों के प्रति न्याय नहीं करते। उचित मार्ग निर्देशन और निगरानी आज की आवश्यकता है। जब शिक्षक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन उचित रूप

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर

से करेंगे तभी वे विद्यार्थियों के साथ न्याय कर सकेंगे। उचित मार्ग निर्देशन से ही उन्हें सही शिक्षा मिल सकती हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा के लिए आवंटित बजटीय राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। जिससे कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लागों को उचित न्याय मिल सके। इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती हेडविग मिचले रिगो (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्माननीय सभा को संबोधित करने का अवसर मुझे प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं अनुदानों के मांग के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार का ध्यान शिक्षा और रोजगार की दिशा में आंग्ल भारतीय समुदाय की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहती हूं।

संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग और आंग्ल-भारतीय समुदाय के अधिकारों की संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। दुर्भाग्यवश, अन्य समुदायों ने अपने आरक्षण को बनाये रखा जबकि इस समुदाय से वे फायदे वापस लिए जाने के फलस्वरूप विगत 25 वर्षों में उनकी शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्तर में काफी गिरावट आयी हैं 25 वर्ष पूर्व हम लोग सभी सेवाओं में, क्योंकि हम सेवा-उन्मुखी समुदाय हैं, अपनी पहचान बना रखी थी। हम लोग रक्षा सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं, शिक्षा, केन्द्रीय सेवाओं–रेलवे, दूर-संचार, उपचर्या, शिक्षण और सचिवीय कार्य में आगे थे। हम किसी से कम नहीं थे और हमारे समुदाय ने ही नार्मन प्रचार्ड जैसे धावक दिए जिन्होंने वर्ष 1900 में हुए औलंपिक खेल में दो सौ मीटर दौड़ और दो सौ मीठेर बाधा दौड़ में रजत पदक देश को दिलवाये थे।

आज हमारा समुदाय संघर्ष कर रहा हैं हम मूलतः शहरी क्षेत्र में रहने वाले समुदाय हैं और हमारी जनसंख्या, 950 मिलियन लोगों में से, मात्र 1,25,000 है। हम जिन्दा रहने, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अनुशासन को बनाये रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे समुदाय के अधिकतर लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं किन्तु एक राज्य में हमारी संख्या काफी हैं और इसी कारण उस राज्य से सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि चुना जाता है इस श्रद्धास्पद सभा में उस समुदाय का प्रतिनिध होने के कारण मैं सरकार का ध्यान उन तीन समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है। उनसे हमारा निकट का संबंध है और मैं संक्षिप्त में वे तीन बातें उचित शिक्षा, रोजगार और आवास पर संक्षिप्त में बोलूंगी। शिक्षा के मामले में कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जिसने इस समुदाय को रियायत दी है। कर्नाटक में रह रहे हमारे समुदाय के लोगों को कॉलेज स्तर और स्नातक स्तर तक की फीस वापस मिल जाती है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पालिटेक्निक, और उपचर्या में भी हमारे समुदाय को आरक्षण दिया गया हैं चूंकि शिक्षा समवर्ती विषय है मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे प्रत्येक राज्यों से ऐसी रियायत हमारे समुदाय को उपलब्ध कराने की पहल करे। मैं उच्च विद्यालय तक सभी आंग्ल-भारतीय को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने की मांग करती हूं। मैं सरकार का ध्यान आंग्ल-भारतीय संहिता के अंतर्गत कार्यरत निजी स्कूलों की ओर दिलाना चाहती हूं जहां शिक्षकों का शोषण होता है और जिस कारण, बहुत ही कम बच्चे स्कूल जाते हैं। वहां प्रशिक्षक और शिक्षकों की तो उपेक्षा की जाती है परन्तु वहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और बच्चे उल्लेखनीय प्रगति करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों मन और हृदय को छूती हैं। बहुत ही कठिन परिश्रम के पश्चात वे उनगें आस्था जगाती है। शिक्षकों को प्रबंधन का एक अंग समझा जाना चाहिए और उन्हें कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के समतुल्य समझा जाना चाहिए। उन्हें वे सभी भत्ते और सुविधायें दी जानी चाहिए जो एक अधिकारी को उसके मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, आवास, चिकित्सा और पेंशन सुविधायें के रूप में मिलती है जिससे कि वे अच्छी जिन्दगी जी सकें। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह शिक्षा के क्षेत्र में वे सभी अनुदान दे और राज्यों को भी उपलब्ध कराये। मूल रूप से एक शहरी समुदाय होने के कारण हमें शहरी सीमा से धीरे-धीरे बाहर धकेला जा रहा है और आर्थिक दबाव के फलस्वरूप हमें सीमा पर रहना पड़ रहा है।

विद्यार्थियों को स्कूल जाने में कठिनाई होती है इस कारण कई विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं। अतः सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि जरूरतंमद तथा बेकार लोगों को आवास कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय सहायता उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वे एक अवधि के पश्चात् मकान खरीद सकें और एक सम्मान की जिन्दगी जी सकें। मैं सभी राज्य के आवासीय योजनाओं से इस समुदाय को नियमित तौर कुछ आवंटित किए जाने का अनुरोध करती हूं।

जहां तक नियोजन एक संबंध है तो यहां भी मैं पुनः सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि सैन्य बलों में, जो कि एक वक्त हमारा गढ़ था और जहां हमने अपने कर्त्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से इस देश के लिए निभाया और जिसमें अनेक हमारे समुदाय के लोगों ने अपनी जान न्योछावार किया था, क्षमतावण लोगों को आकर्षित करने के लिए विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। मैं रक्षा, केन्द्रीय सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं, शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों, पोलिटेक्निलों आदि में सीटों का आरक्षण किया जाए। मैं मात्र कुछ सीटों की मांग कर रही हूं क्योंकि हमारा समुदाय एक अत्यंत छोटा समुदाय है।

मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं जो एम०पी०एल०ए०डी०एस० से संबंधित है। इस सम्मानीय सभा के कुल 545 सदस्यों में से 543 सदस्यों का अपना-अपना निर्वाचन क्षेत्र है। लेकिन, हम दोनों लोगों का, जो कि नाम-निर्देशित सदस्य हैं, निर्वाचन क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। हमें 1,25,000 लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना होता है। हमें अपनी कमजोरियों का पता कैसे चलेगा और इन योजनाओं को कैसे लागू करें।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करती हूं कि इन शहरी क्षेत्रों में हमें भूमि उपलब्ध कराने क्योंकि यहां हमारे समुदाय के काफी लोग रहते हैं और इसके फलस्वरूप मिलने वाले धन से हम विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक, माध्यामिक उच्च विद्यालय खोल सकें जिससे कि वे राज्य बोर्ड परीक्षा में बैठ सकें, वृद्धाश्रम का निर्माण, चिकित्सा केन्द्रों, युवक केन्द्रों, छात्रावासों, क्रीड़ा केन्द्रों और कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जा सके और जहां हम अपने बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करा सकें। हम सामुदायिक गतिविधिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर सकते हैं।

एम०पी०एल०ए०डी०एस० के अंतर्गत अभी हम भूमि नहीं खरीद सकते

[श्रीमती हेडविम मिचले रिगो]

हैं। इसलिए हमारे कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं और इस कारण हमारे समुदाय को नुकसान उठाना पड़ता है क्या मैं कुछ मिनट ले सकती हूं ? जब मैं समुदाय की बात कर रही हूं ? तो मेरे हृदय ईशाई समुदाय के उन निर्धन लोगों के प्रति जाता है जिनसे हम जुड़े हैं। जब मैं उनके बारे में बोलती हूं तो मेरा आशय दलित *क्रस्चियन* से होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है परन्तु इन लोगों को जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित किया है केवल धार्मिक समानता में बराबरी मिली हुई हैं और किसी चीज में नहीं। अपने जन्म के साथ लगे धब्बे के परिणामस्वरूप वे अपनी जाति से बाहर नहीं आ पाते और उन्हें वास्तविक सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं। अतः, मैं एक बार पुनः इन वंचित लोगों के लिए सामाजिक न्याय की गुहार करती हूं जिससे कि उनका और अधिक शोषण न हो और वे भी इस महान् देश की उपलब्धियों के भागी बन सकें और सम्मान की जिन्दगी व्यतीत कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी बी०जे०पी० के 10 मिनट बाकी हैं। अगर मोहले 5 मिनट छोड़ेंगे तो श्री भगवान शंकर रावत बोल लेंगे नहीं चांस नहीं मिलेगा।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों का विरोध करते हुये अपनी बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ब्लैक बोर्ड आप्रेशन, राजीव शिक्षा मिशन और नेहरू युवा केन्द्र साक्षरता अभियान के अलग-अलग केन्द्र हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिये जो शिक्षक रखे गये हैं, उनको मात्र 200 रुपये दिये जाते हैं। इसको 1000 रुपये तक बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां तक आप्रेशन ब्लैक बोर्ड का मामला है, इसमें साक्षरता का दायरा सीमित कर दिया गया है क्योंकि इसमें देखभाल करने वाला कोई नहीं है क्योंकि इसके लिये तो सांस्कृतिक सामग्री दी जाती है, उसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है। वहां न टी०वी० दिया जाता है और यदि मिला भी है तो शिक्षकों के घरों पर या ग्राम पंचायत के प्रधान के घर चला जाता है। साथ ही बिजली की राशि पर्याप्त नहीं दी गई है। राजीव शिक्षा मिशन कमीशन का केन्द्र बन गया है और नेहरू युवा केन्द्र राजनीतिज्ञों का अड्डा बन गया है। साथ में भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है। इसकी सहीं ढंग से जांच की जाये। यह देखा गया है कि जहां गलत मामले हुये हैं या जहां काला बाजार हो रहा है, वहां पर राजनीतिज्ञों द्वारा साक्षरता अभियान में अपने ही लोगों को तमगे दिये जाते हैं। उन पर पैसा भी खर्च किया जाता है और जिस मनमाने ढंग से वे अपनी यात्रा करते हैं, उस जगह आधा-एक घंटे तक नाच-गान करके लोगों को लुभावने नारे देकर प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसको भी देखा जाए और इसकी सही ढंग से जांच करके इस राशि का सदुपयोग किया जाएं वहां शिक्षा के नाम पर न हाईस्कूल है, ना टाट-पट्टी होती है, न शिक्षक रहते हैं। इस राशि को इन शिक्षकों वेतन और भत्तों की बढ़ोत्तरी में खर्च किया जाए। ताकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली को सही ढंग से साकार रूप दिया जा सके। महिला बाल विकास केन्द्र तथा आंगनबाड़ी की दशा दयनीय है। वहां आंगनबाड़ी में बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के लोग कुछ छुआछूत के कारण बढ़ने नहीं देते हैं और एक जगह बैठ भी नहीं पाते हैं। शिक्षा जगत में इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है। सिर्फ पोषक आहार दिया जाता है। चाहे वह मध्याह्न भोजन हो। इन दोनों में तुलना की जाए तो एक रुपया मात्र एक बच्चे के लिए खर्च किया जाता है। जबकि एक बच्चे के खर्च के लिए आप सोचिये यहां आप लोग या बड़े लोग एक मिनरल वाटर की बोतल दस रुपये की पीते हैं और एक दिन में कई बोतल पी जाते हैं और एक बच्चे के लिए हम एक रुपया खर्च करते हैं। एक रुपये में क्या पोषक आहार होता है। उसमें सौ ग्राम चावल और 10 से 25 ग्राम दाल होती है। ऐसे कैसे उसका आहार पोषण होगा और किस तरह से उसका पौष्टिक विकास, शैक्षिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास हो सकता है, यह चिंतन का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पोषण आहार को पौष्टिक आहार के रूप में दिया जाए। ताकि वहां के शिक्षक जो पढ़ाई-लिखाई को छोड़कर पकाने में, खाने में, लकड़ी की व्यवस्था करने में वहां के सरपंच भी लगे रहते हैं, वहां के पकाने वाले लगे रहते हैं। बच्चे लोग मुंह ताकते रहते हैं कि कितने समय में उनको खाना मिलेगा। पढ़ाई-लिखाई की उनको कोई चिंता नहीं रहती है। इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इस गिरते हुए शिक्षा के स्तर को देखते हुए वहां पौष्टिक सामग्री दी जाए। ताकि समय की बचत हो और शिक्षकों का पढ़ाने में और बच्चों का पढ़ने में ध्यान लग सके।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा में भ्रष्टाचार के कितने रूप हैं, चाहे वह राजीव शिक्षा मिशन हो, चाहे साक्षरता अभियान हो, चाहे नेहरू शिक्षा केन्द्र हो, चाहे आपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, इन सबकी समुचित जांच की जाए। बिलासपुर जिले में गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय महाविद्यालय का दर्जा दिया जाए। वह एक अनुसूचित जाति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, ताकि वहां का विकास हो सके। वहां एक इंजीनियरिंग कालेज है, वहां इंजीनियरिंग कालेज में तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रोनिक शिक्षा तथा कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हो। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत नवोदय विद्यालयों में भी आपने जिस तरह से कंप्यूटर की शिक्षा प्रणाली को लागू किया है। वैसे ही प्रत्येक ब्लाक में कंप्यूटर की शिक्षा प्रणाली लागू हो। ताकि गांव के बच्चे कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें और ग्रामीणों का भी विकास हो सके। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनादिचरण साहू (कटक) : धन्यवाद महोदय, मैं अभी मूल बात पर आता हूं।

वास्तविकता कुछ ऐसी है। महान महिला श्रीमती गांधी ने खेल-कूद

नीति के बारे में सोचा था। इसके लिए उन्होंने तीन-चार बहुत ही आसान बातों – खेल-कूद की व्यापकता, विभिन्न स्तरों पर श्रेणीबद्ध प्रतिस्पर्धा और खेल-कूद प्रबंधन के बारे में सोचा था। ये कुछ मुद्दे थे जिसके बारे में उन्होंने कहा था और हम विगत 10 से 15 वर्षों से इस बारे में सोच रहे हैं।

जहां तक आधारभूत संरचनाओं का संबंध है तो यह खेल-कूद की व्यापकता से संबंधित है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर माननीय मंत्री को विचार किया जाना चाहिए, वह खेल-कूद प्रबंधन से सम्बंधित है। यहां मैं मात्र उसी पर चर्चा करूंगा।

मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह कृपा करके खेल-कूद प्रबंधन के बारे में सोचे। खेल-कूद के प्रबंध के लिए हम अलग-अलग नितियों के बारे में सोचते रहे हैं। हमारे यहां भारतीय खेल-कूद प्राधिकरण है जो विभिन्न सघों, संगठनों और खिलाड़ी का नेतृत्व करता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया खेल-कूद प्राधिकरण को फिर से दुरूस्त करें। यह आवश्यक नहीं है कि खेल-कूद प्राधिकरण में अनेक लोग हो और इसमें बेमतलब की भर्ती न हो। खेल-कूद में नामी व्यक्तियों को भारतीय खेल प्राधिकरण में लाया जाना चाहिए। जब खेल-कूद विभाग में सचिव का पद है तो खेल-कूद महानिदेशक की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों, विशेषकर केन्द्रीय सेवाओं के लोगों को ठीक बनाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसकी क्या आवश्यकता है ? ऐसे लोगों को लें जो एक कोच हो और जिन्होंने खेल-कूल प्रबंधन के क्षेत्र में महारत हासिल की हो।

अब जहां तक श्रेणीबद्ध प्रतिस्पर्धा का संबंध है तो अपने ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर प्रतिस्पर्धा में इसे बांट रखा हैं इसे कठोर रूप से पालन करने के लिए ठेके पर अच्छे प्रशिक्षक नियुक्त करने चाहिए।

अपराह्न 7.00 बजे

आज कल आपको ऐसे तोंदवाले कोच मिलेंगे जिन्हें किसी एक विशेष क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं होता और वे यह भी नहीं जानते कि उस क्षेत्र में क्या प्रगति हो रही हैं हाल ही में जर्मनी से एक कोच भारत आया था और उसने यहां हॉकी में दी जा रही प्रशिक्षण व्यवस्था और प्रशिक्षण प्रक्रिया की काफी आलोचना की थी। अतः, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें ठेके पर लोगों की सेवा लेनी चाहिए। जैसा कि न्यायपालिका में है। जब कोई व्यक्ति दस, पंद्रह या बीस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है तो उसे एक अच्छी बढ़ोतरी देकर मजिस्ट्रेट या एक न्यायधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसी तरह, जहां तक कोच का संबंध है तो उन्हें भी पांच, दस या पंद्रह वर्षों के लिए ठेके पर नियुक्त करने चाहिए और जब वे अपनी क्षमता सिद्ध कर दे तब उन्हें स्थायी कर दिया जाए। आपने अनेक प्रेक्षाचार्यों को नियुक्त किया है। आपने उन्हें अनेक अर्जुन पुरूस्कार भी दिए हैं। लेकिन एक भी अर्जुन नहीं निकला। विगत अटलांटा ओलम्पिक खेल के दौरान भी आपको जो मिला वह एक कांस्य पदक था और वह भी विजेता के व्यक्तिगत बल पर पाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री अनादिचरण साहू : मैं दो मिनट और लूंगा। मैं मात्र मुख्य बातें बता रहा हूं।

राष्ट्रीय खेल-कूद में प्रतिभा प्रतिस्पर्धा और अन्य परीक्षणों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। वे उपयुक्त नहीं हैं। खेल में रूचि रखने के लिए मानवोमतीय परीक्षा होनी चाहिए। समय की कमी के कारण मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा।

शिक्षा और खेल-कूल साथ-साथ ही चलना चाहिए। मैं एक कहानी भी कह सकता था। जहां तक सी०ए०बी०ई० सीमित रिपोर्ट का संबंध है – माननीय सदस्य श्री सिंह देव यहां मौजूद हैं। इसमें भारत को चुस्त और मजबूत रखने के बारे में कहा गया हैं जहां तक खेल-कूद का संबंध है तो यह आवश्यक नहीं है कि आप उसमें शिक्षा को शामिल करें। जब कोई माध्यमिक स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय देता है तो उसके लिए आसान गणित, आसान साहित्य, लोक स्वास्थ्य सुविधायें आदि होने चाहिए। तत्पश्चात् उन्हें बाहर भेजकर विभिन्न तरीके की प्रति-स्पर्धाओं से परिचित कराना चाहिए। मुझे दःख के साथ कहना पड़ता है कि खेल प्राधिकरण और भारत सरकार विभिन्न लोगों को प्रति-स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए विदेश भेजती हैं जिससे कि वे रोजगार पा सकें। यह उचित नहीं हैं मेरे पास वक्त नहीं है अन्यथा मैं उन लोगों का उदाहरण देता जिन्हें बाहर भेजा गया और जब वे वापस आये तो उनके पास प्रमाण पत्र और उसके आधार पर उन्हें रोजगार दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए?

श्री अनादि चरण साहू : धन्यवाद महोदय ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में हमारे कई मित्रों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं बहुत देर से मानव संसाधन मंत्रालय पर होने वाली बहस को सुन रहा था लेकिन पुरा-स्मारकों के बारे में, ऑकयोलौजिकल मान्यूमैंट्स के बारे में सदन मे विचार कम आए हैं, इसलिए मैं अपनी बात को उसी पर केन्द्रित रखने की कोशिश करूंगा।

मैं लोकसभा में ऐसे शहर से आता हूं यहां ताजमहल बना हुआ है और जहां देश विदेश के पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। विदेशों से आने वाले कुल पर्यटकों का 33 फीसदी से ज्यादा भाग और देशी पर्यटकों का 50 फीसदी से ज्यादा भाग ताजमहल देखने आगरा आता है। आगरा में आर्कयोलौजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तीन विश्व-प्रसिद्ध धरोहर हैं – ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। इनके अलावा सिकन्दरा और एत्माद्दौला को विश्वदाय स्तर के पुरा-स्मारक बनाने के लिए भारत सरकार ने आवेदन किया हुआ है। अगर मैं यह कहूं कि हमारे देश में टोटल जितने इम्पौर्टेन्ट आर्कयोलौजिकल मान्यूमेंट्स हैं, उनमें से आगरा में सबसे ज्यादा हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मैं कहना चाहता हूं कि ताजमहल तथा अन्य पुरा-स्मारकों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि दर्शनीय स्थल होने के कारण, उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते है। उनके दर्शनों की सुव्यवस्था भी की जाए। चूंकि पर्यटन उद्योग इससे जुड़ा हुआ

[श्री भगवान शंकर रावत]

है, उसे भी बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आगरा स्थित तमाम पुरा-स्मारकों के रख-रखाव की आवश्यकता है। पुरा-स्मारकों की सुरक्षा-व्यवस्था भी इसका एक अंग है। चूंकि आगरा में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जगह-जगह घूमते हैं, इससे इन भवनों को कुछ क्षति भी पहुंचती है। इसके साथ-साथ पर्यावरण की दृष्टि से उन्हें सुरक्षित रखने की योजना भी बनानी होगी।

क्योंकि कालावधि के साथ इन बिल्डिगों की स्थिति भी लगातार जर्जर हो रही है, लेकिन इसका दोष उस क्षेत्र के निवासियों को दिया जाता है और कभी-कभी उन्हें दंडित भी किया जाता है। मुझे जानकारी है कि ताजमहल भी समय के हिसाब से कुछ क्षरित हो रहा है। पिछले दिनों जब भारत सरकार के एक सचिव वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि – आगरा इज ए डाइंग सिटी – हम ताज को बचाने के लिए आगरा की हत्या कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि महोदय, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं, अगर आगरा मर जाएगा, जिस शहर में ताज है तो फिर ताज भी जिन्दा नहीं रह पाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि रोजी, रोटी और विकास के साथ हमें इन पुरा-स्मारकों को जोड़ना होगा। शोषण और उत्पीड़न का माध्यम इन्हें नहीं बनाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, शोषण और उत्पीड़न का माध्यम इन्हें नहीं बनाया जा सकता है और प्रदूषणरोधी उपाय एक समन्वित योजना के अंग होंगे जिसमें यातायात, परिवहन और इन सारी चीजों को रोका जाएगा। मैं सुझाव दूंगा कि आगरा को यातायात परिवहन प्रदूषण से बचाने के लिए आगरा में महानगरीय रेल सेवाएं प्रारंभ की जाएं। हरियाली बढ़ाने के लिए फतेहपुर-सीकरी नहर की परियोजना का जीर्णोद्धार कर समुचित क्षेत्र में हरियाली विकसित करने की व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बोम्मई साहब, जो आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री है, वे हमारे सौभाग्य से संसद की लोक लेखा समिति में थे और उनकी सहमति और सर्वसम्मति से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ताजमहल को पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाने के संबंध में एक रिपोर्ट भी दी थी। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो रिक्मेडेशन उन्होंने उस समय आवश्यकता अनुभव करते हुए दी थीं, उनको वे इम्पलीमेंट करवाने की कृपा करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक समन्वित योजना बनानी चाहिए जिसमें तीनों पैकेज, पर्यटन, पुरास्मारक और पर्यावरण प्रदूषण, विभाग जब मिलकर समन्वित ढंग से योजना बनाएंगे तभी एक प्रकार के पुरास्मारकों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था हो सकती है। हरियाली विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। ताजमहल सहित इन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पुरास्मारकों का हरियाली के अभाव में जीवन क्षरित हो रहा है। इसलिए उसकी एक काम्प्रीहेंसिव स्कीम बनानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि भारत सरकार द्वारा पोषित एक विशेष स्थाई फंड बनाने की आवश्यकता है जो इन पुरास्मारकों के संरक्षण, रख-रखाव, विकास और इन सब की देखभाल करे और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।

मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी उसने आगरा हैरिटेज फंड के नाम से एक निधि का सृजन किया है। लेकिन अलग-अलग निधियां सृजित कर के चाहे उनमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरैक्शन से हों या अन्यथा हों उसके स्थान पर अच्छा यह होगा कि यह काम्प्रीहेंसिव प्लानिंग हो जाए और उसके हिसाब से उसकी फंडिंग की जाए और एक स्थायी निधि बने। योजना आयोग की भी इसमें भूमिका है। उसको भी इसमें शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आगरा को हैरिटेज सिटी बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह हैरिटेज सिटी का प्रस्ताव कही आगरा की मौत का कारण न बन जाए। अभी ताजमहल के बारे में कुछ चर्चा आई थी और 200 मीटर ताज से दूर तक रहने वालों को और उनकी बिल्डिगों को उजाड़ने की बात कहीं गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीमकोर्ट ने स्पष्टीकरण दे दिया। उसी प्रकार से आगरा कहीं इस हेरिटेज सिटी को त्रासदी का शिकार न बन जाए क्योंकि आरकेलौजीकल सर्वे आफ इंडिया भी ऐसे प्रावधानों का कभी-कभी दुरुपयोग करता रहा है और मानवीय आधार पर उसका प्रयोग नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अजंता, एलोरा की गुफाओं और खजुराहो के मंदिरों की भी सुरक्षा एवं सरंक्षा की व्यवस्था की जाए। मैं एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि बोम्मई साहब आरकेलौजीकल डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर हैं और आप ह्यूमन रिसोर्सेस के भी मिनिस्टर है। इसीलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आगरा में एक इंस्टीट्यूट आफ एनवायरनमेंटल स्टडीज बनाया जाए क्योंकि वहां पर विश्व की तीन बड़ी धरोहर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को विराम देते हुए अंत में यह कहना चाहूंगा कि महिलाओं में शिक्षा की जो बड़ी भारी कमी है, इसकी ओर भी ध्यान दें और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करें। हमारे देश में एक सांस्कृतिक आगक्रमण हो रहा है। इससे बचाया जाए। लोकगीत, लोक नृत्य और अन्य परंपरागत ललितकलाएं हैं इनको प्रोत्साहित कर के, इस कल्चरल इनवेज़न से इस देश को बचाएं। केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों की स्थिति को सुधारे जिससे बच्चों को शिक्षा ठीक प्रकार से मिल सके। मिड डे मील योजना के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उसके बारे में मेरे मित्र बहुत कह चुके हैं कि किस प्रकार से इस स्कीम का दुरुपयोग हो रहा है और बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है।

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, मुझे गर्व है कि मैं उस जगह का रहने वाला हूं जहां का एक भद्र पुरुष भारतीय सिविल सेवा में प्रथम आया था। मैं, श्री अनंदा शंकर राय, जो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे, की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था : 'एक स्टेशन मास्टर और स्कूल मास्टर में क्या अंतर है ?' उन्होंने कहा : 'एक रेलगाड़ियों का ध्यान रखता है तथा दूसरा मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है।'

शिक्षा के बारे में हमारे मान्य साथी प्रो० पी०के० कुरियन द्वारा बहुत कुछ कहा गया हैं मैं विस्तार से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता

लेकिन मैं स्थायी समिति, जिसमें सभी दलों के 45 सदस्य थे और जिनमें लक्ष्य और उपलब्धियों के बीच अंतर, वचनवद्धता का अभाव, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की खराब स्थिति के बारे में जिक्र किया गया है, के 56वें प्रतिवेदन पर टिप्पणी करना चाहता हूं। ऐसा ही एक कार्यक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए भी स्वीकृत किया गया था। अतः यह प्रतिवेदन पढ़कर मैं चिंतित हूं। इसमें कहा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना एक बकवास है। इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रोत्साहन देने की बात कहीं गई है। भगवान भी जानता है कि धन व्यय किया गया है या नहीं। ये मेरे शब्द नहीं हैं। स्थायी समिति का प्रतिवेदन का ऐसा मानना है।

जहां तक केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाने का संबंध है तो उस बारे में प्रो० रावत कह रहे थे कि श्री माधव राव सिंधिया ने शिलान्यास किया था। राज्य सरकार ने अंगूल, ढेकानाल और बनताल में बीस एकड़ भूमि उपलब्ध करायी थी। श्री माधव राव सिंधिया को मंत्रालय छोड़े हुए दो वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अभी भी उस हरे-भरे खेतों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बजट आवंटन अपर्याप्त है और आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं किया गया है। ऐसी ही स्थिति व्यावसायिक शिक्षा की है। यह असंतोषजनक है; सी०आई०बी०ई० के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं हैं; विज्ञान के उपकरण अपर्याप्त है; वे मूल्यों पर आधारित नहीं हैं और तकनीकि शिक्षा की भी स्थिति ठीक नहीं है।

समिति के 58वें प्रतिवेदन में संस्कृति की बात कही गई है। लक्ष्य क्या है ? राष्ट्रीय पहचान विकसित करने हेतु यह मूलभूत तत्व हैं। उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है। माननीय मंत्री जो कि हमारे राज्य के रहने वाले हैं, वह उसका उत्तर देते हैं। लेकिन विगत दो वर्षों में मुझे किसी भी अधिकारी से कोई पत्र नहीं मिला है। भुवनेश्वर के ए०एस०आई बार-बार प्रतिवेदन भेज रहे हैं। राज्य सरकार ने भी अपनी सिफारिशें दे दी है; उन्होंने भारत के राजपत्र में इसे प्रकाशित भी किया है; लेकिन केन्द्रीय ए०एस०आई० इसे नहीं मानते। ये सातवीं शताब्दी आठवीं शताब्दी और तेरहवीं शताब्दी के मंदिर हैं। एक बारे यदि धरोहर मिट जाये तो मैं नहीं समझता कि हम इसे वापस पा सकते हैं।

लखनऊ के पुरावनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी संस्थान ने भारत-अफ्रीका महाद्वीप के बीच कांटीनेंनटल ड्रिफ्ट का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था और उन्हें, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक जीवाश्म मिले। मैंने नियत 377 के अधीन वह मामला उठाया था; मैंने वित्त विधेयक, बजट आदि से संबंधित अपने भाषण में भी वह मामला उठाया था। लेकिन आज तक, संस्कृति विभाग से कोई भी व्यक्ति वहां नहीं गया। उन पौध जीवाश्म का उपयोग भवन सामाग्री के रूप में किया जाता है। ये हंडप्पा के घने जंगलों में पाया जाता है जो उड़ीसा के आदिवासी राजा अथमबलिक की राजधानी थी। अब बौद्ध धर्म स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने स्थायी समिति की रिपोर्ट को पढ़ा है। उसमें बिहार में ऐसे स्थलों के विकास का उल्लेख किया गया है। उड़ीसा के ललित गिरि और उदयगिरि में सात बुद्ध बिहारों की खुदाई की गई हैं इसको तक्षशिला से जोड़ा जा सकता हैं केवल वर्ष 1985 में खुदाई कार्य पर 1,50,000 रुपए व्यय किए गए और इस दौरान अवशेष पाये गए। करीब सात बुद्ध बिहारों का पता चला और तकरीबन 400 से 410 अवशेष उनके अंदर पाये गए। वहां कोई भी स्थल संग्रहालय नहीं है और केवल एक शेड है। मैं विगत पांच वर्षों में सभी सांस्कृतिक मंत्रियों और सभी मानव संसाधन विकास मंत्रियों से मिला हूं। उड़ीसा से एक मंत्री हैं और मुझे विश्वास है कि वह उदयगिरि और ललितगिरि पर ध्यान देंगे। अन्यथा, एक बार ये अवशेष नष्ट हो गए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। वहां आज कोई भी जा सकता है क्योंकि वह मात्र एक छोटा सा शेड है। यह कार्य 1985 में शुरू हुआ था।

अब मैं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के बारे में बोलना चाहूंगा। मैंने वर्ष 1985 में सांस्कृतिक मंत्रालय से सम्बद्ध रहा हूं। तो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनके बारे में स्थायी समिति की क्या राय है ? समिति का कहना है कि सांस्कृतिक विभाग की रवैया राष्ट्रीय विज्ञान संग्राहालय परिषद के प्रति प्रतिकूल रहा है। कलकत्ता स्थिति 'विज्ञान शहर' के लिए जापान सरकार ने एक सौ मिलियन डॉलर दिया था। मैं इसके लिए डा० मनमोहन सिंह को धन्यवाद देता हूं। जब मैंने उन्हें इस बारे में लिखा तब उन्होंने जापान की सरकार पर दबाव डाला और उसके परिणामस्वरूप हमें कलकत्ता स्थित 'विज्ञान शहर' के लिए एक सौ मिलियन डॉलर मिला जो कि एक महान् सफलता हैं लेकिन सांस्कृतिक विभाग का जिसे इसकी देखभाल करनी चाहिए थी, इसके प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया है। उन्होंने 18 करोड़ रुपए का कार्य पूरा कर लिया है। लेकिन इसके लिए बजट प्रावधान क्या है ? यह मात्र 5 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्राहालय परिषद को शेष 13 करोड़ रुपए कहां से आंएगे ? क्या वे बैंक को लूटेंगे ? राहजनी करेंगे? वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान जब मैंने यह मुद्दा उठाया तब श्री चिदम्बरम् ने पूछा था : जब हमने नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र पर अभी विचार नहीं किया है तब आप कैसे कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं दे रहे है ?

श्री चव्हाण की अध्यक्षता में, जो कि स्वतः शिक्षा मंत्री, समाज कल्याण और खेल-कूद मंत्री रह चुके हैं न कहा था कि विभाग ने समिति को गुमराह करने की कोशिश की थी। वास्तव में, जिस तरीके से उत्तर दिया गया उससे समिति के तीन सदस्यों के आंखों में आंसू आ गए थे। उनमें से एक उप-कुलपति, एक राज्य सभा के सदस्य और दो भूतपूर्व मंत्री थे। क्या यही संस्कृति है ? क्या यही तरीका है ? और हम भारतीय संस्कृति के 5000 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय संस्कृति की पहचान करना चाहते हैं। मेरे विचार अच्छे कामों का शुरूवात घर से होता है और इस संबंध में उन्हें कुछ आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

ऐसा ही प्रश्न खेल-कूद से संबंधित है। आवंटित धनराशि में कटौती की जा रही है जो बिल्कुल अपर्याप्त है। अतः, ऐसी न तो कोई उम्मीद है और न ही मौका है जिससे यह बताया जा सके स्तर में सुधार हो रहा है। समाजवादी और पूंजीवादी देशों में भी खेल कूद को राष्ट्रीय गर्व, राष्ट्रीय संपदा और राष्ट्रीय एकता के रूप में देखा जाता है। चाहे भले वह पूर्व सोवियत संघ या वर्तमान रूस रहा हो, चाहे भले ही वह चीन या क्यूबा हो, वह अपनी पूरी क्षमता खिलाड़ियों की सुरक्षा, खिलाड़ियों का प्रबंधन, उनका लालन-पालन और खिलाड़ियों को अनुशासनबद्ध करना प्रतिभा ढूंढने में लगा देते हैं।

[श्री के०पी० सिंह देव]

पहले के पूर्व जर्मनी में ऐसे लोगों की पहचान तीन वर्ष की आयु से की जाती थी और फिर उनकी रूपरेखा तैयार की जाती थी। उनके पास खेलकूद चिकित्सा, खेलकूद मनोविज्ञान और खेलकूद विज्ञान भी होता है।

हम महराणा प्रताप की 400वी वर्ष और नेताजी की 100 वर्ष के उपलक्ष मे शताब्दी समारोह मना रहे हैं। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि इस देश में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों और स्वतंत्रता पश्चात सरकार के हाथों इसलिए कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि उनका सम्बद्ध नेताजी से था। मैं अपना राज्य उड़ीसा, जहां का मैं रहने वाला हूं, के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। उन लोगों को परेशान, किया, उनका उपहास उड़ाया गया। मुझे उम्मीद है कि जब नेताजी का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है तब सांस्कृतिक विभाग कम से कम उन लोगों को कुछ महत्व देगा जिन्होंने और जिनके परिवार जनों ने दुःख झेला है।

मैं एक तेरह वर्ष के स्वतंत्रता सैनानी को जानता हूं जो मेरे विचार में सबसे कम उर्म का स्वतंत्रता सैनानी था। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री साची राउतरे द्वारा उसे अमर बना दिया गया। उनकी मृत्यु वर्ष 1938 में उस समय हुई जब राज्य के लोग आंदोलन कर रहे थे। महोदय, पूर्व मित्र और मेरे ससुर श्री बीजू पटनायक के साथ रवेंशा कॉलेज में साथ-साथ पढ़ते थे। जब उन्होंने श्री बाजी राऊत के अंतिम संस्कार में भाग लेने कटक आये। लेकिन आज, सूचना तथा प्रकाशन मंत्रालय के प्रकाशनों, आकाशवाणी और सूचना और प्रकाशन के राज्य विभाग इसे ऐसा दिखा रहे हैं जैसा की भारत छोड़ो आंदोलन हो। चार वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। अतः, श्री बाजी राऊत की उचित स्मृति और वास्तविकता को राष्ट्र के सामने लाया जाना चाहिए और 1938 और 1942 के विवादों को समाप्त किया जाए। उनकी समृति के लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि श्री बीजू पटनायक के शासनकाल में शुरू किया गया पुल को पूरा किया जाए। इस पुल का शिलान्यास 8 दिसम्बर, 1994 को किया गया था जिसकी अनुमानित लागत 21 करोड़ रुपये थी। अब तक यह कार्य शुरू नहीं किया गया है। श्री बाजीराव के स्मृति में यही सबसे उपयुक्त कार्य होगा।

मेरा अंतिम मुद्दा 27 अक्तूबर, 1947 से संबंधित है जब आजाद हिंद फौज भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही थी। इस युद्ध में मरने वाला पहला व्यक्ति और परम वीर चक्र से सम्मानित पहला व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा थे जो चौथी कुमांऊ रेजिमेंट की ओर से बोदगांव की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज चौथी कुमांऊ रेजिमेंट जिसके शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र पाने वाले सबसे अंतिम विजेता हैं और जिसमें सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, वह रेजिमेंट उदयपुर में स्थित है। यदि आप महराणा प्रताप की 400वीं शताब्दी के अवसर पर कुछ करना चाहते हैं तो हमें उन 17 परम वीर चक्र विजेताओं को, जिन्होंने महावीर चक्र और अशोक चक्र प्राप्त किए है, के लिए कुछ करना चाहिए। वे ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने अपना जीवन भविष्य के लिए पहले ही न्यौछावर कर दिया और आज हम उन्हें भूल रहे हैं यदि आपका और कुछ सदस्यों का हस्तक्षेप नहीं होता तो सरकार 25 वर्ष पूर्व 1971 में मनाये गए विजय दिवस के अवसर पर भी उन्हें स्मरण नहीं करती। यह समारोह मात्र रक्षा मंत्रालय—सेना, नौ-सेना और वायु सेना तक ही सीमित रह जाती। वे भी हमारे नागरिक थे और उन्होंने हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा। मेरे विचार से उन्हें, विशेषकर परमवीर चक्र विजेताओं को उसकी, मान्यता मिलनी चाहिए।

हम चिशूल गए थे जहां रिजंग्ला में मेजर शैतान सिंह अपने हांथ में अंतिम बम का गोला लिए और उनके सैकड़ों साथी अपने चैम्बर्स में अंतिम कारतूस लिए शहीद हो गए ताकि कश्मीर भारत में बना रहे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : हम दो आदमी दो-दो मिनट बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब नहीं। अब पॉसिबल नहीं है। फिर कल की मिनिस्ट्री रह जायेगी। बोम्मई जी, अब आप बोलिये।

श्री राम कृपाल यादव : पांच मिनट में सब खत्म हो जायेगा। यह बात सही है कि बहुत समय बीत गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब बहुत समय बीत गया है, समय की कोई सीमा होनी चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव : बोम्मई साहब की परमीशन लेकर हम यही निवेदन करना चाहते हैं ···*(व्यवधान)* दो मिनट से ज्यादा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अपना प्रोग्राम सात बजे का था, मैं बैठा हूं।

श्री राम कृपाल यादव : आप तो गार्जियन हैं।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : महोदय, और कितना वक्त मेरे पास बचा है ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप समय अपनी मर्जी से लीजिए। आपके लिए तो मैं कोई टाइम मुकर्रर नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : यह कोई तरीका नहीं है। मुझे विस्तार से बोलने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए। अन्यथा, मैं संक्षेप में बोलूंगा। यदि मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर न दे पाऊं तो मुझे क्षमा करें।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आप मुख्य-मुख्य बातें बतायें। अन्य मुद्दे पर आप सभी माननीय सदस्यों को लिखकर भेज दें।

श्री एस०आर० बोम्मई : उपाध्यक्ष महोदय; सर्वप्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने आज की चर्चा में भाग

लिया और कई रचनात्मक और सकारात्मक सुझावों के साथ-साथ रचनात्मक आलोचना भी किया।

मैं स्थायी समिति के सभापति तथा सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विस्तार से अध्ययन कर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों द्वारा ठीक ही कहा गया है और मैं भी ऐसा समझता हूं कि भारत सरकार का यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा पुनर्गठित किया गया था और जिसमें शिक्षा, संस्कृति, महिला तथा बाल विकास तथा युवा और खेलकूद को एक साथ शामिल किया गया है ताकि जिससे एक मां से उत्पन्न बच्चे को संपूर्ण मानव बनाया जा सके।

मेरे राजनीतिक गुरू द्वारा दिया गया एक नारा जिसका संक्षेप में मैं यह उल्लेख करता हूं : 'शिक्षा या विनाश'। यदि हम शिक्षित नहीं होगें तो हमारा विनाश हो जाएगा। मेरे राजनीतिक गुरू, एम०एन० राय का यही कहना था। कुछ न करे। सबसे पहले भारतीयों को शिक्षित करें। हमारी अधिकतर समस्याओं का समाधान शिक्षा में निहित है इसके लिए हमें देश से बाहर उदाहरण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः केरल का उदाहरण देना चाहूंगा। प्रो० पी०जे० कुरियन ने भी इसका हवाला दिया है केरल ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है।

अन्य राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हुआ ? यदि केरल में ऐसा हो सकता है तो अन्य राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता हैं केरल की सरकार अपने राज्य के घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत से अधिक शिक्षा पर व्यय करती है। केरल के बजट का 37 प्रतिशत भाग आज भी शिक्षा पर व्यय किया जाता है। जो कि भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रो० कुरियन द्वारा कहा गया है, वहां शिक्षा के प्रचार और प्रसार में स्वयंसेवी संगठनों, निजी क्षेत्र — वाणिज्यिक क्षेत्र नहीं, — क्रिश्चियन मिशनरी, नायर समितियां, गुरूनारियन समितियां और समग्र समाज ने विगत 70 वर्षों में समाज सुधारकों और कोचीन के व्यस्तकालीन राजा त्रावणकोर के नेतृत्व में मिलकर कार्य किया।

विगत 70 वर्षों में केरल में जो भी हुआ मैं उस बारे में बता रहा हूं। वहां यह धन आंदोलन के रूप में उभरा। यदि हम पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन के भांति ही सरकार, लोगों, स्वयंसेवी संगठनों, देश के समस्त नेताओं को इसे आंदोलन के रूप में लेना होगा। मेरे विचार से यह भी एक स्वतंत्रता आंदोलन ही है। हमें राजनैतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त है किन्तु यदि हम सही मायने में स्वतंत्रता पाना चाहते हैं तो हमें इस देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना होगा। राजनैतिक और धार्मिक विचारों की अनदेखी कर प्रत्येक लोगों और नेताओं के प्रयत्न से ही यह संभव है। अतः, मेरा यह अनुरोध है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में निर्णय करना होगा और तभी हम यह उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं।

महोदय, संयुक्त मोर्चा सरकार के अस्तित्व में आने के पश्चात् इसने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में स्पष्ट तौर पर कहा था कि सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय होगा। मैं माननीय सदस्यों के उस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि आज हम शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3.7 प्रतिशत भाग ही व्यय कर रहे हैं। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय करने और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने तथा सभी को शिक्षित करने की दिशा में एक निर्णय जुलाई, 1996 में हुई राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया था जिसमें इसे प्राथमिकता देने की बात कही गई थी।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुसार सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी तथा दस वर्ष के अंदर पांच से दस वर्ष की आयु के बच्चों को पूर्ण साक्षर बनाया जाएगा।

दुर्भाग्यवश हम अपनी स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी उसे प्राप्त नहीं कर पाये।

उच्चतम न्यायालय ने पहले ही कहा है कि प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को क्रियान्वित करने की दिशा में उठाये गए कदमों के बारे में सरकार को अगले महीने बताना है। अतः, हमारी सरकार ने शिक्षा मंत्रालयों और शिक्षा विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई थी। हमने अपने मित्र श्री सैकियाजी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसमें राज्य मंत्री भी सदस्य हैं। उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। यह प्रतिवेदन अब मंत्रीमंडल के समक्ष विचाराधीन है। समिति की एक सिफारिश यह भी है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाये। इस दिशा में मंत्रीमंडल टिप्पण का एक प्रारूप बनाया जा चुका है। विधि मंत्रालय सहित इसे विभिन्न मंत्रालयों को भेजा जा चुका है। यह मंत्रीमंडल टिप्पण मंत्रीमंडल के समक्ष जल्द आएगा। मैंने इस सभा को वायदा किया है कि इस बारे में एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सैकिया समिति की सिफारिश के अनुसार यदि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना है तो हमें 40,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। देश को यह 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी। जब तक आम आदमियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा तब तक उदारीकरण, हमारे सभी आर्थिक विकास निरर्थक होगा। समाज के केवल उच्च वर्ग और अमीर वर्ग के लोगों को ही इस आधुनिकीकरण, उदारीकरण या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा देश में हो रहे निवेश का फायदा होगा। इससे जनसंख्या के कुछ प्रतिशत लोग ही लाभांवित होंगे क्योंकि 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है।

हमें इसका रास्ता ढूंढना होगा। मैं सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से चर्चा करूंगा। बजट आवंटन में वृद्धि करना होगा। इससे मैं सहमत हूं और इस बारे में मैं वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से बातचीत करूंगा। मैंने इस दिशा में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है; उस बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बजट प्रावधानों में वृद्धि किया जाना है किंतु उससे कुछ नहीं होगा। यदि आवश्यक हुआ तो हमें शिक्षा कर लगाने पर भी विचार करना होगा और सभी व्यक्ति को शिक्षित बनाने के लिए संसाधन ढूंढने होंगे।

हम इसके लिए वचनबद्ध है। दो मुद्दों पर हम पीछे नहीं हट

[श्री एस०आर० बोम्मई]

सकते हैं, उनमें से एक शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत व्यय करना है। इस वर्ष आवंटन में भी वृद्धि किया जाए जिससे कि नौवीं पंचवर्षीय योजना तक चरणबद्ध तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें।

सरकार इसके लिए वचनबद्ध है तथा इस दिशा में कदम उठाये जाएंगे।

दूसरी बात यह है कि मैं शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाये जाने की दिशा में कुछ कहना चाहूंगा। एक बार हम इसे मौलिक अधिकार बना देंगे तो इसे न्यायालय में उठाया जा सकेगा। यदि कहीं कोई स्कूल अथवा शिक्षक नहीं है या कोई कमी है तो कोई भी नागरिक न्यायालय में जाकर इस बात का समाधान पा सकेगां ऐसा करने पर न्यायालय संबंधित राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को कार्य करने के निदेश दे सकता है। एक बार मौलिक अधिकार वन जाने के बाद यह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और समाज का कर्त्तव्य हो जाएगा कि वह न्यायालय के आदेश का पालन करें।

महोदय, मैं नहीं कहता कि स्वतंत्रता के पश्चात कुछ भी नहीं किया गया हैं स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई हैं शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। शिक्षित लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। लेकिन यहां मैं यह स्वीकार करता हूं कि एक कारण से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये जिसे हम भूला नहीं सकते हैं और वह है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप हमारे अनेक योजना लक्ष्य पूरे नहीं होते हे। यह एक पेचिदा मामला हैं जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे आप जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं कर सकते।

केरल पहला राज्य है जिसने शिक्षा के बल पर जनसंख्या नियंत्रण किया। ऐसा उसने शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा के माध्यम से किया। इसलिए उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को शिक्षा के साथ जोड़ा। उन्होंने उसे बेरोजगारी की समस्या के समाधान के साथ जोड़ा है। आज आप केरलवासियों को न केवल देश के प्रत्येक राज्य में पाएंगे बल्कि विदेशों में भी पायेंगे। ऐसा इसलिए है कि वे शिक्षित हैं। मेरा यही कहना है कि सारी समस्या की कुंजी शिक्षा है। अतः सरकार के कार्यकरण में मैं इस पहलु को ज्यादा महत्व देता हूं।

मैं बजट संबंधी आंकड़ों का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि अनेक सदस्यों ने उस बारे में बोला है। वर्ष 1997-98 के बजट में 4095.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पहले से अधिक है। मेरे अनुसार यह संतोषजनक नहीं है।

मैं इन मामलों को अभी यहीं छोड़ देता हूं। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं मैं उनके बारे में वित्त मंत्रालय से बातचीत करूंगा।

बहुत से सदस्यों ने आपरेशन ब्लैकबोर्ड, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, उच्चविद्या माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों की आलोचना की है।

इनमें से प्रत्येक विषय पर विस्तार से चर्चा करने का समय मेरे पास नहीं हैं पिछले साल के बजट में 1400 करोड़ रुपये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए रखे गए थे और संशोधित अनुमानों में इसे घटाकर 800 करोड़ रुपये कर दिया गया था। क्यों ? इसलिए नहीं कि हमारे पास धन नहीं है। हम भारतीय खाद्य निगम को अदायगी करते हैं परन्तु राज्य उन्हें उठाने में ही असमर्थ रहती है।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : कौन से राज्य ?

श्री एस०आर० बोम्मई : सभी राज्य।

श्री ए०सी० जोस (इंदुकी) : केरल नहीं।

श्री एस०आर० बोम्मई : केरल द्वारा भी माल दुलाई में कमी रह जाती है।

कुछ राज्य पचास प्रतिशत माल दुलाई कर पाते हैं कुछ 48% परन्तु कुछ राज्य 80% से 90% माल दुलाई कर लेते हैं। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं विस्तार में बात नहीं करूंगा।

श्री सुरेश प्रभु : आप सभा-पटल पर विवरण रख सकते हैं।

श्री एस०आर० बोम्मई : मैं विवरण दे दूंगा।

मैं राज्य सरकारों को दोषी नहीं मानता। इस स्कीम के अन्तर्गत हम खाद्यान्न भी देते हैं और उसके लिए परिवहन सुविधा भी, परन्तु राज्य सरकारें कहती है कि वह पर्याप्त नहीं है और जब तक उन्हें पका-पकाया भोजन नहीं मिलता, उद्देश्य हल नहीं होता। पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने के लिए एक रुपया प्रति विद्यार्थी के लिए खर्च करना पड़ता है। कौन इतना खर्चा कर सकता है कठिनाई यही है। अतः खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं।

तमिलनाडु, केरल और यहां तक कि दिल्ली में भी यह स्कीम अच्छी चल रही है। तमिलनाडु में विगत पन्द्रह वर्षों से मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। दिल्ली में वह डबलरोटी दे रहे हैं चूंकि यह आसान होता है अतः वे खाद्यान्न माडर्न बेकरी को दे देते हैं। परन्तु इसे पूरी तरह कवर नहीं किया गया। अतः समितियां यह सिफारिश करती है कि खाना पकाने का खर्चा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनो को बराबर-बराबर वहन करना चाहिए।

जहां कहीं स्वायत्त संस्थाएं है अथवा अच्छी संस्थाएं हैं अथवा अच्छी पंचायत संस्थाएं हैं, वे इसे कर लेती हैं और वह बहुत सफल भी है। परन्तु मैं इस आलोचना को समझ सकता हूं। लागू होगी

यदि बात आपरेशन ब्लैकबोर्ड के साथ है हम पचास प्रतिशत का अनुदान देते है और पचास प्रतिशत राज्यों को देना होता है। कुछ राज्यों में इसे बहुत अच्छी तरह लागू किया है विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल। वे इसे अच्छी तरह चला रहे हैं। परन्तु जहां तक साक्षरता का सम्बन्ध है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य बहुत पिछड़े हुए है।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उनके संसाधन बहुत सीमित हैं।

श्री एस०आर० बोम्मई : ऐसा नहीं है।

अब जबकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अस्तित्व में आ चुका है, कुछ राज्यों में तो इसका कार्यान्वयन बहुत अच्छा है परन्तु कुछ स्थानों पर नकली रिकार्ड भी तैयार किये गए हैं। मैं यह जानता हूं। मुझे इसकी जांच करनी होगी और मैं गम्भीरतापूर्वक यह सोच रहा हूं कि इन सब स्कीमों में बड़े परिवर्तन कैसे लाये जा सकते हैं। इसके लिए जन जागरूकता, लोगों के प्रतिनिधियों का सहयोग, पंचायतों, जिला-परिषदों, नगर-निगमों और कारपोरेशनों द्वारा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी की आवश्यकता है। ये सब बातें आवश्यक है।

मैं इस आलोचना को स्वीकार करता हूं परन्तु यह सब खामियों प्रणाली और समाज में अन्तर्निहित हैं। यह हमारे समाज की कमज़ोरी है।

माध्यमिक शिक्षा अवश्य राज्य सरकार की जिम्मेदारी है परन्तु माध्यमिक शिक्षा के कुछ पहलुओं के सुधार में हम अवश्य सहायता देते हैं। इस वर्ष कुछ करोड़ रुपये घटाए गए है। इसे ठीक किया जायेगा।

उच्च शिक्षा के लिए चाहे इस वर्ष 367 करोड़ से बढ़ाकर 483 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथापि मैं इस बात पर सहमत हूं कि यह भी पर्याप्त नहीं है। विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है। आपको यह अवश्य जानना होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवंटित किये गए 80% निधियां केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर व्यय की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही थी, वहां एक भी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : अब लगभग सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली, यू०पी० में है और दो उत्तर-पूर्व में हैं।

श्री राम कृपाल यादव : बिहार का क्या हाल है ?

श्री एस०आर० बोम्मई : बिहार में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। कर्नाटक में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं, आन्ध्र-प्रदेश में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। यह एक भिन्न मामला है। हम इस पर विचार करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि बिहार इसके योग्य है। परन्तु अद्यतन स्थिति के अनुसार अस्सी प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर खर्च की जाती है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शेष बचे बीस प्रतिशत धनराशि में से 200 विश्वविद्यालयों को अवश्य धन उपलब्ध करवाना होता है। इस विसंगति को अवश्य दूर करना होगा।

महोदय तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि इस हेतु आवंटन 257 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 390 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं इस सुझाव से सहमत हूँ कि इस उद्योग के साथ जोड़ा जाना चाहिए। आखिरकार व्यावसायिक शिक्षा के पश्चात् छात्र या छात्रा को अपना उद्योग शुरू करने में समर्थ हो जाना चाहिए अथवा उसे किसी उद्योग में रोजगार मिल जाना चाहिए व्यावसायिक शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए इस दिशा में हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं।

जहाँ तक आप्रेशन ब्लैक-बोर्ड का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही कहा है कि कुछ राज्यों ने इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने एक अध्यापक से दो अध्यापकों का, दो से तीन का काम लिया है और ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त धन-राशि से और लोगों से योगदान लेकर स्कूल की इमारतें बना ली हैं।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : मैं निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त धन दे रहा हूं ... *(व्यवधान)*

श्री एस०आर० बोम्मई : मैं यह सब नहीं जानता। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल इतना सुनिश्चित कर सकता हूं कि सरकार ने जो भी वचन दिए है उन्हें हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे और इसमें सभी का सहयोग लेगें।

अब मैं संस्कृति नामक विषय पर चर्चा करूंगा। संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य विभाग है।

मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, केवल भोजन के साथ मनुष्य जी नहीं सकता। उसके कुछ सांस्कृतिक विचार भी होते हैं। संस्कृति के बिना वह एक व्यक्ति के रूप में जी नहीं सकता। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों से इस बात पर सहमत हूं कि उसकी संस्कृति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। हमें भारतीय संस्कृति पर नाज है। मैं हमेशा यही कहता हूं।

सब कुछ आत्मसात कर लेने की शक्ति, निरन्तरता और अपने व्यक्तित्व का संरक्षण भारतीय संस्कृति के मुख्य तत्व हैं।

हिन्दुस्तान में बुद्धवाद, जैनवाद, सिक्ख, इस्लाम और ईसाईवाद, सब आये। सब धर्म आए और भारत के अतिक्रमण और विदेशी शासन के बावजूद भारत ने अपनी संस्कृति को बनाए रखा है अन्य धर्मों में जो कुछ अच्छा है, हमारी संस्कृति ने उसे ग्रहण कर लिया है। इसने अपने चरित्र को बनाए रखा क्योंकि भारतीय संस्कृति वेदों में प्रतिपादित की गई थी जहां कहा गया, "सर्वे जनाः सुखिनः भवः" हमने यह कभी नहीं कहा कि हिन्दु खुश रहें, या मुस्लिम खुश रहें अथवा इस देश के लोग खुश रहेंगे हमने वसुधैव कुटुम्बकार विश्व-नागरिक होने की बात आज नहीं उसी जमाने में कही। मूलतः मानवता ही भारतीय संस्कृति है। इसी कारण इसने सभी घटनाओं में अपने अस्तित्व को बनाए रखा हैं यह हमारा परम कर्त्तव्य है कि न केवल हम इस अमूल्य विरासत को सुरक्षित रखें अपितु उन यादगारों को भी सुरक्षित रखें जिन्हें अधिक धन की आवश्यकता हैं इसी कारण हमने इस वर्ष एक सांस्कृतिक निधि की स्थापना की है। हमने इसके लिए दो कराड़े रुपये आवंटित किये हैं। सरकार सत्रह से बीस करोड़ रुपये का योगदान देंगी। परन्तु हम उद्योगों से और संस्कृति, संगीत, कला, चित्रकला और स्मारकों में रूचि रखने वाले समाजसेवकों से भी धन आकर्षित करना चाहते हैं। हमें इसे सुधारना है और इसे सुरक्षित रखना है। मेरे मित्र श्री के०पी० सिंह देवजी ने उड़ीसा में स्मारकों का जिक्र किया है और यह ठीक भी किया है। यदि एक बार वह खराब हो जाते हैं तो हम उसे पुर्नजीवित

[श्री एस०आर० बोम्मई]

नहीं कर सकते। हमें उन्हें संरक्षित करना है। हमने दूसरे देशों में देखा है। फ्रांस में चले जाइए और किसी भी अन्य देश में चले जाइये। किसी भी ऐतिहासिक अथवा विश्व विरासत की वस्तु को वे एक नई वस्तु की तरह रखते हैं। और इसके माध्यम से वे पर्यटन को आकर्षित करके संसाधन जुटाते हैं। हमें ऐसी वस्तुओं में धन का निवेश करना है। तभी पर्यटक आकर्षित होंगे। फिर इससे आय भी होती है। श्री रावत ने ताजमहल के बारे में कहा। इसीलिए हमने एक सांस्कृतिक निधि बनाने की बात की है और वहां आने वाले पर्यटकों से कुछ कर लेने की बात कही है ताकि कम-से-कम रखरखाव का खर्चा तो निकाला जा सके। हम ऐसे बहुत से उपायों की खोज कर रहे हैं जिनसे हम अपने स्मारक और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें।

महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के बारे में जो उल्लेख किया था, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा।

मैं सदन को यह भी सूचना देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पहले ही एक समिति गठित की जा चुकी है जिसकी दो बैठकें हुई हैं। कार्यान्वयन समितियां तो पहले ही विद्यमान हैं—एक समिति गृह मंत्रालय के अन्तर्गत और दूसरी मेरे अधीन। एक सचिवालय भी बनाया गया है; योजनाएँ तैयार कर ली गई है; लोगों से सम्पर्क किया जा रहा है। हम प्रत्येक नागरिक का सहयोग चाहते हैं और देश के सब विद्यार्थियों को भी इन समारोहों में सम्मिलित करना चाहते हैं। स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय हर जगह युवा गतिविधियाँ सारे साल चलती रहेंगी। मैं कार्य योजना के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। समिति इस पर विचार कर रही है। और न केवल सभी राजनीतिक दल वरन हर क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण नागरिकों को इन समितियों में शामिल किया गया है। अतः हरेक संस्था चाहे वह विश्वविद्यालय हो या स्कूल सरकारी हो या निजी उन्हें शामिल किया जाना है। उन्हें इसमें कैसे शामिल करना है मुख्य प्रश्न यही है। हम प्रत्येक व्यक्ति को इस में लगाना चाहते है। इन समारोहों का एकमात्र उद्देश्य नृत्य, गाना और यह सब कुछ नहीं है। यह सब तो होगा ही परन्तु विचार का केन्द्र तो है स्वतन्त्रता संग्राम के मूल्यों का पुर्न-जागरण। दिन-प्रति-दिन हम इन्हें भूलते जा रहे हैं।

अपना वक्तव्य देते समय श्रीमती सुमित्रा महाजन ने, एक लड़के को सुभाष चन्द्र बोस के बारे में प्रश्न करने वाला किस्सा बयान किया। उन्होने पूछा, "क्या आप जानते हैं कि इस देश के लिए स्वतन्त्रता किसने अर्जित की ?" उस लड़के ने कहा, "महात्मा गांधी।" वह बड़ी सौभाग्यवती हैं कि उनका लड़का ऐसा है। कम से कम वह महात्मा गांधी को तो जानता है। आज कल तो हम राष्ट्रपिता को भी भूलते चले जा रहे हैं। यह मूल्यों के ह्रास का सूचक है। अतः हमें देश प्रेम और स्वतन्त्रता की भावना जगानी है। आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। मैं सदन को इसके विवरण बाद में बताऊँगा।

मैं उस माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ जिसने यह कहा कि संस्कृति विभाग की रिपोर्ट बहुत अच्छी निकाली गई है और उसकी सराहना की। हाँ सरकार में भी प्रतिभावान लोग पाये जाते हैं और हम उनका उपयोग भी करते हैं।

जहाँ तक महिला और बाल विकास विभाग का सम्बन्ध है, यह विभाग बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आई०सी०डी०एस० जिनकी संख्या अब 5614 है केवल बाल-विकास के ही नहीं अपितु महिला- विकास के भी केन्द्र है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

उपराह्न 08.00 बजे

मैं जानता हूँ इसके लिए पर्याप्त निधियाँ प्रदान की जानी चाहिए। मैं योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके जहां तक संभव होगा, इन्हे हासिल करने की कोशिश करूँगा।

आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं की हालत बहुत खराब है। एक अप्रैल से उनका मानदेय बढ़ा दिया जायेगा, यह घोषणा मैंने पहले ही कर दी है। मैंने पहले ही यह प्रस्ताव पेश कर दिया है यह मामला वित्त मंत्रालय के पास लम्बित है।

श्री के०पी० सिंहदेव (ढेंकानाल) : परन्तु एक अप्रैल तो गुजर चुकी है।

श्री एस०आर० बोम्मई : हाँ, लेकिन यह निर्णय एक अप्रैल से प्रभावी होगा। इस सम्बन्ध में आदेश एक सप्ताह के भीतर-भीतर जारी कर दिये जायेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : यह 'अप्रैल फूल' जैसी वस्तु होनी चाहिए।

श्री एस०आर० बोम्मई : यह मामला वित्त मंत्रालय के पास लम्बित है। जल्दी ही इस पर निर्णय ले लिया जायेगा। मेरी घोषणा को पूरा किया जायेगा।

फिर इन्दिरा महिला योजना और ऐसी ही और योजनाएं भी हैं।

श्री संतोष मोहन देव : कृपया खेलों के बारे में कुछ कहें। आपकी उपस्थिति में हमने वहां कांस्य पदक जीता है।

श्री एस०आर० बोम्मई : मैं उस विषय का जिक्र अभी करूंगा।

महिला कोष, महिला समृद्धि योजना आदि बहुत सी योजनाएं हैं। हमने इन योजनाओं की धनराशि बढ़ा दी है। यह तो मैं अवश्य कहूंगा कि महिला कोष के अन्तर्गत, 25 करोड़ रुपये जरूरतमंद महिलाओं और लाखों अन्य महिलाओं में बांटे हैं। महिला समृद्धि योजना ने महिलाओं को आकर्षित किया है। वे निधियाँ जमा करती है। हम इसे भी जारी रखना चाहते हैं।

इन सबके विस्तार में जाने का समय नहीं है।

प्रो० रासा सिंह रावत : कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का क्या हाल है ?

श्री एस०आर० बोम्मई : यह चल रही है। इसके लिए 250 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। परन्तु यह कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत है। इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। वे अपने आप इसके बारे में बतायेंगे।

श्री शिवानंद एच० कौजलगी (बेलगांव) : यदि यह सामाजिक कल्याण

विभाग के अन्तर्गत, तो वह कार्य नहीं किया जायेगा।

श्री बासवाराज रायारेड्डी (कोप्पल) : मुझे लगता है उस मंत्रालय के साथ इनका अनुभव अच्छा नहीं है *(व्यवधान)*

श्री एस०आर० बोम्मई : कृपया ऐसा मत कहें। वे इस विषय पर चर्चा करेंगे।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : केन्द्रीय विद्यालयों का क्या हाल है ?

श्री एस०आर० बोम्मई : हां, जहां तक आवासीय स्कूलों, नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों का सम्बन्ध है हम उनकी देखभाल करेंगे।

हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्कूलों में बच्चों के पिता के नाम के साथ-साथ बच्चों की मां का नाम भी पंजीकृत किया जायेगा।

श्री ए०सी० जोस : यह बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री एस०आर० बोम्मई : हमने इस विषय में राज्य सरकारों को पहले ही लिख दिया है।

श्री ए०सी० जोस : सदन में अब केवल एक महिला सदस्य विद्यमान हैं।

श्री एस०आर० बोम्मई : हमने यह भी सुझाव दिया है कि यदि किसी भूमि अथवा जगह का आवंटन हो तो वह भी पति-पत्नी दोनों के नाम पर हो।

श्री बासवाराज रायारेड्डी : महोदय, बिन ब्याही माताएँ आपका धन्यवाद करेंगी।

श्री एस०आर० बोम्मई : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने राज्यसभा के उप-सभापति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने के लिए काम करेगी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी ओर से उन्हें धन्यवाद दें।

श्री सुरेश प्रभु : महिलाओं की समिति एक महिला सभापति की अध्यक्षता में होनी चाहिए।

श्री एस०आर० बोम्मई : आपने जो कुछ कहा है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं खेलों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा तथा मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के बारे में आपका क्या कहना है ?

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : हमने पहले ही चार करोड़ रुपये दिए हैं। वे अगले वर्ष शुरू होंगे। समय की कमी के कारण मैं इनके विस्तार में नहीं गया।

समय की कमी के कारण मैं इसका सन्दर्भ नहीं दे रहा। परन्तु प्रत्येक विश्वविद्यालय को चार करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं और यदि आवश्यक हुआ तो हम और अधिक निधियाँ देंगे। महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय और मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय अगले वर्ष अपना काम शुरू करेंगे।

अब मैं खेलों के बारे में कुछ कहूँगा। जहां तक युवा मामलों और खेलों का सम्बन्ध है एक प्रारूप युवा नीति और प्रारूप खेल नीति पहले ही तैयार की जा चुकी है। यह नीति राज्य सरकारों और खेल संस्थाओं में परिचालित की जा चुकी है। जहां तक खेलों का सम्बन्ध है, सम्पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। परन्तु इन परिवर्तनों का एकमात्र उद्देश्य मात्र पदक जीतना ही नहीं होना चाहिए। यह ठीक है। परन्तु इस देश के प्रत्येक युवक को खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, ताकि वह एक स्वस्थ और सक्षम नागरिक बन सके जो अधिक अच्छे ढंग से अपने कर्त्तव्यों को निभा सके।

श्री ए०सी० जोस : एक सुझाव यह भी था कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और योग भी अनिवार्य किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों को खेलों की नीति में शामिल किया गया है।

श्री एस०आर० बोम्मई : मैं बहुत सी बातें अनिवार्य कहना चाहता हूँ।

कोई भी स्कूल अथवा हाई स्कूल बगैर खेलों के मैदान से शुरू ही नहीं किया जाना चाहिए यदि कोई खेल मैदान ही नहीं है तो, बच्चे खेलेंगे कहाँ ? यदि मुझे पूरी स्वतन्त्रता होती, तो मैंने एन०सी०सी० में योगा को एक आवश्यक विषय के रूप में सभी कालेजों तथा हाई स्कूलों में शुरू करता। यह नितान्त आवश्यक है।

श्री ए०सी० जोस : फिर आप यह करते क्यों नहीं ?

श्री एस०आर० बोम्मई : इस काम को करने में बहुत सी रूकावटें हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई स्वतन्त्रता नहीं। परन्तु मेरा विचार यही है। इसलिए मैं आपको यह विचार दे रहा हूं कि कोई स्कूल या हाई स्कूल या कालेज बिना खेल के मैदान के शुरू नहीं किया जाना चाहिए। *(व्यवधान)* शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा उसके साथ अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले हर स्कूल में एक खेल का मैदान अवश्य होना चाहिए।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने शिक्षा के व्यापारीकरण का उल्लेख किया है। हां, आजकल वह प्रवृत्ति है। प्रो० कुरियन ने कहा है कि मातृ-भाषा कम से कम प्राथमिक स्तर तक अवश्य पढ़ाई का माध्यम होना चाहिए। परन्तु आजकल कॉन्वेंट और अंग्रेजी माध्यम स्कूल बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। वह मनमाना धन और शुल्क ले रहे हैं। कुल अच्छी निजी संस्थाएं भी हैं। अतः सरकार इन निजी शिक्षण संस्थाओं को नियामक बनाने के बारे में विचार कर रही है। चूंकि राज्य सरकार इनसे अधिक सम्बन्धित हैं अतः हम उनका सहयोग लेने के बारे में विचार कर रहे हैं। यह परमावश्यक है।

[श्री एस०आर० बोम्मई]

जहाँ तक निजी संस्थाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के सुझाव का सम्बन्ध है, मैं इसे समझता हूं और जहाँ कहीं बहुत अच्छी निजी संस्थाएं है, उनके बारे में विचार किया जाना चाहिए।

प्रो० पी०जी० कुरियन : प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या विचार है ?

श्री एस०आर० बोम्मई : वह मातृ-भाषा होनी चाहिए।

प्रो० पी०जी० कुरियन : क्या उसके लिए आप कोई कानून ला रहे हैं ?

श्री एस०आर० बोम्मई : मुझे नहीं पता कि कानून लाने से कोई इलाज हो सकता है। मैं इसके उचित उपचार के बारे में विचार कर रहा हूँ। यह इसलिए है क्योंकि अल्पसंख्यकों के नाम पर वे उच्चतम न्यायालय में चले जाएंगे। इसकी कानूनी जटिलताएं हैं। अतः मुझे उन्हें पार करना है।

जहाँ तक खेलों का सम्बन्ध है, पहले-पहल रेलवे की टीमें हाकी, फुटबाल और सब जगह अच्छी हुआ करती थीं। सेना की भी अपनी टीमें होती थी और निजी संस्थाओं की भी। परन्तु पता नहीं अब क्या हो गया है। जब हम नई खेल नीति पर विचार करेंगे तो इन सब बातों पर विचार किया जायेगा। चाहे इस बार बजट राशि बढ़ा दी गई है। परन्तु मुझे तो अभी भी लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है। अतः हमें उद्योग, व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य सरकारी संस्थाओं की सहायता खेलों सम्बन्धी आधारभूत ढ़ांचा खड़ा करने के लिए अवश्य लेनी पड़ेगी।

मुझे इस बात का दुख है कि नब्बे करोड़ की जनसंख्या वाला देश ओलम्पिक खेलों में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। इस हेतु युवावस्था में ही प्रतिभाओं का चुनाव आवश्यक है। फिर बारी आती है प्रशिक्षण, कोचिंग और उचित अवसर प्रदान करने की। इसके लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। चीन ने दस से बारह साल तक ओलम्पिक खेलों में भाग नहीं लिया। उसने केवल प्रशिक्षण दिया।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह तो मैं अवश्य कहूँगा कि जब तक कोचिंग के लिए निधियों को पर्याप्त आवंटन नहीं होता, अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो सकते। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। जब मैं इस्पात मंत्री था तो मैंने सेल से दस लाख रुपए लिएंडर पियेस को दिये। अब वह विश्व विख्यात है। इसी तरह मैंने चार युवा गोल्फ खिलाड़ियों को प्रायोजित किया था और अब वह विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं। सरकार तो यह करती है कि ओलम्पिक खेलों में जाने से एक महीना पहले वह खिलाड़ियों को कोचिंग देती है। रूस में जब पहली ओलम्पिक पूरी होती है तो अगली ओलम्पिक के लिए कोचिंग दी जानी शुरू हो जाती है। अतः हमारे पास प्रतिभा तो विद्यमान है परन्तु कोई उचित नीति नहीं है। आपने यह बहुत सही कहा है कि रेलवे और कुछ अन्य विभाग भर्ती करते समय खिलाड़ियों को पहल देते थे। परन्तु अब ऐसा नहीं होता। अतः सार्वजनिक क्षेत्र को खेलों के विकास पर अवश्य खर्चा करना पड़ेगा। सरकार सभी निधियां तो प्रदान नहीं कर सकती। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आगे आना चाहिए और व्यय वहन करना चाहिए। यह सरकार की खेल नीति में होना चाहिए अन्यथा आप कोई सुधार नहीं ला सकतें।

श्री एस०आर० बोम्मई : माननीय सदस्य से मैं इस बात पर सहमत हूँ कि केवल सरकार ही नहीं अपितु अन्य निजी संस्थाएँ व्यापार, वाणिज्य और सभी को खेलों से जोड़ा जाना चाहिए। नई खेल नीति का यही प्रारूप होना चाहिए। हम प्रतिमाओं को चुनने का प्रयत्न कर रहे हैं और युवाकाल में ही उन्हें प्रशिक्षण देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे 49 केन्द्र हैं। परन्तु यही पर्याप्त नहीं हैं। हम कोचिंग दे रहे है हम बजीफे दे रहे है, हम विद्यार्थियों को होस्टल और अन्य खर्चे दे रहे हैं। हम उनके स्कूल का खर्चा भी भर रहे हैं। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। अतः पूरे देश को, विशेषकर उद्योग, वाणिज्य और व्यापार को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि हमें संसाधन भी सही मिलें और सही तरह का प्रशिक्षण भी मिले। महोदय, हमें केवल एक कांस्य पदक मिला वो भी 48 साल बाद। परन्तु मेरे कार्यकाल में हमें कांस्य पदक मिला।

श्री संतोष मोहन देव : जब आखिरी नम्बर बनाया मैं मैच देख रहा था। मैंने आपको हंसते हुए भी देखा। चलो, और अधिक हंस लेते हैं और तदानुसार तैयारी भी करते हैं।

श्री एस०आर० बोम्मई : वह तो हम करेंगे।

महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत से मुद्दे उठाये हैं। मैं उन्हें पत्र लिखने का प्रयास करूंगा और मैं सदन में कुछ दस्तावेज भी पेश करना चाहता हूं समय की तंगी के कारण मैं यह कर रहा हूं।

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, त्रासदी तो यह है कि चालीस प्रतिशत खिलाड़ी भारतीय खेल प्राधिकरण से आते हैं और आजकल उनके पास निधियों का बहुत अभाव है।

चाहे बजट में वृद्धि हुई है परन्तु उस भारतीय खेल प्राधिकरण का बजट कम हो रहा है जब कि उसे लड़कों के होस्टल, सशस्त्र सेनाओं और एस०ए०आई० में प्रतिमाओं को खोजना, अंकुरित करना और युवा-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना होता है। तो उन्हें प्रशिक्षण कौन देगा ?

श्री एस०आर० बोम्मई : उनके बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ एक ओलम्पिक संघ भी है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अब कृपया अपना वक्तव्य पूरा करने दे।

श्री ए०सी० जोस : बात केवल इतनी है कि इस प्राधिकृत निकाय के लिए धन का अभाव है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : यदि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा हो सकती है तो अखिल भारतीय खेल सेवा क्यों नहीं हो सकती ? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी खेलो के विषय में कुछ नहीं जानते।

श्री एस०आर० बोम्मई : मैं आपसे सहमत हूं। ऐसी योजना है

कि लोगों को युवाकाल में ही चुनकर उन्हें प्रशिक्षण और कोचिंग दी जाए। समय की तंगी के कारण मैं बहुत से मुद्दों का उत्तर नहीं दे पाया। मैं केवल इतनी ही अपील करता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों को पारित किया जाए।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हान (कराड) : महोदय, मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। नवोदय विद्यालयों के लिए जैन स्तर पर प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान खोलने की योजना थी उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री एस०आर० बोम्मई : मैं सूचना प्राप्त करके आपको लिख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पर अलग से मतदान नहीं चाहते तो मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगो पर पेश किए गए समस्त कटौती प्रस्तावों पर इकट्ठे मतदान करवाता हूँ।

श्री एस०आर० बोम्मई : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लें।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इन्हें इकट्ठा कर दिया जाए यदि कोई माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दे कि अगली ओलम्पिक में भारत दस सोने के पदक जीतेगा चूंकि एक कटौती प्रस्ताव खेलों से सम्बन्धित है।

श्री पी०सी० कुरियन : महोदय, श्री सुरेश प्रभु को अगले ओलम्पिक खेलों में भेजा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में भाग संख्या 48 से 51 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षो के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों, राजस्व लेखे और पूंजी लेखों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 6 मई, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 8.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 6 मई, 1997/16 वैशाख, 1919 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।